खण्ड-390, अंक-7
मंगलवार, 16 फाल्गुन, शक संवत् 1910
(7 मार्च, 1989 ई0)

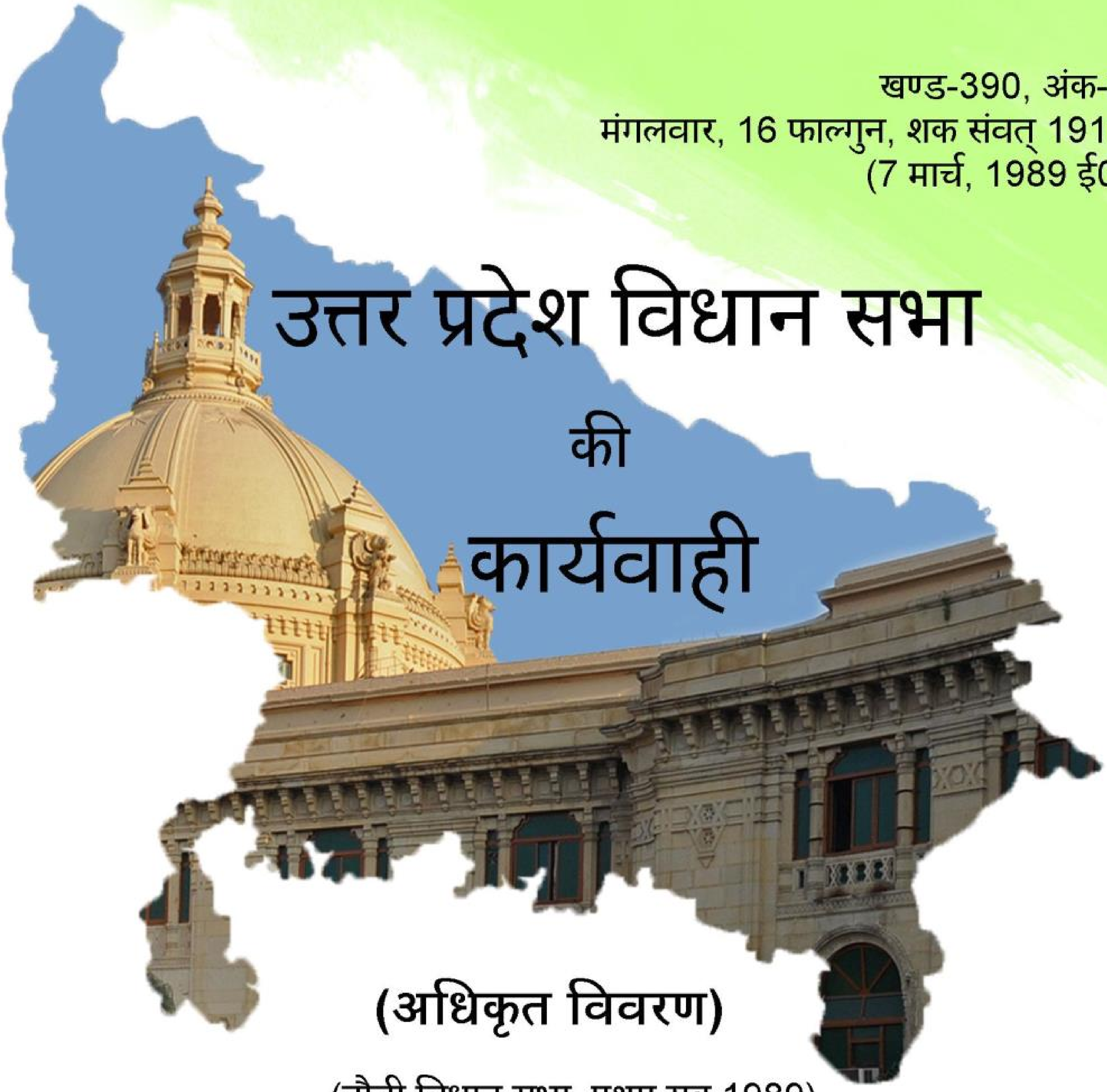

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 390 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)
1989

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

## विषय-सूची


| विषय | | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| उपस्थित सदस्य | .. | 1–2 |
| प्रश्नोत्तर | .. | 3–101 |
| प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न | .. | 101–103 |
| जनपद सहारनपुर के किसान सहकारी चीनी मिल सरसावा तथा नलौता किसान सहकारी मिल के विस्तारीकरण में करोड़ों रुपये की घांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 103 |
| जिला पिथौरागढ़ के गणाई गंगोली क्षेत्र में विकास खण्ड खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 103–104 |
| जनपद उन्नाव के पुरवा बनी मार्ग तथा मौरावा गुलरिहा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 104 |
| लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कैलाश कुंज योजना में निर्मित भवनों का मूल्य बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 104–104 |
| जिला गोरखपुर में हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के बंडल गायब होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 105 |
| जिला ललितपुर भयंकर सूखे की स्थिति से पीड़ित किसानों से सरकारी देयों की वसूली को रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 105–106 |
| जिला गाजीपुर के विकास खण्ड, मरदह के सिगेरा में विद्युत् उपकेन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 106 |
| औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें | .. | 106–121 |
| जनपद फैजाबाद, तहसील टाण्डा के विकास खण्ड, रामनगर में हंसवर से मंसूरगंज रोड पर रामनगर से चहौड़ा जाने वाली मेन रोड के चौराहे की सुरक्षित भूमि पर जूनियर हाई स्कूल (कन्या विद्यालय) खोले जाने विषयक श्री राम विलास सिंह, ग्राम सरफर्दनपुर, जनपद फैजाबाद की याचिका (उपस्थित) | .. | 121 |
| जनपद फैजाबाद के रामनगर विधान सभा क्षेत्र, जहांगीरगंज में आंगनबाड़ी योजना, बाल विकास परियोजना एवं अन्य रोजगार सुलभ करने वाली योजनायें शासन द्वारा लागू कराये जाने विषयक श्री राम विलास सिंह, ग्राम सरफर्दनपुर, जनपद फैजाबाद की याचिका (उपस्थित) | .. | 121 |
| कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें | .. | 121–134 |
| वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 22, खाद्य तथा रसद विभाग (जारी) | .. | 134–173 |

श्री देव कुमार यादव, सदस्य/विधान सभा को सुने जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न .. 173–175

श्री देव कुमार यादव के निलम्बन का प्रस्ताव .. 175–177

श्री देव कुमार यादव, सदस्य/विधान सभा के निलम्बन का निरस्तीकरण .. 177–178

वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 22 खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) .. 178–187

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें .. 187

कर्नलगंज की पुलिस द्वारा हरिजन युवक बद्री प्रसाद की हत्या किये जाने के संबंध में गृह मंत्री का वक्तव्य .. 187–198

दिनांक 16 फरवरी, 1989 को गोरखपुर जिले में अधिवक्ताओं के मौन जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के फलस्वरूप वकीलों द्वारा अदालतों को बहिष्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा .. 198–208

नत्थियां .. 209–216

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## उत्तर प्रदेश विधान सभा

### मंगलवार, दिनांक 7 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।

अकबर अहमद (डम्पी), श्री (नैनीताल)
अमिताभ अनिल दुबे, श्री (गाजीपुर)
अमीर आलम खां, श्री (मुजफ्फरनगर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अरविन्द तिवारी, श्री (जालौन)
अरुण प्रताप सिंह, श्री (गोण्डा)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
कमलेश कुमार पाठक, श्री (इटावा)
कल्यान सिंह, श्री (अलीगढ़)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
कान्ती सिंह विसेन, श्रीमती (खीरी)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
गजराज सिंह, श्री (गाजियाबाद)
गौरी शंकर भइया, श्री (बलिया)
चन्द्र भान मौर्य, श्री (आगरा)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
जय नारायण शर्मा, श्री (मेरठ)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (बस्ती)
धनराज यादव, श्री (बस्ती)
नरेन्द्र सिंह, चौधरी (कानपुर)
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
नानक चन्द आजाद, श्री (मेरठ)
निर्भय पाल शर्मा, श्री (सहारनपुर)
पुष्कर सिंह, श्री (गढ़वाल)
पुष्पा सिंघल, श्रीमती (मुरादाबाद)
प्रकाश नारायन अवस्थी, श्री (फतेहपुर)
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
फरीद महफूज किदवई, श्री (बाराबंकी)
फागू चौहान, श्री (आजमगढ़)
बचन सिंह, श्री (आगरा)
बसन्त सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
बाबू सिंह श्री (मुजफ्फरनगर)
बुद्धपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री (बुलन्दशहर)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
भगवान दास, श्री (मुरादाबाद)
मनोहर लाल, श्री (उन्नाव)
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
महावीर सिंह राणा, श्री (सहारनपुर)
मुलायम सिंह यादव, श्री (इटावा)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मोहम्मद असलम खां, श्री (सहारनपुर)
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री (एटा)
राजीव कुमार सिंह, श्री (बाराबंकी)
राजेश कुमार खैरा, श्री (ललितपुर)
रामगोविन्द चौधरी, श्री (बलिया)
राम लक्षन, श्री (गोरखपुर)
रीना कुमारी, श्रीमती (मुरादाबाद)
विजय सिंह राणा, श्री (आगरा)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सोन, श्री (आगरा)
शतरुद्र प्रकाश, श्री (वाराणसी)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
शिवानन्द नौटियाल, डा० (चमोली)
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री (गोरखपुर)

शेरबहादुर सिंह, श्री (फैजाबाद)
शैलेन्द्र कुमार, श्री (इलाहाबाद)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, डा० (सुल्तानपुर)
सलावत हुसैन, श्री (गाजियाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सज्जन बड़थ्वाल, श्री (चमोली)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सुखपाल पाण्डे, श्री (बस्ती)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री (अलीगढ़)
सैयद सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
हर नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)
हर शरन सिंह, श्री (मेरठ)
हरिश्चन्द्र हरीश जी, श्री (बस्ती)

विधान सभा सदस्य

## प्रश्नोत्तर

### मंगलवार, दिनांक 7 मार्च, 1989 ई0

### अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### नये जिलों के सृजन की नीति तथा कुशीनगर को नया जिला बनाने का प्रस्ताव

**1—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बड़े जिलों को पुनर्गठित कर नवीन जिले बनाने का आधार और नीति क्या है ? क्या सरकार के समक्ष देवरिया जनपद की जनसंख्या और क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए एक नवीन जनपद कुशीनगर जिसका मुख्यालय कसया को बनाते हुए, नया जिला बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे गठित करने में विलम्ब का कारण क्या है ? उसे सरकार कब तक नया जिला बना देगी ?

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)—

प्रशासकीय आवश्यकतानुसार नये जिलों का सृजन जिला पुनर्गठन समिति, 1970 जिला एवं मण्डल पुनर्गठन समिति 1987 की संस्तुति को दृष्टिगत रखकर किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, अभी कई जिलों का पुनर्गठन किया गया है और नये जिले बनाये गये हैं। उनमें कुछ जिलों को तो राजनैतिक दृष्टिकोण से बनाया गया है ताकि सरकार उसका फायदा उठा सके। मैं जानना चाहता हूं कि मैंने एक पत्र लिखित माननीय मुख्य मंत्री जी तथा माननीय राजस्व मंत्री जी को भी लिखा जिसमें मैंने यह भी लिखा था कि देवरिया जनपद की आबादी 36 लाख हो गयी है और इतने बड़े जिले का पुनर्गठन करने की नितांत आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या इस पर विचार कर रही है या नहीं, और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर, प्रदेश के ऐसे जिले और भी ऐसे हैं जिनकी आबादी देवरिया जिले से भी अधिक है। इसलिए कुछ दिनों पूर्व मैंने सदन में कहा था कि जिलों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में राजस्व परिषद् चेयरमैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गयी है जो ऐसे प्रश्नों पर विचार करती है। माननीय सदस्य या दूसरे अन्य माननीय सदस्य जो चाहते हैं कि किसी जिले अथवा तहसील का पुनर्गठन कर दिया जाय, वे उस सम्बन्ध में उसे लिखकर भेज सकते हैं। वहां उस पर विचार होगा और वहां से रिपोर्ट आने पर सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि नये जिलों का सृजन जिला पुनर्गठन समिति, 1976 की रिपोर्ट के द्वारा किया गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस समिति की रिपोर्ट में बस्ती जिले को विभाजित किए जाने के बारे में रिपोर्ट क्या थी ? क्या उस रिपोर्ट में यह नहीं लिखा था कि इसका मुख्य कार्यालय बांसी में बनाया जाना चाहिए ? यदि हां, तो बांसी को जिला मुख्यालय न बनाए जाने का क्या कारण है ?

श्री माता प्रसाद--

यह ठीक है कि उस समय जो रिपोर्ट आयी थी उसमें बांसी को ही मुख्यालय बनाये जाने के बारे में संस्तुति की गयी थी, किन्तु बाद में सिद्धार्थनगर के नाम से दूसरी जगह हेड क्वार्टर बनाना तय किया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पुनर्गठन समिति की जो पिछली संस्तुति प्राप्त हुई थी उसमें नये जिलों के पुनर्गठन के बारे में उस समिति ने क्या आधार बनाया था ?

श्री माता प्रसाद--

उसका आधार जिले का क्षेत्रफल, जनसंख्या, उसकी भौगोलिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास की स्थिति यह सब प्रशासन की सुविधा के लिए देखा गया ।

श्री राम शरण दास--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नये जिले बनाये गये हैं, उनका जिला हेड क्वार्टर कहां पर कायम हो, इसका क्या माप दण्ड रखा गया है ?

श्री माता प्रसाद--

नये जिले जो प्रस्तावित करेंगे उसके लिए समिति से कह दिया गया है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर मुख्यालय कहां पर होंगे, अब इसका भी जिक्र वह अपनी रिपोर्ट में करें ।

श्री रास शरण दास--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हरिद्वार को नया जिला बनाया गया है जिसे कि सहारनपुर से अलग किया गया है। क्या माननीय मंत्री जी इस नये जिले का हेडक्वार्टर हरिद्वार के बजाय रुड़की में बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, यह नया जिला हरिद्वार के नाम से ही बना है इसलिए इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार ही रहेगा ।

श्री पूरन सिंह माहरा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि नये जिले के बारे में कमेटी क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि सब देखती है तो क्या पर्वतीय क्षेत्र के लिए वही जनसंख्या और क्षेत्रफल का मानक रखा गया है ? इस सम्बन्ध में यह और जानना चाहूंगा कि क्या जिला पुनर्गठन समिति ने रानीखेत को जिला बनाये जाने की सिफारिश की है ?

श्री माता प्रसाद--

रानीखेत के बारे में ऐसी कोई संस्तुति नहीं की है बहुत सी चीजें होती हैं जैसे कि क्षेत्रफल देखा जाता है, जनसंख्या देखी जाती है औद्योगिक विकास के लिए तथा प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रख कर ही नये जिले का सृजन किया जाता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि पिछली समिति ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें क्षेत्रफल, औद्योगिक विकास, पिछड़ापन, जनसंख्या आदि बातों पर ध्यान दिया गया और इन्हीं बातों को ध्यान म रख कर नये जिले सृजित किए गए, ऐसा माननीय मंत्री जी ने बतलाया है। इन सब बातों को देखते हुए माननीय शाही जी ने जो आरोप लगाया है, वह सही है कि अब तक जो जिले पुनर्गठित समिति की रिपोर्ट पर बनाये गये हैं वह पूरी तरह से राजनीतिक दबाव के कारण बने हैं और इन तथ्यों पर जिन्हें कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे कितने ही जिले हैं जहां न जिला बनाने के लिये आन्दोलन हो रहे हैं जैसे कि चित्रकूटधाम, बलरामपुर, कसया, सभी जगह यह अन्दोलन हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने कमेटी के प्रस्ताव को नये जिलों के सृजन के बारे में सन्दर्भित किया है या और कोई प्रत्यावेदन है जिस पर विचार किया जा रहा है ? जहां-जहां जिले बनाये जाने की तीव्र मांग है क्या आप उनके बारे में तत्काल निर्णय करेंगे ?

श्री माता प्रसाद--

इसके टर्म्स आफ रिफरेन्स जो हैं, समिति के नये जिलों के सृजन के सम्बन्ध में उसमें है कि एक बहुत बड़ा मण्डल विभाजित करके आवश्यकतानुसार नये जिले का सृजन जिले के क्षेत्रफल, जनसंख्या, भौगोलिक और सामाजिक प्रभाव, प्रशासन हेतु जिले का विभाजन और उनका सृजन कौन-कौन सी तहसील, प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभाजन योग्य है।

उनका विभाजन करने के बाद अथवा कुछ और तहसीलों को मिला कर तथा आवश्यकतानुसार सीमा पर पड़ने वाली और तहसीलों को लेते हुए पुनर्गठन की बात इन तहसीलों की सीमा रेखायें क्या होंगी और इनमें कौन-कौन से गांव सम्मिलित होंगे। नये मण्डल तथा तहसीलों के मुख्यालय कहां होंगे नये मण्डलों, जिलों तथा तहसीलों के सृजन पर अनुमानित वित्तीय भार क्या आयेगा ?

कर्नल केशरी सिंह--

जब बस्ती जिले को विभाजित करके सिद्धार्थनगर बनाय गया, नोटिफिकेशन हो गया, उसकी घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कर दी, ब्राउंड्री निश्चित हो गयी। हमारे जिले के एक सांसद डुमरियागंज के विषय में कुछ आपत्ति किये। मुझे सूचना है कि यहां से कमिश्नर गोरखपुर को लिखा गया है कि उन प्रधानों से सत्यापन करायें कि क्या प्रस्ताव पास किया है। एक ही ब्लाक के प्रधानों से सत्यापन करायेंगे तो यह बात अन्य प्रधानों और जनता के खिलाफ होगी उन लोगों की राय नहीं लेंगे तो। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अन्य सम्बन्धित ब्लाक हैं उनके प्रधानों से भी सत्यापन करायेंगे और राय लेंगे ?

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, बस्ती जिले को विभाजित करके सिद्धार्थनगर बनाया गया। वहां एक ब्लाक को लेकर विवाद है डुमरियागंज का। हमारे यहां पर दो विचार हैं कुछ लोग चाहते हैं कि डुमरियागंज को सिद्धार्थनगर में मिला दिया जाय कुछ लोग कहते हैं कि डुमरियागंज बस्ती में ही रहे। इसलिये मान्यवर यह सही है कि एक आवेदन-पत्र माननीय सांसद जनाब काजी जलील अब्बासी का आया था, जिसमें 103 लोगों के हस्ताक्षर हैं; उन लोगों का कहना है कि डुमरियागंज में रहना चाहते हैं। डुमरियागंज ब्लाक से एक पत्र आया है उनका कहना है कि बस्ती में रहना चाहते हैं इस विवाद

को देखकर के जो आवेदन-पत्र मिला था 103 ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षर सहित, उसे आयुक्त गोरखपुर के पास भेज दिया गया है कि वह यहां के इस ब्लाक के प्रधानों और जनता की राय लेकर अपनी राय सरकार को भेजे । उसके बाद आवश्यकता हुई तो विचार किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी क्या इतने जिले काफी नहीं हैं, इसे दुगुना कर दिया जाय, तो मुनासिब रहेगा ?

श्री मूलचन्द्र--

मान्यवर, मवोही को औद्योगिक जिला बनाने के लिये मांग हो रही है आंदोलन हो रहे हैं । क्या इस कमेटी ने मवोही को जिला बनाने के लिये कोई रिपोर्ट दिया है तो वह रिपोर्ट क्या है ? क्या मवोही को औद्योगिक जिला बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, वैसे तो कई जगहों से मांग आ रही है नये जिलों को बनाने के सम्बन्ध में । मवोही का जहां तक सवाल है जिला पुनर्गठन समिति ने कोई संस्तुति नहीं की थी । इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर समिति बनायी गयी है । माननीय सदस्यगण सुझाव देना चाहते हैं या दूसरे लोग जो इन सम्बन्ध में कोई मांग कर रहे हैं, वह अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में जो समिति बनी है वहां पर आवेदन-पत्र दें, अपने विचारों को उन्हें बता दें, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही कोई विचार क्या जायेगा ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय शाही जी यह आखिरी सवाल है, घड़ी का भी ख्याल रखें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, तीन अंशों में मैं अपना प्रश्न करना चाहता हूं । एक तो इन्होंने बताया कि जिला पुनर्गठन समिति 1970 और जिला एवं मंडल समिति 1987--इनकी संस्तुतियों के आधार पर जिलों का गठन किया गया है । किन-किन जिलों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में इस समिति ने विचार किया और किन-किन जिलों में पुनर्गठन करने के लिये इस समिति ने अपनी संस्तुति की तथा आपने उनमें से कितने जिले खोल दिये ?

दूसरी बात जो जानना चाहता हूं वह कब्जे के सम्बन्ध में है । अभी जो आपने राजस्व परिषद् की समिति बनायी है, इसकी रिपोर्ट कब तक अपेक्षित है और क्या उसके लिये आपने कोई टाइमबाउन्ड समय दिया है और वह समिति इन जिलों के बारे में स्वतः विचार करेगी या माननीय सदस्यों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार करेगी ।

तीसरी बात जानना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी कुशी नगर स्वयं गये थे और उन्होंने वहां पर लोगों का उग्र रूप भी देखा तथा उत्सुकता भी देखी । मैं जानना चाहता हूं कि वहां के आन्दोलनरत लोगों को देखते हुये क्या तत्काल कुशीनगर को जिला बनाने की माननीय मंत्री जी घोषणा करेंगे ?

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर, मैं वहां गया था और माननीय सदस्य भी मेरे साथ थे। मैंने कहा था कि जो आपकी मांगें हैं, उन पर विचार कर लिया जायगा। इसी सम्बन्ध में विचार करने के लिये अध्यक्ष राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में समिति बनायी गयी है, जो पड़रौना तथा कुशीनगर दोनों ही जगहों से प्राप्त आवेदनों पर विचार कर रही है। दोनों ही जगहों से प्राप्त आवेदनों को समिति को भेज दिया गया है।

(श्री सूर्य प्रताप शाही के पुनः कुछ पूछने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष—

आप मुझसे कहते हैं कि मैं नियमों के अनुसार चलूं और आप खुद ही ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा ? अब आप बैठें, मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

## राजकीय आस्थान की भूमि को मध्यम, कमजोर और हरिजनों को पट्टा पर दिया जाना

**2—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आस्थान की भूमि को मध्यम, कमजोर और हरिजन वर्ग को शहरों में आवास हेतु पट्टा देने पर शासन कोई विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त वर्गों को लाभ पहुंचाने हेतु तत्काल ऐसी नीति बनाने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी नहीं। अपितु राजकीय आस्थान की भूमि को भवन हेतु पट्टों पर दिये जाने के लिए राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध सम्बन्धी नियमावली के नियम 10 में पहले से ही प्राविधान उपलब्ध है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र की 14 फरवरी को पूछे गये एक तारांकित प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि राजस्व विभाग से सम्बन्धित पट्टे देने पर सूचना एकत्रित की जा रही है और परीक्षण कराया जा रहा है। लेकिन मान्यवर, अभी इस अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने साफ-साफ कह दिया कि इस तरह का कोई भी प्रश्न विचाराधीन नहीं है। मैं मान्यवर, मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह नियमावली के नियम 10 को बताया गया है तो क्या यह नियमावली 14 फरवरी के पहले लागू नहीं थी यदि थी, तो उसके क्या प्राविधान हैं तथा यह कब से लागू की गयी और इन नियमों के अन्तर्गत कितने लोगों को आवासीय पट्टे दिये गये ?

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर, नियमावली के अन्दर 3 आधारों पर राजकीय आस्थान की भूमि आवंटित करने के लिये नियम हैं और यह सभी आर्थिक आधार हैं। पहला है कि 5 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को दूसरा, अल्प आय वर्ग का ऐसा व्यक्ति, जिसकी आय 5 हजार से तो अधिक हो किन्तु 7,000 रुपये अधिक न हो और तीसरा वह, जिनकी आय 7,200 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक हो। मान्यवर, यह अभी तक वहां जो कब्जे हैं, वह अधिकांशतः अनधिकृत हैं चाहे वह जिस

आय वर्ग वाले लोग हों और कोई भी आवंटन सरकार की तरफ से अभी तक नहीं किया गया है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह जो अनाधिकृत कब्जा है और इस बारे में 7 मार्च, 1987 को मैंने स्वयं ध्यान आकर्षित किया था, जिसके सम्बन्ध में आश्वासन दिया गया था कि जांच कराई जायगी । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि किस व्यक्ति से इसकी जांच कराये गयी और उसकी रिपोर्ट क्या है और उसके अनुसार क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, उसके बाद ही ये सूचनायें मंगानी प्रारम्भ की गई हैं । लेकिन अभी तक सन्तोषजनक सूचना नहीं आई है । इसका कारण यह था कि इधर कुम्भ मेला था तथा दूसरा कर्मचारी हड़ताल पर थे । पूरी सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है कि कितने लोगों ने नाजायज कब्जा किया है और उसकी सही-सही संख्या क्या है ?

श्री हर्षवर्धन--

मान्यवर, 1987 में इसका आश्वासन दिया गया था । 1989 में कुम्भ मेला लगा और कर्मचारियों की हड़ताल भी उधर हो हुई । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इन दो कारणों की वजह से सूचना एकत्र नहीं हो पाई है । दो वर्ष पहले का यह मामला है । माननीय मंत्री जी जो इस तरह से जवाब दे रहे हैं, इस पर हम आपका संरक्षण चाहते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सूचना एकत्र करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, केवल इलाहाबाद से ही सूचना नहीं मंगानी थी, बल्कि कई अन्य जिलों से भी सूचना मंगवायी जानी थी । जब सारी सूचना उपलब्ध हो जायेगी, उसके बाद ही कोई नीति निर्धारित की जायेगी कि जिन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है उस पर क्यों कार्यवाही होनी चाहिए ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1987 से लेकर 1989 तक, इन दो वर्षों में जिन अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनके जांच पूरा न करने के कारण उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ताकि सरकार को मुंह की न खानी पड़े ?

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, जांच की जा रही है । बहुत से जिलों से सूचना की आवश्यकता है । सूचना आने के बाद ही कोई नीति निर्धारित की जायेगी ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि 9 महीने पूरे हो गये हैं । तो हम उम्मीद करें....

(हंसी)

श्री मूल चन्द्र--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि बहुत सी जमीन पर अनाधिकार कब्जा किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि अनाधिकार कब्जा करने वालों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की और निर्बल वर्ग के लोगों को अभी तक पट्टा न देने का क्या औचित्य है ?

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, पिछले दिनों में भी मैंने यह कहा था कि अभी तक जो यह नियम दिया गया है, उसमें निर्बल वर्ग व अल्प आय वर्ग के लोगों को नियमित रूप से पट्टा देने की बात है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक अनाधिकार रूप से कब्जा कर रखा है, उसका सारा प्रकरण शासन के विचाराधीन है। इसकी सूचना आने पर ही शासन कोई निर्णय ले पायेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, 14 फरवरी को माननीय मंत्री जी ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि 2 महीने के अन्दर इसका परीक्षण कराकर कोई नीतिगत निर्णय ले लिया जायेगा। आज 2 साल पूरे हो गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 7 मार्च, 1987 को आपने जो जांच के आदेश दिये थे, वह जांच आपने किस अधिकारी से करवाई और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, इस सूचना की आवश्यकता है कि किस अधिकारी ने इसकी जांच की ?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

## इलाहाबाद, फारूख ट्रेडिंग एण्ड फाइनेन्स कम्पनी के नाम बेरोजगार लोगों को फंसाकर धन वसूली के विरुद्ध कार्यवाही

*1--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि 6 अक्तूबर, 1987 को फ्लैट नं0-33 उच्च आय वर्ग एच0 आई0 जी0 स्टेनली रोड आवास योजना इलाहाबाद पर छापा डाला गया था जिसमें अश्लील फोटो, अनैतिक व्यापार सम्बन्धी अभिलेख तथा फारूख ट्रेडिंग एण्ड फाइनेन्सिंग कारपोरेशन के नाम से बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के नाम पर फंसाकर पैसा वसूलने के तथ्य प्रकाश में आये थे ? यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और उन पर अब तक की कृत कार्यवाही के विवरण को सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या कठिनाइयां हैं ?

गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)--

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित फ्लैट पर छापा मारा गया था। छापे के दौरान यह प्रकाश में आया कि फारूख ट्रेडिंग एण्ड फाइनेन्स कम्पनी के नाम से एक संस्था उक्त फ्लैट में कार्यरत है जो अवैधानिक कार्यों में लिप्त है। प्रश्नगत प्रकरण की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट की जा चुकी है जो अभी प्रचलित है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है कि छापा डाला गया था जिसमें अश्लील फोटो, अनैतिक व्यापार सम्बन्धी अभिलेख तथा फारूख ट्रेडिंग

एण्ड फाइनेन्सिंग कारपोरेशन के नाम से बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के नाम पर फांसकर पैसा वसूलने का प्रकरण प्रकाश में आया था, माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि संस्था अवैधानिक कार्यों में लिप्त थी, मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह फ्लैट कांग्रेस के एक सांसद का है, जिसमें छापे में अश्लील फोटो, तथा अनैतिक व्यापार सम्बन्धी अभिलेख मिले हैं ? यदि हां, तो यह फ्लैट किस सांसद का है ? क्या इसके बाद जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने कुछ गोपनीय पत्र शासन को लिखे थे जिसमें गम्भीर शिकायतें करते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)—

यह सच है कि वहां छापा डाला गया था और वहां से कुछ फोटो, कुछ युवक और युवतियों से नाजायज पैसा वसूलने सम्बन्धी कागजात मिले थे, यह मकान एक एम0 पी0 साहब के भाई का था, यह बात सच है, लेकिन जो उसमें रहते थे उनसे लिखकर एग्रीमेन्ट हुआ था कि कोई गलत काम नहीं करेंगे, जब उन्हें मालूम हुआ तो नोटिस देकर खाली करा दिया । चूंकि छानबीन हो रही थी और पूरे तथ्य सामने नहीं आये थे, आफेन्स ठीक तरह से नहीं बन पा रहा था, अतः छानबीन करने के लिये और तथ्यों की सही छानबीन करने के लिये सी0 आई0 डी0 को जांच दे दी गयी है । चूंकि सी0 आई0 डी0 से जांच हो रही है और कुछ कहने से जांच प्रभावित होती है, अतः इस सम्बन्ध में अधिक कुछ कहना उचित न होगा, वैसे फोटो वगैरह वाली बात सही है ।

श्री रघुवीर दयाल वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिलाधिकारी इलाहाबाद ने जो पत्र लिखा शासन को, वह पत्र क्या है और उसमें किन-किन बिन्दुओं पर आख्या भेजकर उच्च स्तरीय जांच की शासन से मांग की थी ?

श्री सईदुज्जमा—

चूंकि सी0 आई0 डी0 की जांच प्रचलित है, अतः उसकी किसी भी बात को सदन के सामने लायें, न्यायसंगत नहीं होगा । जो भी प्रकरण है, वह जल्द ही सी0 आई0 डी0 की जांच से सामने आ जायगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

जांच का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने जो पत्र शासन को लिखा वह पत्र क्या है, जो बातें थीं, सदन में लाने में क्या कठिनाई है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जिलाधिकारी के पत्र से यह प्रकाश में आया कि कुछ बेरोजगार युवक युवतियों से नौकरी देने के बहाने अग्रिम वसूल करने का काम चल रहा है । कुछ फोटो वगैरह भी प्राप्त हुए हैं, जो अश्लील हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. इसमें दो राय है । यह देखते हुए कि यह कार्य नाजायज हो सकता है, सवाल पार्टी का नहीं है, चाहे हमारी पार्टी हो या आपकी पार्टी हो, नाजायज चीज नाजायज है, सारे तथ्यों की समीक्षा करने के लिये इस प्रकरण को सी0 आई0 डी0 को भेजा गया है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मन्त्री जी ने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि कांग्रेसी सांसद का इनवल्वमेन्ट है । उन्होंने किराये पर दिया और उनसे लिखा लिया था कि अनैतिक काम नहीं करेंगे,

श्रीमन्, इतना स्पष्ट हो गया है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह जो सब लेडिंग हाकस ट्रेडिंग के नाम पर की गयी, कानून सम्मत की गयी या कानून विरोधी थी। अगर कानून सम्मत नहीं थी तो उसके बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई।

श्री रफीकुज्जमा--

मान्यवर, माननीय सांसद का किसी भी तरह से इसमें लिप्त होने का कोई प्रमाण नहीं आया है। लेकिन कोई भी अपने मकान को किराये पर दे सकता है और किराये का एग्रीमेंट लिखा जाता है। यह सारा प्रकरण नियमों के अन्तर्गत आता है। यह कैसे कहा जा सकता है कि किन कारण से दिया, हर आदमी किराये पर मकान दे सकता है। जो शर्तें होती हैं, लिखी जाती हैं, उसी के आधार पर दिया। उन्हें जब यह अवगत हो गया तो उन्होंने तत्काल नोटिस देकर मकान खाली करा लिया, तो इसमें माननीय सांसद के आने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

## हिमालय के समीपवर्ती क्षेत्रों में भूकम्प से बचाव के उपाय

*2--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री मैनेजर सिंह, श्री हृदय नारायन दीक्षित तथा श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि देश के सब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने शोध के बाद इस बात की आशंका व्यक्त की है कि निकट भविष्य में हिमालय से लगे इलाके जिसमें उत्तर प्रदेश का इलाका भी है, में भयंकर भूकम्प आ सकता है? यदि हां, तो जान-माल की क्षति न हो इसके लिये सरकार क्या करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

विस राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

वैज्ञानिकों द्वारा अब तक किए गए शोध कार्यों के आधार पर भूकम्पों के पूर्वानुमान के विषय में कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।

भवनों एवं जान-माल की सुरक्षा हेतु वैज्ञानिकों द्वारा भूकम्पीय क्षेत्रों के लिए विशेष मानक तैयार किए गए हैं जिनका अनुपालन भवनों के निर्माण में किया जा रहा है। पुराने भवन जो इन मानकों के अनुरूपम नहीं हैं उनके भूकम्प सहने की क्षमता पर भी शोध कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्थायी तौर पर टिहरी, नरेन्द्रनगर तथा रुद्रप्रयाग में भूकम्प वेधशालाएं लगाई गई हैं।

लागू नहीं होता।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि वैज्ञानिकों ने क्या मानक तैयार किये हैं?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, इसमें रुड़की विश्वविद्यालय में इस बात का शोध किया गया कि भूकम्प के क्षेत्र में जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनकी बिल्डिंगों को किस तरह से बनाया जाय और दूसरे जो रेजीडेंशियल कालोनीज प्राइवेट लोग बनाते हैं, उसमें किस प्रकार से मकान बनाए जायं और उसमें कौन से मकान तैयार किये जायं। इसमें 1981 में इनके मकान बनाने के लिये एक किताब भी प्रकाशित की गई है, जो अंग्रेजी में है। उसके हिन्दी में ट्रान्सलेशन का प्रयास किया जा रहा है। उसमें जिस हिसाब से भूकम्प के झटके रिकार्ड किये जाते हैं, उसमें बिल्डिंगों को बचाने के लिये लकड़ी के डिजाइन बनाने का डिजाइन तैयार किया गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मैं जानना चाहूंगा कि जो यह रिपोर्ट आई है, श्रीमन्, आपका जो टेहरी डैम बन रहा है, उस क्षेत्र के बारे में भूकम्प की कुछ संभावना व्यक्त की गई है, यदि हां, तो इस तरह की दुर्घटना हो तो सरकार क्या कर रही है, उसके लिये वैज्ञानिकों ने कौन से उपाय बताए हैं कि भूकम्प आने पर रक्षा की जा सके ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, यह जो हिमालय है, यह भूकम्प क्षेत्र में आता है । टेहरी बांध भी उसी भूकम्प क्षेत्र में आता है । इसमें रूस से यह कहा गया है कि भूकम्प का क्षेत्र होने के कारण वह इस डैम की डिजाइन को इस तरह से बनाए कि उस पर भूकम्प का कोई प्रभाव न हो । रूस से पूरी टैक्नालाजी आयात की गई है और इस तरह से बना रहे हैं कि भूकम्प के छोटे-मोटे झटकों का प्रभाव न पड़े ?

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टेहरी में डैम बन रहा है और भूकम्प से बचाने के लिये यह राकील्ड यानी सीमेंट कांक्रीट का नहीं बनाया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि भूगर्भवेत्ताओं ने जब इसका अन्वेषण किया था तो यह संभावना व्यक्त की थी कि इसके कारण यह अर्थ टर्मर होंगे और यह टूट जायगा, क्या भूगर्भवेत्ताओं ने यह रिपोर्ट दी थी कि भकम्प आया तो इसका प्रभाव 300 कि0मी0 रेडियस पर पड़ेगा ?

एक तो यह बात और दूसरी बात यह कि 300 किलोमीटर के रेडियस पर जो हजारों गांव व शहर बसे हुए हैं, इन पर कोई इस भूकम्प का प्रभाव न पड़े क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, जैसा कि मैंने भी निवेदन किया जो क्षेत्र भूकम्पीय हैं और जो टेहरी डम बन रहा है यह भी इसी क्षेत्र में आता है, इसके अलावा भी हमारे ही देश में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर भूकम्पी क्षेत्र है, जैसे बिहार है, वहां पर यह डैम बना है, लेकिन इनके बनाने से पूर्व जो इसमें प्रोकाशन्स होते हैं वह अवश्य लिये जाते हैं, जिससे वह स्थान और उसके आस-पास की जगह भूकम्प के झटकों से कोई असर न लें और प्रकार से इन चीजों के डिजाइन तैयार कराए जाते हैं और इन बातों का प्रचार भी आस-पास कराया जाता है ताकि इस प्रकार की संभावना से लोग बच सकें ।

श्री अध्यक्ष—

कुछ भरोसा भगवान पर भी कीजिए, कितनी भी साइन्स हो, नई-नई टेक्नालोजी हो, ऐसी चीजों को रोक नहीं सकती हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि अभी हाल में एक भविष्यवाणी अखबारों में प्रकाशित हुई थी जिसमें मलिहाबाद से लेकर फैजाबाद क्षेत्र तक भूकम्प से प्रभावित होने की संभावना व्यक्त की गई है क्योंकि इन इलाकों में भू-पर्तों में दरार पायी गयी हैं, यदि यह जानकारी माननीय मंत्री जी को नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी कराएंगे और जानकारी के बाद समुचित व्यवस्था पर कोई विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

बैठिए, भविष्यवाणी पर प्रश्न नहीं होते। इस पर न जाइए, आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, समझदार हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह प्रश्न ही पूरा भविष्यवाणी पर चल रहा है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के दौरान बताया कि टेहरी डैम रूस टेक्नालोजी के आधार पर बनाया जा रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि रूस का अपना एक डैम, इसी भूकम्प के द्वारा बिल्कुल ध्वस्त हो गया है तो क्या माननीय मंत्री जी पुनः इस ओर विचार करेंगे ताकि टेहरी डैम व इसके आस-पास बसे हुये ऋषिकेश व हरिद्वार पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े, इसलिये क्या टेहरी डैम को छोटा करने पर विचार करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

इस डैम को छोटा करने की जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, इस पर तो कोई विचार नहीं किया गया है और रूस के एक डैम का जो उदाहरण उन्होंने दिया है, हो सकता है बहुत तेज भूकम्प के झटके रहे हों जिसकी वजह से वह ध्वस्त हो गया, हमने भी जो रूस टेक्नालोजी के आधार पर डैम का डिजाईन किया है, वह भी छोटे-छोटे झटकों को तो बर्दास्त कर लेगा लेकिन जो बहुत तेज भूकम्प होगा, उससे बचा पाने की कोई टेक्नालोजी अभी डेवलप नहीं हुयी है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा माननीय राम आसरे वर्मा जी ने कहा है कि मलिहाबाद से फैजाबाद तक के क्षेत्र में कभी भी भूकम्प आ सकता है। जहां पर हम लोग बैठे हैं यह क्षेत्र भी इसी में आ जाता है तो कितने इलाके इस आशंका से ग्रस्त हैं जहां पर भूकम्प आ सकता है।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, पूरे देश को 5 जोन्स में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड, आगरा और मिर्जापुर को छोड़कर बाकी जो मैदानी क्षेत्र है वह तीसरे जोन में आता है और गढ़वाल पंचम रेंज में आता है।

*3--श्री सूर्य प्रताप शाही--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

## निर्बल व कमजोर वर्ग को राजकीय आस्थान की भूमि पट्टे पर देने के सम्बन्ध में कार्यवाही

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की प्रार्थनकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को निर्बल व कमजोर वर्ग को राजकीय आस्थान की भूमि के पट्टे देने के सम्बन्ध में

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार "कानूनों के समक्ष समानता व कानूनों का समान संरक्षण" देने सम्बन्धी पत्र जिसकी प्राप्ति पत्रांक संख्या---सी0 एम0 बी0 की एम-3/83-23/ह/88, दिनांकित 5-8-88 द्वारा प्रश्नकर्ता को दी गयी है, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक निर्बल कमजोर मध्यम वर्ग को संवधानिक संरक्षण प्राप्त करा दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां। प्रकरण नीति विषयक होने के कारण पूरे प्रदेश में स्थित राजकीय आस्थान की परिसम्पत्तियों की अद्यावधिक सूचना एकत्र की जा रही है। तदोपरान्त राजकीय आस्थान की भूमि पर अनधिकृत कब्जों के श्रेणीवार निर्बल एवं कमजोर वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्य आय वर्ग तथा अन्य के लिये नियमितीकरण करने का नीतिगत निर्णय हर एक पहलू के विचार करने के उपरान्त लिया जायेगा। जहां तक शहरी क्षेत्र में आवासीय पट्टा देने हेतु वरीयता क्रम की नीति का प्रश्न है निर्बल एवं कमजोर वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्य आय वर्ग को राजकीय आस्थान की भूमि को भवन हेतु पट्टी पर दिये जाने के लिये राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध सम्बन्धी नियमावली के नियम 10 में पहले से ही प्राविधान उपलब्ध है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, इसी प्रकार का एक दूसरा प्रश्न मैंने किया था जिसमें माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इस तरह का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है। लेकिन दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया है कि अल्प आय, निर्बल वर्ग व कमजोर वर्ग के लिये यह विचार कर रहे हैं और निर्णय लेंगे उनको पट्टा दिया जाय या न दिया जाय। इस प्रश्न का संबंध एक संवैधानिक सवाल से भी है कि राजकीय आस्थान की 68 एकड़ भूमि अधिकारियों और तथाकथित नेताओं ने कब्जा कर लिया है और उनको पट्टा दे दिया गया है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कमजोर, निर्बल हरिजन और मध्यम वर्ग के लोगों को जिन नियमों और शर्तों के अन्तर्गत अधिकारियों और तथाकथित नेताओं को पट्टा दिया गया है, क्या उसी प्रकार से इन गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को भी पट्टा दिया जायेगा, यदि नहीं तो क्यों ? और कब तक ?

श्री माता प्रसाद—

इस समय कोई नियम विचाराधीन नहीं है बल्कि पहले से व्यवस्था है इसलिये ऐसा उत्तर दिया गया है और जहां तक निर्बल वर्ग और कमजोर वर्ग के लोगों को पट्टा देने की बात है तो ऐसी व्यवस्था है कि कमजोर वर्ग के लोग जिनकी वार्षिक आय 5006 रु0 से कम है तो उनको पट्टा देने में प्राथमिकता दी जायगी और 40 वर्गमीटर तक उनसे कोई नजराना नहीं लिया जायेगा जो लोग अल्प आय तथा जो कमजोर वर्ग के हैं उनसे स्टैंप ड्यूटी नहीं ली जायेगी। लेकिन बहुत से लोग अनधिकृत कब्जा कर रहे हैं, इस संबंध में सूचना एकत्रित करके नीति निर्धारित की जायेगी और उस पर विचार किया जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपात्र व्यक्ति हैं उन्होंने अनधिकृत कब्जा कर लिया है। मेरी निजी जानकारी है कि ऐसे लोग वरिष्ठ नेताओं के परिवार के लोग हैं।

बड़े-बड़े उच्चाधिकारियों के नाम पर है और उनको पट्टा मिल भी गया है। तो क्या ऐसे अधिकारी या ऐसे राजनेता जिनके नाम पर जिनके परिवार के नाम इसका पट्टा

मिला हुआ है उसकी जांच करके उसे आप सदन की मेज पर रखेंगे और सदन को सूचना देंगे ?

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, कुछ ऐसे अधिकारियों ने तथा दूसरे लोगों ने जिन्होंने पट्टे ले लिये हैं, ऐसे अधिकारी हैं। जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के नाम से मकान आदि बनवा लिये हैं जैसा कि आप कह रहे हैं। इन्होंने कृषि कार्य हेतु पट्टा लिया और बाद में आवास बना लिया जो कि गलत था।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा सीधा सवाल था कि क्या आप उन लोगों की सूचना देंगे जिन अधिकारियों ने अथवा राजनेताओं ने ऐसे भूमि पर कब्जा कर लिया है। इसका जवाब दिला दें मान्यवर।

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, सूची लम्बी है, आज्ञा हो तो पढ़ दूं। मैं बता सकता हूं। मान्यवर, नाम इस प्रकार हैं। श्रीमती विद्यादेवी, पत्नी श्री दुबरी दुबे, श्रीमती प्रेम लता, पत्नी श्री आर0 के0 दुबे, श्रीमती ब्रह्मा देवी पत्नी श्री राम लोक मिश्रा, श्रीमती चन्द्रिका देवी पत्नी श्री बनवारी लाल, श्रीमती प्रेमवती..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, सूची लम्बी है।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, पढ़ने दीजिये। ये सब आई0 ए0 एस0 अधिकारी हैं। सदन को जानकारी हो जायेगी। इन बड़े अधिकारियों ने बहुत बड़ी धनराशि खजाने से ले ली है और अपने परिवार के नाम यह भूमि करवा ली है ...

श्री अध्यक्ष--

आप सूची मांग रहे हैं। उनसे ले लें।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, सूचना आने दें।

श्री माता प्रसाद--

श्रीमती प्रेम लता देवी पत्नी श्री आर0 के0 दुबे, श्री बेनी प्रसाद श्रीवास्तव

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, अब आप बैठें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, इतने बड़े भ्रष्टाचार को आप अपनी पीठ से क्यों संरक्षण दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं कह रहा हूं कि आप उनसे सूची ले लीजिये ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मैं अकेले सूची लेकर क्या करूंगा ? यह कार्यवाही का अंग बन जायेगा और सदन को जानकारी हो जायेगी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जो बात कही मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उस सूची को सदन के पटल पर रखवा दें और जानकारी दिलवा दें । क्योंकि मुझे बताया गया है कि जो जमीन ली गयी है वह 25 पैसा प्रति वर्ग गज के हिसाब से ली गई है । इतने सस्ते में ली गई है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि इन अधिकारियों को 25 पैसा प्रति वर्ग गज के रेट पर यह जमीन दी गई है ?

माता प्रसाद—

इसकी सूचना शासन के पास नहीं है कि वहां के लोकल अधिकारियों ने किस रेट पर दिया है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, जैसा कि अभी-अभी सम्मानित सदस्यों ने अनुरोध किया है कि उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी जाय हालांकि यह सूची हमने 7 मार्च, 1987 को यहां पर रखी थी । मान्यवर, राजस्व विभाग बहुत बड़ा विभाग है । मन्त्री जी ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति हैं । राजस्व विभाग का 14 जुलाई, 1975 का एक शासनादेश भी है । इस शासनादेश के बावजूद भी इन अधिकारियों ने 25 पैसा प्रति वर्ग गज के हिसाब से पट्टा अपने नाम करवाया है । दो साल हो गये हैं अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का अनुरक्षण चाहता हूं और उसी के तहत 14 जुलाई, 1975 को शासनादेश हुआ है । उसी शासनादेश के अनुसार इन गरीबों को जिनकी सरकार दुहायी देती है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार गरीब और कमजोर वर्ग को भूमि उपलब्ध कराते हैं । तो उनको उस शासनादेश के अनुसार पट्टे देने में क्या दिक्कत है ?

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर, जो निर्बल और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनसे कोई नजराना नहीं लिया जाता है उनको 40 वर्ग मीटर जमीन वैसे ही दी जाती है । यहां तो अनधिकृत रूप से जो सरकारी जमीन पर कब्जा किये हैं चाहे वह उच्च आय वर्ग के हों या कमजोर/निम्न आय वर्ग के हों अथवा मध्यम आय वर्ग के हों, जिन्होंने अनियमित रूप से कब्जा कर लिया है उनके लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की जाय और क्या कार्यवाही उनके खिलाफ की जाय यह विचाराधीन है ।

श्री बाबूराम यादव--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अभी नजराना शब्द का प्रयोग किया है, मैं इसकी व्याख्या चाहता हूं क्योंकि नजराना केवल अंग्रेज लेते थे या फिर जमींदार लेते थे। स्वतन्त्र भारत में तो नजराना कोई नहीं लेता है। तो यह नजराना कौन लेता है मन्त्री लेते हैं या अधिकारी लेते हैं।

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, यह नजराना राजकीय कोष में जमा होता है।

## जनपद मुजफ्फरनगर में चीनी मिल मंसूरपुर पर गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का समझौता के आधार पर बकाये का भुगतान

*2--श्री हरेन्द्र सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद मुजफ्फरनगर में चीनी मिल मंसूरपुर पर गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य ब्याज तथा गन्ना समिति मंसूरपुर का कमीशन एवं ऋण का कुल कितना धन कितने समय से बकाया है? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में जिला गन्ना अधिकारी, मुजफ्फरनगर, चेयरमैन एवं बोर्ड आफ डायरेक्टर गन्ना समिति, मंसूरपुर तथा सामान्य प्रबन्धक शुगर मिल, मंसूरपुर में वर्ष 1988 में कोई समझौता बकाया पैसों की अदायगी के सम्बन्ध में हुआ था? यदि हां, तो क्या उस समझौते का विधिवत पालन किया गया? यदि नहीं, तो समझौते की अवहेलना करने वाले मिल मलिकान के विरुद्ध क्या प्रशासनिक कार्यवाही की गयी? क्या सरकार उक्त समझौते के अनुसार बकाया धनराशि के भुगतान हेतु तत्काल प्रभावी कार्यवाही कराने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)--

जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित चीनी मिल, मंसूरपुर पर गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के ब्याज का दिनांक 31 जुलाई, 1988 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1970-71 से वर्ष 1986-87 तक का 73.10 लाख रु0, गन्ना समिति, मंसूरपुर का कमीशन दिनांक 28 फरवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1988-89 का 6.43 लाख रु0 एवं उक्त मिल को वर्ष 1974-75 में दिये गये ऋण का 2.07 लाख रु0 बकाया है।

जी हां।

मिल द्वारा समझौते का आंशिक रूप से पालन किया गया। समझौते का पालन करने हेतु गन्ना आयुक्त की ओर से चीनी मिल को निर्देश दिये गये।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, अभी माननीय गन्ना मन्त्री जी ने जो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि मिल द्वारा समझौते का आंशिक रूप से पालन किया गया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि समझौते का पालन करते हुये उल्लिखित मिल द्वारा कितना रुपया कब-कब किस मद में भुगतान किया गया। आगे उन्होंने कहा है कि समझौते का पालन करने हेतु गन्ना आयुक्त की ओर से चीनी मिल को निर्देश दिये गये हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह निर्देश क्या हैं और कब दिये गये और कितना उनका पालन हुआ है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, यह प्रकरण 1970 से अब तक का है। माननीय मलिक साहब के नेतृत्व में एक आन्दोलन हुआ था और धरना दिया गया था 15 अगस्त, 1988 को इसी अवशेष के बकाये के मामले में और इस सिलसिले में वहां के जिला गन्ना अधिकारी, परगना अधिकारी, मंसूरपुर में इकट्ठा था और उसमें एक समझौता हुआ था कि जो गन्ना समितियों का भुगतान अवशेष है उसका मूल्यांकन कर लिया जाय और उसके बाद उसका भुगतान कर दिया जाय और यह भी समझौता हुआ कि 1988-89 का गन्ना का मूल्य किसानों को भुगतान कर दिया जाये जिसमें अभी तक मिलान का कार्य जारी है इसलिये भुगतान नहीं किया जा सका। लेकिन इसी के लिये कमिश्नर का निर्देश है कि जल्द से जल्द मिलान कर लिया जाय और उसके भुगतान की व्यवस्था की जाये।

जहां तक वर्ष 1987-88 के गन्ना मूल्य एवं कमीशन के भुगतान की बात है तो अवशेष भुगतान 14 अक्तूबर, 1988 तक पूर्णतया संस्थाओं को कर दिया गया है। सीजन 1988-89 का भुगतान. . .

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने सीधा प्रश्न किया था और जैसा जवाब में कहा कि मिलान नहीं किया जा सका। समझौता में मिलान की बात कही। केवल ब्याज का बकाया 73 हजार रुपये, 6 लाख कमीशन का है, 2 लाख 7 हजार 1974 से अभी तक मिल ने गन्ना समिति से उधार लिया था उसका बाकी है, इस प्रकार कुल 10 लाख रुपये की बात है कोई मिलान की बात नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन मदों में कितना रुपया मिल द्वारा भुगतान किया गया? मन्त्री जी कह रहे हैं कि कोई बकाया नहीं है। तो मन्त्री जी बतायें कि गन्ना समिति किसानों की होती है या और किसी की होती है?

दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहता हूं कि गन्ना समिति से मिल ने जो रुपया उधार लिया था, वह और ब्याज इन दोनों का भुगतान कब तक कर दिया जायगा?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, गन्ना समिति मंसूरपुर और गन्ना किसानों का मामला एक ही है, इसमें कोई अन्तर का सवाल नहीं है। गन्ना किसानों की समिति होती है, इसलिये गन्ना किसानों के हितों में समितियां सड़कें आदि बनाने का काम करती हैं और गन्ना का भुगतान करती है और यदि ब्याज देय है तो उसका भी भुगतान करती हैं। इसलिये यह बताया गया कि जो बकाया है वह पुराना है।

गन्ना समितियों से मिल ने ऋण लिया था जिस पर ब्याज निर्धारित किया गया था जिसका अभी तक मिल ने भुगतान नहीं किया और इसी मामले को लेकर धरना दिया गया था उसमें समझौता हुआ जिसमें श्री हरेन्द्र सिंह स्वयं थे अध्यक्ष और श्री समरपाल सिंह थे सभापति, मंसूरपुर के श्री [illegible] सिंह थे....

(व्यवधान(

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बीच में न बोलें। उत्तर सुनें।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, बहुत सा पुराना बकाया है। समझौता हुआ था। यदि आज्ञा हो तो समझौता जो किया गया उसको पढ़ दें जिससे स्पष्ट हो जाये।

श्री अध्यक्ष--

संक्षेप में आप बता दीजिए कि क्या समझौता हुआ.

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

सीजन 87 और सीजन 1970-71 से 1986-87 तक की वर्षवार बकाया का एक माह के अन्दर मिलान करके मिलान के उपरान्त देय धनराशि का भुगतान सीजन 1988-89 के अन्त तक कर दिया जाएगा। दूसरा समझौता यह था कि सीजन वर्ष 1986-87 के निर्माण कार्यों पर कुछ लागत का 20 प्रतिशत तथा 1988-89 के प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर 25 प्रतिशत अंशदान चीनी मिल द्वारा कब होगा। और वर्ष 1987-88 के अंशदान 20 प्रतिशत के अनुसार 1 लाख 60 हजार रुपया देने की सहमति व्यक्त की गयी। इस प्रकार यह समझौता लम्बा हुआ है, और उन्हीं में मिलान करने की बात थी। मिलान करने के बाद भुगतान किया जाएगा। तो अभी तक मिलान नहीं हुआ है। इसीलिए अभी तक अवशेष धनराशियों का भुगतान नहीं हुआ है। जो हुआ है, उसका आज्ञा होगी तो बता दूंगा और जो नहीं हुआ है, उसके सम्बन्ध आयुक्त ने प्रधान प्रबन्धक, चीनी मिल को आदेश दिये हैं कि इस पर शीघ्र कार्यवाही करके भुगतान कर दिया जाए।

श्री मैनेजर सिंह--

मिलान कब तक हो जाएगा ?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया, और समय जाया जा रहा है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मूल उत्तर में कहा गया है कि समझौते का आंशिक रूप से पालन किया गया, तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि आंशिक रूप से किन बिन्दुओं का पालन कर लिया गया है। दूसरे, क्या यह सही है कि सुगरकेन परचेज एण्ड सप्लाई ऐक्ट के अनुसार गन्ना मूल्य गन्ना किसान का कमीशन और उसके अर्जित ब्याज के बारे में एक निश्चित व्यवस्था दी गयी है, तो फिर इस चीनी मिल के द्वारा कमीशन और मूल्य का भुगतान न होने के कारण नियमों का पालन किया गया वसूली के लिए या नहीं ? और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

आंशिक भुगतान के सिलसिले में मैंने आप से निवेदन किया था, गन्ना मूल्य का देय यह है। वर्ष 1987-88 का 19 फरवरी, 1989 तक का 553.02 लाख रुपया और भुगतान हो गया है 507.91 लाख रुपया और अवशेष है, 45.11 लाख रुपया। यह भुगतान हुआ है गन्ना मूल्य का कमीशन का देय है 9.1 लाख रुपया और भुगतान हुआ है 2.88 लाख रुपया और अवशेष है 6.42 लाख रुपया। तो यही आंशिक समझौते का पालन किया गया है। बाकी के लिए मैंने कहा है कि वह मिलान किया जा रहा है और इसको ठीक करने के निदेश आयुक्त ने गन्ना मिल को दिया है।

श्री हरेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, अभी तक समझौते का पालन करते हुए गन्ना समिति को कोई भुगतान नहीं किया गया है, जिसका जिक्र मंत्री जी कर रहे हैं । इस समझौते के सीरियल नम्बर–1 में लिखा है उसका भी बिलकुल पालन नहीं किया गया है । जो गन्ना किसानों का समिति का कमीशन बकाया है, उसको दे दिया जाएगा, जो 6 लाख 43 हजार है, उसको दे देने की बात थी, लेकिन वह भी नहीं दिया गया है अभी तक । 1974–75 में 2 लाख 60 हजार रुपया ब्याज पर उधार लिया गया था और उसका ब्याज है, जिसके लिए कहा गया था कि वह ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा वह भी भुगतान नहीं किया गया है, तथा सीजन 1987–88 के निर्माण कार्यों पर कुल लागत का 20 प्रतिशत तथा 1988–89 के प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर 25 प्रतिशत अंशदान चीनी मिल द्वारा देय होने की बात थी, उसका भी बिलकुल पालन नहीं किया गया है ।

मान्यवर, तो यह तीन बिन्दु माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, इन तीन बिन्दुओं में से किसी एक में पैसा दिया गया हो तो बतायें ? मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें । मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

गुमराह कर रहे हैं तो आप नोटिस दे दें, प्रश्न को स्थगित कैसे कर दें ?

## चन्द्रलोक सहकारी आवास समिति नोएडा एवं कस्तूरी सहकारी समिति सुल्तानपुर नोएडा द्वारा खरीदी गई भूमि को अतिरिक्त भूमि घोषित किया जाना

*3—श्री महेन्द्र माढी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा में स्थित एवम् कार्यरत चन्द्रलोक सहकारी आवास समिति, नोएडा एवं कस्तूरी सहकारी समिति, सुल्तानपुर नोएडा ने उत्तर प्रदेश शासन से 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति ली है ? यदि नहीं, तो क्या शासन उपरोक्त समिति द्वारा क्रय की गई हजारों एकड़ भूमि, को उत्तर प्रदेश हदबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि घोषित करने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी नहीं ।

चन्द्रलोक सहकारी आवास समिति नोएडा, द्वारा शासन की अनुज्ञा के बिना 3 जून, 1981 के पूर्व क्रय की गई 57 बीघा 2 बिस्वा 16 बिस्वांसी भूमि के संक्रमण को शून्य घोषित कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित 6 वर्ष की अवधि के भीतर वाद योजित न किये जाने के कारण समस्त भूमि पर समिति के अधिकार परिपक्व हो गये और समिति के नाम दाखिल–खारिज भी कर दिया गया । कालान्तर में नोएडा द्वारा प्रश्नगत भूमि अध्याप्त कर ली गई और अभिलेखों में नोएडा के नाम दाखिल–खारिज भी कर दिया गया । अवैध संक्रमण को शून्य घोषित कराने के प्रयोजनार्थ निर्धारित समय सीमा के अन्दर वाद न लाने तथा समस्त भूमि का दाखिल–खारिज समिति के नाम कर देने के लिए दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कलेक्टर को आदेश दे दिये गये हैं ।

कस्तूरी सहकारी कृषि समिति सुल्तानपुर द्वारा शासन की अनुज्ञा के बिना 3 जून, 1981 के बाद क्रय की गई 402 बीघा 3 विस्वा 14 विस्वांसी भूमि में से 20 बीघा भूमि को छोड़कर शेष 382 बीघा 3 विस्वा 14 विस्वांसी भूमि का संक्रमण शून्य होने के कारण कलेक्टर के आदेश दिनांक 5 जनवरी, 1988 द्वारा उसे राज्य में निहित किया जा चुका है और 23 मार्च, 1988 को राज्य सरकार के नाम अमलदरामद भी कर दिया गया है।

वर्णित परिस्थितियों में दोनों समितियों द्वारा क्रय की गई भूमि को हदबन्दी कानून के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री महेन्द्र भाटी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के संदर्भ में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 3 जून, 1981 से पहले जो भूमि खरीदी गई थी उस भूमि का दाखिल-खारिज नोएडा के नाम हो गया है, और इसकी कोई भी परमीशन, जो भूमि साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा थी, नहीं ली गई। दूसरी बात कस्तूरी सहकारी समिति के बारे में कहना चाहूंगा 3 जून, 1981 के बाद जो भूमि खरीदी गई उस भूमि की भी परमीशन सरकार से नहीं ली गई, तो मैं जानना चाहूंगा कि 3 जून, 1981 क्या कोई कट-आफ डेट है, इससे पहले जो भूमि खरीदी गई जिसका दाखिल खारिज हो गया है, इसकी जानकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को थी तो क्या इस सिलसिले में कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर, 3 जून, 1981 के पहले यह व्यवस्था थी कि साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा जमीन कोई सरकार की अनुमति के बिना लेता है, तो इसके लिए वाद दायर करना होता है राजस्व विभाग के अधिकारियों को, उसकी 6 साल की अवधि होती है, तो चन्द्रलोक सहकारी समिति का जो प्रश्न था। इसमें 6 साल के अन्दर वाद दायर नहीं किया इसलिए यह भूमि समिति के नाम हो गई। दूसरी कस्तूरी सहकारी कृषि समिति जो है इन्होंने 3 जून, 1981 के बाद भूमि ली थी। तो साढ़े बारह एकड़, बीस बीघे को छोड़कर बाकी जो जमीन थी वह राज्य सरकार में निहित हो गयी। पहले वाद दायर करना जरूरी होता था लेकिन 3 जून, 1981 के बाद वाद दायर करने की जरूरत नहीं थी। इसलिये साढ़े बारह एकड़ जमीन छोड़कर बाकी जमीन राज्य सरकार में निहित हो गयी। अधिकारियों की लापरवाही से वाद दायर नहीं किया जा सका जिससे जमीन चन्द्रलोक सहकारी आवास समिति को मिल गयी इसीलिये कलेक्टर से कह दिया है कि इसमें जो भी अधिकारी और कर्मचारी दोषी हों उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, चन्द्रलोक सहकारी आवास समिति ने साढ़े बारह एकड़ की जो सीमा थी उससे अधिक जमीन खरीदी और आपने उसका दाखिल कर दिया। क्या सरकार यह महसूस करती है कि सिविल अदालत में जाकर नम्बरी दावा करे और भूमि हदबन्दी कानून को लागू कराने के लिये चन्द्रलोक सहकारी आवास समिति का नाम खारिज कराकर जमीन अपने कब्जे में लेने का प्रयास करें, यदि शासन ऐसी व्यवस्था नहीं करता तो क्या यह महसूस किया जाय कि चन्द्रलोक सहकारी आवास समिति ने अधिकारियों को बड़ी रकम देकर सारे कानून को तोड़कर यह काम कराया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों की साजिश से यह जमीन चन्द्रलोक आवास समिति के कब्जे में थी उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय?

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर, जैसा मैंने उत्तर में कहा नियमों और कानून में व्यवस्था है कि 3 जून, 1981 के पहले की जो जमीन है...

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न दूसरा है, मंत्री जी उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैंने पूछा है नम्बरी दावे के बारे में। मेरा कहना है कि नम्बरी दावे की सिविल अदालत में दायर करने की कोई मियाद नहीं होती है तो क्या सरकार नम्बरी दावा करके चन्द्रलोक सहकारी आवास समिति की भूमि को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करेगी यदि ऐसा नहीं करती तो क्या यह माना जाय कि शासन उनसे मिला हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

क्या नम्बरी दावे की कोई मियाद नहीं है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, नम्बरी दावा कभी भी किया जा सकता है। सिविल अदालत में जायें और दावा करें।

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर माननीय सदस्य के सुझाव पर विधिक राय ले ली जायगी और अगर आवश्यकता हुई तो कार्यवाही की जायगी।

श्री जवाहर सिंह यादव—

मान्यवर, मंत्री जी ने 6 साल की मियाद बतायी। जहां तक मेरी जानकारी है कि सिविल सूट 12 साल तक दायर किया जा सकता है किसी जमीन के बारे में। यह सहकारी आवास समितियां जो हैं पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर घपला कर रही हैं। क्या सरकार अपने नियमों कानून में परिवर्तन करके यह जो मियाद है इसको 30 साल करने पर विचार करेगी ?

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर, इस पर विचार किया जायगा। अब तो आवश्यकता ही नहीं रही। अब संशोधन हो गया है। अब अगर साढ़े 12 एकड़ से ज्यादा खरीदेंगे तो वह जमीन अपने आप राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, इन आवास समितियों में क्या कुछ ऐसे सदस्य हैं जो विदेशी नागरिकता प्राप्त किये हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच कराने का कष्ट करेंगे और जिन्होंने "फेरे" का उल्लंघन किया है और नियमों का उल्लंघन करके समिति के सदस्य बन हैं उनके खिलाफ और जिन्होंने उनको यह सुविधा उपलब्ध करायी है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर, यह सूचना हमारे पास नहीं है कि इसमें कौन-कौन सदस्य हैं और विदेशी कितने हैं। अगर माननीय सदस्य लिखकर दे दें जरूर जांच करवा लेंगे।

---

[दिनांक 7 मार्च, 1989 मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

## जिलाधिकारी, आजमगढ़ कार्यालय पर राष्ट्रव्यापी आन्दोलन में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्याग्रहियों पर बर्बर लाठी चार्ज का उत्तरदायित्व

*1—श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि वामपंथी मोर्चे के आह्वान पर 4 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आन्दोलन के पहिले दिन दिनांक 13 सितम्बर, 1988 को कम्युनिस्ट पार्टी के सत्याग्रहियों पर जिलाधिकारी, आजमगढ़ के कार्यालय पर उन्हीं की उपस्थिति में बर्बर लाठी चार्ज किया गया है जिसमें दो दर्जन नवजवान सभा तथा स्टूडेन्ट फेडरेशन के पदाधिकारी घायल हुए और श्री अखिलेख यादव, सचिव, उत्तर प्रदेश नवजवान सभा तथा बृजभान यादव, मूतिराम यादव और रामाज्ञा यादव को गम्भीर चोटें आई हैं, जिन्हें अभी जेल में बन्द रखा गया है ? यदि हां, तो लाठी चार्ज के लिए दोषी कौन है ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जी नहीं ।

कथित घटना के सम्बन्ध में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । गिरफ्तारी के दौरान मगवड़ में सर्वश्री अखिलेश यादव, बृजभान यादव व मोतीराम (ना कि मूतिराम) यादव सहित केवल 17 प्रदर्शनकारियों को साधारण चोटें आई थीं ।

इस समय प्रदर्शनकारियों में से कोई व्यक्ति जेल में नहीं है ।

इस प्रकरण में कोई दोषी नहीं है ।

## प्रदेश में नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु भारत सरकार से लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव

*2—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना तथा चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किस-किस स्थान पर नई चीनी मिल स्थापित करने के मामले सरकार के विचाराधीन हैं ? किस-किस मामले में गन्ना विकास विभाग से रिपोर्ट मंगाकर शासन इस पर विचार कर रहा है तथा किस-किस मामले की प्रारम्भिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से प्रस्ताव केन्द्र सरकार को आशय-पत्र अथवा लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु भेजे जा चुके हैं तथा उन पर क्या प्रगति हुई है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

निम्नलिखित स्थानों पर नई चीनी मिल की स्थापना का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए हैं :—

(1) चिलवरिया (बहराइच), (2) रूपापुर (हरदोई), (3) शाकुम्बरी (सहारनपुर), (4) बहेड़ी (ब्रह्मनान) मुरादाबाद, (5) मऊखास (मेरठ), (6) जेवर (बुलन्दशहर), (7) बिसौली (बदायूं), (8) मीरगंज (बरेली), (9) नवाबगंज (बरेली) ।

उपरोक्त सभी प्रस्तावों को लाइसेन्स स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा जा चुका है, जो अभी उनके विचार धीन हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्रम-संख्या 8 पर, जो मीरगंज (बरेली) प्रस्तावित चीनी मिल का उल्लेख मन्त्री जी ने किया है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इस क्षेत्र में विगत 10-12 साल से चीनी मिल की मांग चल रही थी ? मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह भी माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ और कब भारत सरकार को प्रेषित किया गया है और क्या सरकार, केन्द्र सरकार से यह आग्रह करेगी कि इस प्रस्ताव को इसी आने वाले वित्तीय वर्ष में स्वीकृति देकर इस कार्य को प्रारम्भ करा दिया जाय ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, यह जितनी चीनी मिलों का नाम हमने बताया, उसमें मीरगंज (बरेली) के विषय में माननीय सदस्य ने कहा कि उसके बारे में बहुत दिनों से मांग चल रही है, तो मान्यवर, इन सब चीजों पर विचार करके ही प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है और जितनी जल्दी हो वह प्रस्ताव स्वीकृत होकर वापस आ जायगा, उस पर विचार किया जायगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 1989-90 में उसका लाइसेंस प्राप्त करके उस पर कार्य प्रारम्भ कराने का प्रयास सरकार करेगी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, अभी तो स्वीकृति ही नहीं आई है, इसलिए 1988-89 में कार्य शुरू होने का तो सवाल ही नहीं होता है । ज्यों ही इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जायगी, वैसे ही वहां पर चीनी मिल लगाने का प्रयास किया जायगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैंने 1989-90 की बात की और माननीय मन्त्री जी ने 1988-89 के बारे में बताया । मैंने मान्यवर, यह प्रश्न पूछा था कि 1989-90 में उसका लाइसेंस प्राप्त करके उस पर कार्य प्रारम्भ कराने का प्रयास यह सरकार करेगी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, मैंने 1989-90 के बारे में ही बताया, भूल से 1988-89 कह गये थे । मान्यवर, शासन को जब धन उपलब्ध हो जायगा, तब वहां पर चीनी मिल लगाने पर विचार किया जायगा । मान्यवर, चीनी मिल लगाना तो निश्चित ही है, थोड़ी देर हो सकती है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के क्रम में यह जानना चाहता हूं कि गोरखपुर जिले के पुरवा और महराजगंज में चीनी मिल लगाने के प्रस्ताव को क्या केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो यह काम कब तक शुरू हो जायगा ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, अभी तो हमने जो संख्या बताई है, वही भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया है, आप लिखकर दे देंगे, तो उसे मैं दिखवा लूंगा कि वहां पर चीनी मिल लगाई जा सकती है या नहीं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं माननीय मन्त्री जी का ज्ञानवर्द्धन करना चाहता हूं, मान्यवर, पुरवा में काम शुरू हो गया है और माननीय मन्त्री जी ने उसका शिलान्यास भी कर दिया है और महराजगंज में शुगर फैक्ट्री लगेगी, इसकी भी उन्होंने घोषणा कर दी है। मान्यवर, गोरखपुर की पुरवा चीनी मिल माननीय वर्तमान मन्त्री जी ने शिलान्यास करके शुभारम्भ भी कर दिया है और इसकी स्वीकृति भी शायद केन्द्रीय सरकार ने दे दी है। मान्यवर, इसकी प्रगति क्या है, यह मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, यह कई चीनी मिलें हैं, जिनका सर्वेक्षण कराया जा रहा है और इसी में गोरखपुर की महराजगंज की चीनी मिल का भी सर्वेक्षण हो रहा है। मान्यवर, पूरा सर्वेक्षण हो जाने के बाद रिपोर्ट आयेगी, फिर भारत सरकार के पास, जैसा मानक है, प्रस्ताव भेजा जायगा और तब उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरी निजी जानकारी है कि राजनीतिक कारणों से जिस मिल का शिलान्यास माननीय मुख्य मन्त्री जी ने किया है, उसको हटाने की साजिश चल रही है। मैंने बार-बार जानबूझकर यह सवाल उठाया है लेकिन माननीय मन्त्री जी ने इसका जवाब नहीं दिया। मैं पुनः आपकी अनुमति से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पुरवा का शिलान्यास अपनी जगह पर है, वहां काम कब तक पूरा हो जायेगा और महराजगंज के सम्बन्ध में केन्द्र से स्वीकृति आई है या नहीं ?

## जनपद फैजाबाद में पुलिस उत्पीड़न के सम्बन्ध में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच किया जाना

*3—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में पुलिस उत्पीड़न के बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा 21 जुलाई, 1987 को नियम 301 में दी गयी सूचना पर आयुक्त, फैजाबाद मंडल, फैजाबाद से कराई जाने वाली जांच की अब तक की प्रगति क्या है और उक्त जांच कब तक पूरी हो जायेगी तथा जांच की प्रक्रिया क्या है ? क्या मामले की गम्भीरता को देखते हुए सरकार उक्त प्रकरण की जांच पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, उच्च न्यायालय के एक न्यायमूर्ति तथा बार काउन्सिल, उत्तर प्रदेश के एक सदस्य की तीन सदस्यीय समिति से करायेगी ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके और न्याय-पालिका के सम्मान की रक्षा हो सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

नोट—नत्थी (ब) के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

प्रश्नगत मामले में आयुक्त की आख्या का परीक्षण करने के पश्चात् प्रकरण पर अपराध अनुसंधान विभाग से जांच कराई जा रही है । अतः किसी अन्य से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

## मान्यताप्राप्त पत्रकारों को रोडवेज की यात्रा में मात्र तीन हजार किलो-मीटर यात्रा करने के प्रतिबन्ध को हटाने का प्रस्ताव

*4--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मान्यताप्राप्त पत्रकारों को रोडवेज की यात्रा में मात्र तीन हजार किलोमीटर यात्रा करने के प्रतिबन्ध को हटाने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है ? यदि हां, तो इस पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करने की कृपा करेगी कि मान्यताप्राप्त पत्रकार राज्य परिवहन की बसों में बिना किसी कर आदि का भुगतान किये हुए इच्छित असीमित यात्रा कर सकें ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

जी नहीं ।

उक्त प्रतिबन्ध को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

वर्तमान में इस प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है ।

## जनपद उन्नाव के बदरका नामक स्थान में चन्द्रशेखर आजाद की जन्मतिथि कार्यक्रम में शामिल मंत्रियों की सूची

*5--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चन्द्रशेखर आजाद जन्मतिथि कार्यक्रम मनाने हेतु उन्नाव जनपद के बदरका नामक स्थान में सात जनवरी, सन् 1988 को प्रदेश सरकार के किन-किन कैबिनेट मंत्रियों ने हिस्सा लिया था ? क्या यह सच है कि चन्द्रशेखर आजाद की जन्मतिथि 23 जुलाई है ? यदि हां, तो सात जनवरी को प्रदेश के मंत्रियों द्वारा आजाद की जन्मतिथि कार्यक्रम मनाने का क्या कारण था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सात जनवरी, 1988 को उन्नाव जनपद के बदरका नामक स्थान में "चन्द्रशेखर आजाद स्मारक ट्रस्ट समिति" द्वारा आयोजित अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद जन्म तिथि कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री, श्री गोपीनाथ दीक्षित एवं कृषि मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह ने भाग लिया था । ऐतिहासिक अध्ययन संस्थान, कलकत्ता के निदेशक, श्री एस0 पी0 सेन द्वारा सम्पादित "राष्ट्रीय जीवन गाथा कोष" में अंकित सूचना के अनुसार श्री आजाद की जन्म तिथि 23 जुलाई, 1906 है । लेकिन पारिवारिक मान्यता के अनुसार अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जन्मतिथि सात जनवरी, 1906 है और इसी मान्यता के आधार पर "चन्द्रशेखर आजाद स्मारक ट्रस्ट समिति" द्वारा, जो एक प्राइवेट संस्था है, वर्ष 1938 से प्रति वर्ष आजाद की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में साल

जनवरी को कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तथा उसमें अनेक विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है ।

## जनपद मथुरा के वृन्दावन कोतवाली के अन्तर्गत श्री दुर्गा प्रसाद पर हुए हमले के सम्बन्ध में कार्यवाही

*6—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुहल्ला मथुरा गेट, वृन्दावन कोतवाली, जनपद मथुरा के दुर्गा प्रसाद द्वारा दिनांक 9 अप्रैल, 1988 को, जिनके ऊपर गफ्फार, पप्पू व नसरु द्वारा कातिलनामा हमला किया गया था, जो उसी थाने के अन्तर्गत आते हैं, कोतवाली में सूचना देने पर धारा 452, 504, 506 व 352 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 9 अप्रैल, 1988 को श्री दुर्गा प्रसाद पुत्र श्री माधव राम, निवासी मथुरा गेट, वृन्दावन द्वारा अभियुक्त गफ्फार, पप्पू, नसरु, निवासीगण गोरा नगर, वृन्दावन के विरुद्ध थाना कोतवाली, वृन्दावन पर मु0 अ0 सं0 120/88, धारा 452/352/504/506, भा0 द0 वि0 पंजीकृत कराया गया । विवेचना से जुर्म का होना नहीं पाया गया । अतः खारिजा की रिपोर्ट सहित मामले में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गयी । वादी श्री दुर्गा प्रसाद के विरुद्ध झूठा अभियोग पंजीकृत कराये जाने के कारण धारा 182 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत रिपोर्ट न्यायालय भेजी गयी ।

## जनपद बलिया में बीस सूत्री कार्यक्रम के निरीक्षण हेतु माननीय संसद सदस्यों को उपलब्ध कराई गई मारुती जिप्सी का उपयोग

*7—श्री मंनेजर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माननीय संसद सदस्यों को बीस सूत्रीय कार्यक्रम के निरीक्षण हेतु बलिया जनपद में मारुती जिप्सी दी गयी है ? यदि हां, तो जून, 30 तक उक्त गाड़ी किस-किस सांसद के साथ कब-कब रही और कहां-कहां बीस सूत्रीय कार्यक्रम का निरीक्षण हुआ ? क्या उक्त गाड़ी का लागबुक रखा गया है ? यदि हां, तो उसके अनुसार यात्रा का विवरण क्या है ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां । माननीय संसद सदस्यों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों के निरीक्षण के लिए मारुती जिप्सी जीप उपलब्ध कराई गयी है ।

जी हां, लागबुक रखा गया है जिसके अनुसार 30 जून, 1988 तक की गयी यात्राओं का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 299 पर)

## प्रदेश में किसानों को जोतबही उपलब्ध कराया जाना

*8—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण प्रदेश में किसानों को जोतबही आगामी खरीफ की फसल तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

जनपद बरेली के थाना कैन्ट के ग्राम चैत गोटया के नवयुवक रामेश्वर की मृत्यु के कारणों की जांच

*9--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि ग्राम चैत गोटया थाना कैन्ट बरेली का एक नवयुवक रामेश्वर दिनांक 29 अगस्त, 1988 को गिरफ्तार किया गया व पुलिस हिरासत में शरीर पर गम्भीर चोट आ जाने के कारण 30 अगस्त, 1988 को जिला अस्पताल में मर गया ? यदि हां, तो मृत्यु के कारणों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी --

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 25 अगस्त, 1988 की रात में सेना पुलिस, ने रामेश्वर दयाल, निवासी चैत गोटिया, थाना कैन्ट को शराब के नशे में उत्तर प्रदेश के जी0 ओ0 सी0 की चाहारदीवारी कूद कर उनके घर की ओर जाते हुये पकड़ा था तथा थाना कैन्ट के हवाले किया । इस सम्बन्ध में थाने पर रपट संख्या 54, धारा 118 कैन्टोन्मेन्ट बोर्ड ऐक्ट के अन्तर्गत दर्ज करके रामेश्वर दयाल को पुलिस हिरासत में लिया ।

सेना की जीप से पुलिस द्वारा अभियुक्त रामेश्वर दयाल को जिला अस्पताल बरेली, वास्ते डाक्टरी मुआयना भेजा गया । रास्ते में जीप पलट जाने के कारण सभी सवार मयअभियुक्त के घायल हो गये थे । रामेश्वर दयाल को गम्भीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था तथा अस्पताल में ही उसे मुचलके पर रिहा कर दिया गया । कलान्तर में दिनांक 26 अगस्त, 1988 को रामेश्वर दयाल को गम्भीर चोटों के कारण अस्पताल में मृत्यु हो गई थी ।

जांच कराने पर रामेश्वर दयाल की मृत्यु आकस्मिक जीप दुर्घटना में आई गम्भीर चोटों के कारण पाई गई है ।

जनपद पौड़ी के "सैन एण्ड स्नो" होटल से गुम हुए पत्रकार श्री उमेश डोभाल की हत्या की जांच

*10--श्री राज किशोर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 25 मार्च, 1988 को पौड़ी के "सैन एण्ड स्नो" होटल से गुम हुए पत्रकार श्री उमेश डोभाल की कथित माफिया गिरोह द्वारा हत्या कर दी गई है ? यदि हां, तो दिनांक 26 मार्च, 1988 को पौड़ी थाने में घटना की एफ0 आई0 आर0 दर्ज होने के बावजूद अब तक अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही न करने, जनता तथा पत्रकार संगठनों के आन्दोलन की मांग को देखते हुए पौड़ी के पुलिस अधीक्षक को न हटाने एवं सम्पूर्ण मामले की सी0 बी0 आई0 जांच न कराने का कारण क्या है ? क्या मुख्य मन्त्री उक्त घटना के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

प्राप्त सूचनानुसार 25/26 मार्च, 1988 को पौड़ी के "सन् एण्ड स्नो" होटल से गुम हुए पत्रकार श्री उमेश डोभाल के सम्बन्ध में दिनांक 26 मार्च, 1988 को पौड़ी

थाने में एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं हुआ अपितु उसके भाई श्री रमेश चन्द्र डोभाल द्वारा 25 अप्रैल, 1988 को कोतवाली पौड़ी पर अपराध पंजीकृत कराया ।

इस घटना की जांच में स्थानीय पुलिस व अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को पर्याप्त प्रयास करने के बाद सफलता न मिलने के कारण तथा पत्रकारों व क्षेत्रीय जनता में व्याप्त चिन्ता को दृष्टिगत रखते हुए मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी0 बी0 आई0) को सौंप दी गई है जो अभी प्रचलित है । तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पौड़ी का स्थानान्तरण किया जा चुका है । सी0 बी0 आई0 की जांच प्रचलित होने के कारण घटना के पूर्ण विवरण को सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है ?

## मालियाना बीमार चीनी मिल के नवीनीकरण की योजना

*11—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988–89 में किन–किन चीनी मिलों की कितनी–कितनी क्षमता बढ़ाय जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? क्या मालियाना बीमार चीनी मिल के नवीनीकरण की योजना भी सरकार के विचाराधीन है । यदि हां, तो वह क्या है और कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

चीनी मिलों की क्षमता विस्तार का लाइसेन्स भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है । राज्य सरकार सम्बन्धित चीनी मिलों का प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण करके भारत सरकार को भेजती है । वर्ष 1988–89 में विभिन्न श्रेणी की चीनी मिलों के भेजे गये प्रस्तावों की स्थिति निम्नवत् है :—

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की मिलें

| मिल का नाम | वर्तमान तथा प्रस्तावित क्षमता |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1—जरवल रोड (बहराइच) | 900 से 2500 टी0 सी0 डी0, लाइसेन्स प्राप्त । |
| 2—मुन्डेरवा (बस्ती) | 712 से 2500 टी0 सी0 डी0, लाइसेन्स स्वीकृत । |
| 3—लक्ष्मीगंज (देवरिया) | 900 से 2500 टी0 सी0 डी0, (स्वीकृत) । |
| 4—पिपराइच (गोरखपुर) | 800 से 2500 टी0 सी0 डी0, स्वीकृत । |
| 5—मोहिउद्दीनपुर (मेरठ) | 1500 से 2500 टी0 सी0 डी0, स्वीकृत । |
| 6—सहारनपुर | 1322 से 2500 टी0 सी0 डी0, स्वीकृत । |
| 7—रोहानां कला (मुजफ्फरनगर) | 1300 से 2500 टी0 सी0 डी0, स्वीकृत । |
| 8—किच्छा (नैनीताल) | 3000 से 4000 टी0 सी0 डी0, स्वीकृत । |
| 9—मटनी (देवरिया) | 1015 से 2500 टी0 सी0 डी0, भारत सरकार के विचाराधीन है । |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 10—बुलन्दशहर | 1524 से 2500 टी० सी० डी०, विचाराधीन हैं । |
| 11—महोली (सीतापुर) | 1524 से 2500 टी० सी० डी०, भारत सरकार के विचाराधीन हैं । |
| 12—छाता (मथुरा) | 1250 से 2500 टी० सी० डी०, भारत सरकार के विचाराधीन हैं । |
| (2) सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें । | |
| 1—बीसलपुर (पीलीभीत) | 1250 से 2500 टी० सी० डी०, लाइसेन्स स्वीकृत । |
| 2—सम्पूर्णानगर (खीरी) | 1250 से 2500 टी० सी० डी०, लाइसेन्स स्वीकृत । |
| 3—सितारगंज (नैनीताल) | 1250 से 2500 टी० सी० डी०, लाइसेन्स स्वीकृत । |
| 4—सेमोखेड़ा (बरेली) | 1250 से 2500 टी० सी० डी०, लाइसेन्स स्वीकृत । |
| 5—नानपारा (बहराइच) | 1250 से 2500 टी० सी० डी०, लाइसेन्स स्वीकृत । |
| 6—गदरपुर (नैनीताल) | 1250 से 2500 टी० सी० डी०, भारत सरकार के विचाराधीन हैं । |
| 7—बाजपुर (नैनीताल) | 3000 से 4000 टी० सी० डी०, लाइसेन्स स्वीकृत । |
| 8—अनूपशहर (बुलन्दशहर) | 2000 से 3000 टी० सी० डी०, भारत सरकार के विचाराधीन हैं । |
| 9—बागपत (मेरठ) | 1800 से 2500 टी० सी० डी०, भारत सरकार के विचाराधीन हैं । |
| (3) निजी क्षेत्र की चीनी मिलें । | |
| 1—तुलसीपुर (गोंडा) | 1700 से 2500 टी० सी० डी०, लाइसेन्स स्वीकृत । |
| 2—बलरामपुर (गोंडा) | 2500 से 3500 टी० सी० डी०, लाइसेन्स स्वीकृत । |
| 3—बस्ती | 1500 से 2500 टी० सी० डी०, लाइसेन्स स्वीकृत । |
| 4—खतौली (मुजफ्फरनगर) | 3600 से 5000 टी० सी० डी०, लाइसेन्स स्वीकृत । |

जी नहीं ।

शेष के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है ।

## तहसीलदार सेवा नियमावली में प्रोन्नति में सेवावधि सम्बन्धी प्रकरण पर संशोधन

*12—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार सेवा नियमावली के नियम 6 में प्रोन्नति हेतु सेवावधि सम्बन्धी प्रकरण पर संशोधन विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो संशोधन किस स्तर पर लम्बित हैं तथा क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

नियमों में संशोधन एक नीति विषयक मामला है । प्रस्तावित संशोधन का सम्यक् परीक्षण करने तथा अन्तिम रूप देने के लिये राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश से कतिपय सूचनायें मांगी गयी हैं ।

## जनपद गोरखपुर में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु उद्योग विभाग द्वारा एक समान रजिस्ट्रेशन फीस लिया जाना

*13—श्री बनराज यादव—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में उद्योग विभाग विभाग द्वारा इन्डस्ट्रियल स्टेट तथा इन्डस्ट्रियल एरिया के लिए भूमि खरीदते समय प्रति एकड़ या प्रति स्क्वायर मीटर रजिस्ट्री फीस स्टाम्प सहित कितने रुपये लगता है और व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा क्रय किये गये भूमि की रजिस्ट्रेशन फीस एवं स्टाम्प सहित प्रति एकड़ या प्रति स्क्वायर मीटर कितना रुपये लगते हैं ? क्या व्यक्तिगत उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु भूमि क्रय पर रजिस्ट्रेशन कराने हेतु उसी रेट से स्टाम्प तथा फीस ली जायेगी जिस रेट से उद्योग विभाग से लिया जाता है ? यदि हां, तो वर्तमान नियम में संशोधन कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

गोरखपुर जनपद में उद्योग विभाग द्वारा इन्डस्ट्रियल स्टेट तथा इन्डस्ट्रियल एरिया के लिये भूमि के क्रय पर स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन फीस जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य सूची में निहित दरों के आधार पर आकलित भूमि की मालियत पर देय है । वर्तमान में स्टाम्प ड्यूटी की दर मालियत की राशि पर रु0 125 प्रति हजार की है तथा आवास विकास अधिनियम के अन्तर्गत अधिघोषित क्षेत्रों में 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क भी लिया जाता है ।

व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा क्रय की गई भूमि पर भी उपरोक्तानुसार ही स्टाम्प ड्यूटी देय है ।

चूंकि उद्योग विभाग द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि तथा व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में स्टाम्प ड्यूटी की दरों में कोई अन्तर नहीं है, अतः नियमों में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

## उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, इकाई पिपराइच, गोरखपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि के सम्बन्ध में दिये गये शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

*14--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड इकाई पिपराइच, गोरखपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार आर्थिक गड़बड़ियां तथा शासनादेशों की अवहेलना के सम्बन्ध में श्री रामनयन उपाध्याय, अध्यक्ष पूर्वान्चल चीनी मिल मजदूर यूनियन द्वारा 24 फरवरी, 1988 को प्रस्तुत शिकायती-पत्रों पर कौन अधिकारी जांच कर रहे हैं ? क्या इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता का बयान लिया गया तथा क्या मौके पर जाकर तथ्यों की जानकारी सार्वजनिक रूप से की गई ? यदि हां तो जांच में क्या पाया गया तथा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

शिकायती पत्र दिनांक 24 फरवरी, 1988 से सम्बन्धित शिकायतों की जांच मुख्यालय के निम्न अधिकारियों द्वारा की गई :--

1--श्री एम0 एम0 श्रीवास्तव, प्रधान प्रबन्धक संप्रेक्षा (आडिट)।

2--श्री आर0 के0 दुबे, उप सामान्य प्रबन्धक (प्रशासन)।

3--श्री बी0 एन0 दीक्षित, प्रबन्धक (कार्मिक) वर्तमान प्रधान प्रबन्धक, चीनी मिल पिपराइच द्वारा शिकायतकर्ता की जांच में सम्मिलित होने हेतु पत्रवाहक द्वारा सूचित किया गया किन्तु शिकायतकर्ता, श्री रामनयन उपाध्याय बाहर होने के कारण उपलब्ध नहीं हो सके।

जी हां।

तत्कालीन प्रधान प्रबन्धक, श्री एस0 एन0 एम0 त्रिपाठी द्वारा वित्तीय नियमों का विधिवत् अनुपालन न कर पाने के अन्तर्गत उन्हें चेतावनी दी गई तथा अन्य अनियमितताओं/नियुक्तियों आदि के बारे में विभागीय कार्यवाही प्रगति पर है ?

*15--श्री सूर्य प्रताप शाही--

[6 वें सोमवार में तारा0 प्र0 सं0 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

## कैदियों की सजा में सामूहिक विशेष छूट देने का निर्णय

*16--श्री राकेश धर त्रिपाठी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 से 1988 तक सजा काट रहे कैदियों को कोई सामूहिक विशेष छूट दी गयी है जैसा कि पूर्व में होता रहा है ? क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के 40वें वर्ष गांठ पर सजा काट रहे कैदियों को छूट देने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया गया ? यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

शासन द्वारा वर्ष 1985 में सप्तम् कारागार दिवस के अवसर पर प्रदेश की कारागारों में सजा काट रहे सिद्ध दोष बन्दियों को एक माह का विशेष सामूहिक परिहार

प्रदान किया गया था । इसी प्रकार वर्ष 1986 में शासन द्वारा अष्टम कारागार दिवस के अवसर पर प्रदेश की कारागारों में सजा काट रहे सिद्ध दोष बन्दियों को एक माह का विशेष सामूहिक परिहार प्रदान किया गया था ।

जी नहीं ।

*17—श्री शारदा नन्द अंचल--

[10 वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

## जनपद मुजफ्फरनगर नगर में नई चीनी मिल स्थापित करने की मांग

*18—श्री हरेन्द्र सिंह--

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में गन्ने की अधिक पैदावार को देखते हुये वहां तहसील बुढ़ाना में इस वर्ष नई चीनी मिल स्थापित करने की घोषणा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं ।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं होती है, अतः नई चीनी मिल की स्थापना का औचित्य नहीं है ।

*19—श्री सुखपाल पाण्डे—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

## राजस्व परिषद् में डी0 पी0 सी0 द्वारा नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया जाना

*20—श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजस्व परिषद् में नवम्बर-दिसम्बर, 1985 में डी0 पी0 सी0 द्वारा नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पद पर पदोन्नत किया गया था? यदि हां, तो क्या उस समय कुछ नायब तहसीलदार ऐसे भी थे जिनके रोल डी0 पी0 सी0 के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे, जिसके कारण उनकी पदोन्नति 6 माह बाद मई, 1986 से सम्भव हो सकी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जून, 1988 को डी0 पी0 सी0 ने तहसीलदारों को एस0 डी0 एम0 पद पर पदोन्नति हेतु सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जिन्होंने 31 मार्च, 1988 को तहसीलदार पद पर दो वर्ष पूरे कर लिए थे ? यदि हां, तो 1985 को डी0 पी0 सी0 के समक्ष रोल न पहुंचने के फलस्वरूप मई, 1986 में पदोन्नत तहसीलदारों की उपेक्षा के कारण क्या है ? डी0 पी0 सी0 के समक्ष रोल न भेजे जाने में उनका दोष क्या रहा तथा इनके प्रकरण पर विचार करने के लिए डी0 पी0 सी0 कब बैठेगी ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

जी नहीं । डी0 पी0 सी0 के समक्ष पात्रता क्षेत्र में आने वाले समस्त नायब तहसीलदारों की चरित्र पंजिकाएं प्रस्तुत की गई थीं, परन्तु कुछ नायब तहसीलदारों की चरित्र पंजिकाओं की प्रविष्टियां अपूर्ण होने के कारण उनके सम्बन्ध में विचार नहीं किया गया । चरित्र पंजियों की प्रविष्टियां पूर्ण होने पर उनके मामलों पर विचार किया गया तथा उनकी प्रोन्नति सम्बन्धी आदेश फरवरी व जून, 1986 में जारी किए गए ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डी० पी० सी० की बैठक यथा समय बुलायी जायेगी ।

अतारांकित प्रश्न

केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़, में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री ओमकार सिंह यादव बन्दी द्वारा कथित शिकायत

1---श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी---

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में सिद्ध आजीवन कारावास की सजा काट रहे बन्दी श्री ओमकार सिंह यादव ने दिनांक 23 दिसम्बर, 1987, 5 मार्च, 1988, 29 मार्च, 1988, 26 अप्रैल, 1988 आदि को जिला-धिकारी एवं जिला जज, फर्रुखाबाद को केन्द्रीय कारागार में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं बन्दियों के साथ किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार की शिकायतें की हैं तथा दिनांक 23 दिसम्बर, 1987 से 14-1-88 तक एवं 5 मार्च, 1988 से 16 अप्रैल, 1988 तक केन्द्रीय कारागार में भूख हड़तालें भी की हैं ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जी हां ।

बन्दी द्वारा की गई शिकायतों की जांच कराई गई । जांच से शिकायतें निराधार एवं असत्य पायी गईं । बन्दी ने 26 दिसम्बर, 1987 तथा 7 मार्च, 1988 की भूख हड़तालें की और क्रम 14 जनवरी, 1988 तथा 17 अप्रैल, 1988 को बिना शर्त समाप्त कर दी ।

अनुदेशक यांत्रिक अभियंत्रण के पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी न होने पर श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, स० वि० स० का मुख्य मंत्री को पत्र

2---श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी---

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 21-22 दिसम्बर, 1987 को चार सदस्यों की समिति ने साक्षात्कार के पश्चात् अनुदेशक यांत्रिक अभियंत्रण पद हेतु 196 अभ्यर्थियों का चयन किया था ? यदि हां, तो उसमें 26 अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश अब तक जारी न करने का औचित्य क्या है ? क्या मंत्री जी को इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री के नाम प्रेषित पत्र दिनांक 5-8-88 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

साक्षात्कार के लिए 196 अभ्यर्थी बुलाए गए थे । चयन समिति ने 26 अभ्यर्थियों को अनुदेशक यांत्रिक अभियंत्रण के पदों के लिए उपयुक्त पाया था चूंकि केवल चार पद ही विज्ञापित किए गए थे वरिष्ठता क्रम में चार अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए ।

जी हां । विज्ञापित चार पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं ।

## जनपद बाराबंकी के थाना सतरिख के श्री रामहेतु से बरामद माल का रसायनिक विश्लेषण कराया जाना

3—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 5-10-1988 को थाना सतरिख की पुलिस द्वारा ग्राम मनौली थाना सतरिख जनपद बाराबंकी के श्री राम हेतु का चालान अपराध सं0 103/88 के अन्तर्गत धारा 8-2-88 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट थाना सतरिख में चालान किया गया था ? यदि हां, तो उनके पास से दिखाये गये बरामद माल का रसायनिक विश्लेषण कराया गया ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त रामहेतु का फर्जी चालान किया गया है और वास्तव में उसे बाराबंकी नगर से पुलिस कप्तान से मिलाने के बहाने जीप पर बिठा लिया गया तथा ले जाकर थाने में बन्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस घटना की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायेंगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां ।

बरामद माल का रसायनिक विश्लेषण कराया गया । परीक्षण से बरामद शुदा पदार्थ हेरोइन पाया गया ।

जी नहीं ।

अतः घटना की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

## जनपद उन्नाव के मौरांवा थाने के गुलरिहा ग्राम के प्रधान पर दर्ज मुकदमें के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

4—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष अगस्त, 1987 में उन्नाव जिले के मौरांवा थाने के गुलरिहा ग्राम के प्रधान पर उन्नाव कोतवाली में दफा 307 के मुकदमें के सम्बन्ध में माह अगस्त, 1987 में गृहमंत्री ने प्रश्नकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि शासन द्वारा मांगी गयी रिपोर्ट में जिलाधिकारी उन्नाव ने भी सी0 आई0 डी0 जांच हेतु अपनी सहमति दी थी ? यदि हां, तो सी0 आई0 डी0 जांच शुरू न कराने के क्या कारण हैं ? क्या इसी सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-7-1988 मुख्य मंत्री जी को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां । अगस्त, 1987 नहीं, बल्कि जुलाई, 87 में प्रश्नकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर यथा इंगित कार्यवाही हुई थी ।

सी0 आई0 डी0 जांच हेतु कोई ठोस आधार न होने के कारण तत्कालीन गृह मंत्री जी के अनुमोदन से सी0 आई0 डी0 जांच आदेश जारी करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित एवं गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को पृष्ठांकित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-7-1988 (न कि पत्र दिनांक 23-7-1988) प्राप्त हुआ । मामले की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

## उत्तर प्रदेश में मुंसिफ न्यायालयों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन

5--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुंसिफ स्तर की अदालतों में मुकदमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार न्यायालयों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जी हां ।

प्रदेश में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की न्यायालयों में लंबित वादों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मुंसिफ मजिस्ट्रेट के 240 न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव नवम् वित्त आयोग, भारत सरकार को भेजा गया है । उनकी संस्तुति प्राप्त होने पर ही इन न्यायालयों के सृजन पर विचार करना सम्भव हो पायेगा ।

6-7--श्री राम सजीवन--

[6 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

## मेरठ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता को राजनीतिक षड़यंत्र करके हत्या के मामले में फंसाकर सी0 आई0 डी0 जांच कराया जाना

8--श्री राम सजीवन--

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बड़ौत (मेरठ) के जिला उप सचिव कामरेड महेन्द्र सिंह ने 22-11-1988 को मुख्य मंत्री के नाम खुला पत्र जारी करके शिकायतें की है कि उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता शिवदत्त शर्मा आदि को स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा राजनीतिक षड़यंत्र करके हत्या के एक मामले में झूठा फंसाये जाने से सम्बन्ध प्रकरण की जांच सी0 बी0 आई0 से कराई गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मामले की जांच किसी अन्य उच्च अधिकारी अथवा सी0 आई0 डी0 से कराई गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

उमेश--सुनीता जघन्य हत्याकाण्ड के अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की नाकामी तथा राजनीतिक षड़यंत्र रचकर इस हत्याकाण्ड में श्री शिवदत्त शर्मा व अन्य कुछ कार्यकर्त्ताओं को फंसाने आदि की शिकायत एवं जांच सी0 बी0 आई0 द्वारा कराने की मांग सम्बन्धी प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त हुआ ।

मामले की जांच पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र, मेरठ से करायी गई । जांच से श्री शिवदत्त शर्मा को प्रश्नगत हत्याकाण्ड में झूठा फंसाये जाने का आरोप असत्य पाया गया, क्योंकि जब श्री शिवदत्त शर्मा तथा श्री शिव चरन अवैध शस्त्रादि सहित पुलिस द्वारा पकड़े गये तब उन्होंने घटना का जुर्म इकबाल किया तथा एक अन्य आदमी, जो कामरेड महेन्द्र सिंह का आदमी था, को अपने साथ घटना के समय होना बताया न उक्त तीसरे व्यक्ति का नाम पता अभी ज्ञात नहीं हो पाया है, जिसके विरुद्ध विवेचना प्रचलित है । गिरफ्तार किये गये उक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर आरोप-पत्र धारा 364/302 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत दिनांक 17-1-1989 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

## जनपद मथुरा की तहसील-छाता के ग्राम ओवा के किसानों की भूमि की वापसी की मांग

9---श्री कुशल पाल सिंह--

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि गांव ओवा, तहसील छाता जनपद मथुरा के अनेक किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन जमुना नदी से कटकर गांव छिनपारई तहसील मांट में मिल गई है जिसके कारण सम्बन्धित किसान भूमिहीन हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पीड़ित ओवा के किसानों ने वर्ष 1986 में अनेक प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारी, मथुरा परगना अधिकारी, छाता/मांट को दिये कि उनकी जमीन नियम के अनुसार नापकर वापिस करा दी जायेगी ? यदि हां, तो बार-बार आदेशों के बावजूद छाता व मांट तहसील के स्टाफ द्वारा पीड़ित किसानों को जमीन अभी तक नहीं दिलाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिलाधिकारी, मथुरा को निर्देश देगी कि पीड़ित किसानों की जमीन वापिस दिलायी जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद---

जनपद मथुरा के ग्राम ओवा खादर तहसील छाता के 12 खातेदारों की 92.64 एकड़ भूमि यमुना नदी में कटकर ग्राम छिनपारई खादर तहसील मांट में मिल गयी है । उपरोक्त ग्राम ओवा के खातेदारों ने अपनी भूमि की नाप के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये थे जिस पर राजस्व अधिकारियों द्वारा दोनों ग्रामों के प्रभावित काश्तकारों के समक्ष भूमि की नाप की गयी तथा यह पाया गया कि तहसील मांट का मूल अन्तिम पंचवर्षीय बन्दोबस्ती भूचित्र उपलब्ध नहीं है और जो भूचित्र लेखपाल के पास पाया गया उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा उसमें दिखायी गयी सीमायें सही नहीं हैं अतः भूचित्र को शुद्ध करने की कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत की जा रही है जिसके उपरान्त समस्या का समाधान सम्भव होगा ।

10---श्री राम आसरे वर्मा---

[6वें मंगलवार के लिए स्थगित]

## जनपद फैजाबाद के ग्राम सिकरोहर में सीलिंग से बचाने हेतु फर्जी सोसाइटी बनाय जाने के मामले पर कार्यवाही

11---श्रीमती शारदा देवी---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद के ग्राम सिकरोहर में सीलिंग से जमीन बचाने के लिए फर्जी सोसाइटी बनाने का कोई मामला जिला स्तर पर विचाराधीन है और उक्त सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फैजाबाद ने कोई पत्र संख्या स0 श0 904/आलि/बी0 ए0, दिनांक 29 अक्तूबर, 1987 परगनाधिकारी अकबरपुर को लिखा था ? यदि हां, तो उक्त मामला क्या है और उसमें अब तक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद---

जी हां ।

"दी सोसाइटी आफ फ्रांसिसकन ब्रदर्स माउन्ट पाइनियर, बाम्बे" द्वारा सीलिंग से अपनी भूमि बचाने के लिए फर्जी तरीके से "दी सिकरोहर चन्दनपुर फ्रांसिसकन ब्रदर्स

सामूहिक कृषि सहकारी समिति का गठन करके उसके नाम दिनांक 22 नवम्बर, 1973 को भूमि हस्तान्तरित कर दी गयी थी ।

"दी किसरोहर चन्दनपुर फ्रांसिसकन ब्रदर्स सामूहिक कृषि सहकारी समिति" के विरुद्ध सीलिंग वाद विचाराधीन है ।

12—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[6वें मंगलवार के लिए स्थगित]

## ग्राम प्रधान स्योहरा बाजे वि० ख० मूढ़ा पांडा, मुरादाबाद द्वारा पट्टों में की गई धांधली के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

13—मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 21 मार्च, 1988 को प्राप्त हुआ है जिसमें प्रधान ग्राम सभा स्योहरा बाजे, वि० ख० मूढ़ा पांडा, मुरादाबाद द्वारा पट्टा आदि में की गयी धांधली की शिकायत की गयी थी ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

पत्र प्राप्त हुआ और मामले की जांच परगनाधिकारी द्वारा कराई गयी और यह पाया गया कि आवास स्थल हेतु आवंटित भूमि पर पन्द्रह व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा कर लिया गया है । अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122—बी के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया, जो अपर तहसीलदार, मुरादाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है ।

लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर दण्डस्वरूप हल्के से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया और सम्बन्धित ग्राम प्रधान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है ।

## आगरा कलक्ट्रेट के भूलेख अनुभाग में फर्जी नामों से मासिक वेतन का आहरण

14—श्री बदन सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा कलक्ट्रेट के भूलेख अनुभाग में भूलेख निरीक्षकों से सम्बन्धित कुछ चेनमैनों की नियुक्ति किये बिना फर्जी नामों से मासिक वेतन वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में आहरित किये गये हैं ? यदि हां, तो इस फर्जी भुगतान से सम्बन्धित भूलेख अधिकारियों को अभी तक दण्डित न करने का क्या कारण है ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

संबंधित भू-लेख लिपिक को निलम्बित करके उनके विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और राजस्व परिषद् के विशेष लेखादल से जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया है ।

## जनपद आगरा की तहसील किरावली के भवन की निर्माण कार्य की टेक्नीकल जांच

15—श्री बदन सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के नवीन भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही उसका प्लास्टर छूट-छूट कर गिर रहा है ? यदि हां, तो क्या इस भवन निर्माण कार्य की जांच टेक्नीकल सेल से कराकर दोषी अभियंताओं को दण्डित करेंगे ?

श्री माता प्रसाद—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

16—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[नियम 45 के अन्तर्गत निरस्त]

## जनपद फैजाबाद के शमशेर उर्फ बुद्धू नामक व्यक्ति की हत्या की खुफिया जांच

17—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि अक्तूबर, 1988 में जनपद फैजाबाद के फैजाबाद शहर में हुए दंगे में ककरही बाजार मोहल्ले में अराजक तत्वों द्वारा कर्फ्यू के दौरान शमशेर उर्फ बुद्धू नामक व्यक्ति की हत्या करके उसका शव गायब कर दिया गया है और स्थानीय पुलिस तथा जिला प्रशासन उक्त हत्या की घटना को जानबूझकर छुपा रहे हैं ? क्या यह सही है कि हत्यारों के आतंक से मृतक शमशेर उर्फ बुद्धू के घर वाले अभी तक अपने घर वापस नहीं जा रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त घटना की उच्चस्तरीय खुफिया जांच कराने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

श्रीमती अमीना पत्नी शमशेर ने अपने पति शमशेर उर्फ बुद्धू की हत्या के संबंध में एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 1988 को दिया था । इस संबंध में थाना कैण्ट पर मु0 अ0 सं0 489/88 धारा 147/302/201 भा0 द0 वि0 का अभियोग (1) शिव प्रसाद (2) मुरली महेन्द्र तथा अन्य बहुत से लोग नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है । अब तक की जांच/विवेचना तथा काफी प्रयास के बाद भी मृतक शमशेर की लाश का पता नहीं चल सका है ।

यह कहना सही नहीं है कि स्थानीय पुलिस तथा जिला प्रशासन द्वारा हत्या की घटना को जानबूझकर छुपाया जा रहा है । जांच से यह भी सही नहीं पाया गया कि हत्यारों के आतंक से मृतक शमशेर उर्फ बुद्धू के घर वाले अभी तक अपने घर वापस नहीं जा रहे हैं । उक्त घटना की उच्चस्तरीय खुफिया जांच कराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

## बस्ती जिला भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के संयोजक श्री मुहम्मद अय्यूब अंसारी को थानाध्यक्ष घनघटा द्वारा उत्पीड़ित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

18--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 26 अगस्त, 1988 का बस्ती जिला भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के संयोजक श्री महम्मद अय्यूब अंसारी को रोजा के वक्त मारने पीटने, यातनायें देने, जान से मारने की धमकी देने तथा अन्य भा0 ज0 पा0 कार्यकर्ताओं एवं हरिजनों का उत्पीड़न करने वाले थानाध्यक्ष घनघटा के विरुद्ध शिकायतों सहित पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच कराकर थानाध्यक्ष घनघटा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां ।

जांच से थानाध्यक्ष के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी । अतः कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

## जनपद मथुरा के कोसी कलां थाने के नये भवन के निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री के इस्तेमाल के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

10--श्री कुशल पाल सिंह--

क्या गृह मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 16 मार्च, 1988 को मथुरा जनपद के कोसी कलां थाने के नये भवन के निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री इस्तेमाल करने के बारे में कोई पत्र दिया था ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ? क्या यह सही है कि उक्त थाने की नई बिल्डिंग का गिरना भी शुरू हो गया है ? यदि हां, तो उक्त निम्न स्तर के निर्माण में दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ शासन कोई कार्यवाही करने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायत की जांच अधीक्षण अभियंता, 41वां वृत्त, सा0 नि0 वि0, आगरा द्वारा कराई ।

उक्त अधीक्षण अभियंता की आख्या के अनुसार प्रश्नगत थाने की नई बिल्डिंग का गिरना शुरू नहीं हुआ है बल्कि निम्न स्तर की निर्माण सामग्री प्रयोग करने के कारण भवनों का ऐपरन, छत, फर्श तथा प्लास्टर आदि कमजोर पाये गये जिन्हें दोबारा ठीक करा दिया गया है ।

निम्न स्तर के निर्माण सामग्री के प्रयोग के लिए जिम्मेदार तत्कालीन स्थानिक अभियंता तथा अवर अभियंता के विरुद्ध अधीक्षण अभियंता द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

## जनपद आजमगढ़ में लेखपाल के रिक्त पदों की संख्या और नियुक्ति विषयक विवरण

20--श्री इकबाल अहमद अंसारी--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में लेखपाल पद के कितने स्थान रिक्त हैं ? जनपद के कितने लोग वर्ष 1987 के सत्र में लेखपाल प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं ? इनमें से कितने लोगों की नियुक्ति इस पद पर हो चुकी है तथा कितने बाकी हैं ? बचे लोगों की नियुक्तियां कब तक हो जायेंगी ?

श्री माता प्रसाद--

जनपद आजमगढ़ में लेखपालों के 157 पद रिक्त हैं। इस जनपद के 129 अभ्यर्थी वर्ष 1987 के सत्र में लेखपाल प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं जिनमें के 90 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुये।

उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में 17 अभ्यर्थी स्त्यापन में फर्जी पाये गये आयुक्त, गोरखपुर मंडल द्वारा 50 अभ्यर्थी जनपद आजमगढ़ से तथा 23 अभ्यर्थी जनपद मऊ से नियुक्ति हेतु संबद्ध किये गये। जनपद आजमगढ़ में 47 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है शेष अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनके द्वारा आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण न करने के कारण नहीं की जा सकी हैं।

21--श्री इकबाल अहमद अंसारी--

[5वें मंगलवार में अता० प्र० सं० 192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

28--श्री राम सजीवन--

[6वें मंगलवार के लिये स्थगित]।

23-26--श्री यदुनाथ सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

## जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर के ग्राम तोकीफ की मड़ैया मजरावली पट्टी में अग्निकांड से पीड़ित हरिजनों को आर्थिक सहायता

27--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर स्थित ग्राम तोकीफ की मड़ैया मजरावली पट्टी में माह अक्तूबर, 1987 में हुये भीषण अग्निकाण्ड में चार हरिजन परिवारों सहित लगभग डेढ़ दर्जन मकान जलकर पूर्णरूपेण स्वाहा हो गये और हजारों रुपये का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो क्या उक्त अग्निकांड पीड़ितों को कोई आर्थिक सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

प्रश्नगत ग्राम में दिनांक 9-10-87 को हुये अग्निकांड में ग्राम के 6 हरिजन परिवारों सहित कुल 18 परिवार प्रभावित हुये थे, जिन्हें 500 रु० प्रति परिवार अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किये गये।

## फर्रुखाबाद में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को पट्टे पर दी गयी कृषि योग्य भूमि पर प्रभावशाली व्यक्तियों का कब्जा

28—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर की ग्राम सभा पिथनापुर में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को आबादी एवं कृषि योग्य भूमि के पट्टे दिये गये ? यदि हां, तो क्या इन लोगों को अध्यासन मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इसी ग्राम सभा में चकबन्दी के दौरान सार्वजनिक उपयोग (खाद के गड्ढों एवं घूरे) के लिये छोड़ी गयी भूमि पर गांव के ही एक प्रभावशाली व्यक्ति, जो ग्राम सभा का प्रधान भी है, ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही अब तक की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

ग्राम पिथनापुर, विकास खण्ड राजेपुर, तहसील व जिला फर्रुखाबाद चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत सन 1978 से चल रहा है। जिसका धारा 52 के अन्तर्गत प्रकाशन नहीं हुआ है। इस ग्राम सभा में आवास एवं कृषि योग्य भूमि का आवंटन नहीं हुआ है। चकबन्दी के दौरान खाद के गड्ढों एवं घूरे के लिये छोड़ी गयी भूमि पर प्रधान श्री जगेश्वर सिंह का कोई कब्जा नहीं है बल्कि गाटा संख्या 2785/0–07 व 2786/0–09 व 2789/0–10 पर प्रधान के भाई श्री राम प्रकाश सिंह का अनधिकृत कब्जा है, जिनके विरुद्ध ज0 वि0 तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122–बी0 के अन्तर्गत वाद न्यायालय, तहसीलदार सदर, फर्रुखाबाद के यहां विचाराधीन है।

## जनपद आजमगढ़ के थाना कप्तानगंज के ग्राम ककरही के हरिजनों की फसल को सवर्णों द्वारा काटने के मामले में शासन द्वारा कृत कार्यवाही

29—श्री विष्णुदेव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के थाना कप्तानगंज के ग्राम ककरही में गत 17 अक्तूबर, 1987 को फसल काटने के विवाद के सम्बन्ध में हरिजनों एवं सवर्णों के बीच थानाध्यक्ष व नायब थानेदार कप्तानगंज की उपस्थिति में एक हलफनामा हुआ था, जिसके अनुसार खरीफ की फसल, जो हरिजनों ने सवर्णों के खेत में बोई है, उसे नियमानुसार कटा लेंगे, परन्तु इस सुलहनामें के बावजूद सवर्णों, भूतपूर्व जमींदार, ठाकुरों ने बलपूर्वक हरिजनों द्वारा बोई फसल कटा ली ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां।

हरिजनों का फसल का हिस्सा न मिलने पर थाना कप्तानगंज पर वादी श्री हितई आदि थाना कप्तानगंज के तहरीरी सूचना पर अहस्तक्षेपीय अपराध संख्या 201 अन्तर्गत धारा 424 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कर 8 व्यक्तियों का चालान किया गया। मामला सम्प्रति विचाराधीन न्यायालय है।

## उत्तर प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा पंचांग व डायरी प्रकाशित कर निःशुल्क वितरण का उद्देश्य

30—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा डायरी और पंचांग प्रकाशित करने और निःशुल्क वितरित करने के क्या उद्देश्य हैं? निःशुल्क वितरण में किन व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है? वरीयता के मानक क्या हैं डायरी व पंचांग के निःशुल्क वितरण (प्रकाशन) पर सरकार का वर्ष 1988 में कितना खर्च आया है?

सूचना राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)—

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा डायरी और पंचांग को प्रकाशित करने तथा निःशुल्क वितरित करने का उद्देश्य शासन की नीतियों का प्रभावशाली ढंग से प्रचार है। निःशुल्क वितरण में निम्नलिखित को वरीयता दी जाती है :

राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्यों, लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद् के सदस्यों, अन्य राज्यों के राज्यपालों, मुख्य मंत्रियों, सूचना निदेशकों, प्रदेश शासन स्तर के उच्च अधिकारी, सम्पादकों, पत्रकारों तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के अलावा यथासम्भव विभिन्न संगठनों आदि को उपलब्ध कराने के पश्चात् जन सम्पर्क की दृष्टि से जन सामान्य को भी यह प्रकाशन वितरित किये जाते हैं। यही वितरण के मानक भी हैं। डायरी व पंचांग के निःशुल्क वितरण (प्रकाशन पर वर्ष 1988 में सरकार का कुल 7,00,837 रुपये) सात लाख आठ सौ सैंतीस मात्र व्यय हुआ।

## श्री दुइग यादव की हत्या के सम्बन्ध में जनपद आजमगढ़ के रौनापार के थानाध्यक्ष की संदिग्ध गति विधियों की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराया जाना

31—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान थानाध्यक्ष रौनापार, आजमगढ़ के कार्यकाल में कितनी हत्यायें एवं डकैतियां हुई हैं? क्या जुलाई, 1988 में श्री दुइग यादव खेतापुर की हत्या तथा अन्य विवादों में थानाध्यक्ष की संदिग्ध गतिविधि को ध्यान में रखते हुए थानाध्यक्ष के सम्पूर्ण कार्यकाल की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

थानाध्यक्ष रौनापार, आजमगढ़ के कार्यकाल दिनांक 03/04/88 से अब तक हत्या की तीन घटनाएं तथा डकैती की कोई घटना नहीं हुई है।

जुलाई, 1988 में नहीं बल्कि जुलाई, 1987 में श्री दुईग यादव, खेतापुर की अत्यधिक चोट के कारण अस्पताल में हुई मृत्यु तथा अन्य विवादों में थानाध्यक्ष की गतिविधि संदिग्ध नहीं पायी गई। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

32—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[दिनांक 2 जुलाई, 1987 को अता0 प्र0 सं0 83 द्वारा उत्तरित]

## जनपद बलिया के थाना क्षेत्र उभांव, भीमपुरा व नगरा में दर्ज मामलों का विवरण

33--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के थाना क्षेत्र उभांव, भीमपुरा व नगरा में वर्ष 1985-86, 1986-87 व 1987-88 में वर्षवार कितने-कितने मामले दफा 309, भा0 द0 वि0 के दर्ज हुए हैं और उनमें कितने मामलों में पुलिस को साक्ष्य नहीं मिल पाये हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

प्राप्त सूचनानुसार थाना क्षेत्र उभांव, भीमपुरा व नगरा में प्रश्न में उल्लिखित अवधि में धारा 309, भा0 द0 वि0 के मामले दर्ज नहीं हुए हैं। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद बलिया की किरिहड़ापुर गन्ना विकास समिति लि0 बिल्थरा रोड बलिया को पुनर्जीवित किया जाना

34--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि बिल्थरा रोड किरिहड़ापुर गन्ना विकास समिति लि0 बिल्थरा रोड, जिला बलिया को, जिसे अवैधानिक तौर से वि किसान सहकारी चीनी मिल लि0 रसड़ा, जिला बलिया की समिति में से विलीन कर दिया गया था, को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार कदम उठाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं।

संविलीनीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की गई है, अतः गन्ना समिति को फिर से पुनर्जीवित करने का औचित्य नहीं है।

## जनपद गोंडा में पुलिस थानों के भवनों का निर्माण

35--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि जनपद गोंडा ने पुलिस थाना खोड़ारे पिछले पांच वर्षों से एक गांव में कच्चे किराये के मकान में चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ये भी बतायेगी कि जनपद गोंडा में कितने ऐसे थाने हैं जो प्राइवेट भवन में चल रहे हैं ? क्या सरकार उक्त थानों के भवनों का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद गोंडा का पुलिस थाना खोड़ारे वर्ष 1982 से कच्चे किराये के मकान में नहीं बल्कि पक्के किराये के भवन में कार्यरत है।

उक्त के अलावा जनपद गोंडा में छः थाने अर्थात् थाना हरैया, थाना खरगूपुर, थाना रेहरा, थाना महाराजगंज, थाना बलरामपुर देहात तथा थाना मोतीगंज प्राइवेट भवनों में कार्यरत हैं।

अगले वित्तीय वर्ष में नवम् वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन प्रदेश के 26 थानों के भवनों को निर्मित कराये जाने का निश्चिय किया गया है जिसमें जनपद गोंडा के थाना महाराजगंज के भवन का निर्माण प्रस्तावित है। सीमित प्लान परिव्यय के कारण प्रश्नगत अन्य थानों के भवनों का निर्माण अगले वित्तीय वर्षों में सम्भव न हो पायेगा।

36—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[दिनांक 3 जुलाई, 1987 को अतारांकित प्रश्न संख्या 11 द्वारा उत्तरित]

## जनपद आगरा के नव सृजित थाना कागारोल में चंकोरो ग्राम को शामिल किया जाना

37—श्री बदन सिंह—

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा में स्थित ग्राम कागारोल में नवीन थाना सृजित किया गया है? यदि हां, तो खारी नदी के दूसरी ओर स्थित ग्राम अकोला, उजरई, बसैया बोबला बसैयारायमल, महायानो, बसैया ज्योतिराज को कागारोल थाने से निकालकर मलपुरा थाने में ही तथा चंकोरा ग्राम को फतेहपुर सीकरी थाना से निकाल कर थाना कागारोल में शामिल करेंगे?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां, जनपद आगरा में ग्राम कागारोल में नया थाना सृजित किया गया है।

प्राप्त सूचना के अनुसार खारी नदी के दूसरी तरफ स्थित ग्राम अकोला, उजरई, बसया बोबला, बसैयारायमल, महायानो (नहचनो), बसैया ज्योतिराज थाना कागारोल में हैं। ये गांव पहले थाना मलपुरा व अन्य थानों में थे, जिनकी थानों से अधिक दूरी होने के कारण इन्हें नव सृजित थाना कागारोल में मिलाया गया है, जिन्हें अब दुबारा थाना मलपुरा में मिलाने से थाना मलपुरा का क्षेत्र बढ़ जायेगा।

जहां तक ग्राम चकोरा को थाना फतेहपुर सीकरी से निकालकर थाना कागारोल में मिलाने का सम्बन्ध है, प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के विचाराधीन है।

## आयुक्त, बिक्रीकर बनाम गोयल एण्ड कम्पनी के निर्णय के सन्दर्भ में सचिव, संस्थागत वित्त को प्रेषित पत्र

38—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—150 के सन्दर्भ में क्या वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या—380 सचिव संस्थागत वित्त को दिनांक 20 जून, 1987 को मिला? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

विचारोपरान्त निक्षेपित कर दिया गया।

## ताड़ी और भांग की बिक्री पर बिक्रीकर का निर्धारण वसूली व बकाये का विवरण

39--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पांचवें शुक्रवार के लिए निर्धारित अ0 ता0 प्रश्न सं0 5 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र संख्या 402 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 26 अप्रैल, 1988 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां ।

आयुक्त, बिक्रीकर से आख्या मांगी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

40-41--श्री यदुनाथ सिंह--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

## जनपद आगरा के थाना फतेहाबाद में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को संरक्षण देने की कथित शिकायत की जांच

42--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के थाना फतेहाबाद में थानाध्यक्ष पद पर वर्ष 1981 और 1982 में श्री डी0 पी0 गौड़ तैनात थे ? यदि हां, तो क्या रामेश्वर और सिपाही लाल नामक कुख्यात सूचीबद्ध डकैत, श्री डी0 पी0 गौड़, थानाध्यक्ष की सुरक्षा हेतु थाना फतेहाबाद में रहते थे ? यदि नहीं, तो क्या उक्त रामेश्वर और सिपाही लाल के संदिग्ध आचरण की जांच सी0 ओ0, फतेहाबाद ने की तथा जांच रपट तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा श्री राधेमोहन शुक्ला को मिली ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री डी0 पी0 गौड़ थाना फतेहाबाद जनपद आगरा में वर्ष 1981 और 1982 में नहीं बल्कि दिनांक 28 जुलाई, 1983 से 2 जुलाई, 1984 तक थानाध्यक्ष के पद पर तैनात रहे । तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री प्रभाकर सिंह की जांच से पाया गया कि रामेश्वर व सिपाही लाल थानाध्यक्ष श्री डी0 पी0 गौड़ के मुखबिर हैं तथा उनके साथ रहते थे । इस जांच के प्राप्त होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पाया गया कि क्षेत्राधिकारी की जांच में थानाध्यक्ष श्री गौड़ का कथन कहीं भी अंकित नहीं है । इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष श्री गौड़ के मौखिक रूप ने बताया कि वे क्षेत्राधिकारी श्री प्रभाकर सिंह को कोई बयान नहीं देंगे क्योंकि उन्हें उनसे न्याय की आशा नहीं है । इस सम्बन्ध में पुनः क्षेत्राधिकारी विजेन्द्र शर्मा से गुप्त रूप से जांच करायी गयी तो उन्होंने उक्त दोनों व्यक्तियों की थाना फतेहाबाद पर मौजूदगी नहीं पायी ।

जी हां ।

जांच से पाया गया कि सिपाही लाल व रामेश्वर अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध विभिन्न अभियोग न्यायालय में चल रहे हैं ।

## जनपद आजमगढ़ की तहसील घोसी में घाघरा की बाढ़ में मल्लाहों की लगाई गई नावों का किराया तथा मजदूरी का भुगतान

43--श्री विष्णु देव--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ की तहसील घोसी में घाघरा की बाढ़ से प्रभावित ग्रामों में आवागमन हेतु शासन की ओर से नावें लगायी जाती हैं परन्तु उसके लिए पैसा 6-7 माह पश्चात् मिलता है ? यदि हां, तो नाव खेने वालों की दयनीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें तत्काल पैसा दिलाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

बाढ़ के आवागमन हेतु लगाई गयी नावों के स्वामियों को तथा उससे सम्बद्ध मल्लाहों को नाव का किराया तथा मजदूरी का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र मिल जाता है तथा इस बात का प्रयास किया जाता है कि भुगतान में विलम्ब न हो।

वर्ष 1988 की बाढ़ में लगी नावों के मालिकों एवं मल्लाहों को नाव भाड़ा तथा मजदूरी के रूप में 4,94,653 रुपये का भुगतान कर दिया गया है।

## जनपद देवरिया की तहसील हाटा के ग्राम दरगौली में ग्राम प्रधान द्वारा चकबन्दी की प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि का नाजायज ढंग से इन्द्राज कराना

44--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद तहसील हाटा के ग्राम दरगौली में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत सैकड़ों एकड़ बंजर जमीन की जालसाजी करके तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं चकबन्दी अधिकारी द्वारा साजिश कर नाजायज ढंग से इन्द्राज व आवंटन कर प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम दर्ज करने सम्बन्धी 20 मुकदमों का उल्लेख करते हुए जुलाई, 1987 में तत्कालीन मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री एवं राजस्व सचिव को प्रेषित-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उसमें वर्णित आरोपों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है और उसमें अब तक कार्यवाही में क्या प्रगति हुई है ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां। प्रश्नगत शिकायती-पत्र की जांच से स्पष्ट हुआ कि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कान्ता ने चकबन्दी के दौरान कोई भूमि अपने नाम से दर्ज नहीं कराई है। शिकायती पत्र में वर्णित 20 वादों में से कुछ चकबन्दी न्यायालयों से निर्णित हैं और कुछ किसी स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन हैं न्यायिक मामलों के विषय में कोई टीका नहीं की जा सकती है।

## जनपद देवरिया टाउन एरिया कसया में बिक्रीकर विभाग द्वारा नाजायज वसूली के विरोध में व्यापार मण्डल के पत्र पर कार्यवाही

85--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के कसया टाउन एरिया क्षेत्र के अन्तर्गत फरवरी, 1987 के अन्तिम सप्ताह में गोरखपुर से बिक्रीकर

विभाग का एक विशेष दस्ता कसया श्री कुसुमाकर त्रिपाठी सेल्स टैक्स अधिकारी (2) के नेतृत्व में गया और उनके साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कमलेश्वर तिवारी द्वारा व्यापारियों को दबाव डालकर होली के त्योहारी के नाम पर अवैध वसूली करने के संदर्भ में बिक्रीकर कर्मचारियों और व्यापारियों के बीच नाजायज धन उगाही का विरोध करने पर मारपीट हुई जिसकी प्रथम सूचना स्थानीय थाने में भी अंकित कराई गई ? क्या इस घटना के संदर्भ में कसया व्यापार मंडल ने तत्कालीन मुख्य मंत्री, बिक्रीकर आयुक्त को, शिकायती पत्र भेजा था ? यदि हां, तो क्या आरोपों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कर अपवंचन की लिखित सूचना पर एक विशेष दस्ता जांच हेतु गया था किन्तु नेतृत्व अन्य वरिष्ठ अधिकारी कर रहे थे। श्री कुसुमाकर त्रिपाठी जांच दस्ते में सम्मिलित थे।

धन उगाही के विरोध में मारपीट नहीं हुई बल्कि करापवंचन सम्बन्धी जांच कार्य में बाधा डालने हेतु श्री कमलेश तिवारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को व्यापारियों ने जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लिया, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी गयी।

जी हां।

जी हां।

लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए अतः कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

## जनपद (नगर) गोण्डा से बस्ती गोरखपुर वाया बभनान के लिए सरकारी बस सेवा की मांग

46--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या परिवहन मंत्री की जानकारी में है कि जनपद (नगर) गोण्ड से बस्ती अथवा गोरखपुर वाया बभनान होते हुए कोई बस सेवा साढ़े चार बजे के बाद सुलभ नहीं है जिससे बभनान के ऐसे यात्रियों को जो बस सेवा द्वारा लखनऊ अथवा उसके आगे जाना चाहते हैं उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो प्राईवेट बस सेवाएं हैं उनमें बहुत असुविधाएं होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में गोण्डा से बस्ती गोरखपुर के लिए वाया बभनान होते हुए सरकारी बस सेवा तत्काल सुलभ कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार--

जी हां।

गोण्डा से बस्ती-गोरखपुर वाया बभनान मार्ग पर एक सेवा गोण्डा से प्रातः 6 बजे गोरखपुर के लिए संचालित है जो गोरखपुर से 13 बजे चलकर सायं 20 बजे इसी मार्ग से वापस आती है।

गोण्डा से बभनान होते हुये बस्ती मार्ग का बर्जीकुंआ से हरैया तक का मार्ग अराष्ट्रीयकृत है जिस पर निजी वाहनें संचालित हैं।

शासन की नीति के अनुसार अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर निगम द्वारा सेवा बढ़ाने की या नई सेवायें चलाने की नीति नहीं है। एक सेवा जो गोण्डा से बस्ती, गोरखपुर वाया बभनान मार्ग से संचालित है, अलाभकर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता। मार्ग अराष्ट्रीयकृत है।

## जनपद बहराइच में चकबन्दी विभाग के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में चतुर्थ श्रेणी संघ के पत्र पर कार्यवाही

47—श्री देवतादीन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, द्वारा चकबन्दी विभाग के पदाधिकारियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने व कर्मचारियों का उत्पीड़न करने व शासनादेशों की उपेक्षा करने सम्बन्धी शिकायती पत्र माह, अप्रैल व मई, 1988 में राजस्व मंत्री व चकबन्दी आयुक्त लखनऊ को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां तो, क्या उन समस्याओं का निराकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मन्ता प्रसाद—

जी हां।

शिकायतों पर जांच कराये जाने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि कतिपय चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों को अनुशासनहीनता, सरकारी कार्य में उदासीनता, अवांछनीय कार्य एवं आचरण आदि के कारण प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण व अन्य कार्यवाही किए जाने पर उन्होंने आन्दोलनात्मक रवैया अपनाया और अनेक शिकायतें की। कुछ कर्मचारियों ने स्थानान्तरण के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी प्रस्तुत की और स्थगन आदेश प्राप्त किया। याचिका अभी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

## जनपद लखनऊ के थाना बन्थरा में तैनात सब-इन्स्पेक्टरों तथा इंचार्ज को अविलम्ब हटाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

48—श्री शारदा प्रताप—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के थाना बन्थरा में बढ़ती हुई घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वहां तैनात इंचार्ज एवं अन्य सब इंस्पेक्टरों को अविलम्ब हटाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17 नवम्बर, 1988 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, चिनहट द्वारा कराई गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुये और थाने के कर्मचारियों को हटाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

## जनपद बहराइच के ग्राम बैरी महेशपुर में पंजीकृत कब्रिस्तान का मामला न्यायालय के विचाराधीन

49—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच में तहसील केसरगंज के ग्राम बैरी महेशपुर का कब्रिस्तान जो सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड, लखनऊ द्वारा पंजीकृत वक्फ नं0 730, 173-डि0 है और जो हजारों ग्रामवासियों का एक मात्र पुराना कब्रिस्तान है, को परगना अधिकारी द्वारा 145 की कार्यवाही करके वहां दफन करना रोक दिया गया है ? क्या शासन जांच कार्यवाही के बाद मुसलमानों को कब्रिस्तान पर अधिकार देने की कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

सम्प्रति विवादित भूमि का मामला न्यायालय के विचाराधीन है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

## राजकीय अतिथि गृह मीराबाई मार्ग लखनऊ के व्यवस्थाधिकारी (श्री शिवमूर्ति सिंह) के विरुद्ध जांच आख्या की जानकारी की मांग

50—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय अतिथि गृह मीराबाई मार्ग लखनऊ के व्यवस्थाधिकारी (श्री शिवमूर्ति सिंह) के विरुद्ध कोई जांच सी0 आई0 डी0 या विजिलेंस को दी गई है ? यदि हां, तो वर्ष 1980 के बाद कितनी जांच हुई और जांच आख्या पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी नहीं ।

## जनपद बांदा में तिंदवारी थाना के अन्तर्गत ग्राम खोंडा, निवासी शिव कुमारी पति बिन्दा प्रसाद चमार (हरिजन) की हत्या तथा मृतक परिवार को आर्थिक सहायता

51—श्री राम सजीवन—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि बांदा जिले में तिंदवारी थाना के अन्तर्गत ग्राम खोंडा, निवासी शिवकुमारी पति बिन्दा प्रसाद चमार (हरिजन) की हत्या 26 अक्तूबर, 1988 को हो गई थी ? क्या मृतक के ससुर श्री जगदेव ने बाद में दो हत्यारों की नामजद सूचना दी थी ? यदि हां, तो दोनों हत्यारों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि श्री जगदेव ने जिला प्रशासन को प्रार्थना-पत्र देकर हत्यारों से अपनी जानमाल की रक्षा की मांग की है ? यदि हां, तो उनको सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त हत्या के नामजद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा तथा मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 26 अक्तूबर, 1988 को श्रीमती शिवकुमारी पत्नी बिन्दा प्रसाद की हत्या के सम्बन्ध में श्री जगदेव पुत्र मंकू, निवासी ग्राम खोंडा की

सूचना पर थाना तिन्दवारी पर मु0 अ0 संख्या 138/88, धारा 302, भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ ।

मृतक के ससुर वादी श्री जगदेव के जिलाधिकारी, बांदा को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अभियुक्तों के नाम मुखराम ब्राह्मण व घसिटिया पुत्र देवी आरख का उल्लेख किया गया है । विवेचना से मुखराम के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ । प्रधानी के चुनाव से रंजिश व पार्टी बन्दी के कारण उसका झूंठा नाम अंकित किया गया है । घसिटिया आरख के सम्बन्ध में साक्ष्य मिला जिसके आधार पर विवेचना दी गयी किन्तु वह फरार है । उसके विरुद्ध धारा 82/83, जा0 फौ0 की कार्यवाही की गयी व गिरफ्तारी के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं ।

प्रार्थी (जगदेव) को जान से मारने व तबाह करने की धमकी के सम्बन्ध में जांच से ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आयी, फिर भी उसके गांव में पुलिस गश्त तेज कर दी गयी है तथा थानाध्यक्ष को कड़े निर्देश दिये गये हैं । आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

## जनपद वाराणसी, परगना कसवार सरकारी ग्राम जोगियापुर की जगरानी बेवा विदेशी की चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच रिपोर्ट

52--श्री राम सजीवन--

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जनपद वाराणसी परगना कसवार सरकारी ग्राम जोगियापुर की जगरानी बेवा विदेशी की चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच संयुक्त संचालन चकबन्दी श्री जे0 के0 सिंघल ने 12 अप्रैल, 1983 को की थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? जमीन व चक कब तक दिला दिए जायेंगे ?

श्री माता प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## कानपुर देहात के लेखपाल (श्री गिरजा शंकर) के विरुद्ध अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पद पर कार्यवाही

53--कुंवर माणेन्द्र सिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 23 मार्च, 1988 का पत्र लेखपाल कानपुर देहात (श्री गिरजा शंकर की अनियमितताओं के सम्बन्ध में) प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां । नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिये जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है ।

## जनपद फैजाबाद की तहसील टांडा के थाना इब्राहीमपुर के ग्राम अतरौरा के श्री श्रीराम सजीवन पुत्र श्री खिलाड़ी को असामाजिक तत्वों द्वारा मारने-पीटने की जांच

54—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि श्रीराम संजीवन पुत्र श्री खिलाड़ी निवासी ग्राम अतरौरा थाना इब्राहीमपुर तहसील टाण्डा फैजाबाद को कुछ असामजिक तत्वों द्वारा मारे-पीटे जाने की घटना की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में माननीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी कार्यालय नयी दिल्ली-110011, दिनांक 16 नवम्बर, 1987 का पत्र सं0344421 मुख्य सचिव, उ0 प्र0 सरकार, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्राप्त पत्र पर सम्बन्धित मामलों की जांच परताल कर उचित कार्यवाही कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां । जांच से मामले फर्जी पाये गये । अतः कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

इसके अतिरिक्त आवेदक ने एक चिक गैर दस्ता0 अभियोग थाना इब्राहीमपुर में लिखाया था । न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने हेतु न्यायालय को आख्या प्रेषित की गई परन्तु अनुमति नहीं प्राप्त हो सकी ।

## जनपद जालौन की तहसील कोंच के सियाशरण रावत द्वारा अपने भतीजे के नाम कथित भूमि का बैनामा तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

55—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या राजस्व मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ग्राम खिल्ली तहसील कोंच जिला जालौन के सियाशरण रावत ने अपने भतीजे दिनेश रावत, पुत्र डा0 शम्भू दयाल रावत के नाम करीब चालीस बीघा जमीन बिना वसीयत बिना बैनामा किये हजारों रुपया रजिस्ट्री शुल्क का बचा लिया है और सीलिंग से भी भूमि बचाने का प्रयास किया है ? यदि हां, तो वर्ष 1987 में किये गये इस भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री माता प्रसाद—

यह सच नहीं है कि ग्राम खिल्ली तहसील कोंच जिला जालौन के श्री सियाशरण रावत ने अपने भतीजे श्री दिनेश रावत पुत्र डा0 शम्भू दयाल रावत के नाम करीब 40 बीघा जमीन बिना वसीयत बिना बैनामा किये अन्तरण किया है । अपितु ग्राम खिल्ली तहसील कोंच खाता संख्या 69 के केवल 3 गाटा रकबा 6.76 एकड़ जो बाबूराम, सियाशरण, शम्भूदयाल पुत्रगण लच्छूराम एवं विष्णुनाथ पुत्र राम नारायण, निवासी ग्राम ड्योना के नाम खतौनी वर्ष 1392 फसली से 1397 फसली में दर्ज है, से सहायक चकबन्दी अधिकारी नदीगांव के आदेश, दिनांक 30 जनवरी, 1987 द्वारा सह खातेदार श्री सियाशरण पुत्र श्री लच्छूराम का नाम फर्जी दर्ज मानकर उनका नाम खारिज करते हुये श्री दिनेश चन्द्र पुत्र श्री शम्भू दयाल निवासी ग्राम ड्योना का नाम समझौते के आधार पर 1/4 अंश पर दर्ज किया है । स्पष्ट है कि श्री सियाशरण पुत्र श्री लच्छू-

राम का नाम फर्जी दर्ज माना जाना नियम विरुद्ध है और श्री दिनेश चन्द्र पुत्र श्री शम्भू दयाल का नाम श्री सियाशरण के स्थान पर अंकित करना भी अनियमित है और इस प्रकार स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क की चोरी अवश्य की गयी है ।

तहसील कोंच में उपलब्ध अ0 जो0 सी0 आकार पत्र-6 के आधार पर श्री शिया शरण व शम्भूदयाल पुत्रगण लच्छूराम निवासी ब्योना सीलिंग से प्रभावित नहीं है ।

वर्ष 1987 में किये गये इस अनियमित आदेश के विरुद्ध श्री विश्वनाथ सिंह चौहान सहायक चकबन्दी अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करके चकबन्दी आयुक्त द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

## जनपद जालौन के कोंच नगर में बम विस्फोट से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

56—कुवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या गृह मन्त्री को यह जानकारी है कि कोंच जिला जालौन में मार्च, अप्रैल, 1987 में कोई बम विस्फोट हुआ था ? यदि हां, तो उस काण्ड से सम्बन्धित कितने अभियुक्त कब पकड़े गये और उस काण्ड पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या शासन को इस काण्ड के मुख्य अभियुक्तों को पुलिस द्वारा बचाये जाने की सूचनायें किसी भी स्तर पर प्राप्त हुयी हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? मन्त्री जी इसकी पुनः किसी अन्य उच्च अधिकारी से जांच कराकर मुख्य अभियुक्तों का पता लगाकर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचनानुसार जिला जालौन के कोंच नगर में एक बम विस्फोट, दिनांक 29 मार्च, 1987 को तथा बम विस्फोट का दूसरा काण्ड 20 अप्रैल, 1987 को हुआ था।

बम विस्फोट के प्रथम काण्ड से सम्बद्ध कुल 6 अभियुक्तों में 3 अभियुक्त 29 मार्च, 1987 को गिरफ्तार किए गये तथा अन्य तीन ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । द्वितीय काण्ड से सम्बद्ध कुल 7 अभियुक्तों में एक 14 जून, 1987 को एवं दो 20 जून, 1987 को गिरफ्तार किये गये तथा दो ने 14 सितम्बर, 1987 को एवं एक ने 30 सितम्बर, 1987 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । एक अभियुक्त की मृत्यु हो गयी । प्रथम काण्ड से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोंच में मु0 अ0 सं0 170/87 धारा 147/148/149/307/452/504 भा0 दं0 वि0 तथा 5 विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना करके आरोप-पत्र, दिनांक 9 मार्च, 1988 को न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया, जो अभी विचाराधीन है । विस्फोट के द्वितीय काण्ड से सम्बन्धित सातों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोंच में मु0 अ0 सं0 211/87 धारा 4 विस्फोटक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ । इस काण्ड में एक अभियुक्त की मृत्यु हो जाने के फलस्वरू अभियोग में दिनांक 14 जून, 1987 को धारा 304/201, भा0 दं0 वि0 की वृद्धि की गयी । विवेचनोपरान्त इस प्रकरण में आरोप-पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 1987 को न्यायालय प्रेषित किया गया जो, सम्प्रति विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत दोनों प्रकरण सम्प्रति न्यायालय में विचाराधीन होने के फलस्वरूप इस सम्बन्ध में फिलहाल शासन द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय कार्य बटवारा नियमावली का प्रकाशन

57—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय कार्य बटवारा नियमावली छप कर आ गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो यह कब तक छपकर आ जायेगी ? क्या शासन उक्त नियमावली विधायकों को भी यथाशीघ्र उपलब्ध करा देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश सचिवालय कार्य बटवारा नियमावली (संशोधित संस्करण) का द्वितीय प्रूफ परीक्षणोपरान्त मुद्रण हेतु राजकीय मुद्रणालय भेजा जा चुका है । इसके शीघ्र छपकर आ जाने की सम्भावना है ।

प्रश्नगत नियमावली सरकारी कार्यालयों के प्रयोगार्थ है ।

जनपद गोंडा के ललिया थाना के अन्तर्गत मुल्जिम को गिरफ्तारी व कुर्की न किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

58—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 14 अक्तूबर, 1988 के प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 477/88 थाना ललिया जनपद गोंडा में लिखाई गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? मुल्जिम का कुर्की व गिरफ्तारी न किये जाने का क्या कारण है ? क्या इनके लिये दोषी पुलिस-जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में मु0 अ0 सं0 76/88 अन्तर्गत धारा 420/406/467/468/471, भा0 दं0 वि0 दर्जीकृत करके विवेचना की गयी । विवेचना से ज्ञात हुआ कि सम्पूर्ण प्रकरण दीवानी वाद से सम्बन्धित है और सम्प्रति न्यायालय के विचाराधीन है । अतः विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट लगा दी गयी । चूंकि मामला दीवानी वाद से सम्बन्धित पाया गया अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

59—श्री राज किशोर सिंह—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मेरठ की श्रीमती सरस्वती देवी बेवा भारत भूषण निवासी 115 पुर्वा शेखलाल की सम्पत्ति कतिपय सरकश गिरोह बन्द तस्करों द्वारा हड़पने के सम्बन्ध में कार्यवाही

60—श्री राम संजीवन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्रीमती सरस्वती देवी बेवा भारत भूषण निवासी 115 पुर्वा शेखलाल, मेरठ ने दिनांक 28 जून, 1986 से 16 मार्च, 1988 तक लगातार

कई बार जिलाधिकारी, मेरठ व मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्रार्थना-पत्र देकर शिकायत की है कि कुछ सरकश विरोह बन्द तस्कर स्थानीय अधिकारियों से सांठगांठ करके उनका मकान व जमीनें नाजायज तरीके से हड़प रहे हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या प्रभावी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

श्रीमती सरस्वती देवी विवादित मकान नं0 145 नया 117 पुर्वा शेखलाल, जनपद मेरठ के सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र देती रही हैं। जांच से पाया गया कि उक्त मकान का आधा हिस्सा श्रीमती परसन्दो देवी व शेष आधा हिस्सा श्री प्रेमचन्द का था। श्रीमती परसन्दो देवी ने अपने हिस्से के मकान का इकरार-नामा श्रीमती सरस्वती देवी को दिनांक 16 जनवरी, 1986 को एक लाख रुपये में देने के लिए किया था, परन्तु इकरारनामें की शर्तें पूरी न होने के कारण श्रीमती परसन्दो देवी व उनके लड़के सर्वश्री मंगलचन्द व जय भगवान ने अपने मकान के हिस्से का बैनामा दिनांक 12 नवम्बर 1986 को चौबीस हजार रुपये में डा0 रेनू गुप्ता के नाम कर दिया और उन्हें मकान का खाली कब्जा दे दिया। शेष आधे हिस्से का बैनामा श्री प्रेमचन्द द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 1986 को डा0 रेनू गुप्ता को चौबीस हजार रुपये में बेचकर कब्जा दे दिया गया। इस प्रकार पूरे मकान की मालिक डा0 रेनू गुप्ता हो गयी हैं।

उक्त विवादित मकान के विषय में दिनांक 31 जुलाई, 1988 को धारा 145/146 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की रिपोर्ट थाना सिविल लाइन मेरठ द्वारा की गयी तथा अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय द्वारा धारा 145/146 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही उक्त विवादित मकान के बारे में किए जाने के आदेश दिए गए थे, परन्तु प्रतिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में जिला न्यायाधीश के यहां से स्थगन आदेश ले लिया गया तथा कार्यवाही प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के यहां स्थानान्तरित करने के आदेश दिये गए।

दोनों ही पक्षों के मामले दीवानी न्यायालय में विचाराधीन हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस स्तर से कोई कार्यवाही किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

## जनपद पीलीभीत के थानाध्यक्ष हजारा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

61—श्री धनराज यादव—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेगी कि थानाध्यक्ष हजारा, जनपद पीलीभीत के स्थानान्तरण, शिकायतों की जांच से सम्बन्धित श्री कृष्ण कुमार सिंह, निवासी ग्राम-पोस्ट-मोरयनियां गांधीनगर ब्लाक नं0-3 सम्पूर्णानगर, थाना-हजारा जनपद पीलीभीत का प्रार्थना-पत्र दिनांक 10 अक्तूबर, 1988 शासन व पुलिस महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या अपेक्षित आदेश पारित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां।

प्रार्थना-पत्र में थानाध्यक्ष हजारा जनपद पीलीभीत श्री एस0 के0 शर्मा के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच कराई गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

## जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम रसीद कनेटा में जमींदारी प्रथा समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

62--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम रसीदपुर कनेटा में आज भी जमींदारी प्रथा मौजूद है और क्या यह सत्य है कि भारत स्टोर नामक संस्था इसकी जमींदार है ? यदि हां, तो जमींदारी विनाश कानून के अन्तर्गत इसकी जमींदारी को अब तक समाप्त न करने का क्या कारण है ? क्या शासन जमींदारी समाप्त करने हेतु अविलम्ब कदम उठायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन को यह भी जानकारी है कि रसीदपुर कनेटा के ग्राम्यवासियों ने कोई आवेदन-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 22 अगस्त, 1988 के साथ शासन को दिया है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री माता प्रसाद--

जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद स्थित ग्राम रसीदपुर कनेटा में विधिक रूप से जमींदारी समाप्त की जा चुकी है, किन्तु मेसर्स भारत स्टोर्स लिमिटेड द्वारा मध्यवर्ती के रूप में धृत 1229 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर जमींदारी समाप्त करने से सम्बन्धित परिणाम कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं कि प्रश्नगत भूमि पर जमींदारी समाप्त करने से सम्बन्धित परिणामी कार्यवाही का सम्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें और अब तक जमींदारी प्रथा कायम रखने के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करके उसके परिणाम से भी शासन को अवगत करायें। प्रश्नकर्ता से एतद्विषयक प्राप्त पूर्व संदर्भ पर इस प्रकार शासन द्वारा यथोचित कदम उठाय जा चुके हैं।

## जनपद आगरा के थाना शमसाबाद को पुलिस द्वारा कतिपय लोगों की पिटाई एवं वर्ज रिपोर्ट जांच

63--श्री रघवर दयाल वर्मा--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के थाना शमसाबाद की पुलिस ने दिनांक 11/12 अगस्त, 1988 को 3 बजे रात अकारण बिना किसी वारन्ट के मुरारी लाल पुत्र श्री सीताराम, रामजी लाल पुत्र श्री सीता राम, आदि राम पुत्र श्री सीता राम के मकान पर धावा बोला और उनके भाई रामजी लाल, आदि राम को मारा पीटा मकान खोलवाकर उसकी वृद्ध मां राधा देवी बहन श्यामा देवी और उनकी बहुओं का पुलिस ने जेवर लूटा, मारा पीटा और मुरारीलाल को पकड़कर थाना ले गये ? यदि हां, तो इस घटना की रिपोर्ट दिनांक 12 अगस्त, 1988 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को की गयी थी ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12-8-88 को थानाध्यक्ष शमसाबाद पुलिस बल सहित डकैती आदि अपराधों से संबंधित अभियुक्तों व माल की तलाश में ग्राम बडोवरा में थे। उसी समय उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि मुरारी पुत्र श्री सीताराम के मकान पर कुछ बदमाश हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मय फोर्स मुरारी के मकान पर पहुंचे तो उन्होंने मुरारी के मकान के छप्पर के नीचे पांच आदमियों को बैठे देखा तथा

उन्हें टोका जिस पर मुरारी ने अपने तमंचे से पुलिस पर फायर किया। मुरारी को पुलिस द्वारा मौके पर गिरफ्तार कर उसका तमंचा अपने कब्जे में कर लिया गया। अभियुक्त को थाने ले जाते समय ग्राम के 40-50 आदमियों ने एकत्रित होकर उसे छुड़ाने के लिये पुलिस पर हमला किया जिससे थानाध्यक्ष एवं पुलिस के कुछ लोगों को चोटें आयीं। इस घटना के संबंध में अभियुक्त मुरारी के विरुद्ध धारा 25 आर्म्स ऐक्ट एवं 307 भा0 द0 वि0 का अपराध पंजीकृत हुआ एवं मुरारी एवं अन्य हमला करने वालों के विरुद्ध धारा 147/148/149/225/511/332/353, भा0 द0 वि0 का अभियोग थाना निबोरा पर पंजीकृत हुआ। इन अभियोगों की विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किये गये, जो विचाराधीन न्यायालय में पुलिस के विरुद्ध लगाये गये अन्य आरोप सही नहीं पाये गये।

दिनांक 12-8-88 को इस घटना के सम्बन्ध में श्री पोथू पुत्र श्री राम सहाय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा को शिकायती-पत्र दिया था शिकायती-पत्र में अंकित आरोपों की जांच से पुष्टि नहीं हुई।

## रजिस्ट्रार कानूनगो को नायब तहसीलदार के पद पर नियमानुसार प्रोन्नति की कार्यवाही

64--श्री पूरन सिंह माहरा--

क्या राजस्व मंत्री जी को जानकारी है कि कि उप सचिव, उ0 प्र0 शासन लखनऊ द्वारा सचिव राजस्व परिषद् उ0 प्र0 अनुभाग-3 लखनऊ के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 7920/3 व न त-80/83, दिनांक 9-2-1984 तथा पत्र संख्या डी-834/3-टी एन टी-280-83, दिनांक 29-8-84 को एक पत्र रजिस्ट्रार कानूनगो को नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नत करने के सम्बंध में दिया गया था? यदि हां, तो परिषद् द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सच है कि गढ़वाल मण्डल के पौड़ी जनपद में रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमानुसार शासनादेश के बावजूद भी आज तक प्रोन्नत नहीं किया गया है? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नत कब तक कर दी जायेगी?

श्री माता प्रसाद--

जी नहीं। शासन द्वारा रजिस्ट्रार कानूनगो सेवा के कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति की पात्रता क्षेत्र में लाने का निर्णय लिया गया है किन्तु नायब तहसीलदार सेवा नियमावली में उक्त निर्णय के अनुसार संशोधन विचाराधीन होने के कारण उनकी प्रोन्नति करने के आदेश नहीं दिये गये हैं। नियमावली में संशोधन के उपरान्त ही नियमानुसार उनकी प्रोन्नति की कार्यवाही सम्भव होगी।

## उ0 प्र0 सचिवालय में अनुसूचित जाति/जनजाति के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तृतीय श्रेणी में आरक्षण की मांग

65--श्री मोहम्मद रिजवानुल हक--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सचिवालय के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति करते समय नियमानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित पदों को पूरा कर लिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? क्या यह सही है कि वर्ष 1986 में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति की गयी है? यदि हां तो उसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित कितने पद भरे गये? कब तक आरक्षित रिक्त स्थान को भर लिया जायेगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अनुसूचित जाति/जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया जा सका। यह सही है कि वर्ष 1986 में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति की गयी है। संगत परीक्षा में अनुसूचित जाति/जनजाति के 9 अभ्यर्थी ही सफल हो पाये थे जिनसे केवल 9 पद भरे गये। शासन द्वारा सचिवालय के टंकक के पद समाप्त कर दिये गये हैं, अतः अब स्थान भरे जाने का प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद बस्ती की तहसील बांसी तथा कोड़री के ग्राम निहेलवा में बंजर भूमि पर अनाधिकार कब्जा

66—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के तहसील बांसी तथा कोड़री के ग्राम निहेलवा में बंजर भूमि पर अनाधिकार कब्जे के आरोप में कितने मुकदमें तहसीलवार बांसी के न्यायालय में विचाराधीन हैं? मुकदमें कब-कब कायम हुए? क्या यह सच है कि इसी ग्राम में बंजर जमीन पर अनाधिकार कब्जा करने वाले किसी भट्ठा चालक पर धारा 47 का भी मुकदमा तहसील कार्यालय द्वारा कायम कराया गया है? यदि हां, तो संबंधित जमीन पर कब्जा किसका है?

श्री माता प्रसाद—

इस समय प्रश्नगत ग्राम की बंजर भूमि पर अनाधिकार कब्जे से सम्बन्धित कोई वाद तहसीलवार के न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

जी, हां।

प्रश्नगत भूमि से भट्ठा मालिक को बेदखल कर दिया गया था परन्तु उसने पुनः कब्जा करना प्रारम्भ किया जिसके फलस्वरूप उसके विरुद्ध धारा 447, आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया जो सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

## जनपद वाराणसी के थाना सुरियावां के ग्राम घटमापुर में यादव के घर पड़ी डकैती से सम्बन्धित कार्यवाही

67—श्री मूलचन्द—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम घटमापुर, थाना सुरियावां, जनपद वाराणसी में दिनांक 7-11-1982 को यादव के घर डकैती व हुविया देवी के कत्ल की घटना हुई है, यदि हां, तो उसमें क्या मुल्जिम पकड़े गये और कोई कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना दिनांक 7-11-1982 को नहीं वरन् 8/9-11-1982 की रात्रि को हुई थी। घटना के सम्बन्ध में थाना सुरियावां पर पंजीकृत अभियोग की विवेचना में प्रकाश में आए 9 अभियुक्तों में से 5 को बन्दी बनाया गया तथा 4 ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। सभी अभियुक्त कार्यवाही शिनाख्त में न पहचाने जाने के कारण धारा 169 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत मुक्त हो गए। अतः विवेचनोपरान्त दिनांक 17-2-1983 को अंतिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गई।

## जिला कारागार फैजाबाद में जेलर की नियुक्ति की मांग

68—श्री पारस नाथ यादव—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कारागार, फैजाबाद में जेलर का स्थान काफी दिनों से रिक्त है ? यदि हां, तो क्यों तथा जेलर की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

जेल एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री (श्री मान पाल सिंह)—

जी हां।

जिला कारागार फैजाबाद के जेलर की मृत्यु दिनांक 31-1-1988 को हो जाने के कारण पद रिक्त हो गया था। दिनांक 6-9-1988 को श्री चुन्नी लाल, कारापाल का फैजाबाद के लिए स्थानान्तरण किया गया था परन्तु यू0 पी0 जेल्स एसोसियशन के दिनांक 4/5 अक्टूबर, 1988 को आयोजित वार्षिक अधिवेशन के परिपेक्ष्य में उनका स्थानांतरण स्थगित कर दिया गया। तत्पश्चात् कारागार महानिरीक्षक द्वारा श्री एच0 एन0 मिश्रा, कारापाल का स्थानांतरण दिनांक 16 नवम्बर, 1988 को किया गया परन्तु उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए उनका स्थानान्तरण शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया। फैजाबाद में जेलर के पद पर शीघ्र व्यवस्था करने हेतु कारागार महानिरीक्षक को निर्देशित किया गया है।

## जनपद हरदोई के श्री राम गोपाल मिश्रा, एडवोकेट की विवाह अधिकारी के पद पर की गई नियुक्ति का निरस्तीकरण

69—श्री राजेन्द्र सिंह (फर्रुखाबाद)—

क्या न्याय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम गोपाल मिश्रा, एडवोकेट, विवाह अधिकारी, जनपद हरदोई, जिला कांग्रेस कमेटी (इ) के उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए भी उनकी नियुक्ति एक वर्ष के लिये अप्रैल, 86 में उक्त पद पर हुई थी और वह दोनों पदों पर आज तक कार्यरत हैं जबकि उनका कार्यकाल अप्रैल, 87 में ही समाप्त हो गया था ? क्या यह सही है कि विवाह अधिकारी का पद धारा 9 व 17 विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत न्यायिक माना गया है और राजनैतिक दल से सम्बन्धित कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं हैं ? यदि हां, तो श्री मिश्र की उक्त पद पर नियुक्ति का क्या औचित्य है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री राम गोपाल मिश्र, एडवोकेट की नियुक्ति विवाह अधिकारी, जनपद हरदोई के पद पर अधिसूचना संख्या 167/सात-अ0 न्या0-583/77, दिनांक 21 अप्रैल, 1986 के द्वारा उक्त अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से एक वर्ष के लिये की गई थी। उक्त अधिसूचना दिनांक 4 अक्तूबर, 1986 को प्रकाशित हुई थी। इस प्रकार उनका कार्यकाल दिनांक 3-10-1987 तक था।

इसके पूर्व श्री राम गोपाल मिश्र, उपाध्यक्ष हरदोई, जिला कांग्रेस कमेटी (ई) के पद पर दिनांक 22-1-1986 तक रहे। यह सही है कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्राविधानों के अन्तर्गत विवाह अधिकारी का पद न्यायिक है, परन्तु विवाह अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त वे किसी राजनैतिक दल के पदाधिकारी नहीं रहे। अतः विवाह अधिकारी, हरदोई के पद पर नियुक्त होने के लिये वे

पात्र थे । श्री राम गोपाल मिश्र, विवाह अधिकारी, जनपद हरदोई की नियुक्ति अधिसूचना संख्या 5172/सात-अ0 न्या0-583/77, दिनांक 25-11-1988 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी गयी है ।

70---श्री राज किशोर सिंह--

[7 वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद वाराणसी के थाना बड़ागांव के ग्राम नामापुर निवासी श्रीराम पुत्र श्री शिवहरख को आर्थिक सहायता

71---श्री राज किशोर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के उत्तर में श्री अजय कुमार जोशी, राहत आयुक्त एवं विशेष सचिव के अर्ध शा0 प0 सं0 61291/87-36/87 राजस्व अनुभाग-10, दिनांक 19 अगस्त, 1987 में दिये गये निर्देश के अनुसार श्रीराम पुत्र श्री शिवहरख, निवासी ग्राम नामापुर, थाना बड़ागांव, तहसील व जिला वाराणसी को अग्निकाण्ड में हुई क्षति के लिये पर्याप्त राहत सहायता प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां । अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्ति को उनकी पत्नी की मृत्यु के फलस्वरूप 5,000 रुपये की अनुग्रह सहायता तथा 200 रुपये गृह निर्माण अनुदान दिनांक 28 फरवरी, 1989 को प्रदान कर दिया गया है ।

72---श्री यदुनाथ सिंह--

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड तीन में फर्म केदार नाथ आजाब कुमार से बिक्रीकर बकाया से अधिक वसूलने पर कृत कार्यवाही

73---श्री यदुनाथ सिंह---

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 5वें मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 115 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 460 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 2 मई, 1988 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रश्न में सन्दर्भित पत्र पूर्व प्रश्न संख्या 195 विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 7वें मंगलवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के रूप में निर्धारित हुआ था, जिसका उत्तर यदि दिया गया था कि माननीय सदस्य का पत्र संख्या 2097 उपलब्ध नहीं हो रहा है और उसकी प्रति माननीय सदस्य से मांगी गयी है, जिसके प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । प्रश्नगत पत्र किसी अन्य अनुभाग में पहुंचा था, न कि उस अनुभाग में जहां प्रश्न पहुंचा था और इसी कारण प्रश्न प्राप्त करने वाले अनुभाग द्वारा माननीय सदस्य से उसकी प्रति मांगी गयी थी । माननीय सदस्य के पत्र संख्या 460 में इसी सन्दर्भ में कहा गया कि प्रश्न संख्या 81 का सही उत्तर दिया जाय और गलत उत्तर तैयार कराने के लिए दोषी अधिकारियों को दण्डित

किया जाय। ऊपर वर्णित स्थिति में प्रश्न का उत्तर पूर्णतः सही नहीं होते हुए भी गलत नहीं कहा जा सकता है फलतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी।

जहां तक मूल पत्र में उठाये गये मामलों का सम्बन्ध है, होजरी और रेडीमेड वस्त्रों की नुमाइशें अक्सर होती रहती हैं किन्तु व्यापारियों द्वारा सामान्य रूप से सर्वेक्षण का प्रतिरोध किये जाने के कारण इनका प्रभावी सर्वेक्षण सम्भव नहीं हो पाता। फिर भी जहां तक सम्भव हो सका है, जून, 1934 से 31 मार्च, 1985 तक की अवधि में लखनऊ और कानपुर में लगी कुल 21 नुमाइशों में से 14 नुमाइशों का सर्वेक्षण किया गया और तीन नुमाइश व्यापारियों ने पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र दिया, 5 व्यापारियों पर पंजीयन न कराये जाने के कारण अर्थदण्ड की कार्यवाही की गयी और शेष पर ऐसी कार्यवाही की जा रही है। कुल 39,850.00 रु0 कर तथा 15,000.00 रु0 अर्थदण्ड आरोपित किया गया, जिसमें से लगभग 5,712.00 रु0 वसूल हुआ और शेष की वसूली प्रतीक्षित है।

74—श्री यदुनाथ सिंह—

[विस्तीर्ण एवं सीमित महत्व का होने के कारण निरस्त।]

## विक्रीकर अधिकारी (श्री वी0 के0 अग्रवाल) के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

75—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि एक विक्रीकर अधिकारी (श्री वी0 के0 अग्रवाल) के विरुद्ध शिकायती-पत्र संख्या 598 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 2 मई, 1986 को मिला है और इस पत्र को श्री नूर मुहम्मद, संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री ने पत्र संख्या सी0 एम0 (वि0 को0)-1-व/96/93/86, दिनांक 6 मई, 1986 द्वारा सचिव संस्थागत के पास यथोचित कार्यवाही हेतु भिजवा दिया था? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। माननीय सदस्य द्वारा अपने पत्र में श्री वी0 के0 अग्रवाल, विक्रीकर अधिकारी के सम्बन्ध में उनकी चल-अचल सम्पत्ति की विस्तृत जानकारी चाही गयी है। चूंकि अधिकारी की परिसम्पत्ति के बिन्दु पर भी जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने अथवा न करने के सम्बन्ध में विचार किया जायगा। इन्हें दिनांक 12 नवम्बर, 1987 से अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया जा चुका है।

## प्रदेश में राजस्व विभाग के संग्रह अमीनों का नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति की कार्यवाही

76—श्री पारस नाथ यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1987 में तैयार की गयी राजस्व विभाग के संग्रह अमीनों की प्रदेश स्तर की सीनियारिटी लिस्ट के अनुसार कितने क्रम संख्या तक संग्रह अमीनों की प्रोन्नति नायब तहसीलदार के पद पर चुकी है और कि अभी अवशेष हैं?

श्री माता प्रसाद--

वर्ष 1987 में प्रदेश स्तर की संग्रह अमीनों की कोई कोटिक्रम सूची परिषद् द्वारा तैयार नहीं की गयी। वर्ष 1988 में कोटिक्रम/पात्रता सूची तैयार की गयी। नायब तहसीलदार सेवा नियमावली के नियम 17 के अनुसार नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन ज्येष्ठता के आधार पर नहीं वरन् मेरिट के आधार पर किया जाता है। इस आधार पर वर्ष 1988 में तैयार की गयी कोटिक्रम/पात्रता सूची के 214 संग्रह अमीनों की नायब तहसीलदार के पद पर तदर्थ रूप के प्रोन्नति दी गयी है और 477 संग्रह अमीन प्रोन्नति हेतु शेष हैं।

## जनपद मुरादाबाद में सहकारी गन्ना समिति, बिलारी के सात साल से अधिक समय से कार्यरत लिपिक/कैशियर/एकाउन्टेन्ट के स्थानान्तरण की मांग

77--श्री अर्जुन सिंह यादव--

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना समिति, बिलारी, जनपद मुरादाबाद में कितने ऐसे लिपिक/कैशियर/एकाउन्टेन्ट हैं, जिन्हें जनपद मुरादाबाद में ही कार्य करते 7 वर्ष से अधिक हो गया है? क्या उनका स्थानान्तरण जनपद के बाहर करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, बिलारी जनपद मुरादाबाद में केवल तीन लिपिक सात साल से अधिक समय से कार्यरत हैं। सेवा नियमावली में समिति लिपिकों पर एक ही जनपद में कार्यरत रहने की कोई समय सीमा नहीं है।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद हमीरपुर के राठ तहसील केन्द्र पर बाढ़ शरणालय भवन को मुंसिफ न्यायालय हेतु उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी कथित पत्र

78--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का हमीरपुर जिले के राठ तहसील केन्द्र पर मुंसिफ न्यायालय हेतु बाढ़ शरणालय का रिक्त पड़ा भवन उपलब्ध कराने के मुख्य मन्त्री के द्वारा उपचुनाव के समय दिये गये मौखिक आदेश का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या 113/भाजपा/1988, दिनांक 22 मार्च, 1988 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा बाढ़ शरणालय भवन राठ (हमीरपुर) मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय हेतु कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा?

श्री माता प्रसाद--

जी नहीं, प्रश्न में संदर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में पत्रकारों को बन्दी बनाये जाने से पूर्व शासन की स्वीकृति सम्बन्धी कथित आदेश

79--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जून, 1987 में ऐसा कोई आदेश या किसी आदेश अनुस्मारक लिखित या मौखिक रूप से दिया था कि

प्रदेश के किसी पत्रकार को किसी अपराधिक प्रकरण में बन्दी बनाने से पूर्व शासन से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ? यदि हां, तो क्या इस आदेश का पालन हो रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पत्रकार संगठन द्वारा निःशुल्क चिकित्सा, बस यात्रा सुविधा की मांग

80--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को विभिन्न पत्रकारों, पत्रकार संगठनों द्वारा ग्रामीण कस्बाई पत्रकारों को भी मण्डल स्तरीय का या अन्य किसी प्रकार की प्रेस मान्यता दिये जाने तथा उन्हें भी निःशुल्क चिकित्सा, बस यात्रा सुविधा आदि दिये जाने सम्बन्धी मांग-पत्र प्रस्ताव हुआ है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नरेन्द्र चन्द्र--

जी हां ।

वर्तमान प्रेस मान्यता नियमों के अन्तर्गत सम्भव नहीं है ।

जनपद जालौन के कोंच थाने के क्षेत्राधिकारी तथा प्रभारी निरीक्षक पुलिस के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच की मांग

81--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सितम्बर, 1987 के अंतिम सप्ताह में जालौन जिले के कोंच थाने में वहां के क्षेत्राधिकारी तथा प्रभारी निरीक्षक पुलिस आदि के विरुद्ध जिलाधिकारी के आदेश से धारा 307 के अन्तर्गत जो मुकदमा कायम हुआ था उसकी विवेचना सी0 आई0 डी0 से कराये जाने की मांग करने वाले विपक्ष एवं इंका विधायकों के कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोंडा की तहसील कर्नलगंज, परगना ग्वारिच, ग्राम परसपुर के निवासी मृतक द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री रामअधीन के आश्रितों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाना

82--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री राम अधीन, निवासी परसपुर, परगना ग्वारिच, तहसील कर्नलगंज, जिला गोंडा को मृत्यु हुये लगभग 8 साल हो गये परन्तु राजस्व अभिलेखों म मृतक के पुत्रों के नाम अभी तक दर्ज नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

ग्राम परसपुर, परगना ग्वारिच, तहसील कर्नलगंज, जिला गोंडा में मृतक द्वारिका प्रसाद पुत्र राम अधीन के नाम अंकित खातों पर उसके पुत्रगण सर्वश्री विन्द मास्कर,

चन्द्र विवाकर व श्याम प्रभाकर के नाम उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज किए जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ में कार्यालय भवनों का किराया निर्धारण का मानक आधार

83—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्रों विशेष कर सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में मुख्यालय का ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी अर्धसरकारी कार्यालयों के लिए किराये के भवनों की दर तद्समय के बाजार भाव से न्यूनतम होता है । इस कारण भवनपतियों को आर्थिक हानि होती है ? यदि हां, तो संयुक्त सचिव राजस्व अनुभाग 5 विधान भवन के अ0 शा0 प0 सं0 17-2(16)/87-516-राजस्व-5 लखनऊ, दिनांक 8 मार्च, 1988 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी को क्या-क्या निदेश दिये गये हैं ? इन क्षेत्रों में अब किराये की दरों का निर्धारण किन-किन मानकों के आधार पर किया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद—

प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 8 मार्च, 1988 द्वारा जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को यह निर्देश भेजे गये थे कि भवनों के किराये में वृद्धि विषय में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये और यदि इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई हो तो विस्तृत आख्या शासन को भेजी जाय ।

किराये की दरों के निर्धारण का मामला शासन के वित्त विभाग में विचाराधीन है ।

84—श्री काशी सिंह ऐरी—

[दो विभागों से सम्बधित होने के कारण निरस्त]

85—श्री काशी सिंह ऐरी—

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

86—डा0 दिनेश जौहरी—

[दिनांक 14 फरवरी, 1989 को अता0 प्र0 सं0 105 द्वारा उत्तरित]

जनपद बरेली के ग्राम फिरोजपुर थानाशाही के निवासी आबिद हुसैन के परिवार को पुलिस द्वारा उत्पीड़ित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

87—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या मुख्य मंत्री को अगस्त, 1988 के अंतिम सप्ताह में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जो ग्राम फिरोजपुर थानाशाही जनपद बरेली निवासी आबिद हुसैन व उनके परिवार के सदस्यों को पिछले 7 महीनों से पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां।

मामले में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

88--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[8वें मंगलवार के लिये स्थगित]

हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में श्री मित्रसेन, स0 वि0 स0 के पत्र पर कार्यवाही

89--श्री मित्रसेन--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री विनय मोहन मधुबाल संयुक्त सचिव गृह द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 22 अक्तूबर, 1988 के संदर्भ में भेजे गये अर्ध शा0प0 सं0 ऐम0 एल0 द0 934/88-गो0-7, गोपन अनुभाग 7, लखनऊ, दिनांक 30 नवम्बर, 1988 के परिप्रेक्ष्य में क्या कार्यवाही की गई और मामले अर्थात् हरिजन उत्पीड़न की गम्भीर घटना की जांच किस अधिकारी से कराई गई और मुख्य-मुख्य शिकायती बिन्दु पर जांच आख्या क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

प्रश्नगत प्रकरण में जांच परगनाधिकारी मुसाफिरखाना और पुलिस उपाधीक्षक, मुसाफिरखाना द्वारा संयुक्त रूप से करायी गई।

मुख्य बिन्दुओं पर जांच आख्या निम्नवत् है :--

एक--प्रार्थी ग्राम प्रधान के चुनाव में समझाने-बुझाने से बैठा था न कि उसे पर्चा दाखिल करने से मना किया गया। थैली से 540 रु0 नकद निकालने की बात असत्य पायी गई।

दो--प्रार्थी के विरोधियों के पास लाइसेंसी बन्दूक व पिस्तौल तो है किन्तु डराने धमकाने की बात निराधार पायी गई।

तीन--ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे की बात झूठी पायी गई। प्रार्थना-पत्र बहकावे में आकर दिया गया था।

जनपद फैजाबाद के नामांकित अभियुक्त श्री चन्द्रमणि तिवारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही

90--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना कैंट, जनपद फैजाबाद में अपराध संख्या 477/88, धारा 452/323 के नामांकित अभियुक्त श्री चन्द्रमणि तिवारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

कान्स0 चन्द्रमणि तिवारी के विरुद्ध विवेचना अभी प्रचलित है। विवेचनोपरान्त ही उसके विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

91--श्री राम आसरे वर्मा--

[6 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

## सेल्स टैक्स के बकाये की वसूली

92--श्री अमिताभ अनिल दूबे--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेल्स टैक्स की कुल कितनी रकम पिछले तीन वर्षों से वसूल होनी बाकी है ? 10 लाख तथा उससे ऊपर के बकायादार कौन हैं ? वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

पिछले तीन वर्षों की बिक्रीकर की बकाया निम्न प्रकार है :

| वर्ष | धनराशि करोड़ रुपयों में |
|---|---|
| | रु0 |
| 1 अप्रैल, 1986 को कुल बकाया | 501·98 |
| 1 अप्रैल, 1987 को कुल बकाया | 638·06 |
| 1 अप्रैल, 1988 को कुल बकाया | 783·69 |

उपलब्ध सूचना आधार पर दस लाख से ऊपर के बकायेदारों की संख्या 284 है जिनकी सूची संलग्न है ।

बकायेदारों की संलग्न सूची† में प्रत्येक व्यापारी के विरुद्ध बकाये की वसूली के संबंध में की जा रही कार्यवाही का उल्लेख कर दिया गया है ।

## ब्लाक रसड़ा में सिनेमा हाल घर एवं बेनिया बांध में हुई हत्याओं के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

93--श्री हरदेव--

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि रसड़ा कस्बा में तथा ब्लाक रसड़ा में वर्ष 1987-88 में सिनेमा हाल घर एवं बनिया बांध में किन-किन व्यक्तियों का कत्ल किया गया और उसमें कौन-कौन मुल्जिम थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह भी सच है कि इस कत्ल में उ0 प्र0 पुलिस हरिजन सेल द्वारा जांच 1987-88 में की गई थी ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 1 अक्तूबर, 1987 को कस्बा रसड़ा के सरजू चित्र मंदिर परिसर में सर्वश्री राणा प्रताप सिंह व सत्येन्द्र उर्फ मुन्ना की हुई हत्या के संबंध में थाना रसड़ा में 3 नामजद अभियुक्तों (1) विजय बहादुर सिंह (2) श्रीनाथ सिंह व (3) श्री विलास यादव के विरुद्ध एक अभियोग धारा 302/307 भा0 द0 वि0 तथा दिनांक 20 नवम्बर, 1987 को बेनिया बांध थाना रसड़ा, जनपद बलिया में श्री गुलाब

† छपा नहीं गया ।

मुसहर की हुई हत्या के संबंध में थाना रसड़ा पर 3 नामजद अभियुक्तों (1) मानू प्रताप सिंह (2) बदन सिंह व (3) हरेन्द्र सिंह उर्फ कैलाश सिंह के विरुद्ध एक अभियोग धारा 302, 342, 323 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किए गए। विवेचनापरान्त दोनों अभियोगों में क्रमशः दिनांक 29 अक्तूबर 1987 व 3 दिसम्बर, 1987 आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किए जा चुके हैं। गुलाब मुसहर से संबंधित मामले की जांच विशेष जांच द्वारा की गई थी और कोई पुलिसकर्मी दोषी नहीं पाया गया, अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद जालौन के कोंच नगर में बमों के अवैध निर्माण के विरुद्ध कृत कार्यवाही तथा अन्य विवरण

94—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या गृह मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि 1 मई, 1986 से 30 अप्रैल, 1987 की अवधि के बीच जालौन जिले के जालौन नगर और कोंच नगर में अवैध बम निर्माण संग्रह केन्द्रों में बम विस्फोट और कुछ लोगों के मारे जाने की घटनायें हुई हैं? यदि हुई हैं तो उनका विवरण और कृत कार्यवाही के साथ-साथ यह जानकारी देने का भी कष्ट करेंगे कि इस अवधि में जालौन और कोंच कोतवाली में इन्सपेक्टर पद पर कौन सा पुलिस अधिकारी कार्य कर रहा था?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

## जनपद फैजाबाद के सेवा निवृत श्री लईक अहमद किदवई के जी0 पी0 एफ0 का भुगतान

95—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री लईक अहमद किदवई, संग्रह अमीन तहसील टाण्डा, जनपद फैजाबाद 31 दिसम्बर, सन् 1987 में सेवा निवृत कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या श्री लईक अहमद किदवई का जी0 पी0 एफ0 एकाउन्ट का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री माता प्रसाद—

जी हां।

जी नहीं।

जी0 पी0 एफ0 के भुगतान हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जिसे शीघ्र जारी कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

96—श्री यदुनाथ सिंह—

[6वें मंगलवार के लिए स्थगित]

## जनपद फैजाबाद के थाना इनायतपुर के ग्राम अलीपुर खजुरी में हुई हत्या के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

97—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मन्त्री कृपया बताएंगे कि अ0 सं0 220/87 अन्तर्गत धारा 147/148/149/302, दिनांक 10 जुलाई, 1987 ग्राम अलीपुर खजुरी थाना इनायतपुर, फैजाबाद

की घटित हत्या सम्बन्धी गम्भीर घटना में क्या कार्यवाही की जा रही है ? अभी तक अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत न किए जाने का क्या कारण है ? उक्त दिन दहाड़े घटित घटना की जांच अपराध अनुसंधान शाखा को दिए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त घटना की समयबद्ध जांच कराकर अभियुक्तों को दण्डित कराने की शीघ्र कार्यवाही करायेगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

प्रश्नगत अभियोग में नामित 5 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र, दिनांक 27 सितम्बर, 1988 को न्यायालय में प्रेषित किया गया । शेष नामित एक अभियुक्त की नामजदगी सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 के चेक-अप रिपोर्ट के आधार पर गलत पायी गयी । प्रकाश में आये एक अभियुक्त की हत्या कर दी गयी है, दो अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना प्रचालित है, जिसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करके अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

इस मुकदमें के विपक्षियों के इस अनुरोध पर कि स्थानीय पुलिस निष्पक्षता से मामले की विवेचना नहीं करेगी, निष्पक्ष जांच एवं मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने इस घटना का चेक-अप सी0 आई0 डी0 से कराने के आदेश दिये दिये थे, इसलिये अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित करने में विलम्ब हुआ है ।

## जिला स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों को रेलवे कूपन (यात्रा सुविधा) की सुविधा

98--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सूचना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों को रेलवे कूपन (यात्रा सुविधा) दिये जाने हेतु कोई प्रकरण शासन में विचाराधीन है ?

श्री नरेश चन्द्र--

जी नहीं ।

## जनपद हरदोई के जिला गन्ना अधिकारी द्वारा वसूली स्टाफ से सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन आदि बकाये का भुगतान

99--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के जिला गन्ना अधिकारी द्वारा वसूली स्टाफ से सम्बन्धित कर्मचारियों को अगस्त, 1986 से अब तक वेतन भत्तों का नियमित भुगतान किया जाता रहा है ? यदि नहीं, तो इन मदों में कर्मचारियों का अब तक का कितना भुगतान बाकी है और उस भुगतान को कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जिला गन्ना अधिकारी, हरदोई के द्वारा वसूली स्टाफ से सम्बन्धित कर्मचारियों को अगस्त, 1986 से नियमित रूप से वेतन-भत्ते का भुगतान नहीं किया, जिसका भुगतान अब कर दिया गया है । माह जनवरी, 1989 तक कोई भुगतान अवशेष नहीं है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

100--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

[प्रशासनिक विषय से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

## भ्रष्टाचार निवारण समिति, झांसी द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सफेद पोश असरदार लोगों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

101—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माननीय मुख्य मन्त्री को भ्रष्टाचार निवारण समिति, झांसी द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सफेदपोश असरदार लोगों के विरुद्ध कार चोरी गिरोह से सम्बन्ध में रखने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 9 जून, 1988 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा जांच के क्या परिणाम निकले ? क्या इसकी सतर्कता विभाग से जांच कराकर परिणाम से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के संदर्भित पत्र एवं उसके साथ संलग्नक अध्यक्ष, भ्रष्टाचार निवारण समिति, झांसी के प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही हेतु पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिये गये थे । इस सम्बन्ध में कराई गई जांच से प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्नगत मामले में सतर्कता विभाग से जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

## जिला हमीरपुर कस्बा खरेला के अविवाहित श्री जीवन पुत्र उमरइया हरिजन की नसबन्दी किये जाने के सम्बन्ध में कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

102—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री जीवन पुत्र उमरइया, निवासी वार्ड 11 मुहल्ला मानिक कस्बा खरेला तहसील चरखारी, जिला हमीरपुर जो नेत्रहीन व अविवाहित गरीब हरिजन है, की तहसील कर्मचारियों द्वारा भूमि का पट्टा देने का लालच देकर नसबन्दी करा दी गई है और उसे नसबन्दी कराने के बाद पट्टा भी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार अविवाहित नेत्रहीन की नसबन्दी कराने के लिए दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि श्री जीवन पुत्र उमरइया हरिजन, जो अन्धा व अविवाहित है, की नसबन्दी दिनांक 7 मार्च, 1987 को हुई थी, जिसका प्रेरक लेखपाल खरेला था । दोषी पाये गये लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी द्वारा परगनाधिकारी को निर्देशित किया गया है ।

103—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[दिनांक 3 मार्च, 1989 को अता0 प्र0 सं0 132 द्वारा उत्तरित ।]

## गृह विभाग द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर जिप्सी जीपों की खरीद

104—श्री सरदार सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनका विभाग बिना रेट कान्ट्रेक्ट के व टेक्निकल सलाहकार की सलाह के प्रतिकूल महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा के स्थान पर जिप्सी जीप खरीद रहा है ? यदि हां, तो विभाग अब तक कितनी जिप्सी जीपें खरीद चुका है और क्यों ? क्या सरकार इन जीपों पर हुए खर्चे (रख-रखाव एवं ईंधन) का तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी नहीं । पुलिस विभाग द्वारा जिप्सी जीपों का क्रय रेट कान्ट्रेक्ट पर एवं पुलिस विभाग के तकनीकी सलाहकार तथा पुलिस परचेज कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा की जीप एवं मारुति जिप्सी जीप की उपयोगिता तथा उनके रख-रखाव एवं ईंधन पर होने वाले व्यय का तुलनात्मक विवरण संलग्न* है ।

## जनपद फैजाबाद में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा जिला योजना का स्वीकृत प्रारूप और निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलम्ब

105—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री आशोक बाजपेयी—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि जनपद फैजाबाद से वर्तमान वित्तीय वर्ष की जिला योजना का प्रारूप जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से स्वीकृत करके काफी पहले ही शासन को स्वीकृत हेतु भेजा जा चुका है, क्या यह सही है कि योजनाओं की स्वीकृति और धन के अवमुक्त किये जाने में अनावश्यक विलम्ब से निर्माण कार्यों के लागत मूल्य में भारी वृद्धि हो जाती है और कमीशन खोरी तथा भ्रष्टाचार के अवसर बढ़ जाते हैं ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और इस दूषित प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है ।

नियोजन मंत्री (श्री रघुवीर सिंह यादव)—

फैजाबाद जनपद की चालू वित्तीय वर्ष 1988-89 की जिला योजना 31 अगस्त, 1987 को शासन को प्राप्त हुई थी । जनपदों द्वारा संरचित शासन को प्राप्त जिला योजनाओं पर सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों, विभागाध्यक्षों एवं वित्त विभाग से विस्तृत विचार-विमर्श किया गया तथा जनपदवार/योजनावार परिव्यय अनुमोदित कर 19 नवम्बर, 1987 को सम्बन्धित विभागों की आय-व्ययक में प्राविधान कराने हेतु उपलब्ध करा दिया गया था ।

विभिन्न विकास योजनाओं में निर्माण कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व निम्न औपचारिकताएं पूर्ण करनी होती हैं :

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 6 के पैरा 316 के अन्तर्गत प्रशासनिक अनुमोदन,

*(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 215 पर)

(2) बजट मैनुअल के पैरा 88 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति तथा,

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 6 के पैरा 318 के अन्तर्गत प्राविधिक स्वीकृति ।

इस प्रकार विधान मण्डल द्वारा बजट पारित होने के बाद ही उपरोक्त औपचारिकताओं के साथ वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकती है ।

विकास योजनाओं को यथासमय वित्तीय स्वीकृतियां जारी हों इसके लिए सम्बन्धित विभागों के सचिवों के स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा की जाती है तथा नियोजन विभाग में त्रैमासिक रूप से विस्तृत समीक्षा की जाती है और जिला स्तर पर मंत्रि मण्डल के सदस्य की अध्यक्षता में गठित जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति त्रैमासिक रूप से तथा जिलाधिकारी की अध्यक्ष में गठित जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रतिमाह समीक्षा की जाती है । इस प्रकार प्रयास किया जाता है कि यथासमय विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त हो जाये ।

106—श्री यदुनाथ सिंह—

[दिनांक 28 फरवरी, 1989 को अता0 प्र0 सं0 5 द्वारा उत्तरित]

**फर्म औचय प्रा0 लि0, बरेली के प्रान्तीय व केन्द्रीय कर निर्धारण से राजस्व की हानि के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही**

107—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि फर्म औचय प्रा0 लि0 बरेली के प्रान्तीय व केन्द्रीय कर निर्धारण आदेश में बिक्रीकर राजस्व की हानि के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1100 मुख्य मंत्री को ता0 4 अक्तूबर, 1988 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

विचारोपरान्त कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं प्रतीत हुई ।

**फर्म भारत ट्रेडर्स एण्ड कमीशन एजेन्ट द्वारा दाखिल रिवीजन एवं स्टेट रिवीजन की सुनवाई एक साथ न होने पर शिकायती-पत्र**

108—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि फर्म भारत ट्रेडर्स एण्ड कमीशन एजेन्ट द्वारा दाखिल रिवीजन की सुनवाई के समय स्टेट रिवीजन की सुनवाई एक साथ न कराने के कारण लाखों रुपया बिक्रीकर राजस्व की हानि की जांच के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1021 मुख्य मंत्री को ता0 15 सितम्बर, 1988 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

विचारोपरान्त उस पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

## जनपद आगरा में जिला प्रशासन द्वारा लेखपालों के स्थानान्तरण तथा मुअत्तल करने विषयक कथित आदेश का अमल न किया जाना

109—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में अभी हाल में हुए ग्राम सभाओं के निर्वाचन में मतदाता सूचियों में लेखपालों द्वारा अन्तिम समय तक नियमों की अवहेलना कर उलट फेर, हेरा-फेरी शिकायतों के प्रमाणित होने पर जून, 1988 में जिला प्रशासन ने जांचोपरान्त जनपद के 16 लेखपालों के स्थानान्तरण किये तथा तीन लेखपालों को मुअत्तल भी किया ? यदि हां, तो जुलाई, 1988 तक इन लेखपालों के स्थानान्तरण पर अमल क्यों नहीं हुआ ?

श्री माता प्रसाद—

जनपद आगरा में जून व जुलाई, 1988 में 16 लेखपालों का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर एक तहसील से दूसरी तहसील में किया गया। इनमें से दो लेखपालों को जून, 1988 और 11 लेखपालों को जुलाई, 1988 में स्थानान्तरित तहसीलों में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अवमुक्त कर दिया गया। तीन लेखपाल जो निलम्बित होने के कारण कार्यमुक्त नहीं किये जा सके थे, में से 2 अवमुक्त कर दिये गये हैं और एक के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

110-111—श्री धनराज यादव—

[6वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

## जनपद मुरादाबाद, थाना भोजपुर के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

112—मोहम्मद रिजवानुल हक—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 48 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत पत्र जिस पर गृह मंत्री ने दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा कायम करने का स्पष्ट आदेश दिया था पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त पत्र का पता लगाकर न्याय दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्रश्न में उल्लिखित तथाकथित पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया। पत्र की प्रति प्राप्त करने हेतु प्रश्नकर्ता माननीय विधायक से सम्पर्क स्थापित किया गया परन्तु उनके पास कथित पत्र की प्रति होना नहीं पाई गई।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद मुरादाबाद में विकास खण्ड मूढ़ापारा के ग्राम स्योहारा के ग्राम समाज की भूमि के अवैध कब्जे के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

113—मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 21 मार्च, 1988 को ग्राम स्योहारा बीज वि0 ख0 मूढ़ापारा, जनपद मुरादाबाद की ग्राम समाज की भूमि अनियमित रूप से आवंटित कर अवैध कब्जे प्रधान द्वारा करा दिए जाने के सम्बन्ध में उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

वर्तमान प्रश्न विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के चौथे मंगलवार के लिए पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के अनुरूप है, जिसका उत्तर सदन में दिया जा चुका है। (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति *संलग्न है।)

## जनपद फर्रुखाबाद के रोडवेज डिपो में कार्यरत बस चालक श्री द्वारिका नाथ को सेवा-निवृत्त किया जाना

114—ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के रोडवेज डिपो में कार्यरत बस चालक श्री द्वारिका नाथ की सेवा-निवृत होने की तिथि 1 जुलाई, 1986 थी ? यदि हां, तो क्या उन्हें उक्त तिथि से सेवा-निवृत्त कर दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि उक्त कर्मचारी को फर्रुखाबाद के ए0 आर0 एम0 अवैधानिक तौर से अब तक सेवा में रखे हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार—

जी नहीं, श्री द्वारिका नाथ, की सेवा-निवृत्ति तिथि दिनांक 31 जुलाई, 1988 थी।

जी नहीं, अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त श्री द्वारिका नाथ को दिनांक 31 जुलाई, 1988 को सेवा-निवृत्त किया गया।

जी नहीं, अवैधानिक रूप से सेवा में बनाये रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## जनपद बाराबंकी में टिकैतनगर निवासी जैन राइस मिल मालिक से एस0 आई0 श्री राम शिरोमणि सिंह द्वारा ली गई रिश्वत की जांच

115—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30 जुलाई, 1988 को बाराबंकी जनपद के भूतपूर्व विधायक श्री अशर्फीलाल यादव ने बाराबंकी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री बी0 के0 सिंह के नाम रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक शिकायती-पत्र भेजा था जिसमें स्थानीय थाना टिकैतनगर के एस0 आई0 श्री राम शिरोमणि सिंह पर कस्बा

*(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 216 पर।)

टिकैतनगर निवासी जैन राइस मिल के मालिक श्री प्रभाष चन्द्र जैन को हवालात में रख कर डरवा धमका कर पांच हजार रुपये की घूसखोरी करने का गम्भीर आरोप लगाया गया था ? यदि हां, तो क्या उस पर अब तक कोई कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां ।

संदर्भित प्रार्थना-पत्र पर क्षेत्राधिकारी दरियाबाद द्वारा जांच कराई गई । जांच से पांच हजार रुपये घूस लेने का आरोप असत्य पाया गया, किन्तु उप निरीक्षक श्री राम शिरोमणि सिंह व कान्स0 201 सी0 पी0 राम विलास का आचरण संदिग्ध पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

## जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्राम सभा धौन पट्टी नगूण के अन्तर्गत ग्राम गोजमेर को राजस्व गांव सृजित करने की मांग

116--श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा धौन पट्टी नगूण के अन्तर्गत ग्राम गोजमेर, जि0 टिहरी गढ़वाल को राजस्व गांव सृजित करने के लिए उक्त गांव के निवासियों ने शासन से मांग की है ? यदि हां, तो अब तक शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

ग्राम गोजमेर को स्वतन्त्र राजस्व ग्राम बनाये जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में शासन द्वारा जिलाधिकारी तथा राजस्व परिषद् से पत्र व्यवहार किया जा रहा है और कतिपय बिन्दुओं पर अपेक्षित सूचना अब भी प्रतीक्षित है। शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

## जनपद टिहरी गढ़वाल में नई तहसील के पुनर्गठन की मांग

117--श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में प्रस्तावित टिहरी बांध बन जाने के बाद जनपद में स्थित तहसील का पुनर्गठन किये जाने पर शासन द्वारा विचार किया गया है ? यदि हां, तो नई तहसील के पुनर्गठन में कौन-कौन विकास खण्ड किस-किस तहसील के अन्तर्गत रहेंगे तथा उनके मुख्यालय किस-किस स्थान पर होंगे ? क्या उक्त निर्णयों के लेने में जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्गठित नवनिर्मित तहसीलों को कब तक स्थापित किया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के प्रस्ताव पर राजस्व परिषद् की आख्या एवं संस्तुति मांगी गयी है ।

## जनपद उत्तरकाशी में दो प्रधानों की पिटाई के सम्बन्ध में थाना बड़कोट की पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही

118—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10 फरवरी, 1988 को बड़कोट पुलिस ने जिला उत्तरकाशी में ट्रक में बैठे हुये दो प्रधानों को जबरदस्ती नीचे खींचकर पुलिस थाने ले जा कर उनके हाथ पैर तोड़ दिये ? यदि हां, तो उक्त प्रधानों का अपराध क्या था ? क्या उक्त प्रधानों से जिनके नाम क्रमशः श्री विजयपाल सिंह व श्री पुरुषोत्तम थे पुलिस ने उक्त तिथि को थाने में ले जा कर रु0 6880 तथा 4000 रु0 दो घड़ियां, मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट व आईडेंटिटी कार्ड व डायरी छीन ली ? यदि हां, तो क्या उक्त चीजें वापस कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पुलिस कर्मियों के खिलाफ उक्त घटना के सम्बन्ध में ज्यादतियां करने के कारण शासन जांच कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10 फरवरी, 1988 को थाना बड़कोट के पास मुख्य सड़क पर खड़े एक ट्रक ड्राइवर से दो व्यक्तियों ने उत्तरकाशी चलने की जिद की। ट्रक ड्राइवर द्वारा मना करने पर वे गाली गलौज करने लगे। इस पर थाना गेट पर खड़ा कान्स्टेबिल पहरा ने उन्हें ट्रक से उतरने को कहा, जिस पर वह गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। दोनों व्यक्ति, जिनके नाम विजयपाल सिंह (प्रधान) व पुरुषोत्तम दत्त भट्ट (प्रधान) थे, को थानाध्यक्ष व अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा पकड़ने की कोशिश पर उनमें से एक ने एक कान्स्टेबिल के सर पर पत्थर मारा, जिससे उसका सर फट गया व दूसरे दांत से हाथ पर काट लिया। उक्त दोनों को गिरफ्तार करने पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे उन्हें चोटें आयीं। दोनों को मद्य निषेध क्षेत्र में शराब के नशे में सरकारी कर्मचारियों से ड्यूटी के दौरान मारपीट करने आरोप में उनके विरुद्ध अ0 सं0 5/88 धारा 332 भा0 दं0 वि0 तथा अ0 सं0 6/88 व 7/88 धारा 60 (सी) आबकारी अधिनियम/34 पुलिस अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर पुलिस हिरासत में लिया गया।

जामा तलाशी में श्री विजयपाल सिंह के पास से रु0 1202 एक घड़ी व एक अष्टधातु की अगूठी, श्री भट्ट के पास रु0 889 मिले। ड्राइवर द्वारा एक रेक्सीन का थैला, जिसमें श्री भट्ट की लाल जिल्द की डायरी, आर्मी का सर्टीफिकेट, लीकर परमिट, मोहर व एक बटुआ, जिसमें रु0 500 की एक एन0 एम0 सी0, बैंक रसीद व कागजात दाखिल किये। दिनांक 5 मई, 1988 को उक्त सभी सामान सी0 जे0 एम0 उत्तरकाशी के आदेशों से मुल्जिमान को वापस कर दिया गया। मामले में पंजीकृत अपराध में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

मामले में पुलिस कर्मचारी अधिकारी दोषी नहीं पाये गये।

## जनपद बस्ती में सीलिंग की भूमि को भूमिहीन परिवार में वितरित किया जाना

119—श्री रजकिशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में हदबन्दी कानून के अन्तर्गत घोषित अतिरिक्त भूमि की निशानदेही तथा पैमाइश व सीमांकन का कार्य हो गया है ? यदि हां, तो तहसीलवार इस प्रकार की कितनी भूमि प्राप्त हुई है और इसमें से तहसीलवार कितनी भूमि पर विवाद चल रहा है ? क्या तहसीलवार प्राप्त विवाद रहित

सीलिंग की जमीनों का भूमिहीन परिवारों में वितरण कर कब्जा दिला दिया गया है ? यदि हां, तो प्रति परिवार को कितनी भूमि दी गयी और इस प्रकार जनपद में कितने भूमिहीन परिवार लाभान्वित हुए हैं ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां। जनपद बस्ती में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि में से 3357.01 एकड़ विवाद रहित भूमि का आवंटन कर निशानदेही तथा पैमाइश व सीमांकन कार्य पूर्ण कर आवंटियों को कब्जा दे दिया गया है। तहसीलवार अतिरिक्त घोषित भूमि, विवादग्रस्त भूमि तथा आवंटित भूमि का विवरण (एकड़ में) निम्न प्रकार है :—

| तहसील का नाम | अतिरिक्त घोषित भूमि (एकड़) | विवादग्रस्त भूमि (एकड़) | आवंटित भूमि (एकड़) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| बस्ती | 1088.42 | 453.29 | 341.01 |
| बांसी | 717.00 | 163.00 | 471.00 |
| खलीलाबाद | 453.00 | 105.43 | 337.00 |
| हरैया | 817.00 | 39.00 | 475.00 |
| नौगढ़ | 852.00 | 268.00 | 544.00 |
| डुमरियागंज | 1883.00 | 663.00 | 1189.00 |
| कुल योग .. | 5810.42 | 1691.72 | 3357.01 |

प्रति परिवार औसतन 0.76 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है और इस प्रकार 4442 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

## जनपद मिर्जापुर की तहसील राबर्ट्सगंज, ग्राम विसुन्धरी बड़हर में चकबन्दी प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्न कर्ता के पत्र पर कार्यवाही

120—श्री राजकिशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम विसुन्धरी बड़हर, तहसील राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर में की गई चकबन्दी प्रक्रिया में अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23 फरवरी, 1988 के उत्तर में उनके पत्र सं0—80 (बी0 आई0 पी0) 88, दिनांक 29 फरवरी, 1988 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गयी ? यदि हां, तो क्या मौकों का निरीक्षण कराकर शिकायतें दूर की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में जांच कराई गई थी। अनियमितताएं पाये जाने पर ग्राम की चकबन्दी योजना को दिनांक 4 जुलाई, 1988 को निरस्त कर दिया गया है।

## फर्म लक्ष्मानी ब्रिक फील्ड मन्झनपुर की द्वितीय अपील तथा स्टेट की अपील की एक साथ सुनवाई न करने तथा राजस्व हानि होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

121—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि फर्म लक्ष्मानी ब्रिक फील्ड मन्झनपुर की द्वितीय अपील के साथ स्टेट की अपील की सुनवायी न करा कर लाखों रुपया बिक्रीकर राजस्व की हानि के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–1016, मुख्य मंत्री को तारीख 15 सितम्बर, 1988 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

विचारोपरान्त उस पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं प्रतीत हुई।

## जौनपुर डिपो में चालक स्व0 श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह की आश्रिता शकुन्तला देवी की नियुक्ति तथा जी0 पी0 एफ0 का भुगतान

122—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6 सितम्बर, 1988 व 16 नवम्बर, 1988 जो स्व0 राजेन्द्र बहादुर सिंह, चालक जौनपुर डिपो परिवहन निगम की आश्रिता शकुन्तला देवी की चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति एवं जी0 पी0 एफ0, ग्रुप इन्श्योरेन्स के भुगतान आदि के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी उक्त आश्रिता की नियुक्ति एवं जी0 पी0 एफ0 आदि के भुगतान के सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करने का आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार—

प्रश्नकर्ता के उक्त पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

वाराणसी क्षेत्र में अनपढ़ या कक्षा 10 से कम पढ़े स्व0 श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह चालक से पूर्व मृतक आश्रितों की संख्या–35 है। श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह चालक का नौकरी पाने के हकदार मृतक आश्रितों में नम्बर 36 चतुर्थ श्रेणी के पदों की स्वीकृति के विरुद्ध स्थान रिक्त न होने के कारण श्रीमती शकुन्तला देवी को नौकरी देना सम्भव नहीं है। जब स्थान रिक्त होगा और श्रीमती शकुन्तला देवी का नम्बर आयेगा तब इन्हें चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति देना सम्भव होगा।

श्रीमती शकुन्तला देवी की एक रुपया प्रति बस पर बसों की धुलाई का कार्य सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, जौनपुर ने दिया था किन्तु वे धुलाई का कार्य करने को तैयार नहीं हुई।

श्रीमती शकुन्तला देवी को ग्रेच्युटी का भुगतान दिनांक 12 मई, 1988 को, ज0 पी0 एफ0 का भुगतान दिनांक 2 नवम्बर, 1988 को तथा ग्रुप इन्श्योरेन्स का भुगतान दिनांक 13 फरवरी, 1989 को कर दिया गया है ।

फर्म मोल्डेन ट्रेडर्स गाजियाबाद द्वारा दाखिल रिवीजन के साथ स्टेट रिवीजन की सुनवाय एक साथ न कराने के बारे में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

132--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि फर्म मोल्डेन ट्रेडर्स गाजियाबाद द्वारा वर्ष 1982-83 में दाखिल रिवीजन के साथ स्टेट रिवीजन की सुनवायी एक साथ न कराने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 2042, मुख्य मंत्री को ता0 19 नवम्बर, 1988 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय विधायक का पत्र संख्या 2042, दिनांक 16 नवम्बर, 1988 प्राप्त हुआ है ।

आयुक्त बिक्रीकर से आख्या मांगी गई है ।

फर्म पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि0, देहरादून को बिक्रीकर अधिकारी द्वारा मान्यता प्रमाण-पत्र जारी होने के कारण लाभ उठाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

124--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि फर्म पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि0, देहरादून को बिक्रीकर अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र जारी करने के कारण लाभ उठाने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 2001, मुख्य मंत्री को ता0 29 अक्तूबर, 1988 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? 1978-79 से ता0 13 जून, 1983 तक कर दाताओं ने कितने रुपयों का रियायती दर का लाभ उठा लिया ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां ।

आयुक्त बिक्रीकर से आख्या मांगी गई है । जो अभी प्रतीक्षित है ।

जनपद देवरिया की तहसील पडरौना, ग्राम बड़हरा, तप्पा खान, परगना सियेवा जोगन की आबादी योग्य जमीन का आवंटन

125--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बडहरा, तप्पा खान, परगना सियेवा जोगना, तहसील पडरौना (तुमकुही), जिला देवरिया में ग्राम सभा की आबादी योग्य जमीन जो कि पट्टा कर दी गयी थी, पर कुछ लोग अवैध रूप से अब भी कब्जा बनाये हुए हैं ? उक्त जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

प्रश्नगत ग्राम में गांव सभा की आबादी हेतु सुरक्षित भूमि का आवंटन 94 पात्र व्यक्तियों में किया गया था, जिनमें से 75 व्यक्ति आवंटित भूमि पर पूर्व से ही काबिज हैं। शेष 19 व्यक्तियों से सम्बन्धित वाद आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर में विचाराधीन था, जिसके निस्तारण के पश्चात् आवंटियों को कब्जा दखल दे दिया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

बलरामपुर जनपद गोण्डा की श्रीमती रुकसाना के साथ मोहल्ला कटोराताल पुलिस चौकी में पुलिस द्वारा कथित सामूहिक बलात्कार की घटना

126—श्री मंनेजर सिंह—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बलरामपुर जनपद गोण्डा की श्रीमती रुकसाना के साथ मोहल्ला कटोराताल पुलिस चौकी में पुलिस सिपाहियों द्वारा सामूहिक बलात्कार करने की घटना घटी है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है और दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी नहीं।

गोण्डा जनपद के कस्बा बलरामपुर में कटोराताल नामक कोई मोहल्ला नहीं है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

राज्य नियोजन संस्थान के मूल्यांकन प्रभाग में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के स्थायी अधिकारी की सेवा नियमावली के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति

127—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य नियोजन संस्थान के मूल्यांकन प्रभाग में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के एक स्थायी अधिकारी को शासकीय आदेशों तथा मूल्यांकन प्रभाग की सेवा नियमावली के विपरीत प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है, जिससे विभाग के मूल अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रोन्नति अवरुद्ध हो गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रघुवीर सिंह यादव—

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के जिस स्थायी अधिकारी के सम्बन्ध में उल्लेख है उनकी मूल्यांकन प्रभाग में ज्येष्ठ मूल्यांकन-अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती कोटा से विरुद्ध तदर्थ नियुक्ति की गई थी। विधिक राय के अनुसार उनकी नियुक्ति को प्रतिनियुक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऐसी दशा में उनको/उनके मूल विभाग को लौटाने का प्रश्न नहीं उठता है।

## जनपद देवरिया, चीनी मिल रामकोला को उत्तर प्रदेश चीनी निगम को सौंपने के पूर्व गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के संदर्भ में जानकारी देने की मांग

128—श्री धनराज यादव—

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जिले की चीनी मिल रामकोला किसी निजी व्यवसायी खेतान का था और उसे शासन ने उत्तर प्रदेश चीनी निगम को सौंप दिया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि खेतान से हस्तगत करते समय प्रश्नगत मिल पर किसानों का 3 लाख से अधिक रुपया बकाया था जिससे नियमानुसार गन्ना किसानों को भुगतान करना था ? यदि हां, तो अभी तक सम्बन्धित गन्ना किसानों को बकाये का भुगतान न करने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

चीनी मिल रामकोला को अधिग्रहण करते समय उक्त मिल पर किसानों के गन्ना मूल्य का 2·98 लाख रु0 बकाया था । अधिग्रहण के पूर्व के बकायों का भुगतान कृषकगण, उ0 प्र0 चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी के समक्ष सहकारी गन्ना समितियों के माध्यम से नियमानुसार दावा प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं ।

## जनपद लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय द्वारा खण्ड 3, राम गोपाल ताड़ी ठेकेदार पर कर निर्धारण आदेश पारित होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

129—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड 3 में राम गोपाल ताड़ी ठेकेदार का कर निर्धारण आदेश वर्ष 1981–82 व 1982–83 में पारित किया गया है और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 2123, मुख्य मंत्री जी को तारीख 3 जुलाई, 1985 को मिला है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? उक्त पत्र में जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है वह अभी तक न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

## जनपद गाजियाबाद बिक्रीकर कार्यालय स्थित फर्म 'प्रीमियर इन्टरनेशनल इन्डिया पर बकाया कर व फर्जी फर्म की जांच

130—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि गाजियाबाद बिक्रीकर कार्यालय में स्थित फर्म प्रीमियर इन्टर नेशनल इन्डिया गोशाला रोड ने वर्ष 1984–85 व 1985–86 में 80 लाख रुपया का माल आगरा की फर्मों से खरीदा था तथा जांच में आगरा की फर्में फर्जी पायी गयीं और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 243 सचिव संस्थागत

वित्त को ता0 22 मई, 1987 को मिला है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रश्न में संदर्भित माननीय विधायक लोकदल(अ)का पत्र संख्या 243, दिनांक 22 मई, 1987 प्राप्त हुआ ।

इस सम्बन्ध में बिक्रीकर आयुक्त से आख्या प्राप्त की गई । ज्ञात हुआ कि सर्वश्री प्रीमियर इंटरनेशनल इंडिया गोशाला रोड गाजियाबाद ने वर्ष 1984-85 (14 अप्रैल, 1984 से 31 मार्च, 1985 तक) तथा वर्ष 1985-86 (1 अप्रैल, 1985 से 12 जून, 1985 तक) व्यापार निम्नवत् दिखाया और स्थानीय खरीद के आधार पर कर मुक्ति का दावा किया :--

| वर्ष | प्रान्त के अन्दर से खरीद | कर मुक्ति बिक्री |
|---|---|---|
| 1984-85 | 76,63,003 | 83,55,937·00 |
| 1985-86 | 8,40,500 | 10,50,191·16 |

आगरा की फर्म सर्वश्री जी0 को0 इंजीनियरिंग वर्क्स एवं सर्वश्री सरस्वती ऐग्रो इंडस्ट्रीज से खरीद की गई । जांच से यह दोनों फर्में अस्तित्वहीन पाई गई । अतः फर्म प्रीमियर इंटरनेशनल इंडिया पर धारा 21 के अन्तर्गत कार्यवाही करके वर्ष 1984-85 के लिए 3·5 करोड़ रु0 की बिक्री पर 22·05 लाख रुपये बिक्रीकर आरोपित किया गया जिसकी वसूली के लिए वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया । उपलब्ध सूचनानुसार 1985-86 का बाद अनिस्तारित है । मूलकर निर्धारण आदेश पारित करने वाले अधिकारी को आरोपित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## फर्रुखाबाद में डकैती, कत्ल, राहजनी आदि की घटनाएं और कानून एवं व्यवस्था को सुधारने हेतु प्रशासन द्वारा कार्यवाही

131--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में 1 जून, 1986 से 30 नवम्बर, 1988 तक की अवधि में डकैती, कत्ल, राहजनी व बलवा आदि की कुल कितनी घटनायें हुईं तथा इसी अवधि में वर्ष 1984 की क्या स्थिति रही थी ? कानून एवं व्यवस्था को सुधारने हेतु प्रशासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही अब तक की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

प्राप्त सूचनानुसार जनपद फर्रुखाबाद में 1 जून, 1986 से 30 नवम्बर, 1988 तक की अवधि में डकैती, कत्ल, राहजनी व बलवा आदि की कुल क्रमशः 56,326,247 व 309 घटनाएं हुयीं तथा इसी अवधि में वर्ष 1984 में उक्त अपराधों की कुल क्रमशः 17,93,68 व 81 घटनाएं हुयीं । जनपद की कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधारने हेतु

जनपद पुलिस को त्वरित, प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं तथा उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण शांति-व्यवस्था से सम्बन्धित बैठकें आहूत कर अपराधों पर नियंत्रण हेतु प्रभावी मार्गदर्शन/निर्देश देने की व्यवस्था की गई है।

जिला देवरिया के ग्राम प्रधान, पुरन्दरपुर की शिकायतों पर परगनाधिकारी, तमकुहीराज द्वारा किये गये आदेश का पालन न किया जाना।

132—श्री राजकिशोर सिंह—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि भारतीय वन अधिनियम की धारा 4/10 का उल्लंघन करते हुए थानाध्यक्ष, तुर्कपट्टी, जिला देवरिया ने ग्राम प्रधान, पुरन्दरपुर की शिकायत दिनांक 17-9-88 एवं 23-9-88 पर परगनाधिकारी, तमकुहीराज द्वारा किये आदेशों का पालन न करके वन अधिनियम के तहत कार्यवाही न करने की उदासीनता बर्ती है ? जिससे शासन (ग्राम समाज) का लगभग 4 हजार रुपये की क्षति होना सम्भावित है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सम्भावित क्षति को बचाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी नहीं। बल्कि वास्तविकता यह पायी गई कि ग्राम प्रधान, पुरन्दरपुर के शिकायती-पत्र पर जांचोपरान्त इमली का पेड़ गांव सभा का नहीं, अपितु गांव के ही हबी, हदीश, फैजुल्लाह पुत्रगण मौलवी व रियाजुद्दीन, बिसमिल्लाह पुत्रगण इसमाइल, मूसवी पुत्र वलीजान आदि का पाया गया। उन्हें ही पेड़ कटवाकर उठवा लेने का आदेश दिया गया।

चूंकि पेड़ जर्जर हो गया था और उसके गिरने से आस-पास के घरों व मस्जिद को क्षति की संभावना थी। इन दोनों बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए पेड़ कटवाने की अनुमति दी गई। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की पुरवा तहसील में फायर स्टेशन खोलने का प्रस्ताव

133—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के पुरवा तहसील केन्द्र पर अग्नि-शमन केन्द्र (फायर स्टेशन) खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि वर्ष 1988 के अप्रैल, मई जून, की तिमाही में आग से पुरवा तहसील में करोड़ों रुपये के जन-धन की हानि हुई है ? यदि हां, तो फायर स्टेशन न खोलने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी नहीं।

वर्ष 1988 के अप्रैल, मई, जून की तिमाही में आग से पुरवा तहसील में करोड़ों रुपये की जन-धन की हानि हुई है। पुरवा तहसील में फायर स्टेशन खोले जाने का कोई प्रस्ताव सरकारी/गैर सरकारी अथवा अन्य किसी स्रोत से शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

134—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[6वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## जनपद बांदा ग्राम खम्हौरा निवासिनी श्रीमती चुनियां को अराजक तत्वों द्वारा परेशान किये जाने से सम्बन्धित पत्र पर की गयी कार्यवाही

135--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ए/131/88, दिनांक 1-9-1988 जो बांदा जनपद थाना अतर्रा के ग्राम खम्हौरा निवासिनी श्रीमती चुनियां को अराजक तत्वों द्वारा परेशान करने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अराजक तत्वों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां, प्राप्त सूचनानुसार श्रीमती चुनियां निवासिनी खम्हौरा थाना अतर्रा जनपद बांदा के प्रार्थना-पत्र की जांच से उनके सभी आरोप असत्य एवं निराधार पाये गये हैं। अतएव मामले में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई।

## बांदा जनपद की तहसील नरैनी के ग्राम सभा अतर्रा बुजुर्ग में चकबन्दी का निस्तारण तथा किसानों को कब्जा दिलाने की मांग

136--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि बांदा जनपद की तहसील नरैनी के ग्राम सभा अतर्रा बुजुर्ग में चकबन्दी की क्रियायें कब गजट हुई थी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी व चकबन्दी अधिकारी स्तर से चकों का निस्तारण कब हो गया था तथा वह प्रकरण बन्दोबस्त अधिकारी के स्तर में कब पहुंचा तथा बन्दोबस्त अधिकारी स्तर से निस्तारण इतने लम्बे समय तक न होने के क्या कारण हैं ? कब तक चकों की पैमाइश कराके किसानों को कब्जा करा दिया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद--

ग्राम अतर्रा बुजुर्ग तहसील नरैनी जिला बांदा में चकबंदी क्रियाओं के प्रारम्भ करने हेतु प्रकाशन दिनांक 23-8-75 को हुआ था। सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा चक निर्माण का कार्य दिनांक 28-4-84 को पूर्ण किया गया एवं चकबंदी अधिकारी द्वारा चक आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 23-8-87 को किया गया। बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी के स्तर पर अपीलें दिनांक 10-5-88 तक प्राप्त हुई।

अपीलों के निस्तारण के समय यह प्रकरण आया कि इस ग्राम में जो क्षेत्रफल टाउन एरिया के उपरान्त नगरपालिका के विस्तार के अन्तर्गत शामिल किया गया उस क्षेत्रफल का अभिलेख शुद्धीकरण एवं अन्य कार्यवाही चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत नहीं करायी गयी जबकि कार्यवाही की जानी चाहिए थी क्योंकि इस क्षेत्रफल पर जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू होता है। इस वैधानिक प्रकरण के कारण अपीलें विचाराधीन हैं। इस संबन्ध में निर्णय होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

## श्री लल्लू राम लखेरा, निवासी भवानीगंज बांदा की दुकान में आग लगने से हुई क्षति हेतु आर्थिक सहायता की मांग

13--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र सं0 ए/135/सी0 एम0-88, दिनांक 1 सितम्बर, 1988, बांदा जनपद के थाना अतर्रा

के श्री लल्लू राम लखेरा, निवासी भवानीगंज अतर्रा के संलग्न पत्र के साथ उनकी दुकान में आग लगने से आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो कितनी धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

प्रभावित व्यक्ति को राहत के रूप में रु0 500 की अहेतुक सहायता प्रदान की गई । इसके अतिरिक्त उन्हें मुख्य मंत्री सहायता कोष से भी रु0 2,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई ।

आजमगढ़ के श्री दया शंकर यादव द्वारा मुकदमा कायम कराने के फलस्वरूप सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 जांच

138--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ की कोतवाली मऊनाथ भंजन में श्री दयां शंकर यादव द्वारा 29 जुलाई, 1987 को एक मुकदमा अपराध सं0 208 धारा के अन्तर्गत दर्ज कराया गया ? यदि हां, तो अब तक इस मुकदमें में क्या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

प्रश्नगत मुकदमा श्री मुस्ताक अहमद पुत्र खैरुल बसर, निवासी रघुनाथपुरा, थाना मऊ द्वारा दर्ज कराया गया न कि श्री दया शंकर यादव द्वारा ।

मामले की जांच सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 को सौंप दी गई है, जो सम्प्रति प्रचलित है ।

139--श्री यदुनाथ सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी क इन्वेन्टरी रिपोर्ट की जानकारी

140--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1989 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 187 के संदर्भ में मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इन्वेनटरी तैयार हो गई है ? यदि हां, तो गुमनामी बाबा के बारे में क्या मालूम हुआ ? ये बाबा कौन थे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां ।

जांच से अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट सूत्र या प्रमाण नहीं मिल सका है, जिससे कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी के नेता जी सुभाष चन्द्र बोस होने का आभास हो सके । यह भी अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी का मूलनाम, जाति एवं निवास क्या था ।

## उन्नाव डिपो में कुल बसों की संख्या, बिगड़ी बसों की संख्या तथा बस रिपेयरिंग पर व्यय की गयी धनराशि

141--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव डिपो के पास अद्यतन (दिसम्बर, 1988) में कुल कितनी बसें हैं ? कितनी चल रही हैं ? कितनी बिगड़ी खड़ी हैं ? बिगड़ी हुई बसें कितन दिन से नहीं बन पा रही हैं ? वर्कशाप में वर्ष 1988-89 में अब तक कुल कितनी धनराशि रिपेयरिंग पर व्यय हुई और कितनी बसें रिपेयर हुई हैं ? शेष बिगड़ी बसों को कब तक बनवा दिया जायेगा ?

श्री प्रमोद कुमार--

उन्नाव डिपो में (दिसम्बर, 1988) कुल 78 बसें थीं । 70 बसें चल रही थी । 8 बसें बिगड़ी खड़ी थी । यह 8 बसें उनके सामने दर्शाई गई तिथियों से भारी मरम्मत हेतु आफ रोड थीं ।

1--यू आर के-1522, दिनांक 21 दिसम्बर, 1988 ।

2--यू आर क्यू 7676, दिनांक 25 दिसम्बर, 1988 ।

3--यू आर के 695, दिनांक 25 दिसम्बर, 1988 ।

4--यू आर के 6265, दिनांक 28 दिसम्बर, 1988 ।

5--यू एच आई 1997, दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 ।

6--यू एम ओ 8636, दिनांक 29 दिसम्बर, 1988 ।

7--यू आर क्यू 48, दिनांक 10 दिसम्बर, 1988 ।

8--यू टी डब्ल्यू 6085, दिनांक 28 अक्तूबर, 1988 ।

अप्रैल, 1988 से दिसम्बर, 1988 तक कुल मरम्मत पर रु0 5,87,000.00 व्यय हुआ तथा 146 बसों की मरम्मत की गई । बिगड़ी बसों में से 4 बसें माह जनवरी में आनरोड कर दी गई तथा शेष 4 बसों पर कार्य प्रगति पर हैं ।

## श्री गजेन्द्र सिंह मुख्य निबन्धक लिपिक बदायूं की प्रोन्नति का मामला

142--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि सब-रजिस्ट्रार नियमावली, 1983 के अधीन श्री गजेन्द्र सिंह मुख्य निबंधक लिपिक बदायूं की प्रोन्नति उपनिबंधक के अस्थाई/स्थानापन्न पद पर करने हेतु चयन समिति द्वारा विचार कर लिया गया है ? जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण नं0 4 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष याचिका संख्या 78 (एफ)/चार-87 के सन्दर्भ में श्री जे0 सी0 गोस्वामी महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने अपने जवाब में 26-9-1988 को उल्लिखित किया था ? क्या चयन समिति का निर्णय निर्गत कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उपरोक्त जवाब में महानिरीक्षक द्वारा आदेश शीघ्र निर्गत किए जाने का वादा करने के बाद भी अब तक निर्गत न करने का क्या कारण है ? विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां। श्री गजेन्द्र सिंह की प्रोन्नति करने हेतु चयन समिति द्वारा विचार कर लिया गया है। चयन समिति की संस्तुति के अनुसार श्री गजेन्द्र सिंह की अस्थाई/स्थानापन्न नियुक्ति के आदेश महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश ने दिनांक 24-2-1989 को जारी कर दिये हैं।

## मोहम्मद बानूस ग्राम बाबई जनपद जालौन का उसकी बहन शहनाज बेगम का उसके ससुराल वालों द्वारा (झांसी) दहेज वास्ते हत्या किये जाने पर की गई कार्यवाही पर जांच

143--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का, मोहम्मद बानूस निवासी ग्राम बाबई, जिला जालौन के पत्र सहित जो उसकी बहन शहनाज बेगम की उसके ससुराल वाले मोहम्मद आसिफ निवासी थाना प्रेम नगर जिला झांसी आदि के द्वारा हत्या किए जाने से सम्बन्धित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां। इस सम्बन्ध में कराई गई जांच से विदित हुआ कि प्रश्नगत मामले में मो0 बानूस निवासी ग्राम बावई जनपद जालौन द्वारा दी गई सूचना के आधार दिनांक 23-3-1988 को थाना प्रेमनगर जनपद झांसी में 3 नामजद अभियुक्तों श्रीमती काबिरा बेगम, मो0 आरिफ व मो0 आसिफ (क्रमशः सास, जेठ व पति) के विरुद्ध मु0 अ0 सं0 112/88 धारा 304 बी, भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के मध्य दहेज का साक्ष्य पाये जाने पर अभियोग में धारा 498-ए की बढ़ोत्तरी कर दी गई।

उक्त नामजद तीनों अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया एवं जेल भेजे गये। उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 304 बी/498 ए भा0 दं0 वि0 का अपराध सिद्ध होने पर, दिनांक 21-9-1988 को आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

## फैजाबाद, ग्राम अछारापूरे शिवपाल पांडे निवासी श्री रामलखन पासी की शिकायतों पर की गयी कार्यवाही का विवरण

144--श्री मित्रसेन--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगी कि श्री रामलखन पासी पुत्र नन्हकू पासी निवासी ग्राम अछारापूरे शिवपाल पांडे थाना इनायतनगर फैजाबाद ने दिनांक 6-7-1987 को अ0 सं0 134 अन्तर्गत धारा 427/506 किन-किन अभियुक्तों के विरुद्ध अंकित कराई है ? क्या यह सही है कि उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने के कारण उन्हीं अभियुक्तों ने दिनांक 27/28-10-1988 को हरिजन रामलखन पासी को उजाड़ देने की नियत से उसका मकान भी जला कर नष्ट कर दिया जिसकी रिपोर्ट दिनांक 28-10-1988 को अ0 सं0 296/88 अन्तर्गत धारा 486 थाना इनायतनगर फैजाबाद में अंकित करायी गयी ? यदि हां, तो अभियुक्तों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ? क्षतिग्रस्त एवं पीड़ित हरिजन परिवार को कोई सहायता भी न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

श्री रामलखन पासी ने निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध थाना इनायतनगर पर अभियोग दर्ज कराया था :—

(1) श्री रामदेव पाण्डेय ।

(2) श्री हृदयराम ।

जो नहीं ।

प्रश्नगत मामले में विवेचना हेतु न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर विवेचनोपरान्त दोनों नामित अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दिनांक 12-9-1987 को प्रेषित किया गया, जो सम्प्रति विचाराधीन है । यह सत्य है कि रामलखन पासी ने दिनांक 28-10-1988 को थाना इनायतनगर में यह सूचना दी थी कि हृदयराम ने उसके घर में आग लगा दी, विवेचना से यह पाया गया कि रामलखन पासी ने ही रामदेव पाण्डे को फंसाने की नियत से अपने मकान में स्वयं आग लगा ली थी । अतः विवेचनोपरान्त दिनांक 29-10-1988 को अंतिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित कर दी गयी ।

चूंकि श्री राम लखन पासी ने स्वयं अपने घर में आग लगाई थी अतः आर्थिक सहायता देने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

## जनपद फैजाबाद के थाना इनायतनगर के श्री रामतीरथ सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह तथा श्री बृजभूषण मणि त्रिपाठी ग्राम आदिलपुर को अंगरक्षक प्रदान किया जाना

145—श्री मित्रसेन—

क्या गृहमंत्री को जानकारी है कि श्री रामतीरथ सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह, निवासी रेवतीगंज बाजार आदिलपुर थाना इनायतनगर, फैजाबाद तथा श्री बृजभूषण मणि त्रिपाठी ग्राम आदिलपुर, थाना इनायतनगर, फैजाबाद को सुरक्षा गार्ड एवं डंडो वगैर जिला प्रशासन की सहमति के शासन स्तर से प्रदान किए गए हैं जब कि वे वर्तमान समय में किसी भी ऐसे पद पर नहीं हैं जिससे सीधे जनता से कोई सम्बन्ध अथवा सम्पर्क हो या जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हों ? फिर इस प्रकार के लोगों को जो प्रधान से लेकर ऊपर के किसी भी जनप्रतिनिधि के पद पर नहीं हैं ? यदि हां, तो उन्हें सुरक्षा गार्ड दिये जाने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्रश्नगत व्यक्तियों को व्याप्त जीवन भय के दृष्टिगत स्थानीय प्रशासन की संस्तुति पर अंगरक्षक स्वीकृत किया गया है । प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा शासन का उत्तरदायित्व है । अंगरक्षक की पात्रता के लिये किसी पद पर आसीन होना आवश्यक नहीं है ।

## अरुण कुमार, एडवोकेट, फैजाबाद द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिनांक 6 अक्तूबर, 1988 को भेजे टेलीग्राम पर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़कों को पकड़ कर ले जाने के सन्दर्भ में कृत कार्यवाही

146—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, फैजाबाद को श्री अरुण कुमार, एडवोकेट, फैजाबाद का दिनांक 6 अक्तूबर, 1988 का भेजा हुआ कोई टेलीग्राम जो

श्री राम पदारथ का पुत्र मगरू, निवासी ग्राम रामपुर परेई, थाना बीकापुर, फैजाबाद के दो नाबालिग बच्चों को बगैर किसी अपराध के गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह टेलीग्राम क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां । टेलीग्राम में श्री रामपदारथ पुत्र मंगरू, निवासी ग्राम रामपुर, थाना बीकापुर के दो पुत्रों को पुलिस द्वारा दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 को रात्रि में उसके निवास स्थान से बिना कोई जुर्म बताये पकड़कर ले जाने तथा बुरी तरह प्रताड़ित करने एवं एन्काउन्टर कर मार देने सम्बन्धी शिकायत की गयी थी ।

दिनांक 5/6 अक्तूबर, 1988 को रात्रि में ग्राम रामपुर परेई की घटित घटना के सम्बन्ध में मु0 अ0 सं0 336/337/338/339/340/341/88, थाना कोतवाली बीकापुर में पंजीकृत हुआ था । अभियुक्त राम पदारथ यादव एक कुख्यात अपराधी है, जिसे वर्ष 1973 में हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा हुयी है । राम पदारथ व उनके लड़कों एवं साथियों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से आक्रमण किया गया था । इस आक्रमण में 5 पुलिस कर्मी घायल हुये । अभियुक्त राम पदारथ यादव पुत्र (2) अभि0 कुलदीप नरायन यादव पुत्र राम दास पदारथ यादव (3) अभियुक्त रणजीत नरायन पुत्र राम पदारथ यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था । इन लोगों के पास से तथा घर से दो अदद देशी तमन्चा एक फरसा 6 अदद जिन्दा बम, 5 अदद जिन्दा कारतूस तथा दो बोरा चोरी का बतन बरामद हुआ था । अभियुक्त राम पदारथ को रा0 सु0 का0 के अन्तर्गत विरुद्ध किया जा चुका है ।

जांच से प्रश्नगत टेलीग्राम में लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार पाये गये । टेलीग्राम पेश बन्दी में दिया गया है ।

## जनपद फर्रुखाबाद की किसान सेवा सहकारी समिति, सिकन्दरपुर के अध्यक्ष तथा सचिव के विरुद्ध गबन की शिकायत एवं जांच

147--श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद की किसान सेवा सहकारी समिति, सिकन्दरपुर, जिला फर्रुखाबाद के अध्यक्ष व सचिव के विरुद्ध विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1973-74, 1972-73, 1971-72, 1979-80 में प्रदर्शित गबन के आधार पर थाना छिबरामऊ में प्रथम सूचना वर्ष 1983 में दफा 409 जा0 फौ0 मु0 द0 नं0 300, 300-ए, 300-बी0/83, श्री जयनारायन दीक्षित, तत्कालीन प्रशासक द्वारा दर्ज कराया गया था . यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच पूर्ण कर ली गयी ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार थाना छिबरामऊ पर पंजीकृत उक्त तीनों अभियोगों की विवेचना कोआपरेटिव सेल, कानपुर के उप-निरीक्षक द्वारा की जा रही है जो अभी प्रचलित है ।

## इलाहाबाद कचहरी में श्री रज्जन पाण्डेय, निवासी हथिगहा की गयी हत्या के विरुद्ध की गयी रिपोर्ट पर कार्यवाही

148--श्री राकेशधर त्रिपाठी--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में रज्जन पाण्डेय पुत्र श्री ए0 एन0 पाण्डेय, निवासी हथिगहा, थाना नवाबगंज, जनपद इलाहाबाद की हत्या कचहरी में की गई थी जिसकी रिपोर्ट भी थाना कर्नलगंज में दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो रिपोर्ट में दर्ज अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## जनपद इलाहाबाद के थाना हण्डिया में श्री बृजेश शुक्ला की हत्या से सम्बन्धित मुलजिमों के विरुद्ध कार्यवाही

149--श्री राकेश धर त्रिपाठी--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बृजेश शुक्ला पुत्र श्री नन्द किशोर शुक्ला, निवासी संदाबाद, थाना हण्डिया, जनपद इलाहाबाद की हत्या वर्ष 1984 में की गयी थी ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन लोग मुलजिम हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त हत्या हुये 4 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं लेकिन मामला अभी तक न्यायालय में नहीं गया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी .

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार घटना से सम्बन्धित अभियोग में 7 व्यक्ति: (1) लाल साहब उर्फ राम चन्द्र, (2) राज कुमार, (3) राम देव, (4) जीत नरायन, (5) बब्बू, (6) सुशील व (7) अशोक नामजद तथा विवेचना से प्रकाश में आये दो व्यक्ति (1) विजय एवं (2) गुलाब अभियुक्त हैं । इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचनोपरान्त, दिनांक 12 दिसम्बर, 1984 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया परन्तु दिनांक 17/18 मार्च, 1985 की रात्रि में मुख्य दण्डाधिकारी, इलाहाबाद के न्यायालय में आग लग जाने के फलस्वरूप अन्य पत्रावलियों के साथ उक्त अभियोग की पत्रावली भी जल गयी । मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा जिला सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद से पत्रावली पुनर्निमाण की अनुमति मांगी गयी है ।

## जनपद गोण्डा नगर कोतवाली में श्री मोहम्मद यूसुफ उर्फ लल्हन के द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के सम्बन्ध में कार्यवाही

150--श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि मोहम्मद यूसुफ द्वारा नगर कोतवाली, जनपद गोण्डा में 4 सितम्बर, 1987 को आरोप संख्या 530 सन् 1987, धारा-147, 148 तथा 364 की रिपोर्ट लखनऊ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध लिखाई गई थी और गृह मंत्री

को पत्र द्वारा सूचित किया गया था । यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी न होने के क्या कारण हैं ? गिरफ्तारी कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां ।

मो0 युसुफ उर्फ ललन को अप0 संख्या 474/86, धारा 364 भा0 द0 वि0 थाना-गाजीपुर, लखनऊ में वांछित होने के कारण लखनऊ पुलिस द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 1987 को गोण्डा से नियमानुकूल गिरफ्तार किया गया । विवेचना में श्री मोहम्मद युसुफ खां द्वारा थाना-कोतवाली नगर, गोण्डा में पंजीकृत अभियोग संख्या 530/87, अन्तर्गत धारा 147/148/364, भा0 द0 वि0 प्रमाणित नहीं हुआ, जिसमें दिनांक 12 दिसम्बर, 1987 को अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई । अतः किसी पुलिस कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

## जिला अधिकारी गोण्डा के भ्रष्टाचार के विषय में श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां, स0 वि0 सभा के पत्र पर कार्यवाही

151—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या मुख्य मंत्री को जिला अधिकारी, गोण्डा के भ्रष्टाचार के विषय में प्रश्नकर्ता द्वारा कोई पत्र 8 मई, 1987 को प्राप्त हुआ था जिस पर जांच व आवश्यक कार्यवाही के लिए सचिव, नियुक्ति विभाग को आदेश प्रदान किया गया ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र में की गई शिकायतों की जांच आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को सौंपी गई थी । आयुक्त की आख्या पर विचारोपरान्त शासन द्वारा कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई । श्री सिंह दिनांक 31 जुलाई, 1987 को सेवा-निवृत्त हो गए हैं ।

## सहायक लेखाकार/लेखा लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु की गयी परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों की सूची

152—श्री अमिताभ अनिल दूबे—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21 जून, 1987 को सहायक लेखाकार/लेखा लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु ली गयी परीक्षा में कितने परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए ? क्या उन सफल परीक्षार्थियों का साक्षात्कार हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार—

दिनांक 21 जून, 1987 को ली गयी परीक्षा में 146 परीक्षार्थी साक्षात्कार हेतु उत्तीर्ण घोषित हुए ।

जी हां ।

दिनांक 28 नवम्बर, 1988 को ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला इलाहाबाद में रासुका एवं गैंगस्टर्स ऐक्ट के तहत गिरफ्तार अभियुक्त के बन्दूक के लाइसेंस को रायफल में परिवर्तित किये जाने की मांग

153—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि राम किशोर पटेल निवासी ग्राम कौवा, थाना करछना, जिला इलाहाबाद को रासुका एवं गैंगस्टर्स ऐक्ट के तहत गिरफ्तारी हो चुकी है ? यदि हां, तो फिर भी इनके बन्दूक का लाइसेंस अभी कुछ माह पूर्व रायफल में तब्दील कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार लाइसेन्स निरस्त करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राप्त सूचनानुसार श्री राम किशोर पटेल, निवासी ग्राम कौवा, थाना करछना, जनपद इलाहाबाद को गिरोहबन्द एवं उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण के तहत गिरफ्तार किया गया था, उक्त लाइसेन्सी ने तथ्यों को छिपाकर अपने बन्दूक के लाइसेन्स को राइफल में परिवर्तित करा लिया । सही तथ्य प्रकाश में आने पर उक्त लाइसेन्स निरस्त कर दिया गया ।

गाजियाबाद जनपद में आबादी योग्य भूमि को कृषि योग्य भूमि मानकर किए गये बयनामें से भारी स्टाम्प की क्षति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गाजियाबाद के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

154—श्री मित्रसेन—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि जनपद गाजियाबाद में आबादी योग्य भूमि के बयनामें में कृषि योग्य भूमि मानकर किये जाने से भारी स्टाम्प की क्षति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गाजियाबाद का शिकायती-पत्र दिनांक 14 जुलाई, 1988 महानिरीक्षक, निबन्धन स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इनकी जांच कराकर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां । प्रश्नगत मामले की प्रारम्भिक जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व गाजियाबाद से कराई गयी है । जांच आख्या में व्यक्त की गयी अनियमितताओं के आधार पर श्री गिरीश चन्द्र, मुख्य उप निबन्धक गाजियाबाद के विरुद्ध विभागीय जांच उप-महानिरीक्षक निबन्धन, मेरठ परिक्षेत्र द्वारा कराई जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होते ही इस सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

155—श्री मित्रसेन—

[6वें मंगलवार के लिये स्थगित]

## उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान के अन्तर्गत नई नियुक्ति न होने के आदेश प्रसारित न होने के पश्चात् की गई नियुक्तियों का औचित्य

156—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के पत्रांक पी/ए-858/87, दिनांक 19/21 अक्तूबर, 1987 द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना विकास संस्थान के अन्तर्गत किसी भी श्रेणी के पदों पर नई नियुक्तियां न करने के आदेश प्रसारित किये गये थे ? यदि हां, तो निदेशक, उत्तर प्रदेश गन्ना विकास संस्थान द्वारा श्री मेंहदी दैनिक वेतन भोगी लिपिक को प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर में 22 अप्रैल, 1988 को श्री जय कुमार सिंह, स्टेनो को प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर में 2 अगस्त, 1988 को तथा श्री सतीश कुमार सिंह कनिष्ठ सहायक को प्रशिक्षण केन्द्र, शाहजहांपुर में 3 अगस्त, 1988 को नियुक्ति किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

कार्यहित में श्री मेंहदी हसन को दैनिक वेतन पर दिनांक 22 अप्रैल, 1988 को तथा श्री सतीश कुमार सिंह को दिनांक 3 अगस्त, 1988 को नियुक्त किया गया था । बाद में इन दोनों कर्मचारियों को नियमित चयन की प्रक्रिया न पूर्ण होने के कारण सेवामुक्त कर दिया गया है ।

## जिला जालौन में होमगार्ड श्री राम किशोर की बावर्दी मृत पाये जाने के कारण परिवार को आर्थिक सहायता

157—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या नागरिक सुरक्षा मंत्री यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि 12/13 अगस्त, 1988 की रात्रि में जालौन जिले के कोंच नगर में राम किशोर नामक कोई बावर्दी होमगार्ड एक गली में मृत पाया गया था ? यदि हां, तो उसकी मृत्यु का कारण क्या और मृतक परिवार को क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री मान पाल सिंह—

जी हां । दिनांक 12/13 अगस्त, 1988 की रात्रि में जालौन के कोंच नगर में राम किशोर, होमगार्ड मृत पाये गये । मृत्यु का कारण पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से भी ज्ञात नहीं हो सका । मृतक के दाह-संस्कार हेतु 500 रु0 की आर्थिक सहायता होमगार्ड मुख्यालय द्वारा दी गयी है ।

## नगरपालिका उरई के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध धारा 420 के अन्तर्गत अंकित प्राथमिकी

158—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या गृह मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1987 में उरई नगरपालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी ने उरई कोतवाली में पालिका के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध धारा 420 आदि के अन्तर्गत कोई प्राथमिकी अंकित करायी थी ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मती सुशीला रोहतगी—

जी हां ।

विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र दिनांक 22 जनवरी, 1989 को न्यायालय प्रेषित कर दिया । मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

159—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राज्य नियोजन संस्थान, जवाहर भवन, लखनऊ के अन्तर्गत गठित पर्वतीय प्रभाग के अन्तर्गत शोध सहायक (प्राविधिक) के पदों को स्थायी किया जाने पर विचार

160—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसूफ—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), जवाहर भवन, लखनऊ के अन्तर्गत गठित पर्वतीय प्रभाग के अन्तर्गत वर्ष 1981 में सृजित शोध सहायक (प्राविधिक) के पदों को स्थायी कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या उन पदों पर लगभग 5 वर्ष से लोग सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त अभ्यर्थियों को भी स्थायी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन पदों को कब तक स्थायी करके उक्त अभ्यर्थियों को स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री रघुवीर सिंह यादव—

जी नहीं । चूंकि पद स्थायी नहीं हैं इसलिए अभ्यर्थियों को स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता है । पदों के स्थायीकरण का नीति विषयक मामला पर्वतीय विकास विभाग के विचाराधीन है ।

राज्य नियोजन संस्थान, पर्वतीय प्रभाग के निदेशक को प्रशासनिक अधिकारी प्रदत्त करके कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0, वेतन अन्य विभाग में नियुक्त से सम्बन्धित अधिकार पर कार्यवाही

161—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसूफ—

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य नियोजन संस्थान के पर्वतीय प्रभाग के निदेशक को प्रशासनिक अधिकारी प्रदत्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो निदेशक पर्वतीय प्रभाग द्वारा कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0 अग्रिम की स्वीकृति कर्मचारियों का वेतन रोका जाना एवं कर्मचारियों का अन्य विभाग में नियुक्ति हो जाने पर उन्हें कार्यमुक्त कर देने सम्बन्धी कार्य किस अधिकार से किया जा रहा है ?

श्री रघुवीर सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वाराणसी बिक्री कर कार्यालय खण्ड 9 के अधिकारी को कोयला व्यापारियों के फर्जी पंजीयन पर दण्डित

162—श्री मूल चन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि वाराणसी बिक्रीकर कार्यालय में खण्ड 9 में अधिकारी द्वारा कोयला के फर्जी व्यापारियों को पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करनेके

बारे में, सदस्य, विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 371 सचिव, संस्थागत वित्त को ता0 13 अप्रैल, 1988 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच में यह पाया गया कि 3 व्यापारियों के मामले में पंजीयन देते समय सर्वेक्षण तो किया गया परन्तु व्यापारियों की वित्तीय स्थिति के बारे में पर्याप्त जांच नहीं की गयी । तथा फार्म 31 जारी करते समय पूर्व जारी फार्मों की द्वितीय प्रतियां नहीं देखी गयीं । अनियमितता के लिए दोषी विक्रीकर अधिकारी श्री गंगा शरण राय को दंडित किया जा चुका है ।

## खजनी जनपद गोरखपुर में आराजी नम्बर 318 पर अनाधिकृत कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही

163—श्री मंनेजर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम सुमिल दुबे, एडवोकेट, दिवानी कचेहरी, गोरखपुर को दिनांक 16 मार्च, 1988 को परगनाधिकारी खजनी को सम्बोधित और जिलाधिकारी, गोरखपुर को पृष्ठांकित पत्र, जो ग्राम मडेस तथा खजनी, परगना हसनपुर मगहर, तहसील खजनी, जनपद गोरखपुर में स्थित आराजी नम्बर 318 रकबा 28 डि0 सार्व0 आबादी पर अनाधिकृत कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां । स्थलीय जांच से आबादी हेतु सुरक्षित भूमि नं0 318, जिसका सही रकबा 0.13 एकड़ है, पर अवैध कब्जा पाया गया, जिसके सम्बन्ध में धारा 122 बी0 ज0 वि0 अधि0 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है

## जनपद लखनऊ के सरदार महिमा सिंह, निवासी लालकुआं की सम्पत्तियों पर अपराधियों द्वारा जबरदस्ती कब्जा

164—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरदार महिमा सिंह, निवासी 67/13, लालकुआं, शहर लखनऊ का मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सम्बोधित दिनांक 30 जनवरी, 1988 का रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र मिल गया है जिसमें भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद उनकी सम्पत्ति पर कुछ लोगों द्वारा पेशेवर अपराधियों की मदद से जबरदस्ती कब्जा कर लेने की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र और उस पर अब तक की कृत कार्यवाही के विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## जनपद बलिया में हरिजन एवं निर्बल वर्ग के भूमिहीनों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिये जाने के संदर्भ में कार्यवाही

165--श्री शारदानन्द अंचल तथा श्री राम जनम--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के रसड़ा तहसील में तहसीलदार व नायब तहसीलदारों के न्यायालयों में हरिजनों, भूमिहीनों व निर्बलों को आवंटित भूमि पर कब्जा न दिये जाने सम्बन्धी कितने मामले विचाराधीन हैं ? क्या सरकार एक नीति बनाकर इस समस्या का स्थायी समाधान करने पर विचार जनहित में करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

प्राप्त सूचना के अनुसार इस प्रकार का कोई मामला विचाराधीन नहीं है ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवम् व्यवस्था अधिनियम की धारा 198-क के अन्तर्गत इस प्रयोजन हेतु समुचित व्यवस्था है, अतएव अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## कानपुर परिक्षेत्र में करदाताओं की बिक्रीकर रिफन्ड करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

166--श्री मूलचन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 106 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 925 मा0 मुख्य मन्त्री जी को ता0 18 अगस्त, 1988 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ है । उस पर कार्यवाही की जा रही है ।

## सर्वश्री अनन्त राय, उद्योग माधोबाडी, बरेली के प्रान्तीय तथा केन्द्रीय पंजीयन निरस्त किये जाने तथा अन्य पंजीयन निरस्त के सन्दर्भ में आख्या

167--श्री मूलचन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि सर्वश्री अनन्त राय, उद्योग माधोबाडी, बरेली का प्रान्तीय पंजीयन सं0-बी0 वाई0 0216299 तथा केन्द्रीय पंजीयन संख्या बी0 वाई0-5091755, दिनांक 30 मई, 1988 से निरस्त किये गये ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रमाण-पत्र को निरस्त करने के क्या कारण थे ? पंजीयन कब दिया गया ? प्रत्येक साल में कितने-कितने कौन-कौन से फार्म दिये गये ? प्रत्येक वर्ष में कितना कर जमा किया ? कितना लगाया गया ? कितना बकया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इस सम्बन्ध में आयुक्त, बिक्रीकर से अपेक्षित सूचना मांगी गई है ।

## इलाहाबाद की दो सदस्यीयपीठ के निर्णय पर फर्म मोदी खंड, लि0 मोदीनगर को सहायक आयुक्त के 2 माह के अन्दर उक्त फर्म के रिफन्ड के प्रार्थना-पत्र को निस्तारण की मांग

168—श्री मूल चन्द्र तथा यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की दो सदस्यीयपीठ में निर्णय दिनांक 8 दिसम्बर, 1987 सिविल मिस रिट याचिका संख्या 1248/87 फर्म मोदी खंड लि0 मोदीनगर बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय दिया है और सहायक आयुक्त (क0 नि0) को 2 माह के अन्दर रिफन्ड के प्रार्थना-पत्र को निस्तारण का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या रिफन्ड के प्रार्थना-पत्र का निस्तारण हो गया ? यदि हां, तो किस तारीख को किया गया ? कितना रुपया रिफन्ड किया गया ? क्या इस रिफन्ड पर ब्याज भी देय हो गया ? यदि हां, तो कितना ब्याज देय हो गया और कब दिया गया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं ।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने सहायक आयुक्त, कर-निर्धारण बिक्री-कर, बरेली को व्यापारी के रिफन्ड प्रार्थना-पत्र को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर निस्तारण करने का निर्देश दिया था ।

जी हां ।

रिफन्ड के प्रार्थना-पत्र का निस्तारण दिनांक 8 जनवरी, 1988 को किया गया । रु0 4,46,899·99 रिफन्ड किया गया ।

जी नहीं ।

चूंकि यह रिफन्ड धारा 29-क के अन्तर्गत देय हुआ है अतः कोई ब्याज अनुमन्य नहीं होता ।

## अधीनस्थ सेवा चयन में बोर्ड का गठन तथा सचिवालय प्रशासन द्वारा सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति

169—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि समूह "ग" पदों पर चयन सम्पन्न कराने हेतु कार्मिक अनुभाग-3 के अधीन एक अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया है जिसके लिये सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान), अनुभाग 5 के अशासकीय-पत्र संख्या 2198/20-ई-5-111-88, दिनांक 17 मई, 1988 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत इच्छुक कर्मचारियों से अनुभाग अधिकारी, प्रवर वर्ग सहायक तथा अवर वर्ग सहायक के 1-1 पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 31 मई, 1988 तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 31 मई, 1988 तक कितने-कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार, चरित्र पंजिका आदि का अवलोकन किये बिना ही प्रश्नगत पदों पर कार्मिक विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्तियां कर गयी हैं ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है तथा इस अनियमितता के लिए कौन-

की? उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार प्रश्नगत तीनों पदों पर उक्त अभ्यर्थियों में से नियमानुसार चयन करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

मंत्रि परिषद् के आदेशानुसार बोर्ड के गठन के पूर्व की आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कुछ आवश्यक स्टाफ नियुक्त करने हेतु सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों में से नियुक्ति करने हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे ।

उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 32 कर्मचारियों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें अनुभाग अधिकारी पद हेतु 15, प्रवर वर्ग सहायक पद हेतु 11 तथा अवर वर्ग सहायक हेतु 6 आवेदन-पत्र थे । इसके अतिरिक्त 7 कार्यरत सचिवालय कर्मचारियों के नाम और प्राप्त हुए । इस प्रकार प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर 39 कर्मचारियों की चरित्र-पंजिकाएं सचिवालय प्रशासन विभाग से मांगी गयी ।

सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा बोर्ड के गठन के पूर्व की कार्यवाही की अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए चरित्र-पंजिकाएं प्राप्त होने के पूर्व सचिवालय में कार्यरत 6 कर्मचारियों जिनमें कार्मिक विभाग का भी एक कर्मचारी शामिल था, बोर्ड में नियुक्ति प्रदान करने हेतु सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) विभाग से कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया गया । सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया तथा बोर्ड के प्रारम्भिक कार्य को निपटाने के लिये उनके अनुभव एवं उनकी उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए तथा सचिवालय प्रशासन विभाग से विचार-विमर्श करके कार्यहित में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिये सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान विभाग से अनुरोध किया गया था । सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान विभाग ने इनमें से केवल एक कर्मचारी जो कि कार्मिक विभाग में कार्यरत था, को स्थानान्तरण के आधार पर नियुक्त करने हेतु कार्यमुक्त किया अतः इसी एक कर्मचारी ने बोर्ड में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया । चूंकि यह नियुक्ति सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों में से बोर्ड के प्रारम्भिक कार्य के निस्तारण हेतु कार्यहित में की गई है अतः किसी अनियमितता/कार्यवाही का प्रश्न उठता । अनुभाग अधिकारी के एक पद पर उक्त आवेदित अभ्यर्थियों में से चयन की कार्यवाही करके नियुक्ति कर ली गई है । अन्य पदों हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर बोर्ड में गठित चयन समिति द्वारा चयन की कार्यवाही की जा रही है ।

## गोरखपुर के श्री पदेशी हरिजन (धोबी) की झोपड़ी सवर्णों द्वारा जलाई जाने पर सहायता धनराशि की मांग

170—श्रीमती शारदा देवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अंतर्गत थाना झंगहा, ग्राम सिलहटा, पो0 विशुनपुरा के श्री पदेशी हरिजन (धोबी) की रिहायशी झोपड़ी सवर्णों द्वारा दिनांक 4 मार्च, 1984 को जलायी गई थी ? यदि हां, तो कितनी धनराशि की सहायता किन-किन को दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां ।

प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने का मामला जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर के विचाराधीन है ।

डिप्टी कलेक्टर, संग्रह, बिक्रीकर, लखनऊ द्वारा बकाया धनराशि व वसूल किये जाने विषयक जांच

171.--श्री मूल चन्द्र--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के सातवें मंगलवार के लिए निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 82 के संदर्भ में राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या 461 मुख्य मन्त्री को तारीख 2 मई, 1988 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 2 मई, 1988 राजस्व विभाग में प्राप्त हुआ तथा विषय वित्त विभाग से सम्बन्धित होने के कारण वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग 3 को दिनांक 20 मई, 1988 को भेज दिया गया है । पत्र पर संस्थागत वित्त विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जिलाधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय के सामने आयोजित धरने के समय दिये गये नौ सूत्रीय ज्ञापन पर कृत कार्यवाही की मांग

172--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 4 जुलाई, 1988 को जनता पार्टी फैजाबाद ने जिलाधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय के सामने एक धरने का आयोजन किया था जिसके अंत में प्रश्नकर्ता तथा अन्य कई पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से एक 9 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो उसमें से किन-किन बिन्दुओं पर कार्यवाही का कार्य ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को सौंपा गया है और उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती तेज कौर, जनपद नैनीताल को निःशुल्क आवासीय पट्टा दिए जाने के संदर्भ में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

173--डा० दिनेश जोहरी--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री को श्रीमती तेज कौर पत्नी सरदार जोधा सिंह, जनपद नैनीताल को निःशुल्क आवासीय पट्टा दिलाए जाने के विषय में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र 9 जून, 1988 का प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अभी तक उस पर क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

प्राप्त पत्र श्रीमती तेज कौर पत्नी जोधा सिंह, निवासी जगतपुरा (जगतपुर), तहसील किच्छा, को नजूल भूमि में आवासीय पट्टा दिलाने से सम्बन्धित था ।

चूंकि ग्राम जगतपुर, रुद्रपुर नगरपालिका के सीमान्तर्गत स्थित है । अतः नगर-पालिका सीमा के भीतर निःशुल्क आवासीय पट्टा दिये जाने का कोई प्राविधान न होने के कारण पट्टा देना सम्भव नहीं है ।

## न्यायालय इलाहाबाद की याचिका पर आदेश विक्रीकर सहायक आयुक्त की श्री गुलाब चन्द्र, छोटे लाल की रिफन्ड प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण करने का आदेश

174—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि आगरा के एक करदाता गुलाब चन्द्र, छोटे लाल ने रिफन्ड न मिलने पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका दाखिल की थी और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 10 अप्रैल, 1987 से सहायक आयुक्त (क0 नि0 बिक्रीकर), श्री एच0 एन0 सिंह से रिफण्ड के प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण करने को कहा था ? यदि हां, तो निस्तारण किस तिथि को किया गया ? रिफंड कितने-कितने रुपयों का और किन-किन वर्षों का है ? रिफंड कब दिया गया ? क्या इन रिफंड पर ब्याज भी ड्यू हो गया था ? यदि हां, तो कितना ब्याज दिया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

संदर्भित वाद में माननीय उच्च न्यायालय ने सहायक आयुक्त कर निर्धारण को व्यापारी के रिफंड प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण करने का निर्देश दिया था ।

रिफंड प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण दिनांक 14 जून, 1988 को किया गया ।

वर्ष 1981-82 के लिए 1,17,449·25 रुपये का तथा वर्ष 1982-83 के लिए 71,166·93 रुपये का रिफंड दिया गया ।

रिफंड वाउचर 15-6-1988 को प्राप्त कराये गये ।

रिफंड आदेश दिनांक 14 जून, 1988 को पारित कर दिनांक 15 जून, 1988 को रिफंड दे दिया गया । चूंकि रिफंड 29-ए के अन्तर्गत देय हुआ है कोई ब्याज देय नहीं होता ।

## चकबन्दी अधिकारी, ज्ञानपुर के न्यायालय के कथित फर्जी आदेश पर किसी दूसरे के नाम दर्ज किया जाना

175—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मुरली यादव, प्रधान, तहसील ग्राम सभा बिहयापुर, तहसील भदोही, जिला वाराणसी ने चकबन्दी आयुक्त उ0 प्र0 को प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायत की है कि गया प्रसाद, ग्राम सुरियावां की आराजी नम्बर 252/0-8-व 660/0-13 व 498/0-4-16 मौजा बिहियापुर, ता0 चौबार, तहसील भदोही को चकबन्दी अधिकारी, ज्ञानपुर के न्यायालय के एक फर्जी आदेश के आधार पर नाम हटाकर दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या फर्जी आदेश रद्द कर दिया गया है तथा प्रार्थी का नाम पुनः दर्ज कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध क्या प्रभावी कार्यवाही की गई ?

श्री माता प्रसाद--

ग्राम बिहियापुर, तहसील सदोही, जनपद वाराणसी में चकबन्दी कार्यवाही समाप्त होकर धारा 52 का गजट प्रकाशन 17 अगस्त, 1985 को हो चुका है। चकबन्दी कार्यवाही के दौरान आपत्ति, अपील और निगरानी के न्यायिक अवसर उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग क्षुब्ध व्यक्ति यथासमय कर सकता है। अब कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है। अभिलेखों से यह भी विदित हुआ कि उक्त ग्राम की प्रश्न में संबंधित आराजी व रकबा पर आधार वर्ष खतौनी से आकार पत्र 45 तक कोई फर्जी अमलदरामद नहीं की गई है और न ही लिखित खातेदारों का नाम खारिज करके दूसरे का नाम दर्ज किया गया है। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

## सहायक आयुक्त विक्रीकर मुख्यालय, श्री मुंशी सिंह सन्त के विरुद्ध शिकायती-पत्र

176--श्री मूलचन्द्र--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के छठें मंगलवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 153 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या 923, माननीय मुख्य मंत्री जी को तारीख 18 अगस्त, 1988 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच कराई गई। जांचोपरान्त श्री मुंशी सिंह संत को विभागीय कार्यवाही में दोषी पाए जाने के फलस्वरूप भर्त्सनात्मक प्रविष्टि प्रदान की जा चुकी है। इनके विरुद्ध चलाए गए गबन के मुकदमें को वापिस लेने का निर्णय माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 29 मार्च, 1981 को लिया गया था।

श्री सन्त दिनांक 31 जनवरी, 1985 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

## जनपद देवरिया, परगना सिधुवा जोबना, ग्राम मठिया नरईपुर के ग्राम प्रधान, श्री मुंशी शेख के विरुद्ध कार्यवाही हेतु कथित शिकायती-पत्र

177--श्री विष्णु देव--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुंशी शेख, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा मठिया नरईपुर, तप्पा साड़ी, परगना सिधुवा जोबना के विरुद्ध परगना अधिकारी, पडरौना, जिला देवरिया ने अपने निर्णय दिनांक 19 अक्तूबर, 1984 पत्रांक मुंशी शेख निलम्बित प्रधान (यू० एस०) 95 (1) जी० जी० (यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, के अन्तर्गत कार्यवाही होने तथा न्यायालय कमिश्नर, गोरखपुर डिवीजन, गोरखपुर, के रिवीजन वाद संख्या 444/डी 1984, मुंशी शेख बनाम राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के अंतिम आदेश पारित होने के उपरांत निलम्बित ग्राम प्रधान के विरुद्ध चार्ज शीट देकर अग्रिम कार्यवाही की गई? क्या इसके सम्बन्ध में संस्थापक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा उत्तर प्रदेश ने भी अपने पत्र दिनांक 23 फरवरी, 1988 द्वारा कार्यवाही हेतु शासन को लिखा है? यदि हां, तो कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया जाता है ।

सुल्तानपुर में मत्स्य पालन हेतु आवंटित तालाब के पट्टे पर अनियमितताएं

178—श्री राज किशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा क्षेत्र सुल्तानपुर स्थित प्रत्येक ग्राम सभाओं में कितने-कितने तालाब हैं किस-किस नम्बर के तालाब किन-किन व्यक्तियों के नाम मत्स्य पालने हेतु किसके आदेश से पट्टा किए गए हैं और वे किस जाति के हैं ? नियमानुसार किस प्रकार के लोगों को आवंटित किए जाने का आदेश सरकार द्वारा प्राप्त है ?

श्री माता प्रसाद—

जनपद सुल्तानपुर में बांदा विधान सभा क्षेत्र तहसील कादीपुर एवं तहसील सदर में स्थित हैं । उक्त तहसीलों को कुल 273 ग्राम सभाओं में कुल 878 तालाब स्थित हैं, जिनमें से 180 तालाबों का पट्टा मत्स्य पालन हेतु परगनाधिकारी के आदेश से नियमानुसार विभिन्न जाति के व्यक्तियों को दिया गया है । पट्टेदारों के नाम, जाति एवं तालाब संख्या आदि से सम्बन्धित विस्तृत सूची मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है । मा0 सदस्य अपने सुविधानुसार उक्त सूची का अवलोकन कर सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश भूमि प्रबन्धक समिति नियम संग्रह के पैरा 60(2) (ख) जो शासनादेश दिनांक 2 मई, 1981 एवं दिनांक 6 जुलाई, 1987 द्वारा संशोधित किया गया है, में आवंटन हेतु वरीयताक्रम निर्धारित है ।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मेरा प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप सब व्यवस्था का प्रश्न करेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में बताऊं ।

श्रीमन्, आज हमको अतारांकित प्रश्न संख्या 42 का उत्तर दिया गया इसमें श्रीमन्, मैंने यह प्रार्थना की थी । एक थानेदार श्री डी0 पी0 गौड़ हैं उनके सम्बन्ध में मैंने प्रश्न किया था तो प्रश्न के उत्तर में इन्होंने दिया मैं उसका एक अंश पढ़ रहा हूं—'तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री प्रभाकर सिंह की जांच से पाया गया कि रामेश्वर व सिपाही लाल

थानाध्यक्ष श्री डी0 पी0 गौड़ के मुखबिर हैं तथा उनके साथ रहते थे। इस जांच के प्राप्त होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पाया गया कि क्षेत्राधिकारी की जांच में थानाध्यक्ष श्री गौड़ का कथन कहीं भी अंकित नहीं है। इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष श्री गौड़ ने मौखिक रूप से बताया कि वे क्षेत्राधिकारी श्री प्रभाकर सिंह को कोई बयान नहीं देंगे क्योंकि उन्हें उनसे न्याय की आशा नहीं है।"

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जो यह उत्तर हमको दिया गया है, यह संगत नहीं है। इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि प्रभाकर सिंह सी0 ओ0 ने जो जांच की और उस सम्बन्ध में जो आरोप लगाये गये। सिपाही राम और रामेश्वर यह दोनों पुलिस के मुखबिर नहीं हैं बल्कि छविराम गिरोह के सूचीबद्ध डकैत हैं। श्रीमन्, इसकी मैंने लिखित शिकायत की, जांच की गयी और जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे उस जांच रिपोर्ट को लेकर चले आये और यहां झूठी सूचना दे दी और फिर दुबारा गोपनीय तरीके से एक सी0 ओ0 से जांच करायी जिन्होंने यह कह दिया कि सिपाही लाल और रामेश्वर यह दोनों थाना फतेहाबाद में नहीं मिले इसमें इस बात को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह दोनों थानेदार के साथ नहीं रहते हैं जबकि वास्तविकता यह है कि दोनों उनके साथ रहते हैं। थानों में इनका नाम अंकित है और यह दोनों थानेदार के यहां रहते हैं और पुलिस लाइन में उनका नाम अंकित है। मेरा आरोप था और है कि उस थानेदार का 216 में चालान होना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका उत्तर इन तथ्यों की जांच कराकर फिर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी, प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं आपसे अनुरोध करूंगा और माननीय सदस्यों से कि हमारे कक्ष में आयें और बतायें कि यह सवाल है तो मैं देखूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि प्रश्नों के सम्बन्ध में यह सदन में उठाया जाय।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, आज नत्थी 'ख' प्रश्न संख्या 3 नियम 29(2) के अन्तर्गत निर्धारित था। मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि—"क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा सरकार की तरह प्रदेश सरकार ने भी कृषि उपकरणों ट्रैक्टर आदि के क्रय-विक्रय से पंजीयन शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है? यदि हां तो वह निर्णय क्या है और कब से लागू होगा? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखकर इस प्रस्ताव पर विचार करेगी? "मान्यवर, इसका स्पष्टीकरण आज मुझसे पूछा गया है उसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रश्न में उल्लिखित कृषि उपकरणों ट्रैक्टर आदि के क्रय-विक्रय पर पंजीयन शुल्क वित्त विक्रीकर विभाग द्वारा नहीं लगाया जाता है। कृपया यह स्पष्ट करें कि पंजीयन शुल्क से आपका क्या तात्पर्य है?

मान्यवर, मेरा प्रश्न सुस्पष्ट था कि ट्रैक्टर आदि का रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्री आफिस में होता है उस पर जो शुल्क लगता है उसको माफ करने के लिए सरकार विचार कर रही है? मान्यवर, यह सरकार इतनी हृदयहीन है कि कभी किसानों के बारे में विचार ही नहीं करती है और जानबूझकर अड़ंगेबाजी करती है। मैं चाहता हूं कि इस सुस्पष्ट प्रश्न का जितनी शीघ्र हो, निर्धारित करने की व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

जो निर्णय मैंने रघुवर दयाल वर्मा जी की व्यवस्था पर दिया है, वही आपके ऊपर भी है।

*कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, इधर कुछ दिनों से ऐसा देखने में आने लगा है कि तारांकित 20 प्रश्नों में से एक या दो प्रश्नों पर ही अनुपूरक प्रश्न हो पाते हैं। आज मेरा तारांकित चौथा प्रश्न था, पत्रकारों से सम्बन्धित था, आवश्यक था, लेकिन वह भी नहीं आ पाया और तारांकित प्रश्नों में से केवल एक ही हो पाया।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपके ऊपर है कि कितना समय लेते हैं ? मैं कोशिश करता हूं कि बीसों प्रश्न हो जांय।

## जनपद सहारनपुर के किसान सहकारी चीनी मिल सरसावा तथा ननौता किसान सहकारी मिल के विस्तारीकरण में करोड़ों रुपये की धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

नियम 301 के अन्तर्गत आज 20 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 7 स्वीकार की गयी (1) श्री राम शरण दास, (2) श्री काशी सिंह ऐरी, (3) श्री हृदय नारायन, (4) श्री रघुवर दयाल वर्मा, (5) श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, (6) श्री देवेन्द्र कुमार सिंह तथा (7) श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह। ये सातों सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायें ? सूचनाएं इस प्रकार हैं—

श्री राम शरण दास—

[मान्यवर, गत वर्ष सरकार ने किसान सहकारी चीनी मिल सरसावा जनपद सहारनपुर तथा ननौता किसान सहकारी चीनी मिल ननौता जनपद सहारनपुर का विस्तारीकरण कराया है। 5-6 करोड़ रुपया प्रति चीनी मिल पर खर्च किया गया है। विस्तार होने के बाद यह दोनों मिलें ठप हो गयी हैं। इन दोनों की क्रेशिंग क्षमता घटी है। नये पुराने पुर्जे फिट करके अधिकारीगण रुपया खा गये हैं। किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा है। जिसको दूसरी मिलों में लिया जा रहा है। अधिकारियों ने जरूर अपने बंगलों व मकानों का विस्तार करा लिया है। करोड़ों रुपया हजम कर गये हैं। यह भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं और मांग करता हूं कि इस भ्रष्टाचार के मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाये।]

## जिला पिथौरागढ़ के गवाई गंगोली क्षेत्र में विकास खण्ड खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री काशी सिंह ऐरी—

[मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के गवाई गंगोली क्षेत्र में एक विकास खण्ड खोले जाने की मांग लम्बे समय से की जाती रही है। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी इस स्थिति को लेकर उस क्षेत्र की जनता ने क्रमिक अनशन आरम्भ कर

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिया है प्रतिदिन सैकड़ों पुरुष एवं महिलाएं जलूस निकाल कर अनशन पर आ रहे हैं।

गवाई गंगोली विकास खण्ड संघर्ष समिति के आह्वान पर दिनांक 26 फरवरी, 1989 के बाद क्षेत्र में बन्द व चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया है जनता की मांग पर कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण क्षेत्र की जनता में पर्याप्त असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए अविलम्ब कार्यवाही किए जाने की मांग करता हूं।]

## जनपद उन्नाव के पुरवा–बनी मार्ग तथा मौरावां–गुलरिहा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नरायन दीक्षित––

[मान्यवर, लखनऊ को उन्नाव जिले के पुरवा तहसील केन्द्र से जोड़ने वाला पुरवा–बनी मार्ग कई साल से निर्माणाधीन है। निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं के कारण उक्त मार्ग पर मार्ग अवरोध पैदा हो गया। यह सड़क पुरवा होकर भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र को भी जोड़ती है। इसी तरह मौरांवा–गुलरिहा मार्ग भी पिछले 30 साल से निर्माणाधीन है। यह मार्ग उन्नाव जिले को सीधे रायबरेली से जोड़ता है। मगर घटिया काम के कारण इन सड़क पर मार्ग अवरुद्ध है और पैदल चलना भी मुश्किल है।

उन्नाव जनपद के पुरवा विधान सभा क्षेत्र में राज्य सेक्टर से निर्मित एक भी सड़क नहीं है। इसलिए आम जनता में सरकार के प्रति और इस व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा हो गया है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर उक्त दोनों मार्गों के अविलम्ब निर्माण की मांग करता हूं।]

## लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कैलाश कुंज योजना में निर्मित भवनों का मूल्य बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुबर दयाल वर्मा––

[मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी की आज्ञा से लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

सरकार द्वारा जो विकास प्राधिकरण बनाये गये हैं उनमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार और आम जनता के साथ अन्याय हो रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक योजना वर्ष 1984 में तैयार की थी इसका नाम कैलाश कुंज योजना है। जब यह योजना आरम्भ हुई तो मूल्य वृद्धि किए जाने की किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई थी और न ही उक्त व्यावसायिक केन्द्र के निर्माण का समय नियत किया गया।

नोट ––[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसके बाद वर्ष 1987 में दर की वृद्धि कर दी गई। पता नहीं किसके आदेश से यह सब हुआ। विकास प्राधिकरणों को शासन ने मनमाने तौर पर अधिकार दे दिए हैं जिनके कारण उनमें भ्रष्टाचार फलीभूत हो रहा है। मान्यवर, इतना ही नहीं अब ज्ञात हुआ है कि जब दुकानदारों को कब्जा और रजिस्ट्री की जा रही है तो पुनः दुबारा रिकास्टिंग करके अतिरिक्त धन की मांग की जा रही है, जो बिल्कुल उचित नहीं है और न ही न्याय संगत।

अतः उपरोक्त परिस्थिति को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर शासन को तत्काल उचित कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं।]

## जिला गोरखपुर में हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के बण्डल गायब होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

गत 3 मार्च को हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रश्नपत्रों का बण्डल गोरखपुर से भटहट परतावल महराजगंज घुघली व लक्ष्मीपुर एवडेगा आदि स्कूलों के लिए जा रहा था, बाद में ज्ञात हुआ कि उसमें से एक बण्डल गायब हो गया जिसकी सूचना शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस को नहीं दिया, काफी खोज के बाद जब प्रश्न पत्रों का बण्डल नहीं मिला तो इसकी सूचना जिला प्रशासन व पुलिस को दिया, जिला प्रशासन व पुलिस के प्रयासों के बावजूद भी प्रश्नपत्रों का बण्डल नहीं मिला।

आज से बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गयी है, सम्भावना यह भी हो सकती है कि प्रश्न-पत्रों के बण्डल कुछ लोगों के हाथ चले जायं जिससे परीक्षा प्रभावित होना स्वाभाविक है। इस बात की आम चर्चा है कि विभाग तथा अन्य लोगों की साजिश से जान बूझकर ऐसा किया गया है जिससे धन उगाही की जा सके। इस प्रकरण से अभिभावकों और छात्रों में एक अनिश्चितता और विभाग के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो गयी है।

अतः मेरी मांग है कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करा कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा इस बात को भी सूचित किया जाय कि यदि प्रश्न पत्र आउट हो गए हों तो पुनः परीक्षा का निर्णय लिया जाय।]

## जिला ललितपुर में भयंकर सूखे की स्थिति से पीड़ित किसानों से सरकारी देयों की वसूली को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

[मान्यवर, बुन्देलखण्ड का ललितपुर जनपद पिछले तीन वर्षों से लगातार सूखे की स्थिति से पीड़ित है। वर्ष 1986-87 में भयंकर ओले पाले, से वर्ष 1987-88 में भयंकर सूखे से तथा इस वर्ष 1988-89 में प्रारम्भ में भयंकर अतिवृष्टि एवं बाद

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में सूखे से इस जनपद की जनता एवं किसान पूर्णतया तबाह हो चुका है। किसानों एवं गरीब जनता द्वारा विभिन्न कार्यों में लिए गए ऋण की वसूलियां प्रशासन द्वारा उत्पीड़ित करके शक्ति से की जा रही हैं। जिलाधिकारी द्वारा 4 मार्च, 1989 को मात्र मुख्य देयों की वसूलियां 31 मार्च, 1989 तक रोकी गयी हैं किन्तु विभिन्न देयों की वसूलियां लगातार जारी हैं। मुख्य देयों की वसूलियां भी आदेशों की अवहेलना करते हुए जारी हैं। सैकड़ों किसानों को उत्पीड़ित करके तहसील के बन्दी गृहों में भेड़-बकरियों की तरह भरा जा रहा है तथा उनके साथ पशुतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। महरौनी तहसील-बन्दीगृह में एक किसान पर्वत, नि0 सौजना का 4 दिनों से भूखा पड़ा है। इससे इस जनपद की जनता में काफी क्षोभ व रोष व्याप्त हो रहा है। स्थिति विस्फोटक हो रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर मैं मांग करता हूं कि समस्त देयों की वसूलियां जून तक तुरन्त रोक कर तहसील के बन्दीगृह से किसानों को तुरन्त मुक्त कराया जावे।]

## जिला गाजीपुर के विकास खण्ड मरदह के सिगेरा में विद्युत् उपकेन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोकमहत्व के जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मरदह के सिगेरा में 33 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र की ओर आकृष्ट करता हूं। यह विद्युत् उपकेन्द्र उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस स्थान पर भूमि भी उपलब्ध है। विभाग द्वारा यह कहा जा रहा है कि धन की कमी के कारण इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में उप केन्द्र न बनने से यहां के किसानों में तथा अन्य लोगों में बहुत ही रोष एवं क्षोभ है और इस कारण कई बार हजारों जनता में प्रदर्शन एवं धरने किए।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित करें कि उपरोक्त स्थान पर उपरोक्त विद्युत् उपकेन्द्र को धन आवंटित कराकर शुरू कराकर चालू किया जाये। जिससे उस क्षेत्र की जनता को इस उपकेन्द्र से लाभ मिल सके।]

## औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत आज 8 सूचनाएं मिली हैं—(1) माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी और उनके साथियों की, सबके नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, (2) माननीय सूर्य प्रताप शाही जी की, (3) राम आसरे वर्मा जी की, (4) माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की, (5) माननीय अशोक बाजपेई जी की, (6) माननीय काशी सिंह ऐरी जी की, (7) माननीय हृदय नरायन दीक्षित जी की और (8) शारदा नन्द अंचल जी की।

---

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, मेरा जो औचित्य का प्रश्न है, वह संसदीय लोकतन्त्र में विपक्ष को जो अधिकार मिले हैं, उस पर हमला हो रहा है, उसके बारे में है। श्रीमन, आप जानते हैं, प्रोफेसर लास्की के शब्दों में विपक्ष का यह अधिकार है---"टु अपोज दि गवर्नमेंट, टु एक्सपोज दि गवर्नमेंट एण्ड टु डिपोज दि गवर्नमेंट" यानी सरकार का विरोध करना बेनकाब करना और सरकार को अपदस्थ करना, जनतांत्रिक तरीके से, यह विपक्ष का अधिकार है, और आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार हमारे इन अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है, क्योंकि ये तीनों काम जो विपक्ष के प्रोफेसर लास्की ने बताए, हम प्रश्नों के माध्यम से और चर्चा में भाग लेकर करते हैं, लेकिन आज श्रीमन्, आज सरकार हमारे इन अधिकारों का हनन कर रही है, इसकी ओर में कुछ उदाहरण देकर कहना चाहूंगा, इसके अलावा सर्वाधिक पीड़ा की बात है कि जब आप आसन पर बैठे होते हैं, उस समय सरकार मर्यादाओं और परम्पराओं का गला घोटने का काम करती है।

यह हमारे लिए और अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा एक प्रश्न था कि क्या सरकार खेती की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए गेहूं का समर्थन मूल्य 250 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार से करेगी आपने इस प्रश्न को अल्पसूचित के रूप में स्वीकार किया। सरकार ने अल्पसूचित के रूप में उत्तर देने में अपनी असमर्थता जाहिर की। उसके बाद नियम 29 (4) के अन्तर्गत कार्यसूची के लिए दिन निर्धारित किया गया और एजेंडे में तारांकित प्रश्न 1 के रूप में स्वीकार किया गया। प्राविजिनल एजेंडे में छप कर आ गया। हम सबको मिल गया और जिस दिन प्रश्न आना था, उसमें छपा हुआ है कि गोपनीयता के आधार पर निरस्त। श्रीमन, गोपनीयता के आधार पर किसी भी प्रश्न को निरस्त करने का अधिकार नियम 28, उप नियम 15 में आपको है। इसमें किन कारणों से गोपनीयता के आधार पर निरस्त होगा, कारण दिया है। आपने विचार करने के बाद उसे योग्य नहीं समझा और स्वीकार किया। इसके बाद सरकार को एक अवसर और होता है नियम 38 (3) में एजेंडे में छपा है तो सम्बन्धित मंत्री जी उत्तर में कह दें कि संस्तुति की है या नहीं, अगर नहीं की है और कारण नहीं बतलाना चाहते तो कह दें कि जनहित में बताना उचित है यह नहीं कि उनका अधिकार है। आपकी अध्यक्ष पीठ से बार-बार इस प्रकार के फैसले हुए हैं, हम उसे शिरोधार्य करते हैं। श्रीमन् ऐसा होने पर, हमारा जो अपोजिशन का कर्तव्य था, हम उसका निर्वहन कर देते थे। प्रदेश की जनता के सामने सरकार का आचरण आ जाता, जनता समझती कि यह सरकार झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। किसानों की हितैषी है या दुश्मन है। गोपनीयता का ढाल बनाया गया है। हमारे उस अधिकार पर हनन करके, टू अपोज दि गवर्नमेंट, टू डिपोज दि गवर्नमेंट, टू एक्सपोज दि गवर्नमेंट-उस पर कुठाराघात करने के लिये, आपके आसन, आपके अधीनस्थ कार्यालय का दुरुपयोग किया गया। डिसआर्डरली हाउस में कोई बात पास नहीं होती, दो-दो बजट पास करा लिये। इस तरह से जो सरकार की आलोचना का अवसर मिला, अपोज-एक्सपोज का, वह अवसर हमको नहीं मिल पाया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है।

श्रीमन्, 4 मार्च, 1989 को मैंने इस बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखा है, उसके प्रतिलिपि माननीय अध्यक्ष के पास भेजी है, उसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दी है। प्रश्न के बारे में अव्यवस्थित हाउस में बजट को पास कराना-इन दोनों बातों पर आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करें, ताकि जो

हमारा हक है, अधिकार है उनका संरक्षण हो सके । अगर यह नहीं होता है तो मेरा दूसरा अनुरोध है कि 4 मार्च, 1989 का जो पत्र है, माननीय अध्यक्ष के कक्ष में, माननीय अध्यक्ष और माननीय नेता सदन बैठकर उस पर बात कर लें । उसके बाद अगर नेता सदन यहां पर आकर सदन में कह सकें कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता, रवीन्द्र नाथ तिवारी ने जो प्रश्न उठाया है गलत उठाया है । मेरी उनमें अटूट आस्था है माननीय नेता सदन में, मैं उन्हें संसदीय परम्पराओं के बारे में इस सदन में भीष्म पितामह मानता हूं । अगर वह कह दें तो जब तक वह यहां नेता सदन रहेंगे, औचित्य का प्रश्न उठाना बन्द कर दूंगा । समझ लूंगा मेरा विश्वास जो उनमें है, उस विश्वास की हत्या हो गयी नारायण दत्त तिवारी जी आज संसदीय परम्पराओं से पलायन कर रहे हैं । अगर यह नहीं होता है तो आप मेरे प्रश्न को हाउस आफ कामन्स के स्पीकर को सुपुर्द कर दें, उन्हें रेफर कर दें । मैं यह कोई नयी बात नहीं कह रहा हूं ।

1957 से 62 का समय था, उस समय नेता विरोधी दल की जगह त्रिलोकी बाबू विराजमान थे, नेता सदन की जगह पर डा0 सम्पूर्णानन्द जी विराजमान थे। इसी तरह का एक प्रश्न उठा था विपक्ष से उठाया गया था, खैर साहब उस आसन पर विराजमान थे जिस पर इस समय आप विराजमान हैं । खैर साहब ने एक व्यवस्था दी, मुझे अच्छी तरह से याद है, अपोजिशन से कहा गया था श्रीमन् आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है, लेकिन हमें उस व्यवस्था पर कुछ आशंका है । इसे हाउस आफ कामन्स के स्पीकर को रेफर कर दें । खैर साहब ने उस मामले को वहां पर रेफर कर दिया । मान्यवर, वह गौरवशाली दिन थे विधान सभा के संसदीय परम्पराओं के परिपालन के । 6 महीने बाद हाउस आफ कामन्स से मामला आ गया । खैर साहब ने यहां पर बताया कि जो रेफर किया था, उसके सम्बन्ध में मुझे बताना है कि माननीय सदस्य ने विपक्ष ने जो आशंका जाहिर की थी, उसकी राय से सहमति प्रकट की हाउस आफ कामन्स के स्पीकर ने । इसलिये मैं अपने उस निर्णय को उसी हिसाब से सम्बोधित कर रहा हूं । श्रीमन्, अगर आप कहेंगे तो मैं उस कार्यवाही को निकलवाकर आपके पास भिजवा दूंगा । मान्यवर, जो प्रश्न आपके सामने हैं, आप देखें किस तरह से अधिकारों का हनन हो रहा है, सारे आदेशों को तिरोहित करते जा रहे हैं । आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता से सत्तापक्ष से पूछना चाहता हूं कौन सी चीज गोपनीय है ढाई सौ रु0 क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य आप ने केन्द्र से करने को कहा या क्या कहा है ? इसमें कौन सी चीज गोपनीय है या जनहित में बताना उचित नहीं है गोपनीयता और जनहित का सहारा लेकर आप इसे बता नहीं रहे हैं ? मान्यवर, जैसे मैंने शुरू में कहा जो विपक्ष का कर्तव्य है अधिकार है सरकार की आलोचना करने का उनकी नीतियों को पर्दाफाश करने का, और अपने दायित्व का निर्वहन करते हुये सरकार को अपदस्थ करने का जो काम है । आज हम लोगों के इन अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है और इस हेतु मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

मान्यवर, अगर सरकार की यह नीति रहती है कि आपको पीठ पर बैठाकर सारी परम्पराओं और आदर्शों का गला घोटने का काम यह सरकार करेगी और ऐसा इसलिये क्योंकि आपके सामने विपक्ष वाले कुछ कह नहीं पायेंगे, तो यह ठीक नहीं है । हम लोगों का आपके आसन के प्रति पूर्ण सम्मान है और हम उसका विरोध नहीं कर सकते । लेकिन अगर सरकार इस नीति का परित्याग नहीं करती, तो शायद हमको भी कुछ फैसला करना पड़ेगा । गांधी जी ने जो रास्ते बताये हैं, उसी के अनुसार कोई प्रतीक विरोध का रास्ता हमें तलाशना पड़ेगा, जिसमें यह सरकार अपने आचरण पर पुनर्विचार करने के लिये बाध्य हो सके । यही औचित्य का प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि या तो आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की कृपा करें और या माननीय मुख्य मंत्री जी से बात कर लें, जो नेता सदन भी हैं और मैं श्री नारायण दत्त तिवारी जी को संसदीय

परम्पराओं और आदर्शों का ज्ञाता मानता हूं । अम्मार साहब को तो मैं मानता नहीं हूं क्योंकि यह बड़ी बेदर्दी के साथ और शर्म हया को छोड़कर संसदीय परम्पराओं का गला घोंटने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं । मुझे तिवारी जी का विश्वास है कि वह इन परम्पराओं को तोड़ने का गर्हित काम नहीं करेंगे और मैं उन्हें भीष्म पितामह मानता हूं, नियमों के परिपालन के सिलसिले में । अगर वह कह दें कि मैंने जो सवाल उठाया है, वह गलत है तो मैं कभी औचित्य का प्रश्न ही नहीं उठाऊंगा, जब तक तिवारी जी यहां हैं । क्योंकि अब मेरा विश्वास ही उठ जायगा । तीसरा विकल्प यह है कि इसे आप हाउस आफ कामन्स को रेफर कर दें ।

(इस समय 12 बजकर 35 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, इसे रेफर कर दीजिये, आपका बड़ा नाम होगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं 13 मार्च, 1958 की कार्यवाही का कुछ हिस्सा पढ़कर बता दूं । जिस समय खेर साहब आपकी पीठ पर बैठा करते थे उस समय कहा गया था कि मैं इंग्लैंड की प्रथा के बारे में लिखा-पढ़ी करके मालूम कर रहा हूं ।

*श्री राम शरण दास--

मान्यवर, मैं आपके लिये नाम कमाने का अवसर आया है । तिवारी जी की बात आप मान लीजिये, आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिया जायगा ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, तिवारी जी ने जो कुछ मूल प्रश्न और मुद्दे उठाये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि--

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होती ।"

श्री राम शरण दास--

"करीमा बबख्शा बरेहालिया,
केहस्त मसुरोकमन्दे हवा ।"

अर्थात् हे खुदा बन्द करीम, मेरे हाल पे रहम कर ।

*श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, यहां तो शेरो शायरी हो रही है, हम लोग चले जायें । हम लोगों का जब नम्बर आता है, तो आप अथवा पीठासीन अधिकारी कहते हैं कि यह नियमों में नहीं आया लेकिन वह किन नियमों में हो रहा है ? अगर आप ऐसा करने की इजाजत दें तो हम लोग भी शेरो शायरी किया करें ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

माननीय तिवारी जी इस सदन के अत्यन्त विद्वान, संसदीय मूल्यों के ज्ञाता और उसके पोषक हैं और समय-समय पर बहुत बड़ा मार्ग दर्शन दिया है इस सदन को । वह हमारे बड़े भाई हैं । हमने भी बहुत कुछ सीखा है उनसे संसदीय परम्पराओं के बारे में । श्रीमन्, मैं इस अवसर पर माननीय श्री तिवारी जी से यह अपेक्षा करता था कि वह निश्चित रूप से मार्ग दर्शन करें इस सदन को, यदि सदन द्वारा कहां विषयान्तर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुआ है अपने इस विषय में, तो वह उसे ठीक करने में अपना योगदान देंगे । उन्होंने प्रोफेसर लास्की का संदर्भ यहां पर दिया 'टु अपोज दि गवर्नमेंट, टु एक्सपोज दि गवर्नमेंट और टु डिपोज दि गवर्नमेंट । जहां विरोध पक्ष का यह दायित्व है और उसे ये तीन अधिकार प्राप्त हैं, वहीं सत्तापक्ष का यह कर्तव्य है कि जनहित का पूरा-पूरा ध्यान रखे। श्रीमन्, जब मैं उस जगह पर बैठा हुआ था, जहां आज श्री तिवारी जी बैठे हुए हैं तो 1978 में, हमने भी उसी अधिकार का हवाला दिया था और हमने भी उन्हीं अधिकारों का निर्वहन किया था, उस समय आपकी पीठ पर श्री बनारसीदास जी विद्यमान थे, उस समय उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था 6 अप्रैल, 1978 को, उन्होंने कहा था कि "प्रश्नों के विषय में कोई औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।" 1977 में भी जब इस अधिकार का प्रयोग किया गया था तो उस समय अध्यक्ष पीठ से निर्णय दिया गया था ।

श्री राम आसरे वर्मा जी के खड़े होने पर...

(व्यवधान)

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

तो मैं कह रहा था कि अध्यक्ष पीठ से निर्णय दिया गया था दिनांक 7 अक्तूबर, 1977 को यदि कोई मंत्री यह उत्तर देता है कि प्रश्न का उत्तर देना जनहित में सम्भव नहीं है या उचित नहीं है, तो उसे उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे भी इस पर दो मिनट सुन लें ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल---

माननीय सदस्य चिन्तित न हों । विधान सभा का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, जिसमें आपका नाम न जुड़ा हो , आपको समय मिलेगा । मान्यवर, मैं आज इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता हूं कि प्रश्न की गोपनीयता है या नहीं है । इस समय हमारे सामने मूल प्रश्न यह है कि इस अध्यक्ष पीठ से अगर किसी विषय पर निर्णय दिया जा चुका है तो उस पर कोई औचित्य का प्रश्न उठाया जा सकता है, या उस पर कोई वाद-विवाद हो सकता है ? आज इस सदन के सामने यह एक अहम प्रश्न है। आज इस पीठ से इस पर निर्णय हो जाना चाहिए। शासन ने हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और अध्यक्ष पीठ से जो आदेश दिये गये हैं या जो रूलिंग्स हुई हैं, उसे हमने हमेशा शिरोधार्य किया है । उधर विपक्ष के लोग क्या करते हैं, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, परन्तु हम समर्पित रहे हैं अपने कर्तव्यों के प्रति । माननीय तिवारी जी इधर बैठे हुए थे और हम उधर बैठे हुए थे, माननीय अध्यक्ष पीठ से 1977 व 1978 में जो निर्णय दिये गये हैं, यदि उनसे माननीय श्री तिवारी जी संतुष्ट नहीं होते हैं तो मान्यवर, उसके बाद जो आपका आदेश होगा, वह सर्वोपरि शिरोधार्य होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने श्री बनारसी दास जी के जिन आदेशों का हवाला यहां पर दिया, जहां तक मुझे स्मरण है, इसी सदन में विस्तार से इस विषय पर डिबेट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी हुई थी कि गोपनीयता क्या है ? मैं माननीय मन्त्री जी से सहमत हूं, तिवारी जी ने भी सहमति दी है कि उत्तर सदन में आता, एजेण्डा में छपता और सरकार की ओर से उत्तर दिया जाता कि गोपनीयता है, तब बात अलग थी । यहां बात दूसरी है । आपके द्वारा ग्राह्य किये जाने के बाद सरकार ने आपत्ति भेज दी और उस पर विचार करने के बाद आपने उसे निरस्त कर दिया ।

जिस निर्णय का हवाला दिया गया है उसमें निर्णय देते समय एक बात और कही गयी थी कि ऐसे मामलों पर सरकार जो गोपनीयता का बहाना लेती है तो अध्यक्ष पीठ को अधिकार है जानने और समझने का कि वास्तव में गोपनीय है या नहीं । मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार उत्तर दे दे लेकिन अध्यक्ष पीठ द्वारा ग्राह्य किये जाने के बाद सरकार सचिवालय को उत्तर दे दे और सरकार से उत्तर आने के बाद क्या उसे कार्यालय से ही अग्राह्य किया जा सकता है ? पत्रावली अध्यक्ष के पास आयेगी और वह स्वयं निर्णय लेंगे । जानना चाहता हूं कि क्या पत्रावली आपके पास आयी और आपके विवेक ने निर्णय लिया कि गोपनीय है ?

मान्यवर, आपको याद होगा सार्वजनिक निर्माण विभाग की डिबेट हुई थी, मैंने नियम 103 में प्रस्ताव की सूचना दी है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्रिया-कलाप के बारे में पूरा प्रदेश जानना चाहता है । हम भी सुझाव देना चाहते हैं, इस लिये तीन घन्टे की चर्चा करा दें । मैं फिर बल देना चाहता हूं कि मेरी सूचना पर चर्चा के आदेश दें ।

(माननीय सदस्य द्वारा विषयान्तर करने पर ।)

श्री मैनेजर सिंह--

आप देख रहे हैं, क्या सवाल है और क्या प्रश्न आ जाता है । आप बैठे हुए टुकुर-टुकुर देखते रहते हैं । जब विषयान्तर हुआ, आपको रोकना चाहिये था ।

श्री उपाध्यक्ष--

देखते रहने का सवाल नहीं है । आज माननीय गुप्ता जी को रोकता तो वह बजाय बात समझने के नाराज होते । यह सही है कि उन्होंने थोड़ा सा विषयान्तर किया है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जहां तक माननीय डा0 कौशल ने कहा कि उन्हें अधिकार है जनहित में उत्तर न देने का, उन्होंने स्वनाम धन्य बाबू बनारसी दास जी के निर्णय का हवाला दिया, मैं सहमत हूं कि नियम 38(3) में उनको अधिकार है, लेकिन अगर एजेण्डे में छपता तो हम अपने कर्तव्य का पालन भी कर लेते और आपका आचरण भी सामने आ जाता । इससे पहले धर्म सिंह जी ने भी व्यवस्था दी है कि "लेकिन जनहित के इस हथियार का प्रयोग सरकार कम से कम करे" यह जो गेहूं के समर्थन मूल्य की बात थी, पिछले वर्ष नरेन्द्र सिंह जी कृषि मन्त्री थे, प्रश्न उत्तरित हुआ है इसी सदन में । आज न सरकार बदली न कुछ और बदला, केवल मन्त्री का विभाग बदला । आज कहा गया कि गोपनीयता है । इसीलिये मैंने तीन विकल्प सुझाये हैं, उनमें से कोई स्वीकार करे, यही अनुरोध है ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि वह अध्यक्ष पीठ के सभी निर्देशों का पालन करते हैं, तो आपकी पीठ से जारी किया हुआ करण है, उसे देख लें, उसमें स्पष्ट है कि यदि कोई ऐसा प्रश्न विधान सभा सचिवालय द्वारा स्वीकार हो जाय और अध्यक्ष ग्राह्य कर लें जो कि नियमानुकूल न हो तो, करण में स्वयं दिया है, कि सरकार

15 दिन के भीतर अभ्यावेदन करेगी। अगर सरकार 15 दिन के भीतर अभ्यावेदन करे और आपने जो एक दफा ग्राह्य कर लिया है तो सरकार को उस पर सूचना मिलने के 15 दिन के भीतर अभ्यावेदन द्वारा आपत्ति करने का अधिकार है। परन्तु यदि कोई सदस्य उस पर पुनर्विचार करने के लिये कहे तो आप उसपर आपत्ति करते हैं तो फिर कहते हैं कि यह अध्यक्ष पीठ की आज्ञा की अवहेलना है। यदि प्रश्न प्राप्त होने के 15 15 दिन के अन्दर शासन ने यदि अभ्यावेदन किया है तभी तब आप यह जारी कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बरार जी, आप 21 तारीख को इस पर बोल चुके हैं अब दुबारा इस पर बोलने की आज्ञा नहीं दी गयी है।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं इस विषय में बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि यहां पर कृषि मन्त्री जी मौजूद हैं उत्तर देने के लिये, परन्तु क्योंकि इसमें सपोर्ट प्राइस की बात है और माननीय तिवारी जी ने तो कह ही दिया कि मैं संसदीय परम्पराओं का गला घोटता हूं, तो मैं कह रहा था कि इसमें सपोर्ट प्राइस की बात है और इसमें फण्डामेन्टल प्रिंसपल का सवाल है। चूंकि माननीय तिवारी जी ने हाऊस आफ कामन्स का हवाला दिया लेकिन जहां तक पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस का सवाल है कि किन-किन परिस्थितियों में प्रश्न स्वीकार किया जाता है और मन्त्रियों के क्या अधिकार हैं, उसमें साफ है कि जनहित की बात पर कोई चैलेन्ज की बात है। जब एक बार कह दिया गया कि जनहित में इसका उत्तर देना उचित नहीं है तो यह कोई डिबेटिबिल प्वाइन्ट नहीं बन सकती है। इसी तरह से कौल और शकधर की प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेन्ट के पेज 383 को आप देखें जिसमें लिखा हुआ है "इट इज फार दि मिनिस्टर टू रिफयुज टू आनसर आन दि प्लो आफ पब्लिक इन्टरेस्ट हाऊएवर इन एक्सेप्टेशनल सरकम्सटान्सेस ए क्यूश्चन मे बी डिसएलाउड। जब एक मन्त्री उत्तर देने के लिये इन्कार करता है तो उस पर नोटिस नहीं दिया जायेगा। क्या आपके निर्णय के बाद, यदि जनहित की बात हो, तो क्या उस बात को फिर प्रस किया जा सकता है? इसी सत्र में इसी तरह की नोटिस आ चुकी है, मैं समझता हूं कि यह सवाल औचित्य में नहीं आ सकता है।

माननीय तिवारी जी ने जो दूसरी बात कही है कि यह सरकार का डिबेटिबिल प्वाइन्ट है। जहां तक सरकार के अधिकार का सवाल है, उसका यह अधिकार है कि जनहित में उसका उत्तर न दो और उसको उत्तर देने के लिये बाध्य करना उचित नहीं है। वैसे यदि आप कोई आदेश देंगे तो इस प्रोटेक्शन के होते हुये भी, चाहे जो रूल्स और रेगुलेशन बेंच के आते होंगे, आपके आदेशों का पालन होगा। किसी भी परिस्थिति में हम लोग प्रजातन्त्र प्रणाली के विपरीत काम नहीं करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में जो पुस्तकें हैं मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस और कौल और शकधर की पुस्तक, हाऊस आफ कामन्स में जो अधिकार हैं, उन्हीं के अनुसार हम काम कर रहे हैं, उसके विपरीत कोई कार्य नहीं कर रहे हैं।

*श्री रेवती रमण सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय तिवारी जी ने जो बात रखी है वह कोई ऐसी बात नहीं है जो माननीय अम्मार रिजवी साहेब बार-बार कह रहे हैं। माननीय तिवारी जी ने तीन विकल्प किये हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में माननीय अम्मार रिजवी साहेब बात कह रहे हैं। माननीय तिवारी जी तो मान रहे हैं कि जनहित में सरकार को उत्तर न देने का अधिकार है किन्तु उसका अभ्यावेदन माननीय अध्यक्ष के पास 15 दिन के अन्दर आना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर निर्णय बाद में दिया जावेगा, मैं इस पर रूलिंग को रिजर्व करता हूं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

सरकार ने जिस तरह से सपोर्ट प्राईस छिपाने का प्रयास किया, उसके विरुद्ध में और मेरा दल सदन से वाक आऊट करता हूं ।

(श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करके चले गये ।)

(श्री रामशरण दास भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मैंने मान्यवर, जो औचित्य का प्रश्न रखा है और भारतीय संविधान के अन्तर्गत जो शपथ ग्रहण की है, भारतीय संविधान के प्रति जो निष्ठा व्यक्त की है, उसको संरक्षण देने की शपथ खाई है और आपकी पीठ से भी उसे संरक्षण देने की शपथ खाई गयी है, इसी बात पर हमारा औचित्य का प्रश्न है । मान्यवर 1 मार्च और 3 मार्च, 1989 को सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक बड़ा बजट यहां पर प्रस्तुत हुआ और 3 मार्च, 1989 को यहां पर सामान्य प्रशासन का बजट प्रस्तुत हुआ, उस दिन जो प्रक्रिया अपनाई गयी, आपकी पीठ से भी अपनाई गयी, वह लोक तान्त्रिक प्रदेश के इतिहास में काले अक्षरों से लिखी जायेगी और प्रदेश की जनता के लिए जो 100 करोड़ रु0 से अधिक का जो बजट प्रस्तुत हुआ उस पर बहस करने हेतु हम माननीय सदस्यों को आप सक्षम नहीं बना पाए । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में यह व्यवस्था है कि वार्षिक बजट इस विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे और अनुच्छेद 203 में यह व्यवस्था है कि विधान सभा को प्रत्येक सदस्य को इस बात का अधिकार है कि यदि वह चाहे तो बजट को स्वीकृति दे, या उसमें कटौती करे और चाहे तो संशोधित करे । इसलिए मेरा निवेदन है कि पिछले उन दो दिनों में जो दो बजट सार्वजनिक विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग के बजट प्रस्तुत हुए, इसमें हमें जो अधिकार प्राप्त थे चाहे वह भारतीय संविधान के अन्तर्गत हो या उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अध्याय 15 के अन्तर्गत के अनुसार हमें अपनी कटौती प्रस्तुत करने का सुझावों को देने और सरकार की नीतियों पर आलोचना करने का उससे वंचित कर अफरा-तफरी में जो निर्णय लिये और हमें कटौती रखने का अवसर ही नहीं दिया इसे किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जायगा, हमारे अधिकारों को छीनकर, नियमों का ही नहीं अपितु सदन का अपमान किया है और लोकतन्त्र की मर्यादाओं को तोड़ा गया है । इस प्रकार से हम सब माननीय सदस्यों के अधिकार समाप्त हो रहे हैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुरूप सार्वजनिक निर्माण विभाग और सामान्य प्रशासन के बजट को फिर से पटल पर रखा जाए, जिससे हम समस्त सदस्य उसपर अपनी अभिव्यक्ति दे सकें, सुझाव दे सकें और कटौती का प्रस्ताव रख कर विचार कर सकें । इस प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, उन दिनों में यह बजट किन परिस्थितियों में आपके समक्ष रखे गये, इन सारी बातों को सभी माननीय सदस्य बखूबी से जानते हैं, इसलिए मैं उस स्थिति को फिर से दोहराना नहीं चाहता और जो प्रक्रिया अपनाई गयी, मान्यवर सदन स्वयं मास्टर है अपनी कार्यवाही को हर मौके पर चलाने में और यह बात कोई पहली बार नहीं हुयी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटना हो चुकी है। और बजट पास हुए हैं। अभी तीन दिन पहले ही यहां पर एक बात सामने आयी कि मार्शल की ओर से यह एलान हुआ कि अब सदन की कार्यवाही सवा 6 बजे तक के लिए स्थगित की गयी है, परन्तु उस दिन मान्यवर सदन 15 मिनट पहले ही चालू हो गया, तो इस प्रकार से सदन स्वयं मास्टर है, अपने कार्य में, अब इसे किसी भी संविधान की अनुच्छेद या प्रक्रिया नियमावली के विपरीत नहीं कहा जायेगा। इस लिए इस तरह से कई बार बजट पास हो चुके हैं, इसलिए मैं मान्यवर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां पर कोई भी औचित्य का प्रश्न नहीं उठता है और सदन हर तरह से प्रति दिन व्यवस्थित रहे, इसमें दोनों ओर के माननीय सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि आगे चलकर ऐसा कोई भी वातावरण हम लोगों की ओर से नहीं बनाया जायेगा, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की फिर से पुनरावृत्ति हो।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मैं उन संविधान की धाराओं को पढ़ना चाहता हूं संविधान की धज्जियां उड़ाने में संसदीय कार्य मंत्री जी माहिर हैं। संविधान की धारा 202 और 203 (2) में स्पष्ट लिखा है। "203 (2) सो मच सो आफ द साइड एस्टीमेट्स एज रिलेट्स टू अदर एक्सपेन्डीचर शैल बी सम्मिटेड इन दि फार्म आफ डीमन्डस फार ग्रान्ट्स टू लेजिस्लेटिव एसेम्बली एंड दि लेजिस्लेटिव एसेम्बली शैल हैव पावर टू एसेन्ट आर टू रिफ्यूज टू एसेन्ट टू एन डिमान्ड आर टू एसेन्ट टू एनी डिमाण्ड सब्जेक्ट टू ए रिडक्सन आफ दि डिमान्ड स्पेसीफाइड देयरइन" तो इसमें साफ व्यवस्था है कि अनपूरक अनुदान इस विधान सभा में प्रस्तुत किये जायेंगे, आय व्ययक के रूप में प्रस्तुत किये जायेंगे और उसको पास करने के लिये यह विधान सभा सक्षम है। मान्यवर, इसमें शैल शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है मैन्डटरी ऐसा नहीं है कि नेता सदन या अध्यक्ष इस व्यवस्था को निलम्बित कर दें। यह मैन्डेटरी है, तो इस मैन्डेटरी प्रावीजन का अनुपालन नहीं किया गया है। सामान्य प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट को सदन ने नहीं पारित किया है, उस पर वोट नहीं हुआ है। इन विभागों के बजटों पर वोट नहीं हुआ है मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस संवैधानिक व्यवस्था को अनुपालन करने के लिये दुबारा चर्चा करायें और जो गलत परिपाटी पड़ती जा रही है उसका अनुसरण न किया जाये। सदन के नेता और संसदीय कार्य मंत्री जी वाक् जाल बनाने में माहिर हैं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसी परिपाटी को न दोहराया जाय जो इस प्रदेश के संसदीय इतिहास में कलंक हो। इस सम्बन्ध में आप हम लोगों को सरक्षण दें।

श्री मैमेजर सिंह—

मान्यवर, मा0 सूर्य प्रताप शाही जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है वह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर सारे सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। और इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि सदन किस प्रकार से व्यवस्थित स्थापित ढंग से चले? इस बात पर चर्चा होनी चाहिये कि कैसे शान्ति पूर्वक सदन की कार्यवाही संचालित हो? श्रीमन् जिस हंगामे में और जिस अव्यवस्था में सदन में बजट स्वीकार हो रहे हैं, निश्चित रूप से यह गलत है। दो एक बार तो अव्यवस्थित सदन में बजट पास हो गये लेकिन उसका औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इसके लिये दोनों पक्ष के लोग दोषी हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उस पीठ की आती है जिस पीठ पर आप श्रीमन् उपाध्यक्ष जी विराजमान हैं, क्योंकि सदन को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर 2-4 सदस्य अवरोध डालते हैं, वह एक सार्वजनिक हित की बात को लेकर ऐसा करते हैं, तो पीठ का दायित्व है कि सदन को व्यवस्थित करे और अगर

आवश्यकता हो तो उन सदस्यों को इंगित करे अब तक [× × ×] और यह मैं गत 4 साल से देख रहा हूं। मैं नहीं जानता किन परिस्थितियों में हमारे साथी कुशवाहा जी को इंगित किया गया ? मुझे नहीं मालूम कि आपने किया या अध्यक्ष जी ने किया ? अगर आप इस अधिकार का प्रयोग करें तो सदन व्यवस्थित रह सकता है। कई बार मुझे भी इंगित किया गया और मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद का पत्र लिखकर क्षेत्र में चला गया। एक-एक महीने तक अपने क्षेत्र में रहा। हम कोई बात सार्वजनिक महत्व का सुनाना चाहते हैं और आप नहीं सुनना चाहते हैं, तो हम खड़े रहेंगे और जब आप इंगित कर देंगे तो चले भी जायेंगे।

अभी चन्द दिन पहले का हरदेव राम का प्रकरण आया और उस दिन आप सदन को बराबर स्थगित करते जा रहे थे। हम लोग सदन में बैठ हुये थे क्या आपने समझ रखा था कि भेड़ बकरियों की तरह बैठे हैं ? कई बार मैंने मार्शल को कहा कि वह माननीय उपाध्यक्ष को बुलालावें और सदन को चलावें। श्रीमन्, मैं कभी सदन के वेल में नहीं गया था। उस दिन मुझे गुस्सा आ गया, मैं अपना संतुलन खो बैठा और सचिव का माइक नोच लिया। मुझे ग्लानि हुई। अपने पूरे विधान सभा के सदस्यता कार्यकाल में मैंने ऐसा काम किया जो कदापि उचित नहीं था। मैं दूसरे दिन खेद प्रकट करना चाहता था। मैंने यह बात अपने मंत्री मा0 रवीन्द्र नाथ तिवारी जी से कही उन्होंने कहा कि यदि आप आज खेद प्रकट करेंगे तो फिर उस विषय पर विवाद शुरू हो जायेगा। इसलिये उस बात को न बढ़ायें। मुझे अत्यन्त अफसोस हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे स्वयं उस बात का खेद है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की बातों को रोकिये, इन पर अंकुश लगायें और इस तरह से अव्यवस्थित सदन में अनुचित रूप से बजट प्रस्तुत न होने दें। इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हमारी भी है। पहले विधान सभाओं में बजट के दिनों में नियम 56 नहीं लिये जाते रहे हैं और हम लोग रोज बीस-बीस, पचास-पचास नियम 56 में, नियम 300 में और नियम 301 में प्रश्न रखते हैं। इस तरह से बजट अवधि में सदन का बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है। हम लोगों को सरकार की बहुत सारी खामियों को उजागर करने का मौका बजट अवधि में मिलता है और आज हम परोक्ष रूप से इस अवसर को खो देते हैं अपने ऐसे क्रियाकलाप से इस लिये श्रीमन्, इस पर भी विचार होना चाहिए कि उस स्थिति में सदन कैसे चलेगा ? कुछ यहां पर इनेगिने लोग हैं जिनकी वजह से इस तरह की अव्यवस्था होती है। आप उन्हें अपने कक्ष में बुलाते हैं और गलत निर्णय कर देते हैं और सदन में वह निर्णय उलट जाता है यह नेतृत्व वर्ग का हल्कापन है। मैं कहना चाहता हूं कि आप समय के मूल्य को समझें। नियम 56, नियम 301 पर अंकुश लगायें। माननीय सदस्यों पर भी अंकुश लगायें। आप एक मीटिंग कर लें और बजट पर हमारे विरोध पक्ष के साथी भी जो भावना व्यक्त कर रहे हैं, उस पर आप उचित निर्णय दें। ऊल जलूल सवालों पर अंकुश लगना चाहिए और सदन का समय नष्ट न हो, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मैनेजर सिंह जी ने गम्भीरतापूर्वक बात कही उसके सम्बन्ध में मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि भविष्य में कभी ऐसा अवसर न आये जैसे पहले यहां पर आया।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

यह आपकी जिम्मेदारी है।

---

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं जिम्मेदारी के साथ चलाने की कोशिश करता हूं । लेकिन परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

यदि आप उस दायित्व का निर्वहन करते तो आप सदन में आते, कटौती का प्रस्ताव रखा जाता, चर्चा होती । लेकिन आपने हमें उस अधिकार से वंचित कर दिया । आप दूसरे दिन के लिये स्थगित कर देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी बात पूरी सुन ली है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

आप सुधार नहीं करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो आप दुहाई दे रहे थे ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इसलिये तो आपने ईश्वर से प्रार्थना की है कि ऐसे अवसर न आवें और इस पर भी शाही जी को आपत्ति है तो क्या किया जाय ।

*श्री राम शरण दास—

श्रीमन् शाही जी बात अपनी जगह पर है । मैनेजर सिंह जी ने एक बात उठायी कि यह आपका दायित्व है । उनका भी है, हमारा भी है । हम बच नहीं सकते । यह सदन आपके, हमारे विरोध पक्ष के और सत्ता पक्ष के सहयोग से चलेगा । यदि ये हुड़दंग करेंगे तो नहीं चलेगा, हम करेंगे तो नहीं चलेगा और आप भी अपने विवेक से नहीं चलेंगे तब भी नहीं चलेगा । तो सुधार आप में भी, हम में भी और इनमें भी लाना है ।

श्री उपाध्यक्ष—

शाही जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है 1-3-89 के पी० डब्लू० डी० के बजट के सम्बन्ध में, उस पर कार्यवाही का प्रश्न 2-3-89 को उठाया गया था और उस पर निर्णय भी हो चुका था । जहां तक 3-3-89 के बजट का सवाल है उसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन के निर्णय के उपरान्त औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है । आगे तो 300 में नहीं आते हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे शर्मा—

निर्णय देने से पूर्व सुन तो लें ।

(व्यवधान श्री शारदा नन्द अंचल के खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

शान्ति बनाये रखें ।

(व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल जी आप बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

आप सुनेंगे नहीं तो इस तरह से हल्ला होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी आपने एक बात कही थोड़ी कड़ाई बर्तें (अंचल जी यह आपका मामला 300 के आस-पास भी नहीं आता है)

(व्यवधान)

जरा सा भी आता होता तो मैं जरूर सुन लेता । अंचल जी जूनियर इंजीनियर का मामला कैसे 300 में आयेगा ? उसके आस-पास भी नहीं आता है

(व्यवधान)

मैं सुनने को तैयार नहीं हूं ।

(व्यवधान)

जब कड़ाई बर्तता हूं तो 8-8 लोग खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि कड़ाई बर्तें । एक तरफ आप कहते हो कड़ाई बर्तें दूसरी तरफ जब नियम 300 के आस-पास भी आता हो तो मैं सुनने को तैयार हूं

(व्यवधान)

*श्री शारदा नन्द अंचल--

सहायक अभियन्ता ने लाखों रुपये लूट लिये हैं उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप आसन ग्रहण करें ।

श्री शारदा नन्द अंचल--

यह सरकार का काम है

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

300 में ट्रांसफर कैसे आयेगा ?

(व्यवधान)

आप ही बतायें ? जूनियर इंजीनियर का ट्रांसफर इसमें कैसे आयेगा ?

श्री शारदा नन्द अंचल--

इन्होंने लिखा है कि स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा रही है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

फिर आप कहते हैं कि तमाम चीजें पीठ से होती हैं। मैं सुनने को तैयार हूं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि कड़ाई करें और दूसरी तरफ यह कहते हैं सुनें।

श्री राम आसरे वर्मा--

एक-एक मिनट सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें ऐसे कैसे काम चलेगा ?

श्री शारदानन्द अंचल--

उसका एक लाख रुपया रिश्वत का खा गये। चाहे उसने यहां के मंत्री को दिये हों या केन्द्रीय मंत्री को दिये हों या विभाग के किसी अधिकारी को दिये हों उसका कहना है कि एक लाख रुपया देकर मैंने काम कराया है

(व्यवधान)

शासन के आश्वासन देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। किन परिस्थितियों में स्थानान्तरण रोका गया इस पर स्पष्ट बात आनी चाहिये। वह यहां आकर किसी न किसी प्रमुख व्यक्ति से मिला है

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अंचल जी ऐसे कैसे काम चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल--

वहां राजनीतिक कार्यकर्ताओं में असंतोष है। कर्मचारी आंदोलन की स्थिति में है। इस पर निश्चित रूप से व्यवस्था आप दीजिये।

(व्यवधान)

श्री विष्णु देव--

मंत्री जी ने जवाब दिया है कि कार्यवाही हो रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी एक मिनट जरा सुनें

(व्यवधान)

विष्णुदेव जी मैंने आपको नहीं पुकारा

(व्यवधान)

क्या आपने 300 में दिया है आप कैसे बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, आपने औचित्य के प्रश्न पर जो निर्णय दिया उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है आपका निर्देश शिरोधार्य है। माननीय अंचल जी ने जो प्रश्न उठाया है। मैं समझता हूं कि माननीय अंचल जी से मैं परामर्श कर लूंगा किसी जगह पर यह समझते हैं कि गलत बात हुई है या अनियमितता हुई है तो उसे दूर किया जायेगा।

(समय 1 बजकर 20 मिनट पर)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न दिया था कि जिला स्तरीय पत्रकार जो मान्यता प्राप्त हैं, उनको यात्रा सुविधा दिये जाने के संबंध में प्रश्न था जो आज अतारांकित प्रश्न संख्या 98 क्रम पर आया है इसी प्रश्न की महत्ता को देखते हुये अल्पसूचित प्रश्न के रूप में स्वीकृत की गयी थी और शासन को भेजा गया। शासन की ओर से कोई जवाब नहीं लिखा गया। इसलिये आज की सूची में अल्पसूचित प्रश्न के रूप में सही नहीं लिया गया किन्तु आज की ही सूची में अतारांकित प्रश्न की सूची में लाकर उत्तर दे दिया गया। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि पत्रकारों को रेलवे कूपन दिये जाने का प्रकरण निदेशक सूचना विभाग द्वारा शासन को भेजा गया था और विचाराधीन था। लेकिन आज उत्तर दिया गया उसमें कह दिया गया कि इस तरह का प्रकरण विचाराधीन नहीं है। यह उत्तर इसलिये दिया गया चूंकि संबंधित मंत्री द्वारा यहां पर अल्पसूचित में जवाब न देना पड़े और पत्रकारों के सिलसिले में जो शासन की नीति है उसका भंडाफोड़ न हो सके। इसलिये मैं आपसे इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि यदि यह प्रश्न सदन में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में आता तो माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न कर सकते थे लेकिन अतारांकित प्रश्न के रूप में इसलिये लाया गया कि सदन में माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न न कर सकें और जो शासन की नीति है पत्रकारों के विरोध में उसका भंडाफोड़ न हो सके। इसलिये व्यवस्था दें कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में लाते तो अनुपूरक प्रश्न कर सकते थे तो हमें इस अधिकार से वंचित क्यों किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों के संबंध में माननीय अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, इसलिये कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, संविधान में यह व्यवस्था है कि आजाद हिन्दुस्तान में न्याय प्रक्रिया को सरल बनाया जाये और न्याय गरीबों को जल्दी मिल सके, इसी बात को देखते हुये विकेन्द्रीयकरण न्याय प्रणाली के अन्तर्गत पंचायतराज में न्याय पंचायतों और छोटे बड़ी अदालतों का गठन किया गया। संविधान में इसका प्राविधान किया गया कि छोटे और बड़े विवादों के लिये शहरी अदालतों में गरीब और किसानों को जाना न पड़े। लेकिन दुर्भाग्य है कि जनतंत्र के नाम पर शासन जनतंत्र विरोधी हो गयी है क्योंकि पिछले 20 वर्षों से न्याय पंचायतों का चुनाव नहीं कराया गया जिससे छोटे-छोटे विवादों को गांवों में लेकर बड़ी-बड़ी घटनायें हो रही हैं और न्यायालय में जाना पड़ रहा है जहां गरीबों को महंगा न्याय मिलता है। इसलिये चौखम्भा राज्य के अन्तर्गत प्रजातंत्र में न्याय प्रणाली का विकेन्द्रीयकरण न करके निरन्तर संवैधानिक अधिकारों की अवहेलना की जा रही है। मान्यवर, गांव सभाओं के चुनाव हो गये हैं तो न्याय पंचायतों के सदस्यों का चुनाव एवं न्याय पंचायतों का गठन न किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह औचित्य का प्रश्न नहीं है । पंचायतों से सदन नहीं चलता है ।

(व्यवधान)

तो औचित्य का प्रश्न कैसे खड़ा हो गया ?

श्री अशोक वाजपेयी--

मान्यवर, संविधान में न्याय पंचायतों की व्यवस्था है। इसलिये उत्तर दिलवा दें।

*श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, सम्मानित सदन को मालूम है कि गांव पंचायत के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं, ब्लाक के हो गए हैं, 47 जिला परिषदों का गठन हो चुका है और शेष के बारे में भी मैंने इस सदन को सूचित किया है कि उनके भी शीघ्र ही चुनाव कराये जायेंगे, अब जहां तक न्याय पंचायतों का सवाल है, यह सही है कि विगत कई वर्षों से उनका गठन नहीं हुआ था, लेकिन अब शासन ने यह निर्णय ले लिया है कि बहुत शीघ्र ही, यथाशीघ्र उसका चुनाव करा दिया जाएगा । यदि माननीय सदस्य यहां न बैठे होते तो शायद उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई होती ।

*श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, भारतीय संविधान के तहत हमारी यह नियमावली बनाई गई है और उसके तहत हमारी याचिका समिति है जिसमें शासन की घोर उपेक्षा के कारण जो जनसमस्याएं दूर नहीं होती हैं, जिनके लिए माननीय सदस्यों को यहां याचिका दायर करने का अधिकार है, और यह सदन उनकी सुने और जो याचिका प्रस्तुत हुई और याचिका समिति ने

( व्यवधान )

हमारे यहां पिपली में एक एलोपैथिक अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में एक याचिका हमने दी थी । उसके सम्बन्ध में याचिका समिति ने जो रिपोर्ट दी है....

( व्यवधान )

श्री उपाध्यक्ष--

आप उसपर चर्चा मांग लीजिए, यह औचित्य का प्रश्न नहीं है कतई।

श्री काशी सिंह ऐरी--

नहीं है, क्योंकि सदन में उसकी पूरी कार्यवाही आ चुकी है । इसलिए यह इसमें आता है ।

( व्यवधान )

सरकार ने स्पष्ट लिखा है कि 1988-89 की जिला योजना में उसका अनुश्रवण प्राप्त कर लिया जाएगा । यह सदन में इनका कमिटमेंट है ।

( व्यवधान )

सदन में जिसकी घोषणा हो चुकी है....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या 4, मैंने सुन लिया, अब कोई इजाजत नहीं है। बैठिये-बैठिये, चर्चा के लिए लिख कर भेज दीजिए। वीरेन्द्र जी, आपका भी नहीं सुनूंगा। आप भी बैठिये।

जनपद फैजाबाद, तहसील टाण्डा के विकास खण्ड रामनगर में हंसवर से मंसूरगंज रोड पर रामनगर से चहौड़ा जाने वाली मेन रोड के चौराहे की सुरक्षित भूमि पर जूनियर हाई स्कूल (कन्या विद्यालय) खोले जाने विषयक श्री राम बिलास सिंह, ग्राम सरफहीनपुर, जनपद फैजाबाद की याचिका

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद फैजाबाद, तहसील टाण्डा के विकास खण्ड रामनगर में हंसवर से मंसूरगंज रोड पर रामनगर से चहौड़ा जाने वाली मेन रोड के चौराहे की सुरक्षित भूमि पर जूनियर हाई स्कूल (कन्या विद्यालय) खोले जाने विषयक श्री राम बिलास सिंह, निवासी ग्राम सरफहीनपुर, पो0 चहौड़ा, विकास खण्ड रामनगर, तहसील टाण्डा, जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद फैजाबाद के रामनगर विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज में आंगनबाड़ी योजना बाल विकास परियोजना एवं अन्य रोजगार सुलभ करने वाली योजनाएं शासन द्वारा लागू कराये जाने विषयक श्री राम बिलास सिंह, ग्राम सरफहीनपुर की याचिका†

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं जनपद फैजाबाद के रामनगर विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज में आंगनबाड़ी योजना, बाल विकास परियोजना एवं अन्य रोजगार सुलभ करने वाली योजनाएं शासन द्वारा लागू कराये जाने विषयक श्री राम बिलास सिंह, निवासी ग्राम सरफहीनपुर, पो0 चहौड़ा, विकास खण्ड रामनगर, तहसील टाण्डा, जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

## कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज दिनांक 7 मार्च, 1989 को नियम 56 के अन्तर्गत 18 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें करण संख्या 15 के अनुसार निम्नलिखित 10 सूचनाएं चयनित की गयीं।

पहली सूचना श्री रेवती रमण सिंह जी की—जनपद इलाहाबाद की तहसील मेजा एवं करछना में नहरों से तथा सरकारी नलकूपों से पानी न मिलने से फसलों के सूख जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी—2—श्री रामशरण दास—पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना न किये जाने के सम्बन्ध में। तीसरी—3—श्री मोहम्मद आजम खां, स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन, जनपद

†छापी नहीं गई।

मऊ के प्रबन्धकों द्वारा मिल बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। चौथी—4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, कोषागार कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल हो जाने से प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को वेतन न मिलने एवं लखनऊ स्थित सिविल, बलरामपुर, डफरिन अस्पतालों में तालाबन्दी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। पांचवी—सर्वश्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, हर्षवर्धन व गौरी शंकर मय्या, विद्युत् परिषद् द्वारा सीमेंट के विद्युत् खम्भों की खरीद में करोड़ों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में। छठा—रामआसरे वर्मा जी, प्रदेश के अंशकालिक नलकूप चालकों द्वारा काम के अनुसार वेतन की मांग किये जाने के सम्बन्ध में। सातवीं—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, उत्तर प्रदेश चीनी निगम कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश के चीनी मिल कर्मचारियों द्वारा निगम मुख्यालय पर धरना दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। आठवी—श्री माता प्रसाद पान्डेय, बस्ती मुख्यालय से नेपाल को जाने वाली मुख्य लाईन मार्ग पर विद्युत् तारों के काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। नवीं—श्री राज किशोर सिंह, कानपुर के बाहर के प्रदेश स्थित पचास हजार सूत मिल मजदूरों की विधान सभा भवन के समक्ष की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। दसवीं—सूचना श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री जगवीर सिंह की है, इन्होंने दिनांक 4 मार्च, 1989 को खतौली (मुजफ्फरनगर) पुलिस द्वारा जनप्रतिनिधियों की निर्मम पिटाई तथा पुलिस लाठीचार्ज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

*कुंवर रेवती रमण सिंह —

मान्यवर, अभी तीन रोज पहले इस सदन में बुन्देलखंड के हमारे साथियों ने झांसी, हमीरपुर के बारे में कहा, मान्यवर, पूरे बुन्देलखंड सूबे को विभीषिका से जूझ रहा है। इलाहाबाद जनपद में मेजा, करछना, बारा का क्षेत्र सूखे की विभीषिका से झुलस रहा है। नहरों में पानी नहीं है। ट्यूबवेल खराब हैं, केवल नहरों में पलेवा के लिए पानी दिया गया। किसानों ने फसल बो दी, ज्वार, बाजरा की फसल और गेहूं आदि की फसल सूख रही है। जबकि किसानों ने उसमें मजदूर लगाये बीज डाला, सब कार्य किया, उसके बाद यह सरकार पानी देने में अक्षम हो गई। मान्यवर, मेजा में यह कहते हैं कि पानी नहीं है, करछना में कहते हैं कि नदी की सतह नीचे चली गई है, जिससे पानी नहीं दिया जा रहा है। मेजा, करछना और बारा में 50 फीसदी से ज्यादा फसल सूख गई है। नदियों के किनारों के कुंओं में पानी नहीं है। कलेक्टर जब तक इनको रिपोर्ट नहीं देता है यह बात इनके दिमाग में नहीं आती है कि किसानों की फसल पानी की वजह से सूख गई है। मान्यवर, हमारी मांग है कि उस इलाके को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। वहां पानी के लिए तत्काल हैण्डपाइप की व्यवस्था की जाए। नहरों का शुल्क माफ किया जाए, माल गुजारी आदि का शुल्क माफ किया जाए। वहां बड़े पैमाने पर राहत कार्य कराया जाए। मान्यवर, इस विषय पर हम चाहेंगे कि बुन्देलखंड की जो चर्चा है उसके साथ इसे भी जोड़ दिया जाए और जो इस चर्चा का समय एक घंटे है उसे डेढ़ घंटा कर दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष—

इसे बुन्देलखंड की चर्चा के साथ जोड़ा जाता है।

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

मान्यवर, दिनांक 14 अगस्त के बाद वर्षा नहीं हुई। माननीय रेवती रमण सिंह जी के क्षेत्र में नहरें विध्याचल पहाड़ से चलती हैं तो जिन नदियों में लिफ्ट कैनाल का स्थान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था नदी उससे दूर चली गई है जिसकी वजह से सिंचाई नहीं हो पाती है और फसल सूख जाती है। वहां शुल्क नहीं लिया जाता है। पड़ताल हमारे विभाग का नियम है हमारा विभाग देखता है कि सूखा पड़ने से कहां क्षति हुई है, तो जहां क्षति होती है वहां शुल्क माफ कर दिया जाता है हमारी डी0 आर0 डी0 ए0 की कमेटी बैठी है उसके सम्मानित सदस्य उसके सदस्य हैं, तो जहां यह चाहें तालाब खुदवाएं बंधें बनवायें, जो कार्य डी0 आर0 डी0 ए0 से होता है उसके तो यह सदस्य हैं ही।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, डी0 आर0 डी0 ए0 की मीटिंग में तो यह भी जाते होंगे और यह भी इनको मालूम होगा कि इसमें धन नहीं है और धन की व्यवस्था प्रदेश सरकार करती है जहां सूखा पड़ता है वहां धन की व्यवस्था सरकार करती है।

*श्री रामशरण दास

मान्यवर तीन दिन पहले जिस मामले को लेकर यहां बहुत अव्यवस्थित हो है गई आज मैं उसे नियम 56 में ला रहा हूं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ पश्चिम उत्तर प्रदेश में होने के सम्बन्ध में। मान्यवर फिर पिछले वर्षों की तरह उत्तर प्रदेश के पश्चिम जिलों में रोजाना वकीलों की हड़तालें शुरू हो गई हैं। कभी सहारनपुर, कभी मुजफ्फरनगर, कभी मथुरा और कभी आगरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों पर यह सिलसिला चल रहा है। अभी अभी सहारनपुर में केन्द्र के कानून राज्य मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज गये थे उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील इस खंडपीठ की स्थापना में रुकावट डाल रहे हैं। तो मान्यवर, यह उनका एक बहाना है। जसवंत सिंह आयोग ने रिपोर्ट दी है और कहा है कि खंडपीठ बने, कहां बने यह तय करना है लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ बने यह निहायत जरूरी है। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। इसके लिये आंदोलन चला है, कचहरियां बंद रही हैं जिससे मुकदमें वाले भटकते फिर रहे हैं कि किसके दरवाजे जायं। पहले इलाहाबाद जाया करते थे, अब भी जाते हैं लेकिन वहां लोगों की जेबें काट ली जाती हैं। लोगों की रेल के डिब्बों में हत्यायें होती हैं।

माननीय हुकुम सिंह जी हंस रहे हैं। उनका पेशा बदल गया है, अब यह मंत्री हो गये हैं। मैं निवेदन करुंगा कि इस पर प्रभावी ढंग से निर्णय लें और वहां खंडपीठ स्थापित करें। स्थान की हमारी लड़ाई नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं भी खंडपीठ स्थापित करें नहीं तो फिर हमारे लोगों को मजबूरी हो जायगी। अभी सुबह ही एक कंवेंशन था। आज छोटे-छोटे जिले बनाये जा रहे हैं। बड़े जिलों का इंतजाम आप कर नहीं पा रहे हैं। 62 कलेक्टर और 62 एस0 पी0 हो गये हैं। माननीय तिवारी जी कलेक्टरों को पहचानते तक नहीं हैं अब हमारे सामने और कोई चारा नहीं रहेगा। मैं राजेन्द्र गुप्त जी से पूछ रहा था कि किस तरह से इसको हाउस में लायें। मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दीजिये, 4 भाग बना दीजिये क्योंकि हम इनके साथ रहना पसन्द नहीं करते हैं। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत दुखी हैं। हम कमाते हैं और यह खाते हैं। हम लोग पीड़ित हैं। अगर इस पर आप आश्वासन नहीं देंगे तो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को तय करना पड़ेगा। हमारी असेम्बली कहीं दूसरी जगह बनवानी पड़ेगी। यह असेम्बली भी हम नहीं चाहते हैं। असेम्बली से मतलब हमारा प्रदेश का बंटवारा करने से है। जब राबर्टसगंज तहसील को जिला बना सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के 4 सूबे क्यों नहीं बन सकते हैं। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को अलग कर दीजिये नहीं तो इस खंडपीठ की आज घोषणा कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दीजिये। मेरा यह भी निवेदन है कि आज की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करवाइये।

श्री मनेजर सिंह—

मान्यवर, राम शरण जी ने कहा कि खाते यह हैं, तो रिछारिया जी खाते हैं, या हुकुम सिंह खाते हैं या इन्होंने अपने लिये कहा है।

*न्याय एवं विधायिका राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ की स्थापना का बिन्दु उठाया है। इसके सम्बन्ध में निर्णय प्रदेश सरकार को नहीं बल्कि भारत सरकार को करना है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि भारद्वाज जी ने सहारनपुर में कहा था, इस संबंध में वकीलों को आपत्ति थी। मेरठ और आगरा में आन्दोलन हो रहे हैं, दोनों जगहों पर स्थापित करने के बारे में। भारत सरकार ने इसके लिए एक जसवंत सिंह आयोग का गठन किया था और 2 बिन्दुओं के बारे में टर्म्स आफ रिफरेन्स दिये थे। एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ स्थापित करने के औचित्य को देखें और दूसरे स्थान और उसका कार्यक्षेत्र क्या हो। इस पर जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट आ गयी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और उच्च न्यायालय की इसके ऊपर संस्तुति मांगी है। चूंकि यह मामला प्रोसेस में है, इसमें थोड़ा बहुत वक्त लग जाता है। इसलिये औचित्य का मामला नहीं बनता है। प्रदेश सरकार सिद्धान्ततः सहमत है कि खंडपीठ बननी चाहिये।

श्री मोहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मेरा काम रोको प्रस्ताव स्वदेशी काटन मिल, मऊनाथ भंजन के बारे में है। यह सदन भी अच्छी तरह से जानता है और आप भी अच्छी तरह से अवगत हैं, सरकार और जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, इनकी आदत हो गयी है कि जब तक मजदूर सड़कों पर अपना हक मांगने के लिए नहीं निकल आता, उस वक्त तक उसकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती है। हम यह जानते हैं कि मजदूर जब अपने हक के लिए हड़ताल का फैसला लेता है, तो वह अपने कत्लनामे पर खुद दस्तखत करता है। हमने देखा कि कानपुर में मजदूरों ने दुनिया का सबसे बड़ा रेल बन्द किया और वह आंदोलन के रास्ते पर निकल आया, सरकार को मजबूर होकर उसके सामने झुकना पड़ा और इसी सदन में पाण्डेय एवार्ड वापस लिया गया। सरकार की ताकत के आगे झुकने की आदत बन गयी है। आपको याद होगा, आप भी उस समय सदन में होंगे जब 1981-82 में रामपुर टेक्सटाइल मिल 7 महीने बन्द रही थी, वह हड़ताल में ही नहीं चला रहा था, हमारी मांग 45 रु0 बढ़ोत्तरी की थी, लेकिन 7 महीने हड़ताल के बाद 47 रु0 बढ़ाये गये, मगर जब मजदूर शांति से मांग रहा था, सरकार ने नहीं सुनी और जब से लेकर आज तक उस मिल में मजदूरों का कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया।

यह तरीका है मजदूर को आन्दोलन के रास्ते पर लाने का। अब मिसाल के तौर पर मऊनाथ भंजन लीजिए। मिल के अधिकारियों और मजदूरों के बीच एक समझौता हुआ और जब उस समझौते को लागू करने का समय आया और मजदूर मिल के दरवाजे पर काम करने की गर्ज से पहुंचा, तो मिल मालिक ने मजदूरों के लिए दरवाजा बन्द कर दिया और यह कहा कि इनके एक वर्ग का उक्त काम करने से रोका जायगा तथा डेली वेजेज पर काम करने वालों को काम पर नहीं लिया जायगा, जिसके कारण मजदूर फिर आंदोलित हो गये, मिल का दरवाजा मालिक ने नहीं खोला और 3 मार्च से मिल में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ताला डाला हुआ है । सरकार की लापरवाही यह है कि अभी तक उसको यह नहीं मालूम है कि प्रदेश की इतनी बड़ी मिल जहां पर प्रदेश का एक हजार मजदूर काम करता है रोटी से महरूम है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की कानपुर स्थित मिलों में 60 रु0 की वेतन वृद्धि हो चुकी है । इसके पूर्व जो भी अंतरिम सहायता या वेतन और भत्ते में वृद्धि कानपुर में हुई है, उसे स्वदेशी काटन मिल मऊनाथ भंजन, स्वदेशी काटन मिल, नैनी तथा रायबरेली टेक्सटाइल मिल, रायबरेली के श्रमिक भी उसी रूप में प्राप्त करते रहे हैं । उत्तर प्रदेश सरकार अपनी घोषणा के बावजूद त्रिपक्षीय वार्ता इस विषय पर नहीं बुला रही है । यदि बुलाने का विचार हो तो सरकार को शीघ्रता-शीघ्र तिथि घोषित करनी चाहिए, अन्यथा नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन के प्रबन्धकों को निर्देश देना चाहिए कि वे 60 रु0 की अन्तरिम वृद्धि को तत्काल इन मिलों के श्रमिकों को दे दें । मैं चाहता हूं कि इस काटन मिल के मजदूरों के मामले में सरकार ऐसा आश्वासन दे और अगर सरकार आश्वासन न दे सके, तो मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं ।

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदम्बिका पाल)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य कार्य-स्थगन का विषय लाये हैं, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि कार्य-स्थगन के विषय की जो ग्राह्यता है, वह लाक-आउट के सम्बन्ध में तो बनता नहीं है । टेक्सटाइल मिल के मजदूरों के आंदोलन की जो बात थी, सरकार ने उसे हस्तक्षेप करके सुलझाया है । जहां तक यह स्वदेशी काटन मिल, मऊनाथ भंजन की सूचना है, उसके बारे में सरकार के पास कोई भी लाक-आउट की सूचना नहीं है । अगर कोई अवैधानिक लाक-आउट है, तो यह तो दैनिक प्रशासन की बात है । उन्हें अनुमन्य वेतनमान या सूचकांक के सम्बन्ध में सरकार स्वयं गम्भीर है और सरकार शीघ्र ही त्रिपक्षीय वार्ता के लिए बैठक बुलाने वाली है और उस पर शीघ्र ही सरकार निर्णय लेने वाली है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि वह नियम 56 में नहीं आता । मुझे दुःख यह है कि किसी भी मामले की अहमियत उस समय समझी जाती है, जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है और सरकार के पास कोई चारा नहीं रह जाता । मान्यवर, 3 मार्च से मिल लाक-आउट है और सरकार को यह पता नहीं है कि मिल बन्द है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मिलों में पिछले 20-21 दिनों से हड़ताल चल रही है कर्मचारियों की जिससे सम्पूर्ण प्रशासन का कार्य ठप तो है ही अब कोषागार कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो गये हैं इससे एक बड़ी विस्फोटक परिस्थिति पैदा हो गयी है । यह जो स्ट्राइक राज्य कर्मचारियों की है इसमें अध्यापक हैं, चिकित्सालयों के कर्मचारी हैं, निगम के कर्मचारी हैं, सचिवालय के लोग हैं । तो आज चाहे भूतपूर्व विधायक हों, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हों जिनका भुगतान कोषागार से होना है, वह रुक गया है । मान्यवर, पिछले दिनों लखनऊ में जो हमारी सिविल डिस्पेन्सरी है, बलरामपुर अस्पताल है डफरिन है यहां पर भी काम ठप हो गया जैसे कारखानों में लाक-आउट हो जाता है, 80 फीसदी कर्मचारी चले गये । यह मैंने एक उदाहरण दिया चिकित्सालयों का । सरकार की नाक के नीचे लखनऊ राजधानी का यह हाल है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी है। मान्यवर, उनका कहना यह है कि सरकार ने जो भी उनके साथ अनुबन्ध किया है, समझौता किया है उस समझौते का उन्हें अनुपालन करना चाहिए। जब कभी सदन के बाहर हड़ताल का मामला उठता है तो हमारे सरकार के प्रवक्तागण समता समिति की बात ले आते हैं। मान्यवर, उनका सबसे पहले मुद्दा यह है कि हमारे प्रदेश में जो हमारा वेतन और महंगाई भत्ता है, वेतनमान हैं, उनमें और जो सचिवालय के कर्मचारी हैं या और जगह के कर्मचारी हैं उनमें जो विषमता है वह समाप्त होनी चाहिए।

मान्यवर, यह सिद्धान्त की बात है और संविधान सम्मत भी है। मान्यवर, एक ही भवन में, एक कमरे में काम करने वाले एक तनख्वाह पाते हैं और दूसरे कमरे में काम करने वाले वही कर्मचारी जो वही शैक्षिक योग्यता रखते हैं दूसरे वेतनमान पाते हैं, इसको लेकर हड़ताल चालू है। यह मार्च का महीना है, सरकार के द्वारा जो निर्माण कार्य है, जो खर्च होना है उसके जो आदेश हैं वह साल भर तो जाते नहीं हैं, अब जाते हैं। अगर इनका पैसा नहीं निकल पायेगा तो जो सरकार का विकास का कार्य ठप था उसमें और भी खराबी पैदा हो जायेगी। इसलिए मान्यवर, एक विस्फोटक स्थिति है। मेरी कर्मचारी नेताओं से बात हुई है, वह कहते हैं कि हम किसी समझौते पर झुकने को तैयार नहीं हैं। सरकार ने जो वायदा किया है उसका पालन करने पर ही झुकेंगे। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इससे अविलम्बनीय महत्व का और दूसरा कोई मामला हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय ताकि जो कर्मचारियों की हड़ताल है और उससे उत्पन्न स्थिति है और सरकार की जो कार्यवाही की जा रही है, वह सामने आ सके।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने सूचना दी है यह सही नहीं है। प्रदेश के जिलों में कोषागारों में कहीं पर स्ट्राइक नहीं है। यह जो कोषागार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं श्री जायसवाल उनकी भी समाचार पत्र में विज्ञप्ति निकल चुकी है कि मिनिस्टीरियल फेडरेशन स्ट्राइक कर रही है और हम इसमें शामिल नहीं हैं। लखनऊ कोषागार में आज कोई भी जाकर देख सकता है कि काम हो रहा है और उनके वेतन वगैरा का भुगतान कर्मचारियों का किया जा रहा है। जवाहर भवन की जो स्ट्राइक भवन की स्ट्राइक है उसमें कर्मचारी संघों के लोग किसी को नहीं जाने दे रहे हैं तो जवाहर भवन जो ट्रेजरी है वह जरूर बन्द है लेकिन जो उससे सम्बन्धित डायरेक्टरेट वगैरा थे जिनसे उन लोगों को वेतन मिलता था उनको लखनऊ जिला की जो ट्रेजरी है उससे भुगतान किया जा रहा है।

माननीय सदस्य गुप्ता जी ने जो दूसरा बिन्दु उठाया तो जो कर्मचारी संघों की पहली स्ट्राइक हुई थी उस स्ट्राइक के बाद जब वेतन समिति की रिपोर्ट आई तो शासन में विचार करने की बात थी तो उस पर फिर से सारे कर्मचारी संघ उस पर स्ट्राइक पर चले गये और उन्होंने ही एक मांग की थी कि अन्य जो कर्मचारियों के वेतन हैं वह केन्द्रीय वेतनमानों के हिसाब से किये जांय और पद नाम के हिसाब से हों तो बहुत सारे पद ऐसे थे जो प्रदेश में हैं, केन्द्र में नहीं हैं तो उन पदों के वेतनमान किस पद के हिसाब से किये जांय इसके लिए समता समिति वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन किया गया है तो इसमें 197 प्रतिवेदन विभिन्न संघों ने विचार के लिए रखे और उन सारे संघों के प्रतिवेदन पर विचार हो चुका है। केवल 9 प्रतिवेदन बाकी रह गये हैं। उम्मीद है कि इसी महीने आखिरी सप्ताह तक समता समिति की रिपोर्ट आ जायेगी। समता समिति की रिपोर्ट आ जायगी और इसमें श्रीमन्, ऐसा कोई मामला नहीं है जो औचित्य का प्रश्न बनता हो।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

मान्यवर, मैंने अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बल देते हुए कहा था कि आज की हड़ताल में समता समिति का कोई मुद्दा नहीं है। मंत्री जी उनका आंदोलन देख लें, उसमें समता समिति का कोई मुद्दा नहीं है। उनकी मांग है कि सचिवालय कर्मचारी और जिला स्तर के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों के वेतन में समता हो। समता समिति में मामला केन्द्र और राज्य सरकार का है। मंत्री जी ने इसके बारे में उत्तर नहीं दिया। दूसरे मंत्री जी ने कोषागार के जायसवाल जी के वक्तव्य की बात कही, मैं किसी एक व्यक्ति के वक्तव्य की बात नहीं करता। अभी तीन दिन की छुट्टियों में माननीय सदस्य अपने जिलों में गये होंगे, उन्होंने देखा होगा कि कोषागार में क्या हो रहा है। कहीं भी वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। इस प्रकार हमारे और माननीय मंत्री जी के बीच दो वक्तव्य हो गये। मेरा तथ्य कुछ और था मंत्री जी का तथ्य कुछ और है। इसलिये मैं पुनः अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बल देता हूं। मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं। यह समता समिति का मामला नहीं है। यह सचिवालय कर्मचारियों से समता का मामला है।

श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी—

श्रीमन्, इसमें कोषागार की जो सूचना दी, उसमें जो दिक्कत है वह केवल लखनऊ ट्रेजरी में हो रही थी। हाल ही में, आज ही सेल्सटैक्स कमिश्नर के कार्यालय के बिल गये हैं। उसकी व्यवस्था कर ली गयी है। कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरा बिन्दु माननीय सदस्य ने वेतन का उठाया, उसमें चूंकि समता समिति के किस-किस के हिसाब से वेतन की मांग की गयी थी, तो उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरे और हर्षवर्धन जी के कामरोको प्रस्ताव के बारे में बोलने के पहले इस व्यवस्था पर प्रश्न है। कितना गम्भीर आरोप है, हमने कहा कि बिलों का उपयोग किये 30 करोड़ रुपये हड़प कर लिये गये। हमारे आरोपों का जवाब देने के लिए वित्तमंत्री जी यहां पर नहीं हैं और जो भी मंत्री जवाब देंगे, वे फार्मेलिटी ही करेंगे। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि आज मंत्री जी नहीं हैं तो इसको कल ले लें। मान्यवर यह भ्रष्टाचार का इतना गम्भीर मामला है.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप जानते हैं कि सामूहिक जिम्मेदारी है। यह बात जब सिद्धांततः है तो फिर कोई भी जवाब दे सकता है।

श्री हर्षवर्धन—

माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् आज भ्रष्टाचार के जिस दलदल में फंसा हुआ है, उसके चलते प्रदेश के सार्वजनिक धन को करोड़ों रुपया भ्रष्टाचारियों की जेब में चला जा रहा है। मैंने नियम 56 में जो प्रस्ताव दिया है, उसमें बताया है कि पिछले तीन वर्षों में जनवरी माह तक एक वित्तीय वर्ष में कितने खम्भे खर्च होते रहे हैं। वर्ष 1988-89 में जनवरी तक कुल 1,02,648 खम्भों का उपयोग किया गया, जबकि पिछले वर्ष 1987-88 में जनवरी तक 3,09,110 खम्भों का उपयोग किया गया और 1986-87 में जनवरी तक 3,09,119 खम्भों का उपयोग किया गया। तो या तो सरकार कहे कि इस वर्ष विद्युत् परिषद् ने कम विद्युतीकरण का काम किया है, इसलिये कम खम्भे उपयोग में आए, यदि पूर्ववत् ही काम किया

गया है तो पिछले वर्षों में जो खम्भों का उपयोग दिखाया गया है, उसमें व्यापक अनियमितता हुई है। मैं आफिस आफ दि चीफ इंजीनियर ऐण्ड कन्ट्रोलर आफ स्टोर्स, यू0 पी0 स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ए-70, सेक्टर सी, महानगर, लखनऊ के पत्र संख्या 774/आई0 एन0 सी0 सी0/आई0 एम0/इन्सट्रक्शन्स, दिनांक 10 मार्च, 1988 के बारे में बताना चाहूंगा कि इस आदेश के अन्तर्गत कहा गया है कि केवल स्वीकृत प्रक्कलन के अन्तर्गत खम्भे उपलब्ध कराए जायेंगे। इसके पूर्व के वर्षों में ये खम्भे सीधी खरीदारी से लिये जाते रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि उपयोग से दुगने और तिगुने खम्भे दिखा दिये गये और फर्जी भुगतान करके विद्युत् परिषद् के लोग भ्रष्टाचार के तहत इसको समाप्त कर देते थे। इस वर्ष जब यह नियम लागू हुआ, 1 लाख 2 हजार 6 सौ 48 खम्भे केवल उपयोग हुए हैं। मान्यवर, मामला कितना गम्भीर है। इस साल भी एक गम्भीर अनियमितता हुई थी, तीन लाख खम्भे खरीद लिये। 3 लाख खम्भे और खरीदने की कार्यवाही चल रही है। उपयोग में 1 लाख 2 हजार खम्भे लिये गये। जबकि अभी वित्तीय वर्ष की अवधि बाकी थी। तीन महीनों के लिये खरीदा है। दो लाख से ज्यादा उपयोग नहीं होने चाहिये। 55 हजार खम्भों को बनाने की इनकी क्षमता है उनसे कुछ नहीं बनवाते हैं उनकी मशीनें बेकार हैं। अधिकतम मूल्य आता है 4 सौ रु0 और 6 सौ रु0 में खरीदा जा रहा है। यह अत्यन्त ही गम्भीर भ्रष्टाचार का मामला है। आपसे मेरा आग्रह है कि इस मामले पर सदन में चर्चा करा दें।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री कोकब हमीद)—

मान्यवर, हमारे यहां जो छः यूनिट हैं, उनकी क्षमता 40 हजार खम्भे प्रतिवर्ष बनाने की है। जो हमारी एक साल की मांग है लगभग तीन लाख की है। उसमें जो 40 हजार खम्भे बनते हैं, रा मेटिरियल की कमी है धन की कमी है, 100 परसेंट केपिसिटी पर चल नहीं पाते हैं। पिछली बार तकरीबन 3 लाख खम्भे हमारे पास थे 1 अप्रैल, 1988 तक थे। उसके बाद 1988 में जून में रिकवायरमेन्ट 3 लाख 32 हजार की थी। इस वक्त 4 हजार गांवों के विद्युतीकरण का कार्य है एक पर आप 10 का एवरेज लगाये तब भी 40 हजार खम्भे चाहिये। 32 हजार प्राइवेट ट्यूबवेल से सम्बन्धित कार्य है एक पर एवरेज 5 लगा ले तब भी 1 लाख 60 हजार हो जाता है। 60 हजार के करीब लाईट ऐण्ड फैन के कनेक्शन की बात है। एक पर दो खम्भे का एवरेज लगा लें तब भी 1 लाख 20 हजार यह हो जाता है। 3 लाख 20 हजार 31 मार्च तक दिया। जून को रिकवायरमेंट और 1989 तक दिया है।

(व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल—

टेंडर इन्वाइट नहीं किया है।

श्री कोकब हमीद—

ओपेन टेंडर थे, सारे ओपेन टेंडर दिये जाते हैं। इनमें सूची लम्बी रखी जाती है। बकायदा ओपेन टेंडर है, उसके अनुसार सारा कार्य हुआ है।

श्री मंजेश्वर सिंह—

मान्यवर, आपने अभी कहा कि जवाब देने की सामूहिक जिम्मेदारी है कोई माननीय मंत्री उत्तर दे सकता है। आप इस पर भी व्यवस्था दें कि जो खरीदारी होगी उसमें जो लाभ होगा, उस लाभ में भी क्या सभी माननीय मन्त्रियों की हिस्सेदारी होगी ?

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मेरा जो नियम 56 में प्रश्न है, उसे सुन लें बड़ा महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

[ × × × ]

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

*श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रश्न सुन लें, मैंने जो सूचना दी है, बड़ी महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप ही लोग कहते हैं कि नियमों का कड़ाई से पालन कीजिये, फिर आप ही लोग बोलते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

[ × × × ]

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

[ × × × ]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ नहीं लिखा जायगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

[ × × × ]

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी कुछ नहीं लिखा जायेगा। आप लोग बैठें।

---

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री हरेन्द्र सिंह तथा श्री राम आसरे वर्मा द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जब चयनित हो गयी और 5 शलाका से हो गयी, उसके बाद में अब नहीं सुनूंगा।

श्री हरेन्द्र सिंह—

यह जातिवाद का मामला है, यह इस तरह प्रदेश में नहीं चल पायगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे गम्भीरता से लें। मन्त्रियों की लड़ाई के चलते वहां पर यह हत्यायें हो रही हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, आप मुझसे कह रहे हैं। मैं अब भी अपनी बात पर अड़ा हुआ हूं कि आपको नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिये। अगर आप कोई बीच का आदेश दें, इसमें मैं क्या कहूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं तो मना कर ही रहा हूं कि मैं नहीं सुनूंगा।

(श्री राम आसरे वर्मा, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री शारदा अंचल, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री मूल चन्द्र आदि माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने पर घोर व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोगों का कुछ नहीं लिखा जायगा, आप लोग बोलते रहिये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, उसे सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपको बुलवाया था, व्यवस्था के प्रश्न पर। लेकिन आप नियम 56 पर बोलने लगे तो व्यवस्था काहे की है। ओझा जी, मैं आपको भी इजाजत नहीं दे रहा हूं। पांच लोगों को मैंने बुलवा दिया अब 6, 7, 8, 9, 10 पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराये देता हूं।

(इस बीच श्री हरेन्द्र सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये और खून से सना हुआ कपड़ा वहीं सदन के फ्लोर पर फेंका)

श्री हरेन्द्र सिंह—

जब सूचना नियम 56 में नहीं आती, तो क्या लाटरी द्वारा विधान सभा चलेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

एक तरफ आप कहते हैं कि बीज बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरफ आप कहते हैं कि निर्णय मंत्री के सामने तो दोनों बातें साथ-साथ कैसे हो सकती हैं ?]

[समय 2 00 बजे]

श्री मंगेश्वर सिंह—

मान्यवर, यह मुजफ्फरनगर का मामला है। मुझे माननीय श्री मलिक जी ने खून से रंगे हुये कपड़े आपको दिखाये। माननीय खाद्य मन्त्री जी के जिले का मामला है, और खाद्य मन्त्री जी यहां पर उपस्थित भी हैं, इसलिये आप उन्हें सुन लें।

(श्री हरेन्द्र सिंह व श्री राम आसरे वर्मा जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री मलिक जी यह कोई नाराजगी की बात नहीं है। कृपा करके आप बैठ जायें। नियम 5 को आपने बना रखा है, उसमें कोई व्यवधान नहीं होगा। अगर आप समझते हैं कि मुजफ्फरनगर वाले मामले पर वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया जाय तो वह मैं करने को तैयार हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, बेल पर आने के बाद यदि आप सुबह की परिपाटी डालेंगे तो हम भी मजबूर हो जायेंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, आपसे अनुरोध करता हूं कि अब यह तय हुआ कि 5 पर आप सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे, लेकिन उसमें यह भी तय हुआ था कि आपके हाथ बन्धे नहीं होंगे। अगर किसी समस्या को आप गम्भीर समझते हैं तो उस पर सरकार को वक्तव्य देने के लिये निर्देशित कर सकते हैं और उस पर कुछ स्पष्टीकरण भी दिला सकते हैं। दोनों पक्षों ने मिलकर यह बन्धन इसलिये किया कि ताकि सदन व्यवस्थित चल सके, परन्तु साथ ही यह भी है कि आपके हाथ बन्धे नहीं हैं। गृह मन्त्री जी यहां पर हैं, अगर वह कुछ प्रकाश डाल सकते हों तो वह बतायें। सारा सदन जानना चाहेगा और वातावरण शान्त हो जायेगा।

गृह राज्य मन्त्री (श्री सईदुज्जमा)—

मान्यवर, जो लोग इसमें दोषी हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। जो यह कहा गया कि गृह मन्त्री का घेराव किया गया है, बिल्कुल गलत है। मैंने आश्वासन दिया था कि इस पर गम्भीरता से कार्यवाही की जायेगी और जो लोग दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। एस0 पी0 साहबान भी मौजूद थे। मैंने आश्वासन दिया है कि हमारे अधिकारीगण इस पर गम्भीरता से जांच करेंगे। अमर उजाला अखबार में जो यह छपा है, उसे पढ़कर मैं स्वयं हैरानी हुयी। 4 तारीख की घटना को 5 तारीख लिखा हुआ है और कई गलत वाक्यात लिखे हुये हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि गम्भीरता से इसकी जांच की जायेगी, दोषी लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जायेगी। जो यह हुआ, इसका हमें दुख है।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने जो नोटिस दिया है, उसमें मैंने कहीं यह जिक्र नहीं किया है कि माननीय गृह राज्य मन्त्री व गृह मन्त्री का घेराव हुआ है। दूसरा, माननीय मन्त्री जी ने जो यह कहानी गढ़ी है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने जो इसमें लिखा है, यह कहा है कि जो वहां पर डिप्टी एस0 पी0 है, वह उस क्षेत्र का पुलिस उपाधीक्षक नहीं है, उसे वहां पर आदेश देने का क्या अधिकार है। मैं माननीय गृह मन्त्री, गृह राज्य मन्त्री, माननीय मुख्य मन्त्री व डी0 जी0 पी0 से कह चुका हूं कि वह डिप्टी एस0 पी0 ऐसा काम करेगा। वह गड़बड़ करायेगा, मुझे अपनी जान का भी उससे खतरा है। गूजर व मुसलमानों की लड़ाई में ये गूजरों को पिटवाते हैं या मुसलमानों को पिटवाते हैं, इसे बतायें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री सईदुज्जमा—

जिस अधिकारी के तरफ माननीय विधायक ने संकेत किया है, अगर जांच में उसका दोष पाया गया तो सख्त कार्यवाही की जायगी। इस सम्बन्ध में आप कक्ष में मिल लें।

(घोर व्यवधान होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने वक्तव्य के लिये कह दिया है, वक्तव्य आ जायगा। आप लोग बैठें।

(विपक्ष के काफी माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[ × × × ]

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप बैठें।

(श्री ओझा द्वारा पुनः घोर व्यवधान के मध्य बोलते रहने का प्रयत्न करने पर)।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बोलते रहिये, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[× × ×]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री राम आसरे वर्मा द्वारा एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[× × ×]

---

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप एक तरफ जो कहते हैं, दूसरी तरफ वैसा आचरण नहीं करते हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपसे हम सब को अपेक्षा यह है कि सबको समान संरक्षण मिलेगा लेकिन जिस तरह की परिपाटी देखने को मिल रही है, उससे इस पर एक प्रश्न-चिह्न लगता नजर आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

नियमों का पालन तो करना ही होगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[ × × × ]

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं बोलता हूं तो आप बोलने नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बोलिये, मैं बुलवा रहा हूं आपको।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

श्रीमन्, सारे उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिल हैं और जिन्हें टेक ओवर किया गया है, इस निगम में काम करने वाले जो मजदूर हैं वे अपनी न्यायोचित मांग पर आज धरना दिये बैठे हुए हैं। श्रीमन्, आज भी वे धरना दे रहे हैं। उनकी मांग यह है कि जब मिल टेक ओवर की गयी थी तो कहा गया था कि उनके पिछले बकाये दिये जायेंगे। 1982 के शासनादेश का यह सरकार परिपालन नहीं कर रही है। 1970 का जो कंट्रेक्ट एक्ट है उसका परिपालन नहीं हो रहा है इसके साथ ही फर्जी भर्तियां हो रही हैं। जो मजदूर कोर्ट जाते हैं और जब जीत कर आते हैं तो वे सड़कों पर घूम रहे हैं। मटसी आदि कई जगहों पर यही हालत है मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करूंगा कि वह अपने शासनादेशों का कार्यान्वयन कराये और आपसे मेरा अनुरोध है कि इस पर आप शासन से वक्तव्य दिलवायें जिससे कि चीनी मिल के कर्मचारी जो कि न

---

नोट--यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकारी कर्मचारी की गिनती में आते हैं और न उनको रेल बोर्ड सुविधा दी जाती है। जहां तक मजदूर का प्रश्न है, वह गेट पर कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें मैनेजिंग डाइरेक्टर ही कुछ करेंगे जब कि एम0 डी0 महोदय को फुर्सत ही नहीं है। मैनेजर से जिस स्थिति में मिल की गयी थी, आज उसकी दशा उससे भी विपरीत हो गयी है। सारे गन्ना किसान उत्तेजित हैं, लाठी-घूंसे का बाजार गर्म है। यह निकम्मी सरकार और इसके नपुंसक मंत्री किसी भी कानून का परिपालन नहीं करा पा रहे हैं। गन्ना किसान और मजदूर हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट जा रहा है। आज यह पूरे उत्तर प्रदेश के मजदूरों के हित का सवाल बन गया है। न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। नौकरशाही के खिलाफ मजदूर जहां-जहां कर रहे हैं। श्रीमान, इस सम्बन्ध में आप शासन से वक्तव्य दिलावें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है और सभी सूचनाओं को अस्वीकार करते हैं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस बात की सरकार यहां पर घोषणा करे और उसे लागू न करे। अभी इस सम्बन्ध में यहां सदन में मामला उठा था लेकिन किसानों को हवालात में बन्द किया गया है। सोननगर में वसूली के सम्बन्ध में दो किसान बन्द हैं। अभी कोई आदेश यहां से उनको भेजा नहीं गया है। यह आदेश भेज दिया करें, जब जब यहां पर घोषणा कर देते हैं, इसकी मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

श्री राज किशोर सिंह--

यहां सदन में कोई नियम से काम नहीं होता है। इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राज किशोर सिंह सदन को त्याग कर चले गये।)

## वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या 22--खाद्य तथा रसद विभाग

*खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,07,96,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, आप जानते हैं और आपके माध्यम से परम सम्मानित जितने हमारे अध्यक्षगण हैं वह भी जानते हैं कि हमारे विभाग की दो जिम्मेदारियां सबसे बड़ी हैं। एक तो यह कि सामान्य जनता तक, उपभोक्ता तक उचित मूल्य पर जो जन में काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराना। उनकी उपलब्धता बाजार में या सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से सुनिश्चित करा सकें। दूसरी जिम्मेदारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह है कि क्षेत्र के जो उत्पादक हैं, कृषक हैं उनको उचित और सही मूल्य समय के अन्दर प्रकाशित मूल्य जो कि सरकार के द्वारा घोषित हो, वह दिलवाने की व्यवस्था करना है।

पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय 46,910 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं जो कि 11,375 सहकारिता के क्षेत्र में हैं और 35,735 निजी क्षेत्र में हैं।

इसके अतिरिक्त प्रदेश भर में 63 मोबाईल वैन चल रहे हैं, जिन पर हमारे सोसायटी के इस्तेमाल की चीजें उपलब्ध रहती हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, मिट्टी का तेल, चीनी, कपड़ा, कोयला व सरसों तेल आदि उपलब्ध रहती हैं, जो मोहल्ले-2, ग्रामीण आंचल व पहाड़ी क्षेत्रों में जाती हैं। इसमें माननीय शिकायतें भी हमारे पास आती हैं, इससे मैं सहमत हूं कि एक ओर तो सरकार यह घोषणा करती है कि हर व्यक्ति को 8 किलो गेहूं, 6 किलो चावल और पहाड़ी क्षेत्रों में 10 किलो गेहूं और 8 किलो चावल प्रति व्यक्ति निर्धारित करती है, परन्तु जब दुकानों पर जाते हैं तो कहीं पर 2 किलो और 5 और कहीं 3 किलो और 4 किलो ही प्रति व्यक्ति मिलता है। दूसरी ओर यह प्रदेश एक सरप्लस राज्य माना जाता है, इस सरप्लस राज्य माने जाने की वजह से केन्द्र सरकार से जो कोटा निर्धारित होता है, इसमें कभी-कभी ऐसी स्थिति सामने आ जाती है कि उस निर्धारित कोटे की भी हमें आवश्यकता नहीं रहती और उसे वापस करना पड़ता है और कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है वह निर्धारित कोटा भी हमारे लिए कम पड़ जाता है।

गत वर्ष आपकी जानकारी है कि सूखे का वर्ष था और जैसे ही रबी की फसल आयी, गेहूं के साथ खाद्य सामग्री गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान व मध्य प्रदेश में तमाम राज्यों में बहुत बड़ी मात्रा में भेजी गयी। व्यावहारिकता और धार्मिकता के आधार पर, कुछ तो यह स्थिति हमारे सामने रही और कुछ मुझे के कारण, इससे खुले बाजार के भाव में भी असर पड़ा और जब इन चीजों के दाम बढ़े तो इनका भारी बोझ हमारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर पड़ा और जब हमारी इन दुकानों पर भारी बोझ पड़ा तो हमारे पास जो निर्धारित खाद्यान्न थे, उन पर भी इसका असर पड़ा, फिर भी हमने बाजार भाव को नियंत्रित करने के प्रयास किए और यह भी हमारे प्रयास रहे कि इन दुकानों पर अधिक मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध रहे, फिर भी स्थानीय व अन्य समस्याओं को देखते हुए हमारे पास जितना मांगक तय था वह हमें नहीं मिल पाया, फिर भी हमने बाजार भाव को नियंत्रित रखने के प्रयास किए और किसी हद तक यह भाव नियंत्रित भी रहे। दूसरी ओर इस माह को हमें केन्द्र सरकार से 100 मीटरिक टन गेहूं और 50 मी0 टन चावल मिलता था, उसके स्थान पर केन्द्र सरकार से हमें कभी 32 टन और कभी 36 व 40 टन ही गेहूं व चावल मिले, इन सब के बावजूद भी हमने अपने यहां कोई पाबन्दी किसी प्रकार की नहीं रखी।

दूसरे माननीय केरोसिन आयल 71 हजार मीटरिक टन प्रति माह का हमारा कोटा है, इसे आवश्यकतानुसार हम जनपदों में आवंटित करते रहे और वहां की सम्बन्धित एजेंसियों के माध्यम से यह बंटवाते रहे। पहाड़ी अंचलों में कहीं-कहीं पर मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं हो सका और कहीं पर यदि रहा तो सिर्फ 2 लीटर से 4 लीटर तक ही कोटा निर्धारित रहा, अब हमने इन पहाड़ी आंचलों में यह निर्णय लिया कि 4 लीटर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराएं क्योंकि मांग व शहरों में उसकी [illegible] चल रहे हैं। शहरों में तो 10 लीटर और गांव में कम से कम 4 लीटर मिट्टी तेल इसके बाद न हो और अगर आवश्यकता होगी तो इसके भी ज्यादा देने वाले को [illegible], इसके अलावा 11 [illegible] ऐसे हैं जो जन जातियों से सम्बन्धित हैं और वहां पर विशेष दरों पर गेहूं और चावल दिया जाता है गेहूं 1.64 रुपये की दर से और चावल 2.20 रुपये की दर से उपलब्ध कराया जाता है। इस समय पूरे प्रदेश

में 2 करोड़ 51 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं और हमारी उससे 12 करोड़ 4 लाख की जनसंख्या आच्छादित है। आज भी शिकायत हो रही थी कि राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो हमने निर्णय लिया है कि हमारे सामने अभी कठिनाई थी, क्योंकि शहरी अंचलों नगरपालिकाओं के चुनाव चल रहे थे, इस कारण जो व्यवस्था होनी चाहिये थी, वह नहीं हो सकी। जन प्रतिनिधियों का बराबर दबाव रहा है कि राशन कार्ड उपलब्ध कराये जायें। राशन कार्डों की छपाई की समस्या थी, हमने यह व्यवस्था की है कि 6 लाख राशन कार्डों को अविलम्ब मुहैया कराया जाये और आगे भी इनको प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाये और मुझे खुशी है कि आवश्यकतानुसार हम राशन कार्ड उपलब्ध करा सकेंगे, जिससे जो हम सुविधा जनता तक पहुंचाना चाहते हैं वह सुविधा उन तक पहुंच सके।

मान्यवर, इसके अलावा कोयले की जहां तक बात है, मैं स्वीकार करता हूं कि कोयले की व्यवस्था होनी चाहिये। कोयला इसलिये पहुंचाना आवश्यक है, जिससे जंगलों की कटाई कम हो। आम लोग जो हैं, सामान्य लोग जो हैं वह एल0 पी0 जी0 का प्रयोग नहीं करते हैं, उनके पास गैस के कनेक्शन नहीं हैं, उनके लिये कोयले की नितान्त आवश्यकता है और यह आवश्यक है कि उनको कोयला कन्ट्रोल रेट पर दिया जाये। इसमें दिक्कत पड़ती है, हमारी केन्द्र के अधिकारियों से बात हुई है और उन्होंने बताया कि जब ब्लैक कोल से सफेद कोक बनाया जाता है, तो बहुत अधिक खर्च आता है, लेकिन फिर भी हम उसको उपलब्ध करा रहे हैं। आप जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमें नितान्त खुशी है कि सबसे बड़ा मेला, कुम्भ का मेला हमारे आपके जीवन काल में पड़ा है, जिसमें हमारे विभाग के माध्यम से लगभग डेढ़ करोड़ सन्यासियों, श्रद्धालुओं कल्पवासियों और अन्तराष्ट्रीय जगत से आये हुये लोगों को सामग्री पहुंचायी गयी है और सभी चीजों को उपलब्ध कराया गया है। यह बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी और आपके आशिर्वाद से हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और हमें खुशी है कि लगभग 75 दुकानें हमने वहां पर खोली थी, जिनके माध्यम से 12 हजार मीट्रिक टन गेहूं, 7 हजार मीट्रिक टन चावल, 2200 मीट्रिक टन चीनी, 4500 लीटर किरोसन आयल और कोयला उपलब्ध कराया गया। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि हमें सामान नहीं मिला है। हमने वहां पर राशन कार्ड की अनौपचारिकता को भी समाप्त कर दिया। अगर कोई व्यक्ति दो लीटर मिट्टी का तेल मांगता है, तो उसको दिया गया, वह ब्लैक नहीं करेगा, उसकी आवश्यकता है। जिसने भी मांगा और जो चीज मांगी उसको दी गयी। पुनीत स्थल का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और अन्त तक हमारी कोई चीज समाप्त नहीं हुई और कुछ न कुछ बच ही गयी।

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले कहा था जहां हम आपूर्ति निश्चित करते हैं वहीं हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि किसान को उसकी उपज का सही मूल्य हम दिला सकें। इस वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा गेहूं का 183 रुपया प्रति क्विंटल भाव तय किया गया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी किसान को 183 से कम दाम पर गेहूं न बेचना पड़े। हम साढ़े चार हजार केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं। जो यह कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि कभी-कभी यह संदेह पैदा हो जाता है कि गेहूं के बजाय हम कोयला लेना चाहते हैं, हम अपनी साज-सज्जा, अपना सामान अपने अधिकारियों, अपने कर्मचारियों को वहां पर तैनात कर दें और जहां कहीं पर भी 183 रुपये से कम पर किसान को गेहूं बेचने पर बाध्य होना पड़े तो उसे बाध्य न होना पड़े। सारी तैयारी हो गई है। हम आज माननीय सदस्यों का सुझाव मांगते हैं। अभी तक यह कार्यक्रम हमारी सरकारी मशीनरी ने किया है, निगमों ने किया है लेकिन जो निजी क्षेत्र के हमारे व्यापारी हैं उनको विश्वास में नहीं लिया गया है। हमारा प्रयास है कि

क्यों न हम उन सदियों से बने हुये व्यापारिक संगठनों से जिनका अपना अनुभव है, जिनकी कई पीढ़ी गुजर जाती है इस काम को करते हुये, क्यों न फायदा उठायें ताकि किसान को जहां यह सुविधा उपलब्ध है उसके साथ ही साथ निजी क्षेत्र के व्यापारियों को भी सुविधा प्राप्त हो, जहां वह चाहे बेचे। दूसरी एजेन्सी को यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसलिये इस बात पर हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि यह निर्णय लेने से पहले हम आपके सुझावों पर भी गम्भीरता से देखेंगे।

(इस समय 2 बजकर 27 मिनट पर श्री अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जहिदी पीठासीन हुए।)

मान्यवर, इस वर्ष केन्द्रीय सरकार ने हमारे सामने 12 लाख मीट्रिक टन चावल लेवी के रूप में वसूल करने का लक्ष्य दिया था। यह भी एक बहुत बड़ा कार्य हमारे विभाग के लिये था। मुझे खुशी है कि आज की तारीख तक साढ़े ग्यारह लाख मीट्रिक टन चावल हम लेवी के रूप में ले चुके हैं जो इस विभाग के इतिहास में एक कीर्तिमान है। इससे पहले कभी लेवी का चावल विभाग तय नहीं कर सका था और मुझे विश्वास है कि कुछ ही दिनों में हफ्ते के अन्दर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य ही हम प्राप्त नहीं कर लेंगे बल्कि हम उससे भी आगे बढ़ जायेंगे ताकि केन्द्रीय पूल में हम ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सकें, उसे सुदृढ़ और सम्पन्न कर सकें जिससे हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूती के साथ चलाने में सहायता मिल सके।

मान्यवर, मैं चावल का जिक्र कर रहा था। चावल के सम्बन्ध में हमारे यहां कुछ विडम्बनायें थीं पहली चीज तो यह है कि जिस गति से हमारे देश में कृषि का विकास होने जा रहा है पूर्वी अंचल में धान की उपज बढ़ती जा रही है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा जब तक किसान को उसे बेचने की सुविधा न हो। जैसे गोरखपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी और कुछ हिस्सा फैजाबाद का भी है। यहां चावल की उपज बढ़ रही है लेकिन वहां पर चावल उद्योग नहीं है। जब वहां पर चावल उद्योग नहीं है तो उससे किसान का शोषण होगा ही। यह प्रश्न हमारे सामने है कि हम कैसे चावल उद्योग को प्रोत्साहन दे सकें। हमने माननीय मुख्य मंत्री जी के मार्ग-निर्देशन में निर्णय लिया है कि प्रोत्साहन स्वरूप हम 50 प्रतिशत छूट इस उद्योग को दें जो वहां पर नया लगाने वाले हैं ताकि जो लोग वहां पर नया उद्योग लगाने आवें उनको मुनाफा हो और किसान को भी अच्छा दाम मिल सके। इस वर्ष धान के लिये 160 रुपये से लेकर कामन फाइन, 170 फाइन और 180 सुपरफाइन निर्धारित किया था। हमें यह कहा जाता है कि दाम आप निर्धारित करते हैं लेकिन किसान को मजबूर होकर बेचना पड़ता है। जहां जहां शिकायतें प्राप्त हुई, किसी माननीय सदस्य ने जानकारी दी या हमारे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, दो तीन जगह से जानकारी मिली, हमने तुरन्त टीम भेजी। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि उत्तर प्रदेश में किसी किसान को विवश होकर जो धान की निर्धारित दर है उससे कम पर नहीं बेचना पड़ा अभी भी बजाय 160 के कहीं-कहीं पर 200 और 210 तक प्रति क्विन्टल धान बाजार में है। यही भाव कि धान को मिल रहा है शुरू-शुरू में जहां हटाया, गोरखपुर से दो तीन जगहों से शिकायतें आई थीं तो तुरन्त बाहर से व्यापारी भेजे और यह भी निर्णय लिया कि प्रदेश में धान के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा क्योंकि कहीं मिले ज्यादा है जैसे तराई में ज्यादा है, बरेली और मेरठ में ज्यादा मिले हैं धान पूरब में ज्यादा बढ़ रहा है। प्रतिबन्ध होने पर किसानों को वहीं धान बेचने पर बाध्य होना पड़ता था इसलिये जो अन्तर जनपदीय प्रतिबन्ध था उसे हटाया जाय और यह सुनिश्चित कराया कि यह रुकावट न डाली जाय।

इसके साथ ही जो हमारी जिम्मेदारी थी व्यापार को रेगुलेट करने की, संवर्धित करने का उसमें भी सामंजस्य करते हैं और देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़े हैं, दरअसल हमारे कभी-कभी बड़े बड़े हो जाते हैं उनमें व्यापार करने में अड़चन पैदा होती है। तो हमने तय किया कि किस प्रकार लाइसेंसिंग प्रणाली में सरलीकरण करें और उन चीजों पर जिनमें लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है उसे समाप्त करने के लिये हमने उच्चस्तरीय समिति का गठन किया और उसकी सिफारिशों का अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया कि कई वस्तुयें ऐसी हैं जैसे ज्वार, बाजरा, सत्तू आदि समस्त ऐसी वस्तुयें हैं जिन पर अनावश्यक रूप से लाइसेन्स लगा हुआ है उस पर निर्णय लिया कि इन चीजों पर व्यापार करने के लिये लाइसेन्स समाप्त कर दिया जाय। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि कपड़े पर भी लाइसेन्स समाप्त करने का निर्णय सरकार ने लिया है।

मान्यवर, व्यापारियों की सुविधा का भी हमने ध्यान रखा है क्योंकि व्यापारी भी हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। उत्पादक, उपभोक्ता व्यापारी सभी में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिये प्रदेश के विकास में जरूरी है कि व्यापारी भी खुले मन से कार्य कर सकें। हमारे पास शिकायतें आईं कि लाइसेन्सों का हर साल नवीनीकरण कराने के लिये लाइन लगानी पड़ती है और बड़ी कठिनाई सामने आती है। हमने निर्णय लिया कि 5 वर्ष के लिये लाइसेंस दिया जाय और उसे हर साल नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार लाइसेंस लेने पर 5 वर्ष तक लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अलावा हर वस्तु के लिये व्यापारी को अलग-अलग लाइसेंस लेना पड़ता था। गुड़ के लिये अलग लाइसेंस, चीनी के लिये अलग लाइसेंस, खांडसारी के लिये अलग लाइसेंस तो आपके मार्ग-दर्शन से आपके सुझाव से हमने निर्णय लिया कि इन समान चीजों के लिये जो अलग-अलग लाइसेंस लेना होता है उसके लिये एक लाइसेंस, होगा जिसे कम्पोजिट लाइसेंस कहा गया है वह लेना होता। यानी इन चीजों के व्यापार करने के लिये एक लाइसेंस, जिसे कम्पोजिट लाइसेंस कहा जायगा, लेना होगा।

फिर मान्यवर, लाइसेंसिंग अधिकारी अलग-अलग होते थे गुड़ का व्यापार करना है तो आर० एफ० सी० से अलग लाइसेंस लेना होता था।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

वह कट मोशन रख रहे हैं या बजट भाषण कर रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह—

दोनों काम करने का आदी हूं। इसलिए हमने निर्णय लिया कि सुन-सिंडो सुरक्षित होना चाहिये, तो यह बजट नहीं तो क्या है? सारे लाइसेंस एक ही स्थान पर जाकर नवीनीकरण और प्राप्त करने की व्यवस्था होनी चाहिए तो वह की गयी। और जितने लाइसेंस हैं वह हमारे मण्डल पर नियुक्त आर० एफ० सी० करेंगे जिससे मण्डल पर न जाना पड़े और जिला स्तर पर जिला पूर्ति अधिकारी करेंगे। यह महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। इसके अलावा मान्यवर, जो व्यापारी के उनकी शिकायत थी कि हमारी भंडारण क्षमता कम कर रखा है जिससे व्यापार नहीं कर पाते हैं जिसको बढ़ाकर 100 टन की क्षमता थोक व्यापारी और 10 टन की क्षमता फुटकर विक्रेता के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये किया है। मान्यवर, सातवीं पंच वर्षीय योजना में निर्णय लिया गया था और उसका पालन किया गया और 9 जनपदों में 5-5 हजार मेट्रिक टन की क्षमता के गोदाम निर्माणाधीन हैं। इनमें 7 जनपदों में 31 मार्च, 1989 के पहले पूर्ण हो जायेंगे, 2 जिले सहारनपुर और खीरी में जमीन की कठिनाई के कारण समय लग सकता है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में टनकपुर में 4 हजार मे0 टन, रुद्रपुर में 2 हजार मे0 टन और पौड़ी में 5 गोदाम एक-एक हजार मे0 टन के निर्माण किये जा रहे हैं इससे पर्वतीय क्षेत्रों में जो कठिनाई आती थी उसको हल कर लेंगे।

मान्यवर, इस विभाग का महत्वपूर्ण हिस्सा बांट-माप है। यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं का शोषण न हो और उनको कम तौल में चीजें न मिलें चूंकि समस्या छोटे गांवों और कस्बों में दिखाई दी कि वहां सामान बेचने वाला कोई व्यापारी बांट नहीं रखता था। भ्राता प्रसाद पाण्डेय जी गवाह होंगे कि गांवों में ईंटा रख कर सामान तौला जाता था और सामान लेने वालों को कोई जानकारी नहीं होती थी। इसलिए यह जिम्मेदारी बांट-माप की इस विभाग पर डाली गयी और विभाग ने सराहनीय काम किया है। इस दिशा में पूरे प्रदेश में 164 यूनिट्स कार्यरत हैं जो कि कम हैं, इनको बढ़ाने की आवश्यकता है, इस पर विचार कर रहे हैं।

इसके अलावा 1985 में केन्द्र सरकार द्वारा एक दूसरा अधिनियम पारित किया गया जो उत्तर प्रदेश में अभी तक लागू नहीं था, हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में लागू किया जावे। चूंकि बहुत ही प्रगतिशील एक्ट है। इलेक्ट्रिक मोटर और गाड़ियों के मीटर में शिकायत होती थी, तो नये एक्ट में इलेक्ट्रिक मीटर से लेकर डिजिटल मीटर तक में सुनिश्चित किया जायेगा कि कमी तो नहीं है। इसकी विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि मीटरों को देखें कि कम चोरी तो नहीं हो रही है।

इस तरह से बांट-माप विभाग से 164 लाख 65 हजार रुपये की आय हुई इस विभाग के माध्यम से, फोस और जर्मानें एवं कंपाउन्ड के माध्यम से। तो जब तक चेकिंग की कार्यवाही न करते तब तक ऐक्ट को इम्प्लीमेंट करना संभव न होता। पूरे देश में सर्वे किया गया कम तौलने के सम्बन्ध में तो 1,700 करोड़ रुपये का उपभोक्ताओं को कम तौलने से नुकसान होता है। तुलाई में पंकेज, ट्रांसपोर्ट या सीलबन्द जो चीजें हैं उनमें तुलाई से उपभोक्ता का शोषण हो रहा था। जिसका प्रयास तौर पर सुनिश्चित करना था कि कैसे हम गैर-कानूनी, अनियमित और भ्रष्ट मामलों को पकड़ सकें और कार्यवाही कर सकें।

इस दिशा में हमारा विभाग बराबर प्रयासरत है, कार्यरत है और हमें विश्वास है कि माननीय सदस्यों के सहयोग और आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते रहें। एक दूसरा भी अधिनियम है, जिसका मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं-रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट। मान्यवर, आज इसकी कोई व्यावहारिकता बची नहीं है और, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। मैं नहीं समझता कि इस अधिनियम के माध्यम से किसी किरायेदार को कोई किसी किस्म का फायदा पहुंच रहा है, और न मकान मालिक को ही किसी किस्म का प्रोत्साहन मकान बनाने के लिये मिल रहा है। इसमें लिटीगेशन भी बेइन्तहा है, मामला इसमें डी0 एस0 ओ0 से लेकर सुप्रीमकोर्ट तक पहुंच जाता है। मकान किसी को नहीं मिल पाता है। इस सम्बन्ध में हमने अपने यहां विभाग में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और उससे कहा है कि वह अपनी रिपोर्ट दो महीने में प्रस्तुत करे कि कैसे हम बिल्डिंग्स ऐक्टिविटीज को और बढ़ा सकते हैं। जीर्ण-शीर्ण मकानों को अच्छे असेट्स में तब्दील कर सकते हैं, और कैसे किरायेदारों के हितों की रक्षा कर सकते हैं? हमें उम्मीद है कि वह जल्दी

रिपोर्ट हमें मिल जाएगी, ताकि इस अधिनियम को हम और अधिक प्रभावशाली और कारगर बना सकें ।

मान्यवर, मैं अपने माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो मेरे ख्याल में इस शताब्दी का सबसे क्रान्तिकारी कदम हमारे प्रधान मंत्री जी ने उठाया है । उनके द्वारा केन्द्र में उपभोक्ता संरक्षण समिति अधिनियम का सन् 1986 में गठन किया गया है । जनसाधारण को अब तक कोई ऐसा फोरम प्राप्त नहीं था जहां वह अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकें । यदि उपभोक्ता का शोषण हो रहा है तो कहीं से उसे बचाया नहीं जा सकता था । क्योंकि वर्तमान नियमों, प्रक्रिया के अन्तर्गत न्याय हेतु न्यायालय में गरीब और साधारण उपभोक्ता की पहुंच सम्भव नहीं है । बिना वकील के आप जा नहीं सकते हैं और प्रक्रिया बहुत कठिन और खर्चीली है । इसलिए इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी आदमी सादी दरखास्त देकर, अपने हाथ से लिखकर शिकायत प्रस्तुत करें, तो इस अधिनियम के अन्तर्गत जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई होने के बाद इसका निस्तारण किया जाये । इसके दो उद्देश्य हैं । एक उपभोक्ता का संरक्षण है और दूसरे इस कार्यक्रम का कुछ इस तरह चलाना है कि जिससे उपभोक्ता में अपने हितों के प्रति जागृति पैदा हो सके और अन्याय और शोषण के विरुद्ध विश्वास के साथ कदम उठा सके ।

यह कार्यक्रम वास्तव में हमारे देश में बहुत कमजोर रहा है । मुझे पश्चिमी देशों में जाने का अवसर मिला है, वहां की हालात देखकर मुझे खुशी होती है । वहां उपभोक्ता फोरम ने यदि किसी वस्तु, किसी पदार्थ को बेकार घोषित कर दिया, ज्यादा कीमती घोषित कर दिया तो अगले दिन उसका निर्माता बाजार में टिक नहीं पाता । केवल उपभोक्ता फोरम की मुहर ही ऐसे करने के लिए पर्याप्त है । लेकिन यहां पर ऐसा कोई फोरम उपभोक्ताओं को प्राप्त नहीं था । इसमें केन्द्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण समिति का गठन किया गया है । उसके अध्यक्ष केन्द्रीय खाद्य मंत्री हैं और तमाम प्रदेशों के खाद्य मंत्री उसके सदस्य हैं, और समाज सेवी संस्थाओं में काम करने वाले बहुत से हमारे समाज सेवी कार्यकर्ता उसके सदस्य हैं । तीन महीने में एक बार उसकी बैठक होती रहती है । प्रदेश स्तर पर भी इस उपभोक्ता संरक्षण समिति का गठन किया गया है । इसमें 45 सदस्य हैं और इनमें से 23 गैर सरकारी सदस्य हैं । इन गैर सरकारी सदस्यों में महिला भी हैं, निर्माता भी हैं, उपभोक्ता भी हैं, व्यापारी भी हैं । तो सभी वर्गों को इसमें प्रतिनिधित्व किया गया है, ताकि सभी का दृष्टिकोण इसके माध्यम से सामने आ सकें । अब प्रश्न यह उठता है कि कैसे हम सामान्य उपभोक्ता को मुआवजा या हरजाना दिलवायें ? इसके लिये प्रदेश में 12 मंडल मुख्यालयों पर 12 उपभोक्ता संरक्षण समितियों का गठन किया गया है । इसमें एक सेवा-निवृत्त जिला जज, एक सेवा-निवृत्त प्रशासनिक अधिकारी और कोई एक सामाजिक महिला कार्यकर्ता रहती है । ये इसके सदस्य हैं और भूतपूर्व जिला जज इसके अध्यक्ष हैं ।

इनको यह अधिकार है कि एक लाख की माल्यिात की दरखास्त ले आएं उसको यह तय करते हैं । राज्य स्तर पर एक आयोग का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष सेवा-निवृत्त लोग होंगे इसमें एक चीफ इंजीनियर और एक महिला कार्यकर्ता होंगी । इनको एक लाख से दस लाख के मामले तय करने का अधिकार है, इसमें कोर्ट और बिना फीस के कार्य होगा ।

मैं एक छोटे से केस की जानकारी देना चाहूंगा । कानपुर के जिला फोरम के सामने एक मामला आया जिसमें एक उपभोक्ता ने शिकायत की थी । टेलीफोन विभाग

ने आठ हजार का बिल भेज दिया उसने अदा नहीं किया तो उसका कनेक्शन काट दिया वह फोरम के पास गया जब यह सिद्ध हो गया कि आठ हजार रुपये का बिल नहीं था तो आठ हजार वापस करने पड़े। जब तक टेलीफोन विभाग ने उसका टेलीफोन नहीं लगाया तब तक पांच सौ रुपये प्रतिमाह का जुर्माना फोरम ने, टेलीफोन विभाग पर किया। इसमें आप कहेंगे कि टेलीफोन का सम्बन्ध तो उच्च वर्ग से है गरीब आदमी के लिए आपने क्या किया। तो गरीब आदमी के लिए भी हमने कार्य किया है। गरीब आदमी कहीं से चीनी लेता है कहीं से गेहूं लेता है, कहीं से छोटा-मोटा बर्तन लेता है, तो इस तरह के जो मामले हैं उनको भी हमने देखा है इसी तरह का एक मामला आया था। किसी आदमी ने 10 रुपये का बर्तन लिया और वह बर्तन सही नहीं निकला तो वापस करवाया गया और हर्जाना भी दिलवाया गया। 48 केस फोरम के सामने आ चुके हैं और कई केस इनके द्वारा तय किए जा चुके हैं। एक व्यक्तिगत पत्र मैंने सम्मानित सदस्यों को भी लिखा था कि आपका सहयोग आना चाहिए आपके माध्यम से जनता तक सहयोग पहुंचना चाहिए। उपभोक्ता अपने अधिकार को समझे निरीह प्राणी की तरह न बैठे इससे उसका शोषण होगा।

मैं जानकारी देना चाहता हूं कि कानून बनाकर, नियम बनाकर सब कुछ उपलब्ध नहीं हो सकता है जब तक कानून बनवाने वाले जो हैं उनका मनोबल नहीं बढ़ता है। मेरी धारणा यही है कि जिस फौज में, जिस टुकड़ी में जिस सेना में वहां के योद्धा मनोबल गिराता जाता है उससे कोई परिणाम नहीं निकलता है, हमारे विभाग के जो छोटे कर्मचारी हैं, जो इंस्पेक्टर हैं जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके लिए भी हमें कुछ करना है जो बरसों वर्ष तक एडहाक पर बने रहते हैं। हमने पूरा प्रयास इसमें किया है एक माह के भीतर सवा चार सौ मार्केटिंग इंस्पेक्टर, जो पिछले दस वर्षों से तदर्थ चले आ रहे थे उनका करेक्टर रोल पूरा करके कन्फर्म किया है और जो तदर्थ नियुक्तियां होती हैं, तो इस तदर्थता को समाप्त किया जाए ऐसा हमने सोचा है।

मान्यवर, हमारे विभाग के दो निगम हैं कर्मचारी कल्याण निगम और आवश्यक वस्तु निगम। कर्मचारी कल्याण निगम के 90 डिपो पूरे प्रदेश में हैं। हर जनपद के मुख्यालय पर हमने एक डिपो खोला है। अब तहसील स्तर पर जाने का हमारा कार्यक्रम है। इस वर्ष 10 नये डिपो खोले जा रहे हैं। फरेन्दा, गोरखपुर, 40 वाहिनी पी0 ए0 सी0, हरिद्वार, बलरामपुर, गोंडा, रायपुर, नैनीताल, मिर्जापुर और हरदेव जी बहुत मशहूर रहे थे उनके यहां रसड़ा बलिया में खोला है। इसी तरह से पिलीभीत बदायूं में, बागेश्वर अल्मोड़ा में, खजनी गोरखपुर में, चन्दौसी वाराणसी में और मल्ली ताल नैनीताल में, तो यह 11 डिपो इस वर्ष खोले हैं। लगभग सवा 4 लाख हमारे कर्मचारी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उनको सस्ती दर पर बहुत सी चीजें उपलब्ध करायी जाती हैं।

मान्यवर, दूसरा निगम है आवश्यक वस्तु निगम। इसकी स्थापना इस उद्देश्य से की गयी थी कि मार्केटिंग का काम विभाग से हटाकर निगम के माध्यम से कराया जायगा लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुयी। कारण यह है कि सहकारिता के माध्यम से पी0 सी0 एफ0 के जरिये इसमें काफी प्रगति हो चुकी है। इसीलिये हमने कहा है ठीक है आप चीनी का काम नहीं कर सकते तो आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अपनी भूमिका तो अदा कर ही सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत शिकायतें रहती हैं। मैं चाहता हूं कि एक तुलनात्मक अध्ययन हो सके। कौन कितना काम कर सकता है, जिसका परिणाम अच्छा हो सकता है। इसलिये शुरू में जनपद मुख्यालयों में एक-एक जनता स्टोर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खोला जा रहा है। यह देखा जायगा

कि इसमें कितनी कामयाबी हासिल होती है। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष कम से कम 300 स्टोर इस निगम के माध्यम से प्रदेश भर में खुलवायेंगे। मुझे अधिकारियों ने विश्वास दिलाया है कि कोई शिकायत इस बात की नहीं मिलेगी कि दूकान खुली नहीं है या दूकान में कोई नहीं मिला या जरूरत की चीजें अनुपलब्ध हैं। बहुत सी ऐसी चीज हैं जो निगम पहले से जनता स्टोरों के माध्यम से बेच रहा है। पूरे प्रदेश में 150 जनता स्टोरों से और 30 सचल जनता स्टोरों से जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुयें हैं उनको उचित मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं।

मान्यवर, इसके अलावा समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूं क्रय करने का काम का दूसरी जिम्मेवारी दी जाती है उसके बारे में बताते हुये खुशी है कि निगम ने बहुत ही सराहनीय भूमिका अदा की है। कहने के लिये विभाग इतना बड़ा है, बहुत सी बातें कही जा सकती हैं लेकिन बाद में जब कोई बिन्दु उठेगा तो मैं जवाब दूंगा। मुझे विश्वास है, कि जितने हमारे सम्मानित सदस्य बैठे हैं उनके बहुमूल्य सुझावों से हम इस विभाग और हम लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।

*श्री राजकुमार—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22—खाद्य तथा रसद विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कटौती के प्रस्ताव को रखने का उद्देश्य इनकी नीतियों में जो खराबी है उनके बारे में सुझाव देना और इसको ऐसा बना देना कि इस प्रदेश की जनता सुख-चैन की जिन्दगी व्यतीत कर सके।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के भाषण को मैं केवल 50 प्रतिशत समझ पाया कुछ माइक की खराबी थी या कुछ इनकी तेज जबान की वजह से समझ नहीं पाया। मेरा ख्याल है कि बहुत से माननीय सदस्यों का भी यही हाल रहा है। बहरहाल माननीय मन्त्री जी ने जहां से खत्म किया है मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। उन्होंने ड्रायल और इरर बेसिक पर अपने प्रदेश की 12 करोड़ जनता को लाकर खड़ा कर दिया है वह कहते हैं कि ड्रायल के आधार पर अपनी दूकानें खुलवायेंगे। उत्तर प्रदेश की 12 करोड़ जनता के न्यूट्रीशन और उसके मोरिलमेंट की जिम्मेवारी इस विभाग पर है, पोषण और खुराक की जिम्मेवारी इस विभाग की है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे इम्पार्टेंट विभाग इस लोकतांत्रिक प्रणाली में होना चाहिये लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि यह डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट्स का मातहत मालूम होता है। जिस विभाग के जिम्मे उत्तर प्रदेश की 12 करोड़ जनता को सेहत बनाये रखने का काम तन्दुरुस्ती बनाये रखने का काम जिस डिपार्टमेंट का था अगर उस तरफ ध्यान दिया गया होता तो समाज में जो बुराइयां और कुरीतियां हैं वह पैदा न होने पाती क्योंकि एक तन्दुरुस्त दिमाग में कभी गलत कानून तोड़ने वाली चीजें नहीं आती। लेकिन हुआ यह कि इन्होंने समझ लिया कि अगर हमने खाने की पूरी मुहैया कर दिया तो उससे तन्दुरुस्ती भी आ जायेगी। एक दूसरी चीज फैल गयी इनके बैड मैनेजमेंट की वजह से इनके खराब इन्तजाम की वजह से हुआ यह कि आज डाक्टरों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गयी और अस्पतालों में बहुत ज्यादा भीड़ हो गयी। उसका मुख्य कारण यह था, अगर हम देखें तो इनके डिपार्टमेंट की कुव्यवस्था है। अब एक-एक तरफ से आइये इस डिपार्टमेंट का काम है, ये समझते हैं कि बनिये की दुकान है यह डिपार्टमेंट है, यह डिपार्टमेंट सिर्फ इसी काम के लिए बनाया गया था।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया व्यवधान न करें ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, इनका काम अपने मन्त्री जी को समझना है ज्यादा से ज्यादा 44 हजार दुकानें हैं उन सबको निजी क्षेत्रों में कर दें ताकि कांग्रेस के जो लोग हैं अपने आदमियों को इस तरह से यह दुकान दिलवा करके और कमीशन लेना चाहते हैं इसलिए कोई पुराने वाली बात सुनना नहीं चाहते हैं और बीच में टोका-टाकी इसलिए कराये हैं कि कहीं कोई ऐसी बात न आ जावे और कमीशन जब बोफोर्स में लिया गया तो उसकी छोटी शक्ल इन छोटी दुकानों में होगी ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया शान्ति बनायें, आपस में बात न करें ।

श्री फजलुल बारी—

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी अपने बजट के दौरान मन्त्री जी ने यह कहा कि हमारे यहां डिस्ट्रीब्यूशन और प्रक्योरमेंट दो इम्पार्टेन्ट चीजें हैं । डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले में इनसे कहना चाहता हूं ।

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि वे कृपापूर्वक जितने अंग्रेजी के शब्द शामिल करें, उसकी हिन्दी अवश्य करें ।

श्री अधिष्ठाता—

जहां-जहां अंग्रेजी शब्द आवे उसकी हिन्दी कर दें ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, माननीय सदस्य को गलत फहमी है कि शायद मैं हिन्दी नहीं जानता हूं । वे यही समझते हैं कि इनके घर की दाल है इसलिए मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि जो जबान की बात उठाते हैं, असल में जुबान इसलिए होती है कि अपनी गलती को दूसरे तक पहुंचा दिया जाय इसलिए जुबान यहां होती है लेकिन जुबान का विवाद उठाने वाले वह लोग होते हैं जो इस समाज में अपने कुकर्मों की तरफ देखने वालों को रोकने के लिए पर्दा डालना चाहते हैं वह इस जुबान के विवाद को उठाते हैं ।

माननीय अधिष्ठाता जी, यह बांटने की प्रक्रिया और भंडारण की प्रक्रिया यह दो काम इन्होंने सोचे, आप देखें कि इनके बांटने का काम कैसे होता है एक सप्लाई आफिस जो जिलों में है ।

एक सदस्य—

इसकी हिन्दी करें ।

श्री फजलुल बारी—

अब इसके बारे में तो मुझे पूछना पड़ेगा क्योंकि बेहतर यह जानते हैं यह वहां जाकर 10 से 5 तक समय देते हैं और वहां फर्जी परमिट बनवाते हैं अब सीमेन्ट पर से तो मामला उठ गया नहीं तो इनका एक काम यह भी था आपूर्ति विभाग में । मान्यवर, हमने पिछले 6 साल के कटौती भाषणों को और अनुदान संख्या 22 के सम्बन्ध में जितने सुझाव आये हैं । तो मैंने देखा कि सबने तकरीबन एक ही सुझाव देने की

[समय 3 बजे]

कोशिश की कि यह डिपार्टमेन्ट आजाद होना चाहिए । हर विभाग का नियंत्रण इस विभाग पर है यह स्थिति है । आप नीचे से चलें तो जो दुकान गांव सभा की है उस दुकान में किस तरह से बड़ा रजिस्टर का सत्यापन अब लेखपाल करेगा और प्रधान से उसको दुकानदार को छुटकारा तकरीबन मिल गया । ब्लाक का बी0 डी0 ओ0, तहसीलदार करेगा । गरज यह कि यह एक सिस्टम बन जाता है कि आपूर्ति विभाग दूसरों के जेरे र हो गया है । यह गलत है । मान्यवर, उनको यह करना चाहिये कि अपने इ विभाग को आजाद कर दें और जब वह आजाद होगा तो उसके ऊपर जिम्मेदारी भ ती ही होगी कि अगर कहीं कोई कमी हो गई तो पूरा कराता रहे, अगर बाजा भ व बढ़ रहे हैं तो चेक करने की जिम्मेदारी ले ।

( व्यवधान )

बकवास मत कीजिए । खामोशी से सुनें, मान्यवर, आपकी जिम्मेदारी है ।

*श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, आपकी जिम्मेदारी यह भी है कि सदन में अंग्रेजी का प्रयोग न हो ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नरेन्द्र देव जी बैठें । अंग्रेजी का प्रयोग हो तो उसका अनुवाद हिन्दी या उर्दू में हो जाय तो अच्छा है ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, इसके बाद सदन नहीं चलने पायेगा । एक लफ्ज भी अंग्रेजी का बोला गया तो सदन नहीं चलने दिया जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बजट पर बोलें ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, चूंकि इसमें भ्रष्टाचार खुल जायगा और सामने आ जायगा, इसलिए मंत्री जी खुद जानते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में तस्करा हो ही जाय ।

*श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, माननीय सदस्य हिन्दी के बारे में कह रहे थे, जिन माननीय मंत्री जी का यह विभाग है उनका नाम है हुकुम सिंह तो हुकुम सिंह हिन्दी का कौन सा शब्द है ? यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था नहीं है ।

*श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, यह तो अड़ियल हैं, हर बात पर अड़ते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री फजलुल बारी—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं यह अर्ज कर रहा था कि आपूर्ति विभाग को इन जकड़बन्दियों में न जकड़ें और इसको आजाद कर दिया जाय तो इस पर जिम्मेदारी भी पूरी डाली जा सकती है। अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि कुम्भ मेले में बड़ा इंतजाम किया। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जब किसी के घर पर कोई मेहमान आ जाता है तो उनकी खातिरख्वाही की जाती है और इज्जत के साथ खाना खिलाया जाता है। यह गौरव की बात नहीं है। मेहमान आया तो पेट भर खाना खिलाया और इज्जत की। गौरव की बात तो यह है कि उनको भी खिलाया और घर वालों ने भी पूरा खाया, तब तो गौरव की बात है। लेकिन हुआ क्या, कुम्भ के मेले में राशन का इंतजाम किया तो उत्तर प्रदेश के हर जिले से एक-एक राशन कार्ड होल्डर का राशन वहां पहुंचाया गया और सबका राशन कम कर दिया गया। खुद हमारे जिले में फी यूनिट डेढ़ किलो चावल मिल रहा है। पूछा गया कि क्या हुआ तो कह दिया गया कि कुम्भ मेले के लिए कटौती हो गयी। अगर ऐसी बात नहीं थी तो माननीय मन्त्री जी को चाहिये था कि जब कुंभ मेले का इंतजाम कर रहे थे एलान कर देते कि प्रदेश की जो राशन की दुकानें हैं उस पर कोई कटौती नहीं की गई है। इस डिपार्टमेंट को आजाद करना चाहिए उसके और भी वजूहात हैं। अभी जिले में दुकानों का बटवारा हो रहा था उस दरख्वास्त को तैयार करने के सिलसिले में कितनी जगह से कितनी डेस्क से घूमना पड़ा उसे जो दुकान लेने के वास्ते अभ्यर्थी थे उनके 5-5 हजार 1-1 आदमी के खर्च हो गये। यह इसी वक्त रुक सकता है, एक डेस्क से सारा इंतजाम हो जाय तो यह उनका खर्चा नहीं होगा। इस सिलसिले में कुछ लम्बी चौड़ी बात न कहकर माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह अपने विभाग में यह तबदीली लायें। मैंने पिछले 6 साल की कार्यवाहियां देखी हैं उसमें हर मर्तबा इस बात पर जोर दिया गया कि इस डिपार्टमेन्ट को मुक्ति दिलायी जाय दूसरे विभागों के हाथ से। मगर आज तक माननीय मंत्री जी ने इनकी सरकार ने उस पर ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं की।

फिर दूसरी बात इनकी जो गल्ले की खरीद की बात है, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि यह विभाग बनिये की दुकान नहीं है, मसला यह है कि यह देखना है कि बाजार के भाव पर नियंत्रण रहे और उपभोक्ताओं को जरूरत का सामान मिलता रहे देखना यह पड़ेगा कि यह कंट्रोल राशनिंग का डिपार्टमेंट का जो नजरिया है यह हिन्दुस्तान में सबसे पहले बम्बई स्टेट में लागू करने की जरूत पेश आयी वह पायनियर है, वह शुरू करने वाला है इस मुल्क में। किस भावना के तहत इस पूरी व्यवस्था को लाया गया था, इस पर गौर नहीं करेंगे तो हम कभी भी पाजिटिव रिजल्ट पर पहुंच नहीं सकते? यहां यह कमाल नहीं है कि दुकान हमने ज्यादा खुलवा दी, कमाल यह होता कि बाजार की कीमत हमारे कंट्रोल में है, रहेगी? एक बात और कहना चाहता। गेहूं की फसल तैयार होगी तो गेहूं बाजार में दो रु0 किलो के अंदर बिकेगा और यही गेहूं नवम्बर के महीने के गुजरने के बाद से एकदम बढ़ना शुरू हो जायेगा। आज 3·25 रु0 किलो का गेहूं बाजार में बिक रहा है, 2·25 रु0 किलो राशन की दुकानों पर बिक रहा है। यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि जो आपको सरकारी ताकत मिली हुई है नियम कानून का असलहा मिला हुआ है, वह कहां चला गया। यह जरूरी खिंजा गेहूं की शक्ल में देश प्रदेश की इकनामी को वहां पर तमाम के तमाम जितनी वस्तुयें पैदा होती हैं, उनको कंट्रोल करना है।

इसी तरह गेहूं के दाम पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और गेहूं के दाम पर नियंत्रण की पोजीशन यह है कि 2·25 रु0 का गेहूं राशन दुकान में मिल रहा है और 3·40, 3·50 रु0 किलो का गेहूं आपके मुहल्ले की छोटी-छोटी बनिये की दुकानों में मिल रहा।

है, यह दामों में एक रुपये का फर्क क्यों है ? फिर यहां पर एक सवाल पैदा होता है और वह यह कि मैंने अर्ज किया कि किसान का गल्ला जब खरीदने की बात आयी तो मंत्री जी ने कहा कि हम उसे प्रोक्योर कर रहे हैं और किसान को उसके मेहनत की उचित मजदूरी दिलवायेंगे। पहले 170 रुपये गेहूं का भाव रखा था और अब 183 कर दिया और जब उसी गेहूं को बेचना होगा, तो 225 रुपये क्विंटल बेचेंगे। और अगर पूछा जायेगा, तो कह देंगे कि ट्रांसपोर्टेशन लाने ले जाने का खर्चा है, भंडारण का खर्चा है। अब इनकी सबसे बड़ी [×××] यहां पर सामने आती है। यह ट्रांसपोर्टेशन किस किस्म का है। मैं कहता हूं गोंडा में गल्ला लें, गोरखपुर में गल्ला ले और उसे मुजफ्फरनगर भेजें, रखने के लिए झांसी भेजें तो वह 400-500 कि0 मी0 जिला वजह ही तो खर्चा करते हैं। जिसका परिणाम होता यह है कि उस पर अनुचित भार पड़ जाता है और इसके अलावा लाने ले जाने के काम में भी इनका डिपार्टमेन्ट बहुत ढीला है। इनके पास इन्तजाम की कमी है, जिससे गल्ला सड़ता है, खराब होता है, इस प्रकार देश की कमाई को यह इस तरह से जाया करने का काम कर रहे हैं। हमने पहले भी सुझाव दिया कि भंडारण करने के लिए केन्द्र होने चाहिये, जहां उस जिले की आवश्यकता का खरीदा हुआ अनाज रखा जा सके जिससे गैर जरूरी किस्म का लाने ले जाने का जो खर्चा है, उससे बचा जा सके, लेकिन आज तक यह काम भी नहीं हो सका है। आज ही मंत्री जी ने बताया है कि गल्लिबल 9 जिलों में गोदाम बना चुके हैं। अब आप देखें कि 40 साल से ज्यादा इस देश को आजादी के हो चुके, और इतना ही समय हो गया इन्हीं की पार्टी को सरकार बनाये हुये। लेकिन यह देखने की बात है कि जिलों की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ी कि 56 से 62 हो गये और भंडारण गृह जो हैं जहां गल्ला रखा जायेगा, वह 9 ही बन पाये और उस पर से कहते हैं कि यह काम कर दिया, हमने वह काम कर दिया, दुकान खुलवा दी। दुकान तो आप खुलवा सकते हैं, इसलिए खुलवा सकते हैं क्योंकि आपने तय कर लिया है कि हम सिर्फ कमाई करेंगे।

इसी तरह से पाम आयल की बात आती है, मैंने आज ही मंत्री जी से पूछा था, आज। जिसके लिए मैंने बहुत तलाश भी किया अखबारों में, लेकिन उसमें भी नहीं मिला कि इसकी इम्पोर्ट प्राइस क्या है। इन्होंने बताया कि 88 में यह 15 रुपये किलो था और 15 हजार रुपये टन के हिसाब से मिला, वही अब बाजार में साढ़े 22 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। इसमें कोई भी चीज इन्वाल्व नहीं है, सिर्फ पैकिंग करके भिजवाना है, फेयर प्राइस शाप में। सिर्फ एक किलो, दो किलो के पैकिंग करवाने की बात है, लेकिन इसमें साढ़े 7 रुपये से ज्यादा का अन्तर है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। किसान को तो इस परसेन्टेज से मुनाफा नहीं मिल रहा है, जिस तरह आप मुनाफा ले रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आपने अपने चहेते व्यापारियों और कारखानेदारों को यह काम सौंपकर उनसे मामला कर लिया है। चाहे ही मेरी बात सही न हो, क्योंकि मुझको जानकारी नहीं है लेकिन देखने से यही मालूम होता है कि आपने उन लोगों से मामला कर रखा है। वैसे भी आप इस मामले में नेकनाम हैं, आपकी सरकार नेकनाम है, पैसा अंडरहैंड लेने में। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि इस तरह बड़े कारखानेदारों से पैसा लेकर उनको अनड्यू फायदा पहुंचाया गया है।

मान्यवर, खरीददारी के सिलसिले में इनकी बहुत सारी एजेन्सियां हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप खरीददारी का काम बिल्कुल मत कीजिए।

---

नोट—[×××] यह श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आप सिर्फ यह देखिए कि आपने जो किसानों को 183 रुपए देने के लिए फिक्स किया है, वह कीमत उनको मिल पा रही है कि नहीं। इसके लिए आप अपने डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाईये, तभी आप इस पर नियंत्रण रख पायेंगे। आप केवल डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए। जहां तक प्रोक्योरमेन्ट का प्रश्न है उसके लिए आप वसूल बना दीजिए, कानून बना दीजिए और कोआपरेटिव सेक्टर में आपकी जो एजेन्सीज हैं, जब वह खरीद लें तो फिर आप उसे भण्डारण के स्तर पर ही हर तरफ रखवा दें। खासतौर से जब गल्ला बिक रहा हो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश एक सरप्लस स्टेट है, यहां गेहूं और चावल की पैदावार ज्यादा होती है। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि ज्यादा पैदावार होने के बावजूद भी, आपके बदइन्तजामी हाथों में पड़कर इन चीजों का लाभ गरीब जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। आज महाराष्ट्र में भी गेहूं लगभग तीन रुपए से कुछ ऊपर प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है और लगभग वही भाव उत्तर प्रदेश के खुले बाजार में बिक रहा है। यह तो खैरियत है कि अगर हमारा सरप्लस स्टेट न रहा होता तो आपके बदइन्तजामी हाथों में पड़कर शायद वह यहां पर मारकेट से ही गायब हो गया होता। आज आपके समक्ष सबसे बड़ा अहम् काम यह है कि आप प्राइस कन्ट्रोल करें।

श्री अखिलेश—

माननीय सदस्य और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, इसलिए आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें। आपको तो बाद में भी मौका मिलेगा।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, पहली बार बोल रहा हूं। मैं तो इस बजट पर कटौती का प्रस्ताव ला ही नहीं रहा था। लोग कह रहे थे कि इसमें तो सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मैंने सोचा कि इस बार कुछ सुझाव ही दे दिए जायं।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, क्या विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं रह गया है।

श्री फजलुल बारी—

माननीय सदस्य मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। मैं तो माननीय मंत्री जी को फायदे की ही बात बता रहा हूं। माननीय सदस्य को सुझाव देते हैं, उस पर कोई नियम व कानून माननीय मंत्री जी को बनाना चाहिए। सुझाव के रूप में मैं तो माननीय मंत्री जी को एक हथियार दे रहा हूं कि वह अपने में और शक्ति लें। जहां तक किसानों की कीमत का सवाल है। उसको क्या अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिल पा रहा है कि नहीं यह एक अलग बहस है और आज नियम 300 के अन्तर्गत इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी भी एक किसान परिवार के हैं जहां तक मैं जानता हूं।

उस इलाके के हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। वह स्वयं अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि क्या किसानों को उचित मूल्य मिल पा रहा है?

भ्रष्टाचार का मामला यह है कि सरकार एक काम निहायत गलत करती है। अभी तक मैं रोके हुए था लेकिन आज कहूंगा। बजट में जो खाने का पैकेट बांटते

हैं, यह कौन सी मद है ? हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का काम करते हैं । यह इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, खुद खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम लाल--

फजलुल भाई को पता नहीं है कि बजट में नहीं है भोजन ।

श्री फजलुल बारी--

तो फिर कहां से आया ?

श्री अधिष्ठाता--

आपने खाया हो तो खाया हो, मुझे क्यों कह रहे हैं ?

श्री फजलुल बारी--

हम यह कटौती का प्रस्ताव इसीलिए रखते हैं कि दुव्यवस्था को रोकें । मैंने जो मिसाल दी वह इसलिए दी कि बहुत सी चीजों को जायज समझा जाता है लेकिन वह नाजायज होती हैं । इनकी दुकानों के दो सिस्टम हैं । एक तो कोआपरेटिव सेक्टर में है और दूसरा प्राइवेट यानी निजी सेक्टर में है । अब आप देखें कि 11 हजार दुकानें कोआपरेटिव सेक्टर में हैं और 33 हजार दुकानें, उससे ज्यादा ही हैं, ये निजी हैं । एक जगह है हर जिले में ब्लॉक में चन्द लोगों का जिन्होंने अपने पंजे में राशन के कारोबार को जकड़ लिया है । इस तरह से लूट का बाजार गर्म किया है, जिस जमाने में गेहूं का रेट बाजार में कम होता है उस समय तो ये राशन की दुकान वाले गेहूं नहीं उठाते और जब गेहूं का बाजार चढ़ गया तो पूरा गेहूं उठाते हैं लेकिन उपभोक्ता तक नहीं पहुंचाते हैं । यह एक जगह है एक ही खानदान के दस-दस और पांच-पांच आदमी अलग-अलग इलाकों में दुकान लिए हुए हैं जो तीन बटा सात के मुल्जिम हैं । जिनकी दुकानें निरस्त की जाती हैं उनको दुबारा एस0 डी0 एम0 के यू और सप्लाई आफिस के यू या किसी और जरिए से फिर किसी न किसी तरह से उनको दुकान दे दी जाती है । यह नहीं हो पाता है तो सगे सम्बन्धी रिश्तेदार को दे दी जाती है । बाराबंकी के त्रिवेनीगंज ब्लॉक में बहुत सी शिकायतें मिली हैं वहां पर तीन बटा सात के मुल्जिम के खानदानवालों को दुकानें दे दी गयीं । इनके पास फेयर प्राइस शाप का इन्तजाम नहीं था राशन शाप का इन्तजाम नहीं था । ये फेयर प्राइस शाप इसीलिए मिलती हैं कि बाजार भाव पर कन्ट्रोल करें । जब कमी होगी तो सामान को इस तरह से पहुंचा देंगे जनता तक कि बाजार भाव बढ़ने न पाये ।

श्री अधिष्ठाता--

मा0 बारी साहब आप जरा एक मिनट के लिये रुक जांय । यह बजट है, इसमें कोशिश यह होनी चाहिये कि 20 मिनट में थोड़ा या ज्यादा, कमोबेश में कटौती की बात आ जानी चाहिये ताकि आम सदस्य भी अपने क्षेत्र के बारे में सुझाव रखना चाहेंगे, इसलिये वे उसको रख सकें इसलिये जरा अब सीमित करिये ।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, अभी तो मैं 20 मिनट ही बोला हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपको बोलते हुए 30 मिनट हो चुके हैं ।

श्री फजलुल बारी—

उसमें से 15 मिनट तो आपने ऐसे ही निकाल दिये और व्यवस्था नहीं कर पाये ।

*श्री राम शरण दास—

बोलने दीजिये, कभी न कभी तो इनको मौका मिला है ।

श्री नरेन्द्र देव—

यदि ये विषय पर बोल सकें तो चार बजे तक इनको ही बुलवा दीजिये ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, एसेन्सियल कमोडिटी में जो जीवन के लिये जरूरी वस्तुयें हैं उसमें खाने के अलावा तेल है, जिस पर अब मैं आता हूं । यह तेल है जिससे कि घरों में रोशनी होती है जिसको किरोसिन आयल कहते हैं । 15 अक्तूबर के बाद से 31 मार्च का जो पीरियड है, उत्तर प्रदेश में किसानों की तादाद 80 फीसदी से ज्यादा है, इस प्रदेश में किरोसिन आयल की कमी अक्तूबर से मार्च तक सबसे ज्यादा होती है । डीजल की कमी होती है, वह बाद की बात है । किरोसिन आयल की कमी क्यों होती है, इस पर मा0 मन्त्री जी को ध्यान देना चाहिये कि जब रबी की जोताई का सीजन शुरू होता है, उस वक्त से लेकर मंड़ाई तक किरोसिन आयल की कमी होती रहती है । इसकी वजह यह है कि किरोसिन आयल को डीजल में मिला करके पम्पिंग सेट चलाने के लिये बाजार में बेचा जाता है । मा0 मन्त्री जी इसके नियन्त्रण के लिये कोई प्रबन्ध करें कि किसान के डीजल के इंजन खराब न होने पायें । पेट्रोल पम्प में डीजल में किरोसिन आयल 25 परसेन्ट तक मिलावट करके दिया जाता है । इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है और यदि कभी पकड़ा जाता है तो किसी बड़े के हस्तक्षेप से वह बच जाता है । विभाग के पास अपने कोई अख्तियार ही नहीं हैं कि वह इस सम्बन्ध में किसी को सजा दिलवा पाये । इसलिये आज जो प्रदेश में स्थिति होनी चाहिये, डीजल पम्प ज्यादा होने चाहिये थे लेकिन जिन इंजन की उम्र उस साल होनी चाहिये थी, वह इंजन मिलावट के कारण से दो साल में ही कबाड़ी के हाथ में चले जाते हैं । मिलावट न हो और रबी की फसल के समय किरोसिन आयल और डीजल का अभाव समाप्त करवाने के लिये मा0 मन्त्री जी को कोई प्लान्ड वे में काम करना पड़ेगा और इसके लिये आपको वक्त भी देना पड़ेगा ।

अब मैं वर्ष और माप पर आता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

मा0 बारी साहेब, अभी उत्तर भाषण भी होगा ।

श्री फजलुल बारी—

मैं तो खुद ही आखिरी बात पर आ गया हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

ज्यादा समय में थोड़ी बात कहना दूसरी बात है और थोड़े समय में ज्यादा बात कहना दूसरी बात है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर इतना तफसील से अगर न बतावें तो समझ में न आये। मान्यवर, बांट का मसला भी इस विभाग का एक जबर्दस्त मसला है। इस विभाग में इतने कम आदमी हैं कि इन आवश्यकताओं के साथ यह नियंत्रण कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए अनुरोध है कि इस डिपार्टमेंट को चाहिए कि कुछ आदमी बढ़ाएं ताकि हर क्षेत्र को हर दुकान पर पहुंचकर उनके बांट को चेक कर सकें। और हफ्ते में एक बार कम से कम जितने भी पेट्रोल पम्प हैं, जाकर देखें कि वह अपने पंमाकों में जो उन्होंने लगा रखे हैं, एक गड़बड़ी यह करते हैं कि जब भी किसान वहां पर जाता है और 10 लीटर कुछ मांगता है, तो उसे 8 लीटर ही मिलता है।

और जो दूकानें आपने कोआपरेटिव को दे रखी हैं, या तो इनको बन्द कर दीजिए या फिर सारी दुकानें इन्हीं को दे दीजिए या सिर्फ निजी क्षेत्र को दीजिए। इस प्रकार से जनता को दो माध्यमों के बीच पीसा जा रहा है यह भी लूट खा रहे हैं और वह भी लूट रहे हैं (व्यवधान)..."राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, दोनों को छोड़ दिया गया है कि चरो खाओ (हंसी) मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक दुकानदार से मिला और उनसे मैंने पूछा कि यह ब्लैक मार्केटिंग पर कैसे काबू पाया जा सकता है। इस बात पर मान्यवर उसने एक ऐसी बात कह दी, जिससे मुझे खामोश होना पड़ा कि एक [ ] और फिर हमीं से कहो कि हम ब्रह्मचर्य के ऊपर उपदेश दें तो कैसे सम्भव हो सकता है, जिस तरह से यह सम्भव नहीं हो सकता है, उसी तरह से यह ब्लैक मार्केटिंग रोक पाना भी सम्भव नहीं है, इसलिए यह दोहरी इंतजाम प्रणाली, दो-दो दुकानों के माध्यम से यही होगा कि ब्लैक पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं फिर आगे उस शख्स ने कहा कि जब हमारे प्रधान मंत्री ही कमा खा रहे हैं तो इन बेचारों के करने में क्या एतराज है (और व्यवधान) एक साथ कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री पुरुषोत्तम लाल—

मान्यवर जो माननीय सदस्य नंगी औरत जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें कार्यवाही से निकलवा दिया जाए और जो लोग इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनकी चर्चा यहां पर न की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, यह तो हमारी एक दुकानदार से जो बात-चीत हुयी, उसको दोहरा रहा हूं। मैं उस जन-भावना को यहां पर दोहरा रहा हूं, जो हमारे देश व प्रदेश के लोगों की है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष ता—

ठीक है कार्यवाही दिखवा ली जायेगी और जो असंसदीय होगा, उसे निकाल दिया जायेगा।

श्री फजलुल बारी—

माननीय मन्त्री जी आप कुछ न करें और हमारी बात को भी न सुनें। बल्कि इस सदन में इस खाद्य व रसद विभाग के बारे में पिछली दफा में जो माननीय सदस्यों ने कहा, अपने-अपने सुझाव दिए हैं, उन्हें कृपया दिखवा लें और आज जो लोग भाषण देंगे,

---

नोट—[ ] यह अंश श्री अध्यक्षता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उसको देख लीजिएगा, वही को वहीं सारी बातें रिपीट होंगी, पिछले साल की वही को वही परेशानियां दोहराई जायेंगी। माननीय मन्त्री जी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप कम से कम इतना तो अवश्य देख लें कि पिछले 6 सालों में माननीय सदस्यों ने क्या सुझाव आपके विभाग के लिये दिये हैं और इस बार वह क्या देंगे, इन सबको देखकर कम से कम अमल में उन बातों को ले आएं।

श्री सुरेन्द्र देव--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आज की बात सुनने को मिली कटौती पर, मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इस पूरे 35 मिनट की चर्चा में उन्होंने पूरी दुनिया की चर्चा की और यहां तक कि [ ] की चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे दिवस में इस विभाग पर कोई कटौती प्रस्ताव के लिये तैयार नहीं था और उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी मजबूरी में वह कटौती का प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहे हैं। मान्यवर, आप 6 सालों का कटौती का भाषण पढ़ें, उन्होंने यह भी कहा कि वह बीमार हैं, इसलिये वह अपना पूरा भाषण तैयार नहीं कर पाये हैं। वह बड़े विद्वान सदस्य हैं और मैं उनको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस विभाग में कम से कम मैं अपने खाद्य मन्त्री और राज्य मन्त्री की बधाई देना चाहता हूं कि आज से 10 साल पहले विधान सभा में 301 और विभिन्न तरीकों से आई हुई समस्याओं को देखा जाये तो उस में जो स्थिति खाद्य तथा रसद विभाग के बारे में थी, वह आज नहीं है। यहां पर बहुत बड़ी-बड़ी समस्यायें उठाई जाती रही हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि इस बजट पर बोलने के लिये वाकई 12-13 सदस्य विपक्ष में बैठे हैं। यह बात नहीं है कि कोई जन समस्या है ही नहीं। यह लोग चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग में जिस तरीके से कुम्भ मेले में आये हुये लोगों का आतिथ्य किया है और जिस प्रकार से व्यवस्था की है और अपना रिकार्ड बनाया है, निश्चित रूप से यह विभाग बधाई का पात्र है और जहां तक सुझावों की बात है, 2-3 बिन्दुओं पर मैं अपने सुझाव देना चाहूंगा।

एक तो यह है कि आयातित तेल की जो बिक्री होती है, सत्ता पक्ष के लोग तथा विपक्ष के सभी लोग जानते हैं कि उपभोक्ताओं को तेल के दर्शन नहीं होते हैं। आयातित तेल की जो बिक्री की जाती है वह थोक उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंच जाती है और आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है, तो हो सकता है कि आवश्यक वस्तु निगम को घाटा न होता हो, क्योंकि उसका मूल्य तो उन तक पहुंच जाता है, लेकिन वह आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति यह विभाग नहीं कर पा रहा है। निगम के अधिकारी तेल का हाथ पा जाते हैं, जिससे इस निगम को घाटा नहीं होता है। दूसरी एक बात जो विद्वान सदस्य श्री ने कही है वे, कि व्यक्तिगत दुकानदार अव्यवस्था फैलाते हैं, तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि व्यक्तिगत दुकानदार जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, उनको धारा 3/7 में जेल भेज दिया जाता है और 10-10 दिनों तक जमानत नहीं होती है और हम कम से कम उस पर जिम्मेदारी तो फिक्स कर लेते हैं। लेकिन मान्यवर, सहकारिता विभाग की दुकानें हमारे जनपद में चार-चार महीने आग्रह करने के बाद भी वह अपना कब्जा नहीं उठाते और यदि वह कोई अनियमितता करते हैं तो तीन-तीन साल पहले पर जो नौजवान वहां सचिव रख लिये जाते हैं उनकी नौकरी ही इसलिये होती है कि 3/7 में उनकी गिरफ्तारी हो, वह जेल जायं और अपराधी बन जायं। सहकारिता विभाग के कुछ ऐसे

---

नोट--[ ] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नियम हैं जिनके कारण पूरे तरीके से उन पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है जो लोग इस अव्यवस्था के लिये जिम्मेदार हैं । मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा । मैं बारी जी से सहमत हूं कि जहां पावर की बात है चाहे वह सहकारिता विभाग का हो या व्यक्तिगत दूकानदार हो, दोनों पर कार्यवाही करने का अधिकार इस विभाग को मिलना चाहिए तभी यह विभाग सक्षम और सफल हो पायगा ।

मैं आखिर में अपनी बात कहना चाहूंगा कि कुम्भ की वजह से गेहूं के कोटे में कटौती की गई है और चावल में भी कटौती की गई है । इस कटौती को अब समाप्त करना चाहिए और मैंने तो आग्रह भी किया है कि मिर्जापुर और सोनभद्र जनपदों में चीनी, गेहूं, चावल इन सभी के कोटे में वृद्धि की जाय । जहां तक मिट्टी के तेल की बात है मेरे ख्याल से इसके लिये विभाग को पूरे प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए । क्योंकि चीनी, गेहूं और चावल का उतना अभाव नहीं हो पाता जितना मिट्टी के तेल का अभाव प्रदेश में प्रायः देखा जाता है । विभाग को प्रयास करना चाहिए । मिट्टी के तेल का कोटा जहां मेरे जनपद में अभी कहीं पर विद्युतीकरण नहीं हो पाता है, लम्बा क्षेत्रफल है वहां पर लोग आज भी रोशनी के लिये मिट्टी के तेल की आवश्यकता समझते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि इन दोनों जनपदों के लिये आप मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ा दें । मैं पुनः इस विभाग को बधाई देता हूं और इस पूरी टीम को खाद्य मंत्री से लेकर सब अधिकारियों की टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहादुरी से प्रदेश में सूखे के समय में भी काफी अच्छे तरीके से समस्याओं का सामना किया है । मैं बजट का समर्थन करते हुये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं वह मंत्री जी तक पहुंच जाय और मंत्री जी रूबरू सुन लें मेरी बात को तो अच्छा होता ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बोलें ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का तो प्रमोशन हो गया । गत वर्ष वे जिस विभाग की बात कर रहे थे, उनका आज मंत्री स्तर का जो दर्जा है वह बढ़ गया है । उसमें बढ़ोत्तरी हो गई । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश को जो सामान्य वितरण व्यवस्था है, आवश्यक वस्तुओं की, कुम्भ के लिये तो वह पूरी की गई और उसमें भी जितना कुछ मिल सकता होगा उस व्यवस्था के तहत जितना लोगों ने लेना था, वह उन्होंने ले लिया होगा । लेकिन पूरे प्रदेश में जो गरीब लोग हैं, पिछड़े हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनके लिये जो जरूरी चीजें मुहैय्या होनी चाहिए थी उन्हें आज भी बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है । मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से माननीय मंत्री जी का प्रमोशन हुआ है उसी तरीके से इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी सुधार हो जाय, उनका भी प्रमोशन हो जाय तो मैं समझता हूं कि तभी माननीय मंत्री जी का प्रमोशन न्यायसंगत होगा ।

श्री सुरेन्द्र सिंह—

उसी आधार पर होगा ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

बहुत अच्छी बात है यदि उसी आधार पर होगा। मान्यवर, मेरा सबसे पहले निवेदन येह है कि माननीय मंत्री जी से कि जो आपने उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय यहां बनाया हुआ है केन्द्र सरकार की व्यवस्था के तहत तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आपने उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया है मुझे ऐसा लगता है यह सारे कायदे कानून जो इस तरह के बनाये गये हैं यह भारतवर्ष के लिये नहीं है यह जैसे इंगलैण्ड या अमेरिका हो क्योंकि वहां उपभोक्ता इतना जागरूक होता है कि अगर कानून में उसको कोई हक मिला हुआ है तो उसका वह अपने हित के लिये उपयोग करता है अगर कोई चीज उसको परेशानी में डालती है तो इस कानून का प्रयोग वह करता है लेकिन इस देश और प्रदेश की जनता इतनी जागरूक कहां है कि जो वह इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उपयोग करे। उसे मालूम ही नहीं है कि कहां इसकी रिपोर्ट की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग नहीं जानते, हो सकता है कि शहर के कुछ लोग इसको जानते हों लेकिन ग्रामीण अंचल के लोग या पर्वतीय क्षेत्र के दूर-दराज के लोगों को इसका पता नहीं है कि उसे कौन सा सामान दिया जा रहा है जो सामान दिया जा रहा है वह वही है या नहीं और उसके उपयोग से क्या हानि होने वाली है इस चीज को कोई देखने वाला नहीं है।

पर्वतीय अंचल में बैठा हुआ उपभोक्ता यह नहीं जानता है कि इस चीज को खाने का क्या नतीजा होगा उसका उदाहरण है अभी रामीखेत का लड्डू कांड जिससे पूरे प्रदेश की जनता परेशान हुई, जिनको खाने से सौ से अधिक लड़कियां बीमार हो गई थीं और उस पर अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग जांच करने पर रिपोर्ट दी है जिससे मालूम होता है कि तेल में, मैदे में और उनको बनाने के लिये जिस रंग का उपयोग होता है उसमें मिलावट थी। यानी सारी की सारी चीजें नकली थी जिनको खाने से सौ से अधिक छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो जो चीजें आज वहां बेची जाती जाती हैं उनकी गुणवत्ता की जांच करने वाला कोई नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो आपकी वितरण प्रणाली है चाहे वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो या अन्य बाजार प्रणाली हो उनको चैक करने की आवश्यकता है केवल उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाने से इसका हल होने वाला नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट में आप समाप्त करें।

श्री काशी सिंह ऐरी—

आपने अपने बजट में गोदाम बनाने की बात कही है। दुर्भाग्य मेरे अपने जिले का है आपने पिथौरागढ़ का गोदाम टनकपुर में बना दिया है जो नैनीताल जिले में है। आपने सीमांत जिलों में इसकी आवश्यकता को समझा है लेकिन पिथौरागढ़ में कोई गोदाम नहीं है। आप गोदाम तक सबसिडी देते हैं इसलिये पिथौरागढ़ में अवश्य गोदाम बनायें। पर्वतीय क्षेत्रों में दूर-दराज तक अनाज ले जाने में जो भाड़ा लगता है उसमें मोटर से ले जाने में सबसिडी दी है लेकिन जो हैंड लोड से सामान जाता है उसमें कोई सबसिडी नहीं है उसका नतीजा यह होता है कि दूर-दराज के गांव के लोगों को एक किलो में एक या दो रुपया भाड़ा देना पड़ता है। इससे आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को धक्का लगता है और इससे वहां अव्यवस्था पैदा होती है। इसलिये आप कृपा कर हैंड लोड पर भी सबसिडी दें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मैं अंतिम बात कह कर समाप्त करता हूं। भारत सरकार ने जो जनपदों के विकास खण्डों में सब्सिडाइज्ड राशन देने की योजना लागू की है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमांत जिलों में तीन स्थानों पर यह योजना लागू की है धारचूला, मुनस्यारी और जोशीमठ में। इसके लिये मैं आभारी हूं कि इन ब्लाकों में जिन लोगों को राशन नहीं मिलता है उनको आप राशन देंगे तो निवेदन है कि इन ब्लाकों के गांवों में रहने वालों को आप राशन देने की शीघ्र व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री पुरुषोत्तम लाल—

मा० अध्यक्षजी महोदय आपने मुझे मा० मंत्री महोदय द्वारा रखे गये खाद्य एवं रसद विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, खाद्य एवं रसद विभाग एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जो मैं समझता हूं कि जैसे मनुष्य शरीर में सब कुछ होते हुए भी यदि उसके बीच से आत्मा निकाल दी जाये तो वह शरीर निर्जीव हो जाता है, वैसे ही खाद्य एवं रसद विभाग प्रदेश रूपी इतने बड़े शरीर से, 33 करोड़ की जनता के लिये जो जीवन दे रहा है निश्चित रूप से यह अपने आप में सिद्ध करता है कि वृहद शरीर उत्तर प्रदेश में आत्मा का काम यह विभाग कर रहा है। मान्यवर, अपने विद्वान साथी श्री फजलुल बारी जी का ध्यान उनके कटौती प्रस्ताव की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि उनका मन और मस्तिष्क में खाद्य एवं रसद विभाग जैसा महत्वपूर्ण जो 13 करोड़ लोगों को जीवन दे रहा है और ऐसे अनुदान बजट पर जो अत्यन्त लाभकारी बहुमूल्य सुझाव आने चाहिए वह न आकर, उन्होंने सीधे-सीधे खाद्य एवं रसद विभाग पर कटाक्ष करके और यहां तक कि जो भारतीय समाज एवं विश्व में नारी का जो महत्वपूर्ण स्थान है उस पर कटाक्ष करके उसकी गंदा करके सदन में नारी की गरिमा को गिराया है जिससे सम्मानित सदन की गरिमा गिरी है, मैं समझता हूं कि उन्होंने जो वह वक्तव्य दिया वह अपने आप में एक लज्जाजनक तथा खेद की बात है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आज जब उत्तर प्रदेश तमाम तरह की अपनी कठिनाईयों भरी चुनौतियों से संघर्ष कर रहा है, वहीं देश में सबसे बड़ी आबादी रखने वाला उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से एक-एक व्यक्ति को चाहे गांव का किसान हो या मजदूर या हरिजन हो या दलित व्यक्ति हो या समाज का बड़ा या छोटा व्यक्ति हो प्रदेश के समस्त नागरिक को पूरा-पूरा खाद्य दे रहा है। इसका जीवन्त उदाहरण है प्रदेश में भीषण सूखा पड़ने के बावजूद भी एक भी व्यक्ति खाने के अभाव से नहीं मरा। यह सिद्ध करता है कि हमारा खाद्य एवं रसद विभाग कितना सजग और जागरूक रहा है। ऐसी स्थिति में विभाग ने प्रदेश की एक-एक जनता को खाद्य को एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिये हमेशा प्रयत्नशील रहकर उसकी आपूर्ति समय से किया जिसके लिये विभाग के मंत्री, माननीय श्री हुकुम सिंह जी बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, मैं इसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि आज माननीय मंत्री जी ने विशेषतौर से खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से जो वितरण की प्रणाली सुदृढ़ किया है उसी संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि वितरण की प्रणाली में व्याप्त असमानता के बारे में। समाज में शासन ने हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार दिया है विशेषकर हमारे मंत्री जी ने भी अपने विभाग में दिया है, फिर भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के तमाम सारे लोगों को जो खाद्य और आपूर्ति विभाग के माध्यम से खाद्य की दुकान का लाइसेन्स लेना चाहते हैं, उनको आरक्षण के आधार पर लाइसेन्स

वरीयता पर नहीं दिया जाता है, जिससे उनमें एक निराशा जगती है। मान्यवर आपके यहां प्रोन्नतियों के सम्बन्ध में भी मैं कहना चाहता हूं, कि श्रेष्ठता के आधार पर, प्रोन्नति में आरक्षण 8 मार्च, 1973 के राष्ट्रीयकरण के आदेश के बाद भी चयनोन्नति प्रक्रिया सेवा नियमावली, 1970 में इस आरक्षण आदेश के आधार पर प्रोन्नति की बात कही थी, लेकिन शासनादेश 8 मार्च, 1973 करने के बाद 16 वर्ष हो गये खाद्य एवं रसद विभाग तथा प्रदेश के अन्य समस्त विभागों में आरक्षण के अन्तर्गत श्रेष्ठता के आधार पर जो प्रोन्नति उन्हें मिलनी चाहिए, वह नहीं मिली है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसके सम्बन्धित सेवा नियमावली, 1970 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, कि सेवा नियमावली, 1970 के नियम 8 में यदि श्रेष्ठता के आधार पर, संशोधन कर दिया जाय तथा पात्रता को अलग-अलग सूची बना दी जाए सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, तो निश्चित रूप से प्रमोशन में जो हमारे शासन की मंशा है वह फलीभूत हो सकेगी जिससे प्रोन्नति में प्रदेश के खाद्य तथा रसद विभाग तथा समस्त विभाग के अनुसूचित जाति, जनजाति को श्रेष्ठता के आधार पर प्रोन्नति में नियम 8 में संशोधन कर रुकावट हटाकर प्रोन्नति दिलाने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया है, कह रहा हूं, अब बैठिये। बाबूराम जी।

श्री पुरुषोत्तम लाल---

एक अन्तिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र सिराथू जिला इलाहाबाद की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे यहां आजतक न तो ठीक से कोई खाद्य एवं रसद विभाग की दुकान खोली गई है और न हमारे यहां के नागरिकों को राशनकार्ड मुहैया कराये गये हैं। विशेषतौर से मिट्टी के तेल की तो हमारे यहां बिल्कुल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मैं चाहता हूं कि आप वहां पर बड़े पैमाने पर अपने विभाग की मिट्टी के तेल राशन की दुकानें खुलवाने की कृपा करें। जिससे वहां के लोगों को भी नित्यप्रति आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और माननीय श्री फजलुल बारी की कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री बाबूराम यादव---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय बारी जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। आपको धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, जिन्होंने आज खाद्य एवं रसद विभाग की मांग इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत की है, जब हमारे साथ थे, तो उनकी एक प्रतिभा थी, उनके बारे में लोगों के बहुत अच्छे विचार थे और जनता उन्हें आदर के भाव से देखती थी, लेकिन मान्यवर, एक दुर्घटना हुई और दुर्भाग्यवश हमारे इतने प्रभावशाली और जनप्रिय माननीय तुलुक सिंह उस दुर्घटना में इधर से उधर पहुंच गये। मान्यवर, जब उधर पहुंच गये तो काजल की कोठरी में कैसों हूं सयानो जाए, एक लीक काजल की लागिहैं पै लागि है। फिर

(व्यवधान)

फिर वहां ऐसे फंसे

(व्यवधान)

ऐसा पहुंचे उस विभाग में कि जिस विभाग की वजह से उत्तर प्रदेश के गरीबों, पिछड़ों, मजलूमों का जीवन आज अस्त-व्यस्त है। उन्होंने इस प्रदेश के वितरण प्रणाली

की बात कही, आपूर्ति की बात कही, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को एक चुनौती देता हूं कि जो शकर वितरण का काम है, जो मिट्टी के तेल वितरण का काम है, मैं देहाती क्षेत्र की बात करता हूं चीनी केवल तीज-त्योहारों पर मिलती है। होली, दीपावली, रक्षाबन्धन और हमारे मुसलमान भाईयों को ईद पर मिलती है। साल में केवल तीन बार चीनी मिलती है चौथी बार गांव के किसी व्यक्ति को चीनी नहीं मिलती है। मान्यवर, यह चुनौती मैं इस आदरणीय सदन में दे रहा हूं अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो मेरे साथ चलकर देख लें। मान्यवर, मैंने इस बात को जिला स्तर पर उठाया। जिस गांव में जाते हैं मिट्टी तेल की उपलब्धता शून्य मिलती है। बोर्ड की परीक्षायें आज से शुरू हो गई हैं। छात्रों ने परगनाधिकारी के कक्षों को घेरा है। तब उन्हें तेल मिला मैनपुरी में इतनी हालत खराब है। कहीं मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है उसका मुख्य कारण यह है कि अधिकतर मिट्टी का तेल डीजल में मिलाकर बेच दिया जाता है। फिरोजाबाद पास होने के कारण मैनपुरी का सारा तेल चूड़ी के कारखाने में चला जाता है। बार-बार कहने पर भी मिट्टी का तेल ग्रामीण अंचलों में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। छात्रों को अध्यापक वर्ग, प्रधानाचार्य और हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया है।

माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हैं, संसद विद् हैं इन्होंने कितनी सफाई से कहा है कि आपूर्ति को इतना सरल बना रहे हैं कि हर व्यक्ति को सारी चीजें उपलब्ध हो सकेंगी। इन्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। मान्यवर, देहातों के बारे में कहना चाहूंगा कि मोटे कपड़े की यह बात करते हैं, सीमेंट तो इन्होंने कुछ फ्री-सेल कर दिया है, उधर के माननीय सदस्यों का धन्धा ही चला गया। मान्यवर, करहल में मेरे क्षेत्र में एक कपड़े की दुकान है आवश्यक वस्तु निगम की, करहल के पास पूरे के पूरे हरिजन बसे हुए हैं, वह कहते हैं, कि हमें कपड़ा उपलब्ध नहीं होता है, मैंने स्वयं जाकर दुकान पर देखा है वह हमेशा बन्द पड़ी रहती है। मोटा कपड़ा काले बाजार में बेच दिया जाता है मान्यवर, इस विभाग का नाम खाद्य और रसद विभाग है लेकिन यह देहातों में रहने वाले गरीब आदमी को मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, चीनी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं मोटा कपड़ा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। मोटे कपड़े का एक भी धागा किसी गांव में किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होता है। मान्यवर, जो धान के मूल्य की बात कही गई है मैं मान्यवर, बड़ी तकलीफ हुई जब धान के क्रय केन्द्रों की बात कही गई। हमारे माननीय मन्त्री जी कृषक परिवार के हैं और उस परिवार के हैं जिसकी प्रतिष्ठा है, लेकिन उसी परिवार को अब इन्होंने भुला दिया है। मान्यवर, धान के क्रय केन्द्रों की बात कही गई है क्रय केन्द्र कहीं नहीं खोले गये जिससे धान की कीमत 145-146 से ज्यादा नहीं मिली जब

[समय 4.00 बजे]

किसान के घर से बनिये के घर धान चला गया तो उसके धान की कीमत अब 180 रुपये हो गयी है। मान्यवर, कितनी विडंबना है कि एक किसान के बेटे इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं और उनकी कलम से किसानों का खून हो रहा है यह बड़े शर्म की बात है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस समय जितने भी विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के हैं उनमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार खाद्य और रसद विभाग में है। मैं अभी पिछले टाइम लोगों से मिला था जो धान से चावल बनाते हैं। राइस मिल वालों से 11 रुपये प्रति क्विंटल रिश्वत ली जाती है। मैंने हिसाब लगाया है कि लगभग सात करोड़ रुपये मिल मालिकों से आपके विभाग के लोगों ने लिया है। मेरे चैलेंज को स्वीकार करें। 11 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उत्तर प्रदेश के राइस मिल वालों से रिश्वत ली जाती है और यह रकम 7 करोड़ रुपये सब मिला कर हो गयी है। मैं कैसे विश्वास करूं कि यह सारी रकम हमारे छोटे अधिकारी खाते हैं? इससे किसानों की हकतलफी होती है। कहने को

तो यह पैसा मिल मालिक देते हैं लेकिन मिल मालिक किसान के धान की कीमत में यह पैसा पहले ही काट लेते हैं कि इतनी सरकार को रिश्वत देनी है। अगर इसको बन्द करना है तो उत्तर प्रदेश के किसान मन्त्री जी का राजतिलक करेंगे और धान की कीमत 10 रुपये बढ़ जायगी। लेकिन मन्त्री जी में यह साहस नहीं है। यह अधिकारियों की चपेट में इतनी बुरी तरह हैं कि इनकी हिम्मत नहीं है उनके सामने सर उठाने की।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोयले पर 800 रुपये प्रति मीट्रिक ब्लेक लिया जा रहा है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कह रहा हूं। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि यह ब्लैक खत्म हो जाय तो ईंट जो भट्ठा मालिक बनाते हैं उसकी कीमत 500 रुपये प्रति हजार से घट कर ढाई सौ प्रति हजार हो जायेगी और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय मन्त्री जी का यशोगान करेगी लेकिन मन्त्री जी में यह हिम्मत नहीं है। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मन्त्री जी आज सदन को आश्वासन दें कि गांव के आदमी को मिट्टी का तेल और चीनी 12 महीने मुहय्या करायेंगे और यदि यह आश्वासन नहीं देंगे तो मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उधर की कुर्सी पर [ * * * ] हमारे साथ आकर बैठें। इन शब्दों के साथ मैं बारो जी न जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री सतीश चन्द्र—

श्रीमन्, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य और रसद विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं इस विभाग की व्यापक स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सक्षम तरीके से चलाने के लिये माननीय मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इस प्रदेश में जो 2 नये प्रयोग किये गये हैं उसके लिये मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। एक प्रयोग आपने यह किया है कि व्यापारी मित्र संगठन को खड़ा किया है। मैं कहना चाहता हूं कि व्यापारी भी इस वितरण व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग होते हैं और विशेष रूप से खाद्य के सम्बन्ध में बड़े व्यापक स्तर पर व्यापारियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिये मन्त्री जी ने जो व्यापारी मित्र संगठन बनाया है इससे उनकी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा और उनकी जो लाइसेन्स और बिक्री कर की समस्यायें हैं उनका समाधान हो सकेगा। मैं मन्त्री जी से यह चाहूंगा कि वह विशेष रूप से इस व्यापारी मित्र संगठन को केवल प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि मण्डल स्तर तथा जिला स्तर तक इस संगठन को गठित करें जिससे कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो सके। दूसरा नया प्रयोग जो किया गया है वह उपभोक्ता संरक्षण कानून के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता परिषदों की स्थापना का है। यह अच्छी व्यवस्था की गयी है जिससे उपभोक्ता के हितों को संरक्षण मिलेगा। एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि यह उपभोक्ता का हित संरक्षण केवल रेगूलेटरी बातों से नहीं हो सकता है। उसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि हम व्यापारियों और उपभोक्ताओं को इस सम्बन्ध में जागरूक करें और ऐसा माहौल पैदा करें कि जिससे एक दूसरे में सामंजस्य पैदा हो सके। मैं माननीय मन्त्री जी को सुझाव दूंगा कि विभिन्न फोरम की सहायता से वह एक ऐसा सामंजस्य पैदा करें, जिससे वहां के उपभोक्ता इस सम्बन्ध में जागरूक हो सकें। इस सम्बन्ध में विभिन्न संस्थाओं की सहायता से एक आचरण संहिता बनायी जाय जिसका व्यापक प्रचार किया जाय। जहां तक वितरण प्रणाली का सवाल है, यह समस्या विभिन्न महानगरों में व्याप्त हो गयी है, महापालिकाओं के विस्तार के साथ अनेक क्षेत्र उसमें जुड़ते जा रहे हैं। जो नये क्षेत्र इस प्रकार से जुड़ते जा रहे हैं, उसमें नये राशन कार्ड जारी करने के सम्बन्ध

[ * * * ] यह अंश माननीय अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

में कुछ चुनावी लाभ लिया जाय। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में बहुत ही स्पष्ट निर्देश विभाग को दें कि जो नये क्षेत्र महापालिकाओं की सीमा में आये हैं, वहां पर नये राशन कार्ड अत्यन्त शीघ्रता के साथ जारी किये जायं और जहां तक मिट्टी के तेल और चीनी के वितरण व्यवस्था का सवाल है, उसमें भी पुनर्व्यवस्था होनी चाहिए। ये दोनों चीजें अलग-अलग दूकानों पर दी जाती हैं, ये दोनों चीजें एक ही दूकान पर दी जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्री जी मेरे इन चन्द सुझावों पर विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा रखे हुए खाद्य एवं रसद विभाग के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपका ध्यान बांदा जनपद के कस्बा अतर्रा की एक राइस मिल की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। बांदा जनपद में अतर्रा क्षेत्र धान की मण्डी है, वहां पर 22 राइस मिलें हैं। आर0 एफ0 सी0 झांसी ने अपने स्तर से एक निर्देश दिया है, जिसमें कि धान के द्वारा जो चावल बनता है, उसमें पूरा के पूरा वह लेवी के रूप में ले रहे हैं, नियम तो यह है कि 60 फीसदी चावल उसको लेवी के रूप में लेना चाहिए और 40 फीसदी चावल को बेचने की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन आर0 एफ0 सी0, झांसी के माध्यम से यह नियम कर दिया गया है कि पूरा का पूरा चावल लेवी के रूप में लेंगे, इस कारण से मान्यवर, अतर्रा की धान की मिलें बन्द हो रही हैं और कोई भी मिल ओनर धान खरीदने के लिए तैयार नहीं है, इस लिए वह क्षेत्र धान का प्रमुख क्षेत्र होने के बावजूद भी किसानों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और धान की कीमत जरूरत से ज्यादा घट रही है। इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब एक लेवी का नियम है तो उसके अनुसार वह लेवी ले लें, लेकिन बाकी चावल बेचने की अनुमति दे दें। मान्यवर, इस वक्त बांदा जनपद की सभी राशन की दुकानों में पिछले करीब 4 महीने से जो भी गेहूं आया है, वह इधर मिर्जापुर और इलाहाबाद की तरफ ब्लैक कर दिया गया है, इस लिए बांदा की समस्त सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों में गेहूं की कमी पड़ जाने से वहां के नागरिक परेशान हो रहे हैं। वहां पर गेहूं 300 रु0 प्रति कुन्टल से 350 रु0 प्रति कुंटल हो गया है, जिससे गरीबों को ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर मिट्टी के तेल की भारी कमी है। मान्यवर, वह मिट्टी का तेल डीजल के तमाम पेट्रोल पम्पों में मिलावट के रूप में बड़े लोग ले रहे हैं और वे मिलावट करके बेच रहे हैं। इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को यह सुझाव देना है कि....

मान्यवर, आज जो डीजल के लाइसेंसधारक हैं, पेट्रोलपम्प के लाइसेंस धारक हैं उनको मिट्टी का तेल की दुकान का लाइसेंस न दिया जाय वरना उनको इस तरह से मिलावट करने में बड़ी आसानी रहती है, मिट्टी तेल डीजल में डालकर बेच देते हैं। आप जनपद के किसी भी पेट्रोल पम्प में जाकर देखें तो पायेंगे कि डीजल में मिट्टी का तेल मिला हुआ है। मान्यवर, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जो आपके सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, जो आपकी कपड़े की दुकानें हैं, जो चीनी की दुकानें हैं इन गांव की दुकानों का कोटा भी शहर के लोग लिये हुए हैं लिहाजा वह गांव में बांटने नहीं आते हैं और बाहर ही ब्लैक कर लेते हैं इसलिए उनको इसका कोटा न दिया जाय और प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर सस्ते गल्ले की दुकानों में इसकी दूकानें खुलवायी जायं। मान्यवर, बांदा जनपद के नरैनी और अतर्रा में मिट्टी के तेल के व्यापारियों का आपूर्ति निरीक्षक द्वारा रिश्वत लेने, उत्पीड़न करने तथा उनके

लाइसेंस न रिन्यु करने से वहां मिट्टी के तेल का अखर्रा कस्बे में भारी अभाव पैदा हो जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं और माननीय बारी साहब के द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, विभाग इस प्रदेश की गरीब जनता से, वैसे तो मान्यवर, सबसे जुड़ा है लेकिन गरीब जनता के जीवन से उनकी भावना से बहुत जुड़ा है और मैं इस बात के प्रति आभारी हूं और आशान्वित हूं और जानता हूं कि हमारे माननीय खाद्य एवं रक्षा मंत्री जी ने जब से इस विभाग को सम्भाला है तब से और भी इसमें प्रगति आई है और इस प्रदेश की गरीब जनता को यह आशा हुई है कि इस वितरण प्रणाली से उसे अधिकतम लाभ मिलेगा। मान्यवर, अभी हमारे एक माननीय सदस्य जो अभी कहीं उठकर चले गये हैं, वह कह रहे थे कि साल भर में केवल 2 बार चीनी मिल पाती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य घर से आ रहे होंगे 3 दिन के लिए अवकाश था, वह जाकर पूछें तो उनकी गृह लक्ष्मी से यह जवाब मिलेगा कि जो चाय में चीनी पिलाई थी वह राशन की दूकान की थी।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैंने जब से यह सुना मैं आज भी यह कहता हूं कि यह भले ही गलत बयानी करें लेकिन जो इनकी गृह लक्ष्मी जी हैं उनसे घर में जाकर पूछें तो वह जरूर सच बोलेंगी और यह कहना कि 12 महीने तक बंद रहती हैं तो 12 महीने तक तो हर सस्ते गल्ले की दुकान खाली रहती है पर जाकर देखें, यह जरूर है कि कमोडिटी हो जाती है, यह मानने के लिए तैयार हूं लेकिन इस वितरण प्रणाली से फायदा मिला है और जो दुकान पर आता है, वह उपलब्ध होता है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जिनका बीच में शासनकाल आया था तो उस समय डीजल के लिए लाइन लगानी पड़ती थी और लोग पुलिस के डन्डे खाकर आते थे, न मिट्टी का तेल मिल पाता था, न डीजल मिल पाता था। आज यह न अच्छे सुझाव देते हैं और न अच्छी आलोचना करते हैं मैं जानता हूं कि इनका सुझाव देना और आलोचना करने का हक है और सही बात है कि जब से माननीय मंत्री जी आये हैं इसमें सुधार कर रहे हैं और सुधार हुआ है और इस पर माननीय मंत्री जी और उनका विभाग लगा हुआ है तो आशा है कि सुझाव देंगे और अलोचना भी करेंगे। हमारी सरकार और सरकार के मंत्री लोग इन आलोचनाओं से घबराते नहीं हैं और अगर कोई अच्छा सुझाव आता है तो उसका अनुकरण भी करते हैं। अन्त में सुझाव देना चाहता हूं कि जो चीनी उठायी जाती है उसमें एक तारीख सुनिश्चित हो जानी चाहिए जब 20 तारीख के बाद चीनी उठायी जाती है तो 10 दिन में वह नहीं बट पायेगी तो यह आदेश कर दिया जाय कि कोई भी सस्ते गल्ले की दुकान हो 15 तारीख तक चीनी अवश्य उठा ले मिट्टी का तेल उठा ले।

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें।

12 वि0 सभा—11

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

दूसरे जो सहकारिता की दुकानें हैं उस पर माननीय मंत्री जी के विभाग का कंट्रोल नहीं है अगर आवश्यक वस्तु की कोई भी कोई चीज उस दूकान पर मिलती है तो उसकी वितरण प्रणाली में मान्यवर, इस विभाग का कन्ट्रोल होना चाहिये, न कि सहकारिता विभाग का। यह जो सचल दुकानें चलती हैं, इनको कम से कम जिला मुख्यालय पर जो कचेहरी हों, वहां पर जरूर व्यवस्था कर दी जाय। मोटा कपड़ा सस्ता कपड़ा केवल उपभोक्ता सहकारी संघ की दुकानों पर या उत्तर प्रदेश राज्य आवश्यक वस्तु निगम की दुकानों पर मिलता है। इसकी बहुत आवश्यकता है इसकी बिक्री बढ़ाई जाय। एक चीज और कहना चाहता हूं कि लोग केवल चीनी कन्ट्रोल से लेना पसन्द करते हैं, मोटा अनाज नहीं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि चीनी भी उन्हीं को दी जाय जो सभी आवश्यक वस्तुएं उठाएं। इसके साथ ही मैं पुनः बजट का समर्थन करता हूं और साथ ही मेरे जनपद के साथ बारी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वे उसको वापस ले लें और नेकनीयती से इस बजट का समर्थन करें।

श्रीमती विजय लक्ष्मी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सौभाग्य की बात है कि खाद्य और रसद विभाग पर मुझे भी अपने सुझाव और क्षेत्र की परेशानियों को दर्शाने का मौका आपने दिया है। इसके लिये मैं आपकी बहुत ही आभारी हूंगी। मान्यवर, मैंने भी अपने मान्यवर, सदस्य भाइयों की बातें सुनीं। सामाजिक जीवन में और रोजमर्रा के जीवन में रसद का कितना महत्व है, यह तो सभी का मामला है। इस शरीर को आबाद रखने के लिये रसद की और तेल पानी की जरूरत पड़ेगी। मान्यवर, मैं दो बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगी। मैं बलिया जनपद से बांसडीह विधान सभा क्षेत्र से आती हूं। एक समस्या जो कई महीनों से मेरे सामने आयी है कि वहां की वितरण प्रणाली सप्लाई इन्सपेक्टर की लापरवाही के कारण वहां की जनता त्राहि त्राहि कर रही है और उसके लिये जिलाधिकारी से लेकर किसानों ने जिलापूर्ति अधिकारी, परगनाधिकारी, बांसडीह तक कहा गया कि या तो उस पर अंकुश लगाया जाय या उसका स्थानान्तरण कर दिया जाय। एक तो वह कभी तहसील में नहीं रहता, दूसरे अगर कोई लाइसेंसधारी सप्लाई के लिये गल्ला उठाने जाता है तो उससे 2 हजार, 4 हजार, 5 हजार तक मांगा जाता है और इतना नहीं दिया जाता तो करते हैं कि नहीं दोगे तो निकासी नहीं देंगे। यह मेरी निश्चित जानकारी है, थोड़ा सा भी बनावटी नहीं कह रही हूं। चाहें तो उसकी इन्क्वारी करवा लें। उसके बारे में लाइसेंसधारियों के आवेदन-पत्र कह जिला पूर्ति अधिकारी, कलेक्टर आदि सबके पास पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगी कि इस तरह के आलसाज और लापरवाह को जो दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली वस्तुएं, किसान, मजदूर और हर वर्ग के प्रयोग में आने वाली वस्तु के लिये अधिकारी लापरवाही करे तो क्षमा करने योग्य नहीं है, दण्डनीय है, मैं मांग करती हूं कि उसका वहां से तत्काल स्थानान्तरण किया जाय। मेरा एक सुझाव है कि कुछ दिनों पहले जानकारी मिली थी शासन स्तर से हर जनपद में न्याय पंचायत स्तर पर सस्ते गल्ले की दुकान की। इसके लिये सकड़ों आवेदन पत्र परगनाधिकारी के पास पड़े हैं इसके बारे में अभी तक कोई निदान नहीं हुआ है। अभी तक आवेदन-पत्र पड़े हैं। हरिजनों के, सैनिकों के, विकलांगों के, तो उनके बारे में तत्काल आदेश दे दें ताकि उस समस्या का निराकरण हो जाय।

मान्यवर, एक बात और कहूंगी कि हमारे रसड़ा विधान सभा क्षेत्र से हरदेव भाई हैं, उनसे मेरा भी स्नेह है, आपका तो स्नेह है ही, लेकिन अफसोस के साथ कहना

पड़ता है कि आपका जो भी योजनाओं का काम है, रसड़ा तहसील में ही चला जाता है। इस पर मुझे आपत्ति है और भी विधान सभा क्षेत्र हैं वहां भी आपके डिपो खोलने चाहिये, आपके डिपो होने चाहिये वहां भी जनता है जिनको ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है। मेरा क्षेत्र जो है वह घाघरा की कटान से एकदम त्रस्त रहता है आप भी जानते हैं वहां इस तरह की सुविधा रहेगी तो आपके हित में बहुत ही अच्छा होगा। मेरे भी प्रति लोगों का स्नेह बढ़ेगा। इस आग्रह के साथ मैं बारी साहब के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। मैं आशा करती हूं कि मेरे सुझावों पर गौर किया जायेगा, बल दिया जायेगा, धन्यवाद।

*श्रीमती चारु शीला—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज जो बजट खाद्य मन्त्री श्री हनुमन सिंह जी का आया है उसमें जो उन्होंने बातें बतलायी हैं मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि वह सभी योजनायें ठीक चल रही हैं। मैं नहीं समझ पा रही हूं कि चीनी कहां नहीं मिल रही है। हर महीने में हरेक के यहां चीनी पहुंचती है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि चीनी की कमी हो जाता है। लेकिन उसके लिये यह कहना कि साल भर में केवल 3 बार ही चीनी आती है यह बात मेरी समझ में नहीं आ पा रही है। रही जनता कपड़े की बात, मैं लखनऊ, कानपुर में भी घूमी और जगहों पर भी गयी जनता कपड़ा पूरी तरह से वितरित हो रहा है ब्लेक मार्केटिंग नहीं हो रही है। अगर कोई करता भी है तो जो खरीदने वाले हैं वह ही लेकर करते होंगे। उसके लिये कोई कन्ट्रोल करना मुश्किल हो जाता है चाहे कोई भी शासन आ जाये वह उसके लिये कन्ट्रोल नहीं कर सकता है। आवश्यक वस्तुयें तेल, घी, साबुन आदि यह निगम वाले लोग कह कहकर देते हैं यह ले जाइये यह ले जाइये। जहां तक चावल की बात है चावल खरीदते माननीय मन्त्री जी को मैंने खुद ही देखा है। आदेश देते हुये देखा है किसानों का पूरा चावल ले लिया जाय यह बहुत परेशान हैं। यह उचित नहीं है जो कहा जा रहा है कि माननीय मन्त्री जी चावल नहीं खरीद रहे हैं। हो सकता है कि कहीं का चावल रह गया हो मैं कहूंगी कि अगर कहीं ऐसा है तो वहां की बात माननीय मन्त्री जी के ध्यान में लायी जाय जहां का रह गया है। मैं आशा करती हूं कि माननीय मन्त्री जी वह चावल ले लेंगे। इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं कि माननीय बारी साहब के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

*डा0 दिनेश चौधरी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जब से यह विभाग मन्त्री जी के पास आया था मैं सोच रहा था कि कुछ तरक्की होगी कुछ सामान मिलेगा। अभी मैं पिछले दिन बरेली गया था तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि चीनी नहीं मिल रही है। मैंने सोचा कि एम0 एल0 ए0 को चीनी नहीं मिल रही है मन्त्री जी के राज में।

*श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

मेरे सामने तो आप ले रहे थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*डा0 विनोद जौहरी—

मान्यवर, बदायूं के सदस्य ले गये, बरेली की चीनी बदायूं चली गयी। अगर जिलाधिकारी, डी0 एस0 ओ0 और तमाम अधिकारियों/कर्मचारियों की आपके विभाग में लम्बी चौड़ी फौज है, कोई काम नहीं। लेकिन जो दूसरे तरह की गतिविधियां हैं उसमें यह विभाग सबसे ज्यादा तरक्की पर है पुलिस विभाग भी पीछे चला गया है, महापालिका भी पीछे चला गया है। भ्रष्टाचार की बातों में यह विभाग टाप पर है, मैं तो कहता हूं कि इस मामले में इसे पद्मश्री मिलनी चाहिये हालत यह है कि सारा पाम आयल इनका बाजार में बिक जाता है। बाजार में यह 275 रुपये वाला 335 रुपये में बिक जाता है, जिसमें से 30 रुपये आपूर्ति कार्यालय को चला जाता है। यही हाल सीमेन्ट का है, उसमें भी एक रुपया बोरी आपूर्ति कार्यालय चला जाता है। इसी तरह चीनी का हाल है, उसमें भी एक रुपया प्रति बोरी डी0 एस0 ओ0 आफिस में चला जाता है और मिट्टी के तेल की यह स्थिति है कि उसमें भी अब 2 पैसे प्रति लीटर के स्थान पर 4 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तेल वाले इससे बहुत दुखी हैं, वह कहां तक मिलावट करेंगे, कहां तक गड़बड़ करेंगे। वह यह पैसा पूरा नहीं कर पाते। बरेली में आपने इतने भ्रष्ट अधिकारी रखे हुये हैं कि जनता उनसे परेशान है। अगर आप मेरी बात को गलत समझें तो आप वहां सब बिकवा लें। बरेली में 28 लाख यूनिट्स हैं जिसमें से 1/4 फर्जी हैं। इन फर्जी राशन कार्डों का जितना भी राशन होता है, वह बाजारों में बिकता है। वहां किसी भी उपभोक्ता के पास राशन नहीं पहुंचता है। इसी तरह वहां पर राशन की दुकान खुलने का कोई समय नहीं है, दुकानों में सामान लेने के लिये आदमी जाते हैं, औरतें जाती हैं, बच्चे जाते हैं, लेकिन हफ्ते-10 दिन दौड़ चुकने के बाद ही दुकान खुली मिलती है। मैं कहना चाहता हूं कि इन राशन दुकानों के खुलने का एक निश्चित समय होना चाहिये। फर्जी राशन कार्ड आपको हजारों मिल जायेंगे, लेकिन यदि कोई आदमी अपने नाम से असली राशन कार्ड बनवाना चाहे, तो जब तक वह आपके कार्यालय में 25-50 रुपये खर्च न करे, तब तक उसका कार्ड बन नहीं सकता।

बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी चीजें हैं, जिनसे गृहणियों का काम चलता है, इनमें से एक चीज गैस भी है। अभी कुछ दिन आपके हाथ में भी गैस का डिस्ट्रीब्यूशन रहा, जो बुरी तरह से फेल्योर हुआ और गैस की इतनी ज्यादा किल्लत रही, जिससे जनता में त्राहि-त्राहि मची रही। आज भी गैस का एक सिलेंडर लेने के लिये हफ्ते भर मारे-मारे फिरना पड़ता है। मैं कहना चाहता चाहता हूं कि जब आपको मालूम है कि गैस की कमी पड़ेगी तो आपको उसके लिये बफर स्टाक रखना चाहिये। मिट्टी का तेल मिलता नहीं, लकड़ी महंगी हो गयी, उसके कटान पर भी रोक लग गयी। अब शहरों में तो एक गैस का सहारा है, उसकी भी किल्लत हो गयी। जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों के घरों में खाना बनना बन्द हो जाता है और घर में एक सूत्री नारा रह जाता है कि गैस आयेगी तो खाना मिलेगा। गैस के एक सिलेन्डर के लिये लोग मन्त्री से, एस0 पी0 से, विधायक से लिखवाने के लिये मारे-मारे फिरते रहते हैं। लकड़ी की तो कटान बन्द हो गयी, अधिनियम ऐसे हो गये हैं, कानून हो गये हैं कि अब गैस के अलावा कोई चीज नहीं रह गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी आपके घर मन्त्री जी एक दिन गैस न रहे, तो जानिये कि क्या होता है, वैसे तो 2-4, 10-20 पर्ची आपके पास रहती ही होगी, जिसे आपके चमचे बांट रहे होंगे, लेकिन आम जनता उसी तरह से तरसती रहती है और लोग हमारे पास अभी भी सिलेंडर के लिये लिखवाने आते हैं। मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह बहुत गम्भीर समस्या है। मेरा अनुरोध है कि इसकी ओर भी आप ध्यान देने का कष्ट करें।

मान्यवर, मैं राशन कार्ड की बात कर रहा था। नये राशन कार्ड बनवाने के लिये, पुराने कैन्सिल कराने के लिये बार-बार आदमी को दौड़ना पड़ता है और 25 रुपये की घूस देनी पड़ती है। एक समस्या और है, अगर कहीं किसी दुकान की एक छोटी सी कम्प्लेंट हो जाये, तो राशन की दुकान निरस्त कर दी जाती है और उस दुकान के कार्डधारक महीनों दुकान के चक्कर लगाते रहते हैं। जब तक आफिस में भावताव तय नहीं हो जाता, तब तक दुकान निरस्त रहती है। इस समय आधी से ज्यादा दुकानें निरस्त रहती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आपके 38 इन्सपेक्टर्स क्या कर रहे हैं, वह क्यों नहीं सब सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री फजलुल बारी जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि मेरे द्वारा दिये गये सुझावों पर गम्भीरता से विचार किया जायगा और पूरा किया जायगा।

श्री राजेन्द्र शर्मा—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं खाद्य एवं रसद मन्त्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह कटौती का प्रस्ताव जो इतने निराशाजनक और दिशाहीन में श्री फजलुल बारी द्वारा रखा गया है, उसका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, जब कोई नयी योजना बनती है तो उसमें कुछ खामियां हो जाती हैं। माननीय मन्त्री जी ने अपना भाषण जो अच्छी योजनाओं से परिपूर्ण है बड़े विस्तार से दिया। निश्चित रूप से इस प्रदेश के अन्दर खाद्य एवं वितरण व्यवस्था सुधरी है। दूसरा माननीय मन्त्री जी ने चार मीटर प्रति यूनिट मिट्टी का तेल को गांवों में वितरण करने की बात कही है, निश्चित रूप से हर प्राणी को, आज भी गांवों में बिजली की सुव्यवस्था न होने के कारण, मिट्टी के तेल की आवश्यकता है, इसके लिये माननीय मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। चीनी के सम्बन्ध में, किसानों को शोषण से बचाने के लिये जिन नयी योजनाओं की उन्होंने घोषणा की है, उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं।

माननीय मन्त्री जी स्वयं एक किसान हैं। आज भी किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। माननीय स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था "दाम बांधो नीति" का उद्घोष किया था, उस पर अमल करना चाहिये। किसान जो पैदा करते हैं, बेचते समय उन्हें सही दाम मिलना चाहिये। उत्पादन व विक्रय के एक वर्ष में एक निश्चित अनुपात होना चाहिये, लेकिन आज प्रदेश और देश में इसके अनुपात में काफी बड़ा अन्तर होता है, जो किसानों के लिये लाभकारी न होकर व्यापारियों को इच्छानुसार बिकता है। दाम बांधो नीति का पालन करते हुये इस प्रदेश के किसानों को शोषण से बचाया जाये और उनका विकास किया जाय। माननीय मन्त्री जी ने कुम्भ मेले की चर्चा की। निश्चित रूप से करोड़ों लोगों की जिस तरह से दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की व्यवस्था की गयी थी, उसके लिये माननीय मन्त्री जी व उनका विभाग सराहना के योग्य है। लेवी चावल को जिस तरह से प्रदेश भर में भण्डारित किया गया था, उसके लिये भी माननीय मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। मिट्टी का तेल, चीनी, गेहूं और अन्य चीजें जिस तरह से इस वर्ष प्रदेश में वितरित हुयी हैं उसको देखते हुये वितरण व्यवस्था सुदृढ़ रही है, इसके लिये मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उनका अगर सारा भाषण देखा जाय तो न तो कटौती ही था और न उस भाषण का कोई अर्थ ही था। जिन परिस्थितियों की उन्होंने चर्चा

की वह बेचारे लाचार थे कटौती का प्रस्ताव रखने के लिये । माननीय मन्त्री जी ने जिस सजगता के साथ इस विभाग की ओर ध्यान दिया है, उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं । मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं जो आपने मुझे खाद्य एवम् रसद विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । भाषण करने का समय नहीं है । कुछ और माननीय सदस्य भी इस पर बोलने के इच्छुक हैं । मैं कुछ मोटे-मोटे सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, यह विभाग तो केवल दलाली का काम करता है । इसका अपना निजी कुछ नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस विभाग को स्थाई रूप से आप अपना बनाइये । अब आपने चीनी उठाई और चिट लगा दिया फिर बेच दिया । दूसरा, माननीय मंत्री जी ने राशन-कार्ड की बात कही । सप्लाई आफिसर कार्ड छपवायेगा और सेक्टरी कार्ड बनायेगा । इसका परिणाम यह हो रहा है कि सप्लाई आफिसर कार्ड छपवाता है नहीं और सेक्टरी बनाता है नहीं । गांव वालों को राशन-कार्ड नहीं मिल पाता है । मेरा सुझाव यह है कि जिससे भी आप कार्ड छपवायें, वही गांवों में कार्ड भी बनायेगा ताकि गांव वालों को कार्ड मिल सके । मैं इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी हूं । हमारा इलाका बार्डर का इलाका है । इनका कानून है । 7 कि0 मी0 बार्डर के नजदीक से यदि कोई किसान गेहूं लेकर या गुड़ लेकर जाता है तो पकड़ लिया जाता है और कहा जाता है कि विदेश ले जा रहा था ।...

उसका तीन दफा सात के अन्दर चालान कर देते हैं । मेरे इलाके में बार्डर पर दुकानें हैं कृष्ण नगर में शोहरतगढ़ में जो 7 कि0 मी0 दूर रहता है, अपना गल्ला लेकर जाता है, गुड़ लेकर जाता है, जब इनकी मर्जी होती है, उसको पकड़ लेते हैं और बन्द कर देते हैं । जब धन मिल जाता है, छोड़ देते हैं । एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो गुड़ है, इस पर यह प्रतिबन्ध लगाये हुए हैं । नेपाल हमारा गुड़ महंग दाम पर खरीदने के लिये तैयार है । क्यों नहीं छूट दे देते हैं कि हम नेपाल में बेच लें । हद यह है कि न तो गुड़ को बेचने देते हैं और न तस्करी रोक पाते हैं । मेरा सुझाव है कि इस पर कोई ठोस नीति बनायें बार्डर के मामले पर ।

जो तौल और माप की बात है । पूरे जिले में बांट और माप के केवल दो-तीन कर्मचारी होते हैं, पेट्रोल पम्प, गन्ना कांटा, सब इन्हीं के जिम्मे होता है । इनका हाल यह है कि जहां इनका जाना होता है, वहां पहले से टाइम दे देते हैं । पेट्रोल पम्प वाले अपनी गाड़ी से ले जाते हैं, खिलाते-पिलाते हैं और पैसा देते हैं : इसके बाद साल भर तक उनको कोई पूछने वाला नहीं है । यही हाल गन्ना तौल केन्द्रों का है । गांव का जो किसान है वह अगर सब्जी भी लेकर गया तो उसको बांट माप में पकड़ लेते हैं । उसका 5 रु0 का कांटा 50 रु0 उसके लग जाते हैं मुख्यालय पर जाने-आने में और पेशी में इसमें संशोधन लाइए । जो पकड़े वहीं पर जुर्माना कर दे और समझौता कर ले ।

यह जो उपभोक्ता सामग्री देने की बात है । कृपा करके गांव वालों को लाभ पहुंचा दीजिये । गांव में जो सामान खरीदने वाले हैं, कपड़ा खरीदने वाले हैं, उनसे भी इसको जोड़िए । एक बात की तारीफ करूंगा, वैसे तो माननीय मन्त्री जी मेरे मित्र हैं, तारीफ करूंगा तो लौट आयेंगे हमारी तरफ, इनका जो कुम्भ मेले का इन्तजाम था, मैंने स्वयं देखा था । उसमें सुविधायें थीं, इसके लिये मैं बधाई देता हूं, लेकिन यही काम गांवों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर दीजिये । विवाह इत्यादि के लिये एक दुकान आवंटित कर देते हैं चीनी देने के लिये, वह भी तहसील मुख्यालय पर होती है । शादी के लिये परमिट लेता है ब्लाक पर, चीनी लेने आता है तहसील मुख्यालय पर मेरी मांग है कि जहां पर परमिट दिया जाय, वहीं पर चीनी की दुकान होनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मिट्टी का तेल गांव में 4 रु0 और 3.50 रु0 प्रति लीटर मिलता है । दुकानदार को आप जो नफा देते हैं 2 रु0 और 4 रु0 का देते हैं । उसको मिट्टी के तेल का ड्रम ले जाना पड़ता है जो इटवा से नौगढ़, डुमरियागंज से नौगढ़ । इनका सप्लाई इंसपेक्टर लिख देता है कि तेल ले आइए । एक ड्रम को लाने में 50 रु0 खर्च हो जाता है । मेरा सुझाव है कि इसको निकटतम दूरी से रखिये, दूरी निर्धारित कर दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

एक निश्चित संख्या में जन-संख्या के आधार पर ऐसे दुकानदार से कह दीजिये कि इतना ही उठायें ।

इन्हीं शब्दों के साथ में आपका धन्यवाद करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं ।

*श्री फूल सिंह सोदाई--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि जो आपने मुझे खाद्य तथा रसद के बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, सभी जानते हैं कि यह विभाग कितना महत्वपूर्ण है । यह विभाग आवश्यक वस्तुओं को क्रय करके फिर उसका भंडारन करता है और उसके बाद उन चीजों का वितरण करता है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सोदाई जी, आप दूसरे माईक पर आकर बोलें क्योंकि आपकी आवाज यहां तक सुनाई नहीं दे रही है ।

श्री फूल सिंह सोदाई--

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि यह विभाग सामान को क्रय करने के बाद उन वस्तुओं का भंडारन करता है तो उसमें मैं थोड़ी सी कमी महसूस करता हूं । चूंकि जितनी उपज इकट्ठा की जाती है किसानों के यहां से वह हमारी क्षमता से कम है । हालांकि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बतलाया है कि इतने भंडारन गृह वह बनावा रहे हैं, सब गिनवाये हैं, किन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि हर जनपद में भंडारन की शक्ति को बढ़ा दिया जाय जिससे कि किसानों से खरीदा हुआ माल वहां पर इकट्ठा किया जा सके और वहीं का वहीं उसका वितरण भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया जा सके । क्योंकि माल को लाने और ले जाने में जो पैसा खर्चा होगा, उसकी इस प्रकार से बचत की जा सकती है और यह सस्ते मूल्य पर गांव के लोगों को उपलब्ध भी हो सकता है ।

सस्ते मूल्य की दूकानों के माध्यम से सारे लोगों में आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है । यह काम दो तरफ से होता है—एक सहकारिता विभाग के द्वारा और दूसरा व्यक्तिगत कहीं-कहीं न्याय पंचायत के माध्यम से भी यह काम हो रहा है लेकिन फिर भी माल को गांव तक पहुंचाने में परेशानी होती है । गांव के लोग उसे ले जा नहीं पाते हैं । दूरी का भी सवाल है इनमें फसल अधिक होने के कारण लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं माल लेने के लिये तो वह संस्थायें जो कि सामग्री का वितरण करती हैं तो वह इसका नाजायज फायदा उठाती हैं ।

मान्यवर, आज इस बजट पर माननीय बारी साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखा है जब कि चार साल से मैं बराबर सुन रहा था कि माननीय बारी साहब गरीबों के हमदर्द हैं । लेकिन आज जो जीवन यापन की आवश्यक वस्तुयें हैं उसके सम्बन्ध में वे कटौती का प्रस्ताव लाये हैं । मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि अपने प्रस्ताव को वापस ले लें और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करें । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, अभी कुछ माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं । मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके वक्त को थोड़ा समय और बढ़ा दें ।

श्री अधिष्ठाता—

पांच बजे तक हमें इसको खत्म करना है । अभी उत्तर भाषण भी होगा और उसके बाद माननीय मंत्री जी बोलेंगे, अब समय इतना नहीं है ।

(कई माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलने के लिये अनुज्ञा मांगते रहे जिसके कारण व्यवधान हुआ ।)

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया आधे घंटे का समय और बढ़ा दें ताकि कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने सुझाव और रख सकें ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर हर माननीय सदस्य एक मिनट में जो अपने सुझाव देना चाहें वह दे दें, इसके लिए कुछ समय आप बढ़ा दें ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है आधे घंटे के अन्दर 1-1 मिनट में सिर्फ सुझाव दे दें ।

श्री श्री प्रकाश—

मान्यवर आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और मात्र दो-तीन सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं । मान्यवर हमारे यहां जनपद आजमगढ़ में, जिस क्षेत्र से मैं आता

हूं वहां पर मिट्टी के तेल के बारे में पता लगा कि सरकार की ओर से ऐसे कोई कानून बन गये हैं और पेट्रोल पम्प वालों के ऊपर से नियंत्रण हटा लिया गया है, जिसकी वजह से यह पेट्रोल पम्प वाले मिलावट का काम बहुत अधिक पैमाने पर करने लगे हैं। इस ओर मेरा आपसे सुझाव है कि जिस प्रकार से पहले आपका नियंत्रण इन पेट्रोल पम्प वालों पर था और काम सही ढंग से चल रहा था, उसी प्रकार से फिर कर दिया जाए ताकि इस गड़बड़ी पर कुछ रोक लग सके और किसानों को कुछ राहत मिल सके दूसरे इस मिलावट के कारण जो गाड़ियां आये दिन खराब हो रही हैं, उनमें कुछ सुधार आ सके। और मिट्टी के तेल के वितरण के कारण जो परेशानी गांव व देहात के लोग महसूस कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात जो कोयले के बारे में कही गई कि भट्टों को दिया जा रहा है, बात मान्यवर ऐसी नहीं है, जितना कहा गया है कि इन भट्टों को कोयला दिया जा रहा है, लेकिन उतना वहां दिया नहीं जा रहा है क्यों यदि देखा जाए तो सचमुच इतनी यह भट्टियां हैं ही नहीं, इनमें चोर बाजारी ज्यादा व्याप्त है, इसे खत्म किया जाए। माननीय मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहूंगा क्योंकि वह मंत्री-मण्डल में सबसे अच्छे मंत्री माने जाते हैं, उनका ध्यान में कानपुर के इस आपूर्ति कार्यालय के एक अधिकारी श्री यमुना सिंह शंकर के बारे में आकर्षित करना चाहूंगा। यह एक ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले कई बार मुअत्तल किये जा चुके हैं, लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियों-वश उन्हें फिर बहाल कर कानपुर देहात में पोस्ट कर दिया गया है, जबकि उनका इतिहास बहुत घटिया किस्म का रहा है, वह जहां भी रहे हैं, चाहे वह बनारस हो चाहे वह बाराबंकी हो, अब कानपुर में, हर जगह इनका यही हाल रहा है, बहुत भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन्हें यहां से तुरन्त हटाया जाए इसी के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

श्री प्रकाश जी अब बैठिए, माननीय हनुमान प्रसाद कुरील जी, एक मिनट में सिर्फ अपने सुझाव रख दें।

*श्री हनुमान प्रसाद कुरील—

मान्यवर मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस विभाग के बजट पर चर्चा के समय मुझे भी बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आज की जो वितरण प्रणाली है, वह बहुत ही अच्छी है, परन्तु यह स्थिति जो आज जिलों की व शहरों की है, वही स्थिति हमारे गांवों और ब्लाक स्तर की नहीं है। यह स्थिति मान्यवर, हमारे आपके सलाह-मशविरे से अच्छी बन सकती है। पिछले दिनों मान्यवर, जो दूकानें हटायी गई हैं, उन लोगों की जो लोग चुनाव में प्रधान बने, उनकी और उनके परिवार वालों की जो दुकानें थीं, वह सब निरस्त कर दी गयीं। इस सम्बन्ध में आपसे मेरा अनुरोध है वह दुकानें उन्हें फिर दे दी जाएं उस निरस्तीकरण के जी0 ओ0 को वापस लेते हुए, यह मेरा निवेदन है आपसे एक सुझाव के रूप में।

दूसरे मान्यवर, खाद्य सामग्री के बारे में तो बहुत बातें हो चुकी हैं, लेकिन मकान के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। रेंट कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत, 15(ए) और 21(ए) के अन्तर्गत जितनी भी अदालतें हैं, उन सभी में इन नियमों के तहत सारी चीजें जांच होकर प्रस्तुत की जाती हैं और उसी के अनुसार फैसले होते हैं चाहे वह 21(ए) के अन्तर्गत हो या 16(ए) के अन्तर्गत जो भी फैसले होते हैं, उसमें फिर अपील नहीं होनी चाहिये, इन्हीं शब्दों के साथ मैं खाद्य के बजट का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राकेश धर त्रिपाठी—

मान्यवर, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और उन सुझावों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब मंत्री जी संसदीय कार्य मंत्री थे, तो उस समय अपने विभाग को बड़ी अच्छी प्रकार से चला रहे थे और जब से वह खाद्य मंत्री हुये हैं, न उनका विभाग ठीक से चल रहा है और न वह खुद ठीक से चल रहे हैं। जो बजट माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, वह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने अपने सफेद बालों को एकदम काला कर दिया है। मैं पहला सुझाव देना चाहता हूं कि 500 आबादी के गांवों में मिट्टी के तेल और कन्ट्रोल की दुकान खोल दी जाये, जिससे जो लोग दूर-दूर मिट्टी का तेल लेने जाते हैं, उनको दूर न जाना पड़े।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सहकारी समितियां हैं, उन पर न तो तहसीलदार का कन्ट्रोल होता है और न ही एस0 डी0 एम0 का कन्ट्रोल होता है, इसलिए मेरा सुझाव है कि इन समितियों को अपने अधिकार में लेना चाहिये और तब चलावें। जो गड़बड़ी उसमें होती है, उसको सचिव रोक नहीं पाता है। मैं अपने क्षेत्र में दुमकुम की बात बताना चाहता हूं। वहां पर 80 बोरी चीनी ब्लैक कर ली गई और हंडिया के इन्स्पेक्टर उपाध्याय को व्यापारियों से पैसा लेते हुए पकड़ा गया, हम लोगों ने पकड़वाया और वह सस्पेंड हुए, लेकिन माननीय मंत्री जी फिर उसे बहाल करने जा रहे हैं और उसको चार्ज देने जा रहे हैं। आप पकड़ते हैं, लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर पाते हैं।

तीसरा सुझाव यह है कि आप की जो खाद्य सलाहकार समिति बनी है, इलाहाबाद में उसकी एक साल से मीटिंग नहीं हुई है। आप इसका पता लगवा लें। तो मैं यह कह रहा था कि वितरण प्रणाली को आप चुस्त करें। एक न्याय पंचायत में 11-11 गांव समायें हैं। सूखे के समय आपने तदर्थ दुकानें खोली थी, लेकिन आपने उनको समाप्त कर दिया है, तो आवश्यकता इस बात की है कि आप उन दुकानों को फिर चलावें जिससे जनता को कठिनाई न हो। मान्यवर, ए0 आर0 ओ0 लोगों का प्रमोशन एक साल से रुका हुआ है, आप उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। आप इसको जल्दी से जल्दी करें, जिससे जिन लोगों को चान्स मिलना है वह मिले। एक-एक वार्ड में एक-एक दुकान जरूर खोली जाये। अगर आप दुकानें आबादी के हिसाब से नहीं खोल पाते हैं और गांव में आबादी के हिसाब से गल्ला नहीं दे पाते हैं, तो आप की वितरण प्रणाली ठीक नहीं कही जायेगी। अगर कहीं पर 15 बोरे गेहूं की आवश्यकता है, और आप 10 बोरे ही सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप 5 बोरे कम दे रहे हैं, तो वितरण प्रणाली किस प्रकार से ठीक हो सकती है? इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री हरदेव—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। दैवी आपदाओं के समय, सूखे के समय माननीय मंत्री जी ने बड़ी क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद की वितरण प्रणाली में काफी सुधार लाये हैं और प्रगति की है और उससे जन जीवन को काफी लाभ पहुंचा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस समय बाबू, क्लर्क और लिपिक हड़ताल पर हैं, इससे वितरण प्रणाली प्रभावित हुई है, तो मैं चाहूंगा कि हड़ताल को तत्कालीन समाप्त करावें। माननीय मंत्री जी ने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए काफी प्रयास किया है और उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रमों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए एक निदेशालय की स्थापना किया है । मैं कहना चाहूंगा कि जो बलिया और सैक जनपदों को सामग्री अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध करायी जाये ।

[ समय 5-00 बजे ]

मैं इसी संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं कि जो आपने लेवी सीमेन्ट सरकारी रेट पर और प्राइवेट रेट पर व्यवस्था की है उसके लिए आप समानुपाती रेट कायम कर दें और जो सीमेन्ट का प्रोडक्शन है उसका आधा सीमेन्ट ग्रामीण क्षेत्र में सप्लाई किया जाय ताकि गरीब लोगों को सीमेन्ट मिल सके और वे अपना मकान बनवा सकें ।

श्री अधिष्ठाता---

आप अपने सुझाव मंत्री जी को लिखकर भेज दें ।

श्री हरदेव---

ठीक है मान्यवर, मैं लिखकर मंत्री जी को दे दूंगा ।

श्री कुशल पाल सिंह---

मान्यवर, इस विभाग के अन्दर जो दोहरी व्यवस्था चली हुई है कि गांव के लोगों को किसानों को आधा किलो प्रति कार्ड चीनी मिलती है और शहरी लोगों को एक यूनिट पर एक किलो मिलती है । इस दुर्व्यवस्था को समाप्त करना चाहिये । मेरा दूसरा सुझाव यह है कि पहले जिस गांव की आबादी 2 हजार थी वह अब 4 हजार हो गई है लेकिन चीनी की मात्रा सदस्य के आधार पर उतनी ही है । इसका परिणाम यह होता है कि आधे गांव के लोग चीनी ले जा पाते हैं और आधे लोग रह जाते हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि आबादी के अनुसार गांवों के लिए चीनी का कोटा आवंटित किया जाय । दूसरी बात यह है कि गांवों की जो चीनी की दूकानें हैं वह न्याय पंचायत के किसी डीलर को नहीं दी जाती है जिससे सभी गांवों में चीनी नहीं पहुंच पाती है । मथुरा में माट तहसील में लोगों को 6-6 महीने से चीनी नहीं मिल पायी है । इसका नतीजा यह होता है कि दुकानदार चीनी का कोटा 25 से 28 तारीख तक उठाते हैं और दूसरा कोटा पहली दूसरी तारीख को उठाते हैं जिससे वह एक कोटे की चीनी ब्लैक में बेच देते हैं और इस तरह से लोगों को चीनी नहीं मिल पाती है । इसी दुर्व्यवस्था के कारण लोगों को दो-दो तीन-तीन महीनों तक मिट्टी का तेल नहीं मिल पाता है । अनेकों स्थानों पर गांवों में आज भी बिजली नहीं है और लोगों को रोशनी के लिए मिट्टी के तेल की आवश्यकता पड़ती है । इसके अतिरिक्त चीनी के जो डीलर्स हैं उनकी नियुक्ति के लिए शासन ने कुछ नियम बनाये हैं, लेकिन सम्बन्धित अधिकारी उन नियमों का पालन नहीं करते हैं । पूर्ति विभाग के सम्बन्धित अधिकारी 2-2 और 4-4 हजार रुपया अलग से ले लेते हैं इसीलिए जिन डीलर्स की शिकायत होती है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है । इसीलिये गांवों में चीनी और मिट्टी के तेल के वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं है । मथुरा जिले में जो जिला सहकारी संघ वह सहकारी समितियों द्वारा दुकानें चलाई जा रही हैं उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है । उनमें एस0 डी0 एम0 और डी0 एस0 ओ0 का नियंत्रण नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं है । उनपर कोई कार्यवाही न होने से भ्रष्टाचार पनप रहा है । लोग परेशान हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि उनको इस तरह के अधिकार दिये जाने चाहिए । माट तहसील में माट व बाजना में जनता स्टोर खोले जायं । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

अधिष्ठाता महोदय, खाद्य एवं रसद के बजट पर आपने मुझे बोलने की इजाजत दी, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारे जनपद टेहरी गढ़वाल की आबादी सन् 1981 की जनगणना में 4 लाख थी लेकिन सन् 1988 में मुझे हमारे जिले के जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि हमारे जनपद में 7 लाख से ऊपर राशन की यूनिट बने हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप सुझाव दीजिये।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि हमारे जनपद की इतनी आबादी नहीं है और जब हम राशन के बारे में शिकायत करते हैं तो उनका कहना यह है कि परमिट के मुताबिक जितनी राशन चीनी, चावल आदि हमको मिलना चाहिए वह कोटा नहीं दिया जाता है। यह बड़ी शंका की बात है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे जनपद में इस बात की जांच करायेंगे कि जब इतनी आबादी वहां पर नहीं है तो यूनिट ज्यादा कैसे और क्यों बने हुये हैं। एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि जितना भी मिट्टी का तेल और चीनी हमारे यहां मिलती है वह अनियमित ढंग से मिलती है। गांव के लोग शिकायत करते हैं कि चीनी, मिट्टी का तेल समय पर नहीं मिल पाता है तथा राशन में जो खाद्य सामग्री मिलती है उसमें कंकड़ और पत्थर होते हैं। मैंने भी अपने भ्रमण के दौरान देखा है। लोग शिकायत करते हैं कि जो राशन दिया जाता है उसमें मिलावट होती है। यह नहीं होना चाहिए। हमारे बादशाही थौल में पिछले वर्ष एक "दुग्धशाला स्थापित करने की योजना थी। वह अभी तक स्थापित नहीं हो पायी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उस योजना को जल्दी क्रियान्वित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मूल चन्द्र जी दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

*श्री मूल चन्द्र—

माननीय मन्त्री जी ने जो खाद्य विभाग का बजट प्रस्तुत किया है हकीकत में उनका विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा है, रिश्वतखोर, और कमीशनखोरी की जड़ है। आप देखें कि दुकानदार को एक क्विंटल चीनी बेचने पर दो रुपया और एक क्विंटल चावल बेचने पर 6 रुपया उसे आप देते हैं। तो कोटा होल्डर क्या करता है उसे 10 रुपया पास कराई के देने होते हैं, 10 रुपया निकासी के, दो रुपया पल्लेदार के, 4 रुपया ढोलाई के और 4 रुपया उतराई के और उसके बाद इंस्पेक्टर को सौ रुपया माहवार अलग देने होते हैं तो वह कहां से लायेगा। यही नहीं महीने में 10 किलो चीनी भी उसे देनी होती है यहां तक कि ग्राम प्रधान को भी देना होता है। तो दो रुपये में वह कैसे ईमानदारी करेगा। जब वह 20 हजार रुपया खर्च करेगा और सामान के आवागमन में इतना खर्च करेगा तो ब्लैक के अलावा उसके पास और क्या चारा है।

गांव की हालत क्या है कि वहां का कोटा होल्डर जब चीनी, खाद्यान्न, तेल खरीदने जाता है तो उसे इतनी घूस देनी होती है अगर वह नहीं देता है और ईमानदारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से गरीबों को बांट देता है तो उस पर धारा 3/7 की कार्यवाही होती है और जो खाद्यान्न को ब्लैक में बेच देता है और सप्लाई इंस्पेक्टर को रिश्वत दे देता है उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है और गांव के किसान और गरीब मजदूर आपकी इस सुविधा से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि वह जब दुकान में एक रोज जाता है तो उसे दुकान बन्द मिलती है 5 सौ ग्राम चीनी के लिये बार-बार दौड़ना पड़ता है। उसको न चीनी मिलती है और न खाद्यान्न तो वह जाना बन्द कर देता है।

देहात में अनुसूचित जाति के लोगों को कोई कोटा देने को तैयार नहीं है क्योंकि उसके पास रिश्वत देने के लिये रुपया नहीं है, उसके सोर्सेज नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें।

श्री मूल चन्द—

आपके विभाग की वही हालत है जैसे आप खिजाब लगाकर सफेद बालों को काले किये हुये हैं उसी प्रकार आपका विभाग भी भ्रष्टाचार की जड़ है और इस बजट भाषण से उसे आप चमका रहे हैं...।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें, जो अब बोलेंगे वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री बलजीत सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं।

श्री मूल चन्द—

[ × × × ]

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें।

(व्यवधान)

माननीय बलजीत सिंह जी आप बोलें....।

श्री बलजीत सिंह—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य तथा रसद विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका ध्यान खरीद केन्द्रों की ओर ले जाना चाहता हूं मैं मथुरा जनपद से आता हूं। वहां गेहूं और चावल के खरीद केन्द्र नहीं खोले गये हैं उनके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि जो गेहूं के खरीद केन्द्र खोले गये हैं उनसे किसान बिल्कुल मुतमईन नहीं है। खरीद केन्द्रों पर काश्तकार जो गल्ला ले जाते हैं उसके साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता है और वह मजबूर हो जाता है कि जो खाद्यान्न वह खरीद केन्द्रों पर ले गया है उसे वापस ले जाय और उसे वापस

---

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

होना पड़ता है तो मान्यवर, हमारे जिले के पास से हरियाणा राज्य लगता है तो वहां की खरीद में और हमारे यहां की खरीद में बड़ा अन्तर है। वहां जो खरीदा जाता है वह आढ़ती के माध्यम से क्रय किया जाता है और यहां शासन खरीदता है तो वह क्रय केन्द्रों के माध्यम से और किसान जब क्रय केन्द्रों पर अपना गल्ला लेकर जाता है तो कहा जाता है कि यह खराबी है और मजबूर होकर किसान अपना गल्ला आढ़त पर ले जाता है। इसलिये इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है।

दूसरी बात हमारे यहां मथुरा में इस समय धान बहुत ज्यादा पैदा होने लगा है। गतवर्ष भी शासन ने आश्वस्त किया था कि इसके क्रय केन्द्र कायम करेंगे लेकिन वह कायम नहीं हुये। इसलिये किसानों को हरियाणा की और मथुरा मंडियों में धान ले जाना पड़ता है। इसलिये निवेदन है कि दूसरी कोसीकला, मथुरा जगहों पर धान क्रय केन्द्र बनाये जायं जिससे किसानों को राहत मिल सके।

अब मान्यवर, मैं वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वितरण व्यवस्था सहकारी क्षेत्र समितियों के माध्यम से की जाती है जो कि दोषपूर्ण है जिसके गांवों में न तो चीनी वितरण अच्छे तरीके से हो पाता है और न मिट्टी का तेल ही।

(व्यवधान)

इस पर ध्यान दें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ। आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

*श्री जौहरी लाल त्रिवेदी—

मान्यवर, प्रस्तुत बजट-बजट के विरोध में मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, तो पेश करते समय उन्होंने देहातों में कार्ड के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया। मैं बताना चाहता हूं कि शहरों में तो सप्लाई इंस्पेक्टर के माध्यम से कार्ड सप्लाई किये जाते हैं लेकिन देहातों में खंड विकास अधिकारी के माध्यम से कार्ड बनवाने की व्यवस्था की गयी है। जितने प्राइवेट दुकानदार हैं वह 5-5 रुपये देकर बी0 डी0 ओ0 के माध्यम से फर्जी कार्ड बनवाकर चीनी ब्लैक में बेच देते हैं और गांव का हरिजन, छोटे-छोटे गरीब किसानों के कार्ड नहीं बन पाते हैं। इसलिये अनुरोध और मेरा सुझाव है कि गांवों में खाद्य निरीक्षक हर ब्लाक में बैठे और उसी के माध्यम से गांव में रहने वाले लोगों के राशन कार्ड बनवाने की व्यवस्था की जाये।

दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि कानपुर के देहात क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में 25 पेट्रोल पम्प हैं और कानपुर नगर में 80 पेट्रोल पम्प हैं जिनमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि उसकी पराकाष्ठा नहीं है। हर पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल में मिट्टी का तेल और डीजल मिलाकर बेचा जाता है और कम भी नापा जाता है। लेकिन इनके बांट माप विभाग के अधिकारियों का हजार-दो हजार रुपये महीने हर पेट्रोल पम्प से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बंधा है इसलिये इनके अधिकारी कोई छापा आदि नहीं डालते हैं। इसीलिये हर पेट्रोल पम्प 100 लीटर डीजल या पेट्रोल का 90-95 लीटर ही नापता है। इनके विभाग के ए0 डी0 एम0 (आपूर्ति) और जिला आपूर्ति अधिकारी की हिम्मत नहीं कि पेट्रोल पम्प्स पर छापा डालें। इसलिये इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अपका समय समाप्त हुआ आप बैठ जायं। श्री फजलुलबारी जी आप बोलें।

(व्यवधान)

श्री देव कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा को सुने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री देव कुमार यादव—

व्यवस्था का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

इसमें व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे, बोलने का प्रयास करते रहे)

श्री अधिष्ठाता—

शाही जी आप बैठिये, यादव जी आप बैठिये। समय होता है, अब नहीं है, दो-दो मिनट बहुत हो गया है। बारी जी....

(व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह—

श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। बारी जी ने बड़ी तकरीर की, बहुत सी उपमाएं दी, इसको देखते हुए मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इनका नाम आप लाल-बुझक्कड़ रख दीजिए। अच्छा होगा।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई वैसी बात नहीं है। आप रख दीजिए। एक दूसरे का नाम रख सकते हैं।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री अम्बार रिजवी)—

मान्यवर, इनका नाम लाल प्रताप जी है और यह चाहते हैं कि उसी लाइन पर यह भी आ जाएं, लाल इनके नाम के आगे भी लग जाए।

*श्री देव कुमार यादव—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब अधिष्ठाता जी मंच पर होते हैं, तो हर दल का मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं....

(व्यवधान)

मैं अपने दल का एकमात्र सदस्य हूं। जहां से आता हूं....

(व्यवधान)

तो मेरे यहां आने का औचित्य क्या है, जो आप हमारी बात, जनता की समस्याएं नहीं सुनेंगे। सदन में हर दल के विचार आने चाहिए। लेकिन जब आप मंच पर होते हैं तो हमारे साथ यही व्यवहार होता है। मैं आपको आज्ञा से मंत्री जी का कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

यादव जी, आपकी कोई व्यवस्था नहीं, आप निर्दलीय में लिखे हुए हैं। जो लिस्ट मिली है, उसमें आप नहीं आते....

(व्यवधान)

श्री देव कुमार यादव—

आप मुझे भले ही बाहर निकाल दें लेकिन इस तरह मैं नहीं बैठ सकता हूं...

(व्यवधान)

इस तरह से नहीं चलेगा।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप बैठ जाइये।

श्री देव कुमार यादव—

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

आप निर्दलियों में से हैं, उनकी फेहरिस्त में शामिल हैं, कोई पार्टी का लिंक नहीं है।

श्री देव कुमार यादव—

[× × ×]

इतने में तो मैं अपनी बात कह लेता....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बारी जी आप उत्तर भाषण दें....

(व्यवधान)

समय सीमित है। आपको ही यादव जी बुलवाता, लेकिन अब समय नहीं है।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[× × ×] यह अंश माननीय अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आप मेरी अनुमति के बगैर बोलेंगे तो लिखा नहीं जाएगा। आपने जो व्यवस्था उठाई में उसका जवाब दे दिया। अब आप विराजिए।

श्री देव कुमार यादव—

[ × × × ]

श्री फजलुल बारी—

आप दो मिनट इनको बुलवा दीजिए, क्या हर्ज हो जाएगा।

श्री अधिष्ठाता—

इस तरह की जोर जबरदस्ती कोई एक सदस्य करे तो ठीक नहीं है। समय सीमित है। वर्मा जी को बड़े जोर से बैठाया। अनुग्रह नारायण सिंह और शास्त्री जी को बिठाया है। आपको कोई बात कहनी है तो आप मंत्री जी से कहिएगा। यह सदन एक सदस्य के इस प्रकार के आचरण से नहीं चलेगा। आप इनको मना कर दें।

(व्यवधान)

श्री देव कुमार यादव के निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता—

आप सीनियर मेम्बर हैं नियमों के ज्ञाता हैं आप विराजें आपने जो व्यवस्था उठाई मैंने कह दिया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री फजलुल बारी—

पांच मिनट के वास्ते दस मिनट चले गए। इनको समय दे दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मेरा कहना यह है कि दस मिनट तो इसलिए चले गए कि अव्यवस्था हुई।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मेरा एक सुझाव यह है कि उपाध्यक्ष महोदय ने पिछले दिनों ऐसा किया है कि जो साथी हमारे नहीं बोल सके हैं उनके सुझाव लिखा हुआ ले लिया है और उसको कार्यवाही में जोड़ दिया है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कार्यवाही में नहीं जोड़े हैं माननीय मंत्री जी को सुझाव दिए हैं।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, आप दो-दो मिनट दे दें।

(व्यवधान)

---

नोट—[× ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

12 वि० सभा—12

श्री मुहम्मद आजम खां—

आप संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं इससे पूछ लें ऐसा हुआ है कि लिखित सुझाव दे दिए गए हैं ।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मेरा कहना है कि इस समय सवा पांच बजे हैं नौ-नौ बजे तक बजट पर चर्चा हुई है । आप उदार हैं आप दो-दो मिनट दे दें ताकि हमें मुख्य बातें रखने का मौका मिल सके ।

श्री अधिष्ठाता—

जो आप कहते हैं वह मैं इस पीठ से नहीं कह सकता हूं आप अभी आए हैं और कहना चाहते हैं जब मैंने देव कुमार यादव जी को समय नहीं दिया तो किसी को नहीं देना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

यादव जी आप बैठ जाएं मैं आपको स्पष्टीकरण में समय दे दूंगा, आप बैठें तो सही ।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा—

आप इनको इंगित कर दें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

बारी जी आप बोलिए ।

(श्री देव कुमार यादव के अपने स्थान पर खड़े रहने पर)

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, इनको बैठाइए । मैं कैसे बोलूं ? आप नियमों के तहत इनको बैठाइए ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिये यादव जी ।

श्री काजी कलीमुर्रहमान—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय बारी साहब और यादव जी, दोनों अपने-अपने दल के अकेले सदस्य हैं । यादव जी कुछ कहना चाहते हैं और बारी साहब भी कहना चाहते हैं । अगर आपने यादव जी की बात नहीं सुनी तो बारी साहब अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, लाखों लोगों से इसका सम्बन्ध है। इस तरह से सदन नहीं चलेगा।

श्री अधिष्ठाता—

मैं इंगित करता हूं। आप सदन में इस तरह से अव्यवस्था नहीं कर सकते।

(माननीय देव कुमार यादव और राम जनम यादव सदन के फ्लोर पर आ गए जिससे घोर व्यवधान हो गया।)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय देव कुमार यादव को सदन से निष्कासित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि माननीय यादव जी को आज के लिए सदन से निष्कासित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

मार्शल, देव कुमार यादव जी को बाहर ले जायें।

श्री देव कुमार यादव—

[ × × × ]

(मार्शल माननीय देव कुमार जी को सदन से बाहर ले जाने के लिए आये।)

(श्री यादव जी सदन से बाहर चले गए।)

श्री राम जनम यादव—

मान्यवर, आप मेरे सुझावों को सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगे तो उस वक्त स्पष्टीकरण के लिए समय दे दूंगा।

श्री देव कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा के निलम्बन का निरस्तीकरण

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि माननीय देव कुमार यादव जी के निलम्बन को वापस ले लिया जाय। संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हुए हैं।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय शाही जी के प्रस्ताव पर हमें कोई आपत्ति नहीं है।

नोट—[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि माननीय देव कुमार यादव जी के निलम्बन को निरस्त किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

देव कुमार यादव जी से कहा जाय कि वह तशरीफ लायें ।

(माननीय देव कुमार यादव जी सदन में आये ।)

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, जब आपने इतना अहसान किया, माननीय यादव जी को बाहर भेजकर अन्दर बुला लिया तो एक अहसान और सही कि उनको 2 मिनट सुन भी लीजिए ।

श्री अधिष्ठाता—

आप इस पर जिद न करें । आप उत्तर भाषण पर आ जायं ।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है इसलिए मैं इसके विरोध में सदन से वाक आउट करता हूं ।

(माननीय देव कुमार यादव सदन त्यागकर चले गए ।)

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या—22 खाद्य तथा रसद विभाग

(क्रमागत)

*श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, मैं तमाम माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में अपने सुझाव दिए । उन तमाम सुझाओं को यदि आप गौर से देखें तो आपको यह अंदाजा होगी कि पूरी व्यवस्था जो माननीय मंत्री जी के मजबूत हाथों में थी वह चरमरा कर ढह गई है । हर एक ने यहां शिकायत की है किसी ने कहा कि शंकर नहीं मिल रही है, किसी ने कहा कि गेहूं ब्लेक हो रहा है, किसी ने कहा है कि मिट्टी का तेल ब्लेक हो रहा है । गरज कि पूरे प्रदेश में जो अव्यवस्था फैली हुई है मंत्री जी उसको रोकने में बिल्कुल अक्षम साबित हो रहे हैं । दुकानें तो तमाम खुल गई है लेकिन असल मसला यह है कि आपकी चीजों की और बाजार में इन चीजों की कीमत में अंतर कितना है, यह असल चीज देखने की जनता शासन काल में राशन कार्ड बनवाना लोग भूल गये थे, इसलिये कि राशन की दुकानों पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी । बाजारों में जो भाव थे और फेयर प्राइस शाप में जो भाव थे, दोनों में मामूली फर्क था, बल्कि फेयर प्राइस शाप पर गल्ला महंगा हो गया था । मैं माननीय मंत्री जी को चन्द सुझाव देना चाहता हूं ।

एक तो यह कि वह अपने यहां के बनाये हुए नियम का पालन कराने की कोशिश करें और दूसरा यह कि जो कर्मचारी डिपार्टमेन्ट में काम कर रहे हैं, जैसे स्टेनों हैं, उनका स्थायी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करण 3 साल के बाद हो जाना चाहिए, लेकिन 16-16, 18-18 साल से लोग पड़े हुए हैं, लेकिन उनका स्थायीकरण नहीं हो रहा है। मान्यवर, जब अधर में सबम होती है, तो आदमी मन लगा कर काम नहीं करता है। इसके अलावा एक प्रोमोशन की प्रणाली भी होती है, नीचे से आदमी तरक्की करके ऊपर जाता है और वह पहले के अनुभव को इस्तेमाल करता है। लेकिन मेरी जानकारी में यह बात है कि पचासों ऐसे हेडक्लर्क हैं कि जिनका प्रोमोशन होकर उन्हें राशन इन्सपेक्टर हो जाना चाहिए था, लेकिन वे रुके हुए हैं, उनका प्रोमोशन नहीं हो रहा है। मान्यवर, शासन के आदेश से नियमावली बनी और उस नियमावली के नियम 4140 पालन नहीं हो रहा है, आप इसका पालन कराइये। मान्यवर, धान की खरीदारी के सिलसिले में आमतौर से हमारे माननीय सदस्यों को शिकायत रही है कि उस वक्त दाम कम थे और अब 180 रु0 कुंटल बाजार में हो गया है। बाजार में किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रही है। आपका डिपार्टमेन्ट मार्केटिंग भी है, आप दूकान खोलवा दीजिए और उचित मूल्य उसे दिलवा दीजिए। दूसरा काम यह कीजिए कि जो किसान सहकारी ढंग से मिल कर धान कूटने का कारखाना लगवाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में है, वहां पर सरकार लेवी नहीं लेती है, उसी प्रकार से यहां पर अगर कोई किसान खलर भी लगा ले, तो उस पर लेवी नहीं पड़ती है, तो आप इन लोगों पर लेवी न लगायें। इस प्रकार से उनको अपनी मेहनत की कुछ कीमत मिल सकेगी।

मैंने वेज एन्ड मेनर्स के बारे में पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि इस डिपार्टमेन्ट में कर्मचारी बहुत कम हैं। मान्यवर, माप और तौल डिपार्टमेन्ट का महत्व बहुत है। आप इस डिपार्टमेन्ट में कर्मचारियों की संख्या बढ़ायें और हर पेट्रोल पम्प का पैमाना यह डिपार्टमेन्ट चेक करता रहे, जिससे यह बेईमानी का रास्ता बन्द हो जाय। मान्यवर, वहां पर जो माननीय सदस्यों के खाने के वास्ते कंटीन खुली हुई है, यह कल्याण निगम की तरफ से खुली हुई है, लेकिन अजीब विडम्बना है कि उसी कल्याण निगम की दूसरी दूकानों पर सामान कम दाम पर मिलता है और वहां पर जो सामान आता है, उस पर ज्यादा दाम लिया जाता है। इसे आप नियंत्रण में लायें।

मान्यवर, आखिर में मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि आपका विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और आप जैसे मजबूत आदमी इस विभाग की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस विभाग के असली रूप पर चलेंगे और जनता पार्टी के रास्ते पर चलकर इसमें सुधार लायेंगे। मान्यवर, जब आप जनता पार्टी में थे, तो वह तमाम अनुभव जनता पार्टी के जमाने के आप में हैं, तो आप उस अपने अनुभव का फायदा उठाकर इसको ठीक कर लेंगे। एक बात दूसरी यह है कि अगर नियत ठीक है, तो बरकत होती है। आपकी नियत में सुबहा नहीं है, लेकिन आप जिन लोगों के साथ बैठे हुए हैं, वे जरा बदनियत किस्म के लोग हैं। लेकिन अगर आपकी नियत ठीक है, तो आप एक काम कीजिए कि वह प्राइवेट सेक्टर में जो दूकाने राशन की खुली हुई हैं, इसको कृपया जल्द से जल्द खत्म कराइये और इसकी जगह पर एक व्यवस्था, एक प्रणाली पर भाव का सिस्टम चलाइये और तब आप प्रदेश की 12 करोड़ की जनता को उचित भाव के सारे सामान दिलवा सकेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया शान्ति बनायें।

(व्यवधान)

श्री फजलुल बारी—

मैनेजमेन्ट से बचकर इस प्रदेश को आप तन्दुरुस्त और इस लायक बना सकेंगे कि यहां पर कमीशन का राज खत्म होकर असल जनता की इमानदारी का शासन आवे ।

*खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आभारी हूं सभी माननीय सदस्यों का उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव इस विभाग की चर्चा के दौरान दिये । माननीय बारी साहब ने न जाने किस कारण यह कहा कि कुम्भ में जो राशन दिया गया वह दूसरे जनपदों से से काटकर दिया गया । मान्यवर, मेरे पास सूची है जहां भी व्यवस्था की गयी, अतिरिक्त कोटे की व्यवस्था हमने की थी, आयातित चीनी की व्यवस्था हमने की थी और कोई कटौती हमने नहीं की थी । जो कटौती आप कहते हैं संयोग से ऐसा होता है कि राशन 30 हजार की जगह 32 हजार आता है तो 32 हजार ही वितरित करते हैं और अगले में उसे पूरा कर लिया जाता है तो जब कभी कभी होता है तो बात मिलेगा । उसका आशय यह नहीं कि काम अगर दे दे तो उसको कटौती करके दिया । दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कही गयी कि बड़ी विडम्बना है कि एक जनपद जहां पैदा होता है उसको दूसरे जनपद में ले जाया जाता है और ट्रान्सपोर्टेशन में अनावश्यक खर्च होता है । चीनी में भी यह बात थी जहां चीनी मिल स्थित थी वहां की चीनी दूसरे जनपद में जाती थी और दूसरे जनपद से इस जनपद में आती थी । तो अब हमने कई बैठकें केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ करके यह सुनिश्चित कर लिया कि जहां पर चीनी मिल स्थित है पहले वहां के जनपद की आवश्यकता को पूरी किया जायेगा । जब वहां की चीनी बच जायेगी तभी दूसरे जनपद में ले जाया जायेगा तभी हम यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि जो चीनी वहां बन रही है, वह चीनी वहां उपलब्ध करायी जायेगी ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक जानकारी चाहता हूं कि हमारे यहां एक बड़ी सुगर मिल है तो वहां पर यह लागू नहीं होता है । हमारे यहां एक बड़ी सुगर मिल है जिस पालिसी के बारे में आप बता रहे हैं क्या वह हमारे यहां लागू नहीं होती है तो मैं जानना चाहता हूं कि यह पालिसी किसी एक जिले को छोड़ कर सभी जिलों के लिए है ?

श्री हुकुम सिंह—

यह रामपुर जिले से ही शुरू हुई है, जो भी काम होता है पहले रामपुर से शुरू होता है । अगर उसमें कोई कमी है तो मैं उसको देखूंगा नीति सभी प्रदेशों में एक ही लागू है । तो उस जनपद में दूसरे स्थान से चीनी तभी आवेगी जब चीनी का अभाव होगा । आप स्वयं देखेंगे कि पिछले 3—4 महीने से जब से यह लागू हुई है, उस समय आम शिकायतें हो रही थीं कि खराब चीनी मिल रही है, गीली चीनी मिल रही है, शक्कर मिल रही है । हमने स्वयं भी इसकी चेकिंग की लेकिन हमको कम से कम इस तरह की शिकायत नहीं मिली है । अगर कोई शिकायत होगी तो उसको देखेंगे और उसको दूर किया जायेगा मान्यवर, और मिट्टी के तेल और डीजल की मिलावट की बीमारी है. इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है, यह अवश्य है कि दोनों के दामों में अन्तर है, एक रुपये के लगभग का अन्तर है 5000 लीटर तेल मिला दिया तो 5000 की खुली बचत हो गयी ।

मान्यवर, मिट्टी का तेल गरीब तबके के लोग इस्तेमाल करते हैं यह सम्भव नहीं है कि इसकी दर बढ़ा दें । वस्तुस्थिति यह है कि मिट्टी का तेल आयातित करने में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भारत सरकार को जितना पैसा देना पड़ता है वह डीजल के दामों से कहीं अधिक है। एक लीटर मिट्टी के तेल के दाम एक लीटर डीजल से कहीं ज्यादा है लेकिन सब्सिडी करके कम दाम पर हम बेचते हैं। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस बीमारी को दूर किया जाय? हमने तेल कम्पनी के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी की है। हमने उनसे कहा है कि कम से कम एक क्षेत्र में एक प्रयोगशाला स्थापित करें ताकि जो शिकायतें हैं वह दूर हो सकें। क्योंकि आगरा में एक लेब है वह भी इतनी भरी रहती है कि साल भर में 2 साल में उसके नमूने वापिस होते हैं। मान्यवर, एक जगह फिरती लैब उपलब्ध करायी गयी है 2-3 जगह जाकर उन्होंने छापा भी मारा और उसका प्रभाव भी पड़ा। इस प्रकार की सरप्राइज देकर आकस्मिक तरीके से विभिन्न जनपदों में उस लैब को पहुंचाएंगे, यह व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरह से शिकायतों को दूर किया जायगा। मान्यवर, सम्मानित सदस्य नरेन्द्र देव जी ने सहकारी क्षेत्र की दुकानों के बारे में शिकायत की और कहा कि मिर्जापुर में मिट्टी के तेल का अभाव है। मैंने निर्देश दिये हैं कि वहां उसी अनुपात में कोटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य मंत्री जी का भाषण समाप्त होने पर अपनी बात करें।

श्री राम जनम—

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में सगड़ी तहसील बाढ़ से प्रभावित रहती है। वहां करीब करीब 200 गांव हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। माननीय काजी साहब, जो उस क्षेत्र से आते हैं, मैं वहां का सदस्य हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें बढ़ाने की कृपा करेंगे और दूसरे निवेदन करूंगा कि वहां पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, अतः 200 गांव में डीजल ले जाने के लिये...

श्री अधिष्ठाता—

यह भाषण नहीं है।

श्री राम जनम—

वहां पर लोग पम्प सेट से खेती करते हैं। डीजल 70 कि0 मी0 दूर से लाना पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता—

यह भाषण नहीं है, आप कृपा करके बैठें।

श्री राम जनम—

मैं चाहता हूं कि वहां पर...

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया बैठें। स्पष्टीकरण का एक तरीका होता है। अभी भाषण पूरा नहीं हुआ।

श्री हुकुम सिंह—

मैं सम्मानित सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि जो डीजल की व्यवस्था की बात कही, अगर 10 या 5 किलोमीटर में कोई डीजल पम्प नहीं है तो आवेदन पत्र दें,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम लाइसेन्स देंगे और डीलर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे । जो भी जानकारी आप देंगे उसके हिसाब से लाइसेन्स दिये जाएंगे । इसमें मान्यवर, यह बात सही है कि उपभोक्ताओं की बहुत बड़ी संख्या अभी अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है, हम प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार उनको जागरूक किया जाय ? उसमें हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है । एरी जी ने पिथौरागढ़ में गोदाम की बात कही, मैं उसको दिखवाऊंगा कि क्यों देरी हो रही है और क्यों नहीं लिया गया ? जहां तक हिल सबसिडी का प्रश्न है, इसके बारे में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है । वहां पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है । मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इसके बारे में निर्णय हो जायेगा ताकि इस समस्या का हल हो सके ।

माननीय सदस्य पुरुषोत्तम जी ने अनुसूचित जाति के लोगों के दुकानों के आवंटन में कोटे की बात कही, तो वह पहले से ही मिला हुआ है । जहां तक विभाग में आरक्षण का प्रश्न है, इसकी शिकायत पहले भी मिली है, इसको दिखवा रहे हैं कि कैसे आरक्षण पूरा किया जाय ? दुकानों की कमी की बात कही गयी, इसको दिखवा लेंगे । माननीय सदस्य मैनपुरी, बाबूराम जी ने अपनी वेदना प्रकट की, मेरा भी मैनपुरी जाना होता है, कई शिकायतें मिलीं, हम सारी शिकायतें दूर नहीं कर सकते । हमें अपनी सीमाएं ज्ञात हैं । लेकिन कैसे व्यवस्था की जाय और कैसे इसको और उपयोगी बना सकें, उसमें किसी को पीछे नहीं हटना चाहिये, चावल के भ्रष्टाचार की बात कही गयी कि 11 रुपये प्रति क्विंटल रिश्वत ली जाती है, इसका क्या कारण है, कोई रिश्वत क्यों देता है ? जहां तक प्रक्रिया को सरल बनाने की बात है, क्योंकि आदमी तभी इसका नाजायज फायदा उठाता है, हमने व्यवस्था की है कि कोई मिल मालिक चावल केन्द्रीय पूल के लिए प्रस्तावित करता है तो तीन दिन के भीतर अधिकारी का दायित्व बनता है कि उसका परीक्षण करके उसको उठा ले । अगर नहीं उठता है तो उस अधिकारी को जवाब देना होगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी । इसके बावजूद कोई शिकायत है तो हमारा कर्तव्य है कि उसको देखें ।

श्री बाबू राम यादव—

पूरे प्रदेश में एक भी मिल बता दें जिससे पैसा न लिया गया हो ?

श्री हुकुम सिंह—

मेरी जानकारी में सारी मिलें ऐसी हैं जिनसे रुपया नहीं लिया गया । कोयले में डलंक की बात कही गयी । कोई भी भट्ठा जिसको चलाना है सीधे स्पांसरिंग कराकर कोयला लाये । आप ही लोग इसका कारण बेहतर जानते हैं कि ऐसा क्यों है ? यह तो हो नहीं सकता कि हम ट्रक में कोयला लदवाकर उनके घर पर दे आयें । सारा प्रोसीजर सरल कर दिया है । अगर जिला पूर्ति अधिकारी के यहां स्पांसरिंग में दिक्कत है तो यहां आवेदन दें, सीधे यहां से स्पांसरिंग कर देंगे । इसके बावजूद यही शिकायत रहती है कि उसका कोई इलाज नहीं है । हम तो खुद ही प्रयासरत हैं कि अध्ययन कर परीक्षण के जो कठिनाइयां हमारे सामने हैं उसे कैसे दूर करें ? माननीय सतीश गुप्ता जी आगरा से आये हैं, बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद आज उन्हें अवसर मिला बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कहीं, नये राशन कार्ड की व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा पार्टी की बैठक में भी उन्होंने सुझाव दिये थे मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि यह समस्या का निदान किया जायेगा ।

बांदा से माननीय सदस्य रामपाल सिंह जी चावल मिलों से, लेवी प्राप्त करने के बाद रिलीज की बात कही । यह मेरे आदेश हैं कि लेवी प्राप्त करने के बाद रिलीज उनको मिलनी चाहिये । बांदा जनपद की विशेष शिकायत उन्होंने कही हम सुनिश्चित

करेंगे कि उन चावल मिल मालिकों को कठियाई न हो। जो हिस्सा है रिलीज का वह उन्हें उपलब्ध होना चाहिये। उन्होंने कहा कि वहां 4 महीने से गेहूं नहीं मिल रहा है। मैंने जनवरी, 1989 की और बाद की फीगर मंगवाई। जनवरी में 1543 मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराया था फरवरी में 1233 मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराया है। जितना आवंटन था पूरा का पूरा आवंटन दिया। गोंडा के माननीय सदस्य श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय ने चीनी की उपलब्धता प्रथम सप्ताह में सुनिश्चित करने की बात कही। यही है कि पहले सप्ताह में चीनी उपलब्ध हो जानी चाहिये जनपद में। पी0 सी0 एफ0 के माध्यम से चीनी मिलती है। पी0 सी0 एफ0 का यह दायित्व है कि वह समय से जो गोदाम है उन तक पहुंचाये। हमने इस सम्बन्ध में बैठक भी की थी जो हमारे सहकारिता मंत्री जी और अन्य अधिकारी हैं उनके साथ, उसमें यह तय किया गया था कि हर महीने के पहले सप्ताह में जनपद में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिये।

जहां तक सहकारिता विभाग की दुकानों पर नियंत्रण के अभाव के प्रश्न हैं हम देखेंगे कि उस नियंत्रण की बढ़ा कर व्यवस्था कैसे सुदृढ़ की जाय। माननीया सदस्या विजय लक्ष्मी जी ने अपने क्षेत्र की बात कही, वहां के पूर्ति निरीक्षक का जहां तक प्रश्न है, मैंने उसको नोट किया है। उनकी जो और शिकायत हैं उनको दूर करवायेंगे। मुजफ्फरनगर के माननीय फूल सिंह सोवाई और माननीय चारु शीला जी ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। लालगंज आजमगढ़ के माननीय सदस्य ने डीजल पम्प पर कोई नियंत्रण न होने की बात कही, भट्टे के कोयले की बात कही। इस सम्बन्ध में मैं पहले भी कह चुका हूं। मिलावट वाली जो बात कही गयी, अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम बताया जायेगा तो हम आकस्मिक रूप से छापा डलवाने के लिये तैयार हैं। माननीय सदस्य सदस्य कानपुर कुरील साहब ने नीतिगत प्रश्न उठाया है। प्रधानों को जो दुकाने आवंटित थी शासनादेश के अनुरूप उन्हें निरस्त कर दिया गया। प्रधानों को अधिकार दिया गया है दुकानों का निरीक्षण करने का प्रमाणित करने का। अब यह प्रश्न उठता है कि जिसके पास स्वयं की दुकान होगी कैसे उसका निरीक्षण किया जायेगा, प्रमाणित किया जायेगा? राय इसमें एक यह भी आयी थी कि उनसे निरीक्षण करने का, प्रमाणित करने का अधिकार ले लिया जाय। इसके लिए प्रधान लोग सहमत नहीं होंगे संभवतः।

श्री कौशिक रमाशंकर—

ऐसे मामलों में, जहां प्रधानों के रिश्तेदारों की दुकान है, वहां सत्यापन कोई और कर सकता है ब्लाक प्रमुख कर सकते हैं।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, रेन्ट कन्ट्रोल के बारे में बात कही गयी। मैंने पहले ही यह बात कही थी, शायद उस समय माननीय सदस्य स्वयं उपस्थित नहीं थे। मैंने पहले ही बताया कि उसके लिये एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया गया गया है, जो दो महीने में व्यवहारिकता के बारे में अपनी रिपोर्ट दे देगी। इसी तरह माननीय सदस्य कुशल पाल सिंह जी ने वर्षों में कोटा न उठाये जाने की बात कही कि कोटा पूरा नहीं उठाया जाता। यह बात सही है कि देर से कोटा उठने के कारण उसका वितरण सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसमें एक समस्या है कि जो हमारे दुकानदार हैं, वह सम्पन्न लोग नहीं हैं, जिस कारण से भी वह एक बार में पूरा कोटा नहीं उठा पाते। इस तरह की अनेक कठिनाइयां हमारे सामने आ जाती हैं, लेकिन दोनों में समन्वय तो स्थापित करना ही पड़ेगा, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

इसी प्रकार डा0 दिनेश जौहरी जी ने भ्रष्टाचार का नारा दिया। वह क्या कह गये, वह मेरी समझ में भी नहीं आया और वह खुद भी परेशान रह गये। वैसे उन्होंने

कहा कि बाजार में आयातित खाद्य तेल ब्लैक में बिक रहा है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इस समय हमारे पास 2 करोड़ रु0 का आयातित तेल रखा हुआ है, जिसे कोई उठाने वाला नहीं है । जौहरी जी ब्लैक की बात कर रहे हैं । जो कन्ट्रोल रेट है, उस रेट पर अगर जौहरी जी अपने क्षेत्र में यह तेल बिकवाना चाहें, तो वह जितना तेल चाहें, हमसे प्राप्त कर सकते हैं । कहीं पर भी इस तेल में ब्लैक का प्रश्न ही नहीं उठता । इस समय बाजार में सरसों का तेल का भाव 20 रुपये किलो है और यह तेल 24 रुपये में है ।

माननीय सदस्य, राजेन्द्र शर्मा जी ने भी बड़े ही अच्छे सुझाव दिये, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं. दूसरी तरफ बड़े सज्जन माता प्रसाद पाण्डेय जी ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, खासतौर से उन्होंने कहा कि विभाग को अपनी संचारण क्षमता में वृद्धि करनी चाहिये । मैं बताना चाहता हूं कि इसके लिये हम पहले से ही प्रयासरत हैं । हमने कुछ नये डोबाम बनाये भी हैं, लेकिन काम वास्तव में यही है कि जो केन्द्र सरकार से हमें गल्ला मिलता है, अगर कभी किसी कारण से यह कोटा वहां से न आये, तो एक कठिनाई हमारे सामने आ जाती है कि हम कैसे उस स्थिति में अपनी दुकानों को संचालित करें, इसके लिये हम कोई न कोई तरीका निकाल रहे हैं । इसमें समस्या यह है कि अगर हम बजट का कोई हिस्सा इधर ले जाते हैं तो विकास योजनाओं पर इसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि हमारे पास जो सीमित संसाधन हैं, उन्हीं के अन्दर रहकर हमें काम करना है ।

मान्यवर, हमारा जो विभाग है, उसके काम ऐसे हैं कि जो रोजमर्रा की चीजों से जुड़े हुये हैं । हमारे सम्मान सदस्य, बुद्धि के प्रतीक श्री पुरुषचन्द्र जी ने भी बड़ा ही रोमांचुकारी भाषण दिया, जिसका पता न मुझे चल पाया और न उन्हें खुद पता होगा, लेकिन इसके लिये मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, मैंने उनकी तारीफ जो कर दी, अब मेरा आग्रह है कि श्री बारी साहब अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, डीजल में मिलावट एक ला इलाज मैटर है, जिस पर नियंत्रण करना संभव नहीं है । शासन की नीति रही है कि जिन लोगों के पास डीजल का लाइसेन्स है, उनको मिट्टी का तेल का लाइसेन्स नहीं दिया जायगा । मान्यवर, मेरी निजी जानकारी है कि गोरखपुर में कई ऐसे लोग हैं जिनको डीजल के साथ-साथ मिट्टी के तेल का लाइसेन्स भी मिला हुआ है, इसके बारे में आप क्या करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

मैं ऐसे किसी परिवार की बात तो नहीं जानता । लेकिन जहां तक फर्म की बात है, हम लोगों को फर्म से ही सामना पड़ता है, जो इसका बिजनेस करते हैं । यह हमारी नीति है कि जिन लोगों के पास डीजल का लाइसेन्स है, उन्हें मिट्टी के तेल का लाइसेन्स न दिया जाय । लेकिन कुछ पुराने लाइसेन्स चल रहे हैं, जिनमें से कुछ पर कार्यवाही की गयी, तो वह जाकर स्टे ले आये । वैसे भी इस आधार पर किसी का लाइसेन्स निरस्त करने का हिसाब बनता नहीं है । भविष्य के लिये हमारी नीति यही है कि अब जो भी लाइसेन्स दिये जायें, उसमें इस बात का ध्यान रखा जायगा कि डीजल के लाइसेन्स धारक को मिट्टी का तेल का लाइसेन्स न दिया जाय ।

---

*वक्ता के भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ईंटों का सर्वथा अभाव हो गया है। 500, 600 व 700 रुपये प्रतिहजार के हिसाब से ईंटें मिलना दुर्लभ हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई ऐसी नीति व व्यवस्था बनायी है, जिससे यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ईंटों का अकाल पड़ गया है, वह दूर हो सके?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को पहले कोई फर्जी राशन कार्डों के बारे में कोई सूचना मिली है, यदि मिली है तो उसके संबंध में उन्होंने आज तक क्या कार्यवाही की है? दूसरा, जो वास्तव में गरीब हैं और राशन कार्ड के लिये आवेदन करते हैं तो आपके आदेश क्या हैं कि कितने दिन में उन्हें राशन कार्ड मिल जाना चाहिये?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जहां तक ईंटों का सवाल है, उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि कोयले का कोई अभाव नहीं है। कोयले का जो हमारे पास कोटा है, वह उठ नहीं पा रहा है। हमने अब यह व्यवस्था कर दी है कि जनपद स्तर के अगर स्पोन्सरिंग सही समय से नहीं हो पा रहीं हैं तो हम उसे प्रदेश स्तर से कर देंगे। प्रदेश स्तर से स्पोन्सरिंग भी तभी होगी, यदि उसके पहले दिये गये कोयले का वितरण दिखा दिया है। जहां तक माननीय श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी ने बात कही है राशन कार्डों के बारे में, तो मैं कहना चाहता हूं कि आवेदन-पत्र मिलने के बाद 10 दिन के अन्दर राशन कार्ड मिल जाना चाहिये। लेकिन फिर भी राशन कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं। इसके दो कारण हैं। पहला राशन कार्ड के फार्म नहीं थे, अब हमने उसकी व्यवस्था कर दी है। दूसरा ग्रामीण अंचलों में राशन कार्ड बनाने का काम वहां से खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। उसके पास दूसरे काम भी होते हैं। कर्मचारी कम हैं यहां तक कि कई जगह पूर्ति निरीक्षक नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमें किसी जगह विशेष शिकायत मिलती है तो उसे हम दिखायेंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, बाहर के प्रदेशों का उत्पाद तो उत्तर प्रदेश में बिकता है, लेकिन यहां के कृषकों का नहीं। यहां का जो कृषक धान पैदा करता है, उसे अन्य प्रदेशों में ले जाने पर रोक लगा दी गयी है, इसका क्या औचित्य है? उत्तर प्रदेश के कृषक को भी लाभकारी मूल्य मिल सके, इसलिये इस प्रतिबन्ध को हटाया जाना चाहिये। दूसरा राशन कार्ड के बारे में जानना चाहता हूं कि जिलों में गत वर्ष जो राशन कार्ड बनाये गये थे, जिनकी संख्या उन पर अंकित की गयी है, उस हिसाब से वस्तुओं का एलोटमेंट नहीं किया जा रहा है। नये राशन कार्डों के आधार पर उपभोक्ता सूची को देखते हुये राशन कार्ड पर जो आवश्यक सामग्री है, उसी मात्रा में सामग्री उपलब्ध कराने पर आप विचार करेंगे?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य को जानकारी है कि गेहूं आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। गुड़ पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है। धान की जहां तक बात है, हमारे यहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चावल की मिलें लगी हुई हैं। अगर आप उनको बन्द करा कर धान बाहर भेजना चाहते हों तो दूसरी बात है। चावल के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। नीतिगत प्रश्न यह है कि फिनिश प्रोडक्ट्स को निर्यात करना उचित है या रा-मैटीरियल को निर्यात करना उचित है। किसी भी अच्छे देश में जिसकी सुदृढ़ व्यवस्था हो, वहां पर कच्चे माल के निर्यात करने के लिये प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, फिनिस्ड गुड्स के निर्यात करने पर प्रोत्साहन दिया जाता है।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मट्ठों का लाइसेंस आपका विभाग देता है और मट्ठे के लाइसेंस में यह आवश्यक है कि मट्ठे के आसपास आम के बाग नहीं होने चाहिये और आपत्ति आने पर लाइसेंस नहीं मिलना चाहिये। मेरी जानकारी को सही मानते हुये कि रामपुर में बिलासपुर तहसील के महतोव गांव में मट्ठा लगा है, वहां पर आम के बागों को इससे नुकसान हो रहा है, क्या इसे बिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

जहां तक मट्ठे के लाइसेंस का प्रश्न है माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि मट्ठा मालिकों ने उच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल करके "स्टे" ले लिया है कि लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आपकी शिकायत जिला परिषद् में आनी चाहिये। दो तरह के मट्ठों के लाइसेंस होते हैं। इस समस्या को देखने का काम जिला परिषद् का है। वहां के इन्जीनियर जा कर देखते हैं, पैमाइश करते हैं तभी लाइसेंस मिलता है।

(विरोध पक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा खड़े हो कर बोलने की अनुमति मांगने से व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप खाद्य रसद मन्त्री पूरे प्रदेश के हैं या पश्चिमी जिलों के हैं। आप पूर्व की ओर चलते ही नहीं हैं। पूर्व में चलकर देखिये कोई सस्ते गल्ले की दुकान ठीक से नहीं चल रही है। सारी सामग्री बाहर बेची जाती है। कोयले का परमिट मिलता है, वह वहीं बिक जाता है। रिश्वत देकर नाजायज ढंग से पैसा देकर उपभोक्ता कोयला लाता है। आप जिले में देखिये। वहां जाकर बैठिये जिले के जनप्रतिनिधियों एवं उपभोक्ताओं से बात करिये तभी सही जानकारी मिलेगी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, इसको देख लीजियेगा।

श्री हुकुम सिंह—

मैं देख लूंगा, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,07,96,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 में 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री हर्षवर्धन तथा श्री नरेन्द्र सिंह की सूचना, जो गोरखपुर के सम्बन्ध में है, उसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया, शेष को अस्वीकार किया गया।

## कानपुर की पुलिस द्वारा हरिजन युवक बाबू प्रसाद की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में गृह मन्त्री का वक्तव्य

एक सदस्य—

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाये।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाये।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

गृह राज्य मंत्री (श्री वहीदुज्जमा)—

[प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 30-9-88 को एक बदमाश के लाल डिग्गी चौराहे पर बम सहित किसी की हत्या करने के प्रयास में खड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। इस सूचना पर पुलिस ने अन्य गवाहों के साथ उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। अभियुक्त ने गिरफ्तारी से बचने हेतु बम से प्रहार किया और एक घर में फेंका जिससे एक कान्स्टेबिल को चोटें आईं। एक अन्य उप निरीक्षक के पहुंचने पर अन्य गवाहों के साथ उक्त अभियुक्त को घर में घुस कर गिरफ्तार करने का प्रयास करने पर वह बगल के घर में कूद गया जिससे उसे चोटें आईं। अतः उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया जहां उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक का नाम ए० खान उर्फ बाबू बताया गया। इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस की ओर से धारा 307/504 भा० द० वि० एवं मृतक के भाई की ओर से पुलिस के विरुद्ध धारा 302/342 भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराये गये हैं। इस प्रकरण की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

दिनांक 3-5-88 को एक अभियोग से संबंधित अभियुक्तों की तलाश में निकले पुलिस दल पर एक साइकिल पर सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोके जाने पर साइकिल सवारों ने तमंचों से फायर आरम्भ कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस दल द्वारा चलाई गई गोली से एक अभियुक्त जिसका नाम नरेश भारती उर्फ हुआ, की मृत्यु हो गयी। इस घटना के संबंध में थाना कानपुर पर पुलिस की ओर से धारा 307 भा० दं० वि० व

नोट—] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये तथा मृतक की माँ की ओर से पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उसके पुत्र की हत्या करने के संबंध में लिया गया। इस प्रकरण की भी जाँच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

दिनांक 17-10-88 को पुलिस द्वारा पुरुषोत्तम नामक को एक चोरी के अभियोग में गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी गया माल बरामद किया गया। दिनांक 27-10-88 को जमानत पर रिहा होने के उपरान्त दिनांक 29-10-88 को वह अस्पताल में भर्ती हुआ रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। दिनांक 30-10-88 को मृतक के भाई द्वारा पुलिस कर्मियों के विरुद्ध धारा 302 भा0 दं0 वि0 का एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। मृतक का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम से मृत्यु के कारण ज्ञात नहीं हुआ। अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

थाना सिविल लाइंस, इलाहाबाद पर पंजीकृत अपराध सं0 53/89 धारा 302 भा0 दं0 वि0 में वांछित अभियुक्त प्रमोद पासी की गिरफ्तारी हेतु एक पुलिस दल प्रमोद पासी के निवास-स्थान सोहबतिया फाफामऊ गया हुआ था। अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस व स्थानीय जनता में मुजाहिमत (झगड़ा) हो गया, परिणामस्वरूप अभियुक्त प्रमोद पासी भागने में सफल हो गया। इस घटना के सम्बन्ध में दिनांक 30 जनवरी, 1989 को थाना कर्नलगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्रमोद पासी की गिरफ्तारी हेतु पुनः उसके रिश्तेदार बद्री प्रसाद पासी, निवासी ग्राम चिहला के घर पर दिनांक 2 फरवरी, 1989 को रात्रि में पुलिस द्वारा दबिश दी गयी। बद्री प्रसाद के घर से बदमाशों ने पुलिस दल पर फायर करते हुए भाग निकलना चाहा। आत्मरक्षार्थ पुलिस दल ने भी फायर किया। दोनों पक्षों के मध्य हुए फायर में पुलिस का मुख्य आरक्षी विजय प्रताप गोली लगने से घायल हो गया तथा बद्री प्रसाद की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा मृतक के पिता द्वारा उसके पुत्र की हत्या के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई प्रथम सूचना दर्ज करने में कोई उदासीनता नहीं बरती गयी, बल्कि इस सम्बन्ध में दिनांक 2 फरवरी, 1989 को थाना कर्नलगंज पर एक अभियोग धारा 147/148/149/302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। बद्री प्रसाद की मृत्यु की घटना पर उसके रिश्तेदारों द्वारा निवास-स्थान के पास एकत्र स्थानीय लोगों तथा आई0 टी0 आई0 नगर के कर्मचारियों द्वारा कुछ देर तक चक्का जाम किया गया, जिसे जिला प्रशासन के आश्वासन पर तत्काल शीघ्र ही समाप्त कर दिया गया। आई0 जी0 आई0 नगर से कोई पुलिस बल नहीं रहा और इसमें में कोई गिरफ्तार नहीं गया। उपरोक्त प्रकरण की गहन अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जाँच की जा रही है। अभियोग थाना द्वारा अन्त की गई। जाँच से दोनों पक्षों के एक आकस्मिक में कर्मियों पुलिस तथा अपराधिक पृष्ठिगोचर हुए हैं। मुकदमे की विवेचना के बीच ही मृत्यु हुई है। विवेचना से अधिक अभियुक्तों के नाम सुनिश्चित होने के उपरान्त उनकी गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही की जाएगी। प्रारंभिक सूचना में नामजद कोई पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण किया जा चुका है।]

श्री अमरनाथ नारायण सिंह—

यह पशोपेश प्रकरण उस व्यक्ति की हत्या के सम्बन्ध में क्योंकर कोई जाँच निष्कर्ष किये गये? क्या यह सही है कि सिपाही और बरेला में कोई सम्बन्ध दिखा है? यदि हाँ, तो वह क्या है?

मुख्य राजस्व मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

हत्या के सिलसिले में मोहम्मद नाथ पासी और बेला लाल की तलाश करके उन्हें जेल दिया गया है। पूरे प्रकरण की सी0 आई0 डी0 के द्वारा जाँच चल रही है। जहाँ और साक्ष्य मिलेंगे, उन पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह— [illegible]

आपने कहा है कि श्रेया लाल कान्स्टेबिल की हत्या के अभियोग में केस बंद किया गया है। उसमें एक ही बयान लिया है कोर्ट में और सी० आई० डी० को कि उन [illegible] गिरफ्तारी [illegible] में बन्द [illegible] गुह राज्य मन्त्री को 2 मार्च को लिखी है। यह जो वक्तव्य है यह आगे के मुकदमे के लिए लिखा गया है, इसमें कोई नयी बातें नहीं हैं, उसे ही माननीय मन्त्री जी ने यहां [illegible] घर वाले ने अपने रिपोर्ट लिखायी। परन्तु [illegible] और दोनों मृतक की हत्या के सम्बन्ध में, वह रिपोर्ट क्या है, क्या माननीय मन्त्री जी इसे यहां बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री मुख्यमन्त्री [illegible]

श्रीमान्वर, लाखवार अंसल्ल पुत्र गुलामहुसैन अपनी तरफ से [illegible] और देवा जाल के विरुद्ध एफ० आई० आर० करायी गयी थी। इसमें लिखा है कि [illegible] हैं कि [illegible] मामले को [illegible] के [illegible] और उसे [illegible] में बन्द कर दिया। [illegible] ने बन्द करके उसे मारा गया और [illegible] तोड़ दी। पहले उसको [illegible] ने मारा [illegible] उसके बाद उसे अस्पताल में बन्द कर दिया। [illegible] है कि [illegible] कर्मचारी जो भी इस मुकदमे के जिम्मेवार हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय और [illegible] घर वालों को मुआवजा दिलाया जाय। यह रिपोर्ट 30 सितम्बर, 1988 की है। पप्पू के मारे जाने के पूर्व दो इंस्पेक्टर आदि का इसमें शामिल होना बतलाया गया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वही प्रसाद के हत्या के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट अपने विभाग ने लिखायी है, क्या वे आप बतलाएं ?

(मन्त्री जी की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मुहम्मद जानन खां—

माननीय मन्त्री जी ने बतलाया है कि धारा 307/304 के अन्तर्गत मुकदमा दायर हुआ है तो जाहिर है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुआ होगा तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है ? उसकी मृत्यु हुई तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है ?

श्री मुख्यमन्त्री—

श्रीमान्वर, इसकी जो चोटें लिखी हैं, वह तो चोटें हैं [illegible] लिखा हुआ है।

श्री मुहम्मद जानन खां—

श्रीमान्वर, मेरे सवाल का उत्तर [illegible] है कि इसकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है और जब [illegible] तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, यह माननीय मन्त्री जी बतलाएंगे।

---

*अध्यक्ष ने सदस्य को पुनर्जीवन नहीं दिया।

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, दो चोटें थीं, एक उनके पैर पर दूसरी अंगुली पर और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वह "ड्यू टू शोक्स आफ हैमरेज"।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, लोगों का कहना यह है कि जो रिपोर्ट है और इसमें जो चोटों का विवरण दिया गया है, वह क्या है, दूसरे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें क्या है, स्पष्ट उत्तर दीजिए, माननीय मन्त्री जी जो कह रहे हैं, वह सुनाई नहीं दे रहा है ?

*श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, अगर यह कहें तो हम बता दें, अगर इनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, बड़े शर्म की बात है कि माननीय मन्त्री जी कोई रिपोर्ट अपने साथ नहीं लाए हैं, जिससे स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पा रहा है।

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, मैं स्पष्ट जवाब तो दे रहा हूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर ही मैंने पढ़ा है साफतौर पर कि ड्यू टू शाक्स आफ हैमरेज और 307 में दो चोटों के बारे में लिखा है, यह मैं स्पष्ट तो बता रहा हूं, आप सुनिए तो सही।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, मौत का कारण क्या है, जो 307 का मुकदमा दर्ज किया है, उसमें क्या है ?

श्री सईदुज्जमा—

मौत का कारण तो बता रहा हूं हैमरेज है।

श्री हरिशंकर तिवारी—

मान्यवर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, उसमें पुरुषोत्तम दयाल की मृत्यु के कारण क्या बताए गये हैं ?

श्री सईदुज्जमा—

मैं मान्यवर, इसके कारण को बता तो चुका हूं।

श्री अधिष्ठाता—

इसको माननीय मन्त्री जी ने बता दिया है "ड्यू टू हैमरेज"।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, हमारा दूसरा प्रश्न इनके जवाब देने से रह गया कि 1/2 फरवरी की रात को जो हत्या हुयी है, उस हत्या के बारे में इनकी रिपोर्ट में क्या है ? दूसरे नामजद रिपोर्ट होने के बाद इनसे सी0 आई0 डी0 जांच के लिए किसने कहा, जो इन्होंने जांच शुरू कर दी ?

दूसरे बद्री प्रसाद का जब केस रजिस्टर हुआ, उसमें 302 में जो रपट दर्ज की गयी, उनमें किन लोगों के नाम हैं, इसमें जो वक्तव्य दिया गया है, कोई जिक्र नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आया है या सी0 आई0 डी0 ने अभी तक क्या जांच किया है। कोई प्राथमिक रिपोर्ट भेजी है या नहीं।

[समय सायं 6.00 बजे]

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, जो सवाल उठाये गये हैं, उनके उत्तर वक्तव्य में हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मुनेश्वर दत्त जो स्वर्गीय बब्बी के पिता हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट लिखाई है, उसको पढ़ दें। जब नामजद रिपोर्ट है, तो किसके कहने पर सी0 आई0 डी0 से जांच करायी जा रही है। यह जान बूझ कर मामले को दबाया जा रहा है। माननीय मंत्री जी रिपोर्ट को पढ़ दें।

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 में है, कि मैं मुनेश्वर दत्त पुत्र स्व0 मसुरियदीन, निवासी 120, चिल्ला, थाना कर्नलगंज, इलाहाबाद का निवासी हूं। बीती रात अपने परिवार के साथ सो रहे थे कि 1/2 फरवरी रात लगभग डेढ़ बजे कर्नलगंज थाने की पुलिस जिसमें इन्सपेक्टर आर0 डी0 पाठक, पूरे गड़रिया चौकी इन्चार्ज एस0 एम0 चौबे, गोविन्दपुर चौकी इन्चार्ज, सिपही शीतल और लगभग 15, 16 पुलिस व दरोगा [×××] मेरा दरवाजा खटा-खटा कर खुलवाये, जिन्हें देखकर पहचाना जा सकता है क्योंकि घटना स्थल पर बिजली की खम्भे की रोशनी थी, जैसे ही मैं पत्नी श्रीमती गुलजारी देवी के साथ बाहर निकला कि बगैर कुछ पूछे पीटना शुरू कर दिया, जब मेरी पत्नी चिल्लायी तो शोर सुनकर मेरा लड़का बब्बी प्रसाद उम्र 32 वर्ष, आई0 टी0 आई0 नैनी में सेवारत है, बाहर आ गया और हमें बचाना चाहा और मारे जाने के कारण जानना चाहा कि इतने में इन्सपेक्टर ने कहा कि इस साले को सड़क पर ले चलो और खींचकर जैसे ही सड़क पर लाये कि इन्सपेक्टर ने कहा कि [×××] गुण्डा है इसको गोली मार दो इतने में एक पुलिस जो लम्बा छरहरा बदन वाला सफेद पैंट पहने हुआ था, जिसे पुलिस वाले शीतल कहते थे (बस) देखकर पहचान सकते हैं, उसने इन्सपेक्टर के आदेश से गोली मार दी गोली। गोली लगते ही मेरा लड़का गिर पड़ा और मेरी औरत उसे बचाने के लिये गहरा पड़ी और मैं भी अपने लड़के को बचाने के लिये बढ़ा कि पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया।

श्री अध्यक्षता--

अब खतम करें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

जब नामजद रिपोर्ट है, जो सी0 आई0 डी0 से जांच कराने का क्या कारण है?

श्री सईदुज्जमा--

बब्बी की मृत्यु को लेकर, रोष पैदा था और उसके पिता ने दरखास्त दी थी कि सही जांच हो, इसी कारण सी0 आई0 डी0 से जांच करायी गयी।

---

नोट :--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैंने दो सवाल किये, लेकिन उनका उत्तर नहीं आया, एक तो सवाल मैंने यह किया कि जैसा कि पुरुषोत्तम का मारना बताया गया है। 17 तारीख को उसको चोरी में गिरफ्तार किया गया और 27 तारीख तक पुलिस की कस्टडी में जेल में रहा। 29 तारीख को अस्पताल में भर्ती हुआ और 30 तारीख को उसकी मृत्यु हो गयी। मालूम पड़ता है कि जब वह मरने लगा तो उसको जमानत पर छोड़ दिया गया और वह दूसरे दिन ही अस्पताल में मर गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब उसको जेल में भरती किया गया तो क्या उसका मेडिकल एक्जामिनेशन हुआ, क्या इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को है? मेवा लाल का कोई बयान है क्या माननीय मंत्री जी के पास, अगर है, तो वह पढ़ दें?

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनकी दो चोटें आईं।

श्री मुहम्मद आजम खां—

पहले आप पुरुषोत्तम बवाल के बारे में बताये।

श्री सईदुज्जमा—

मैं उनके ही बारे में बता रहा हूं। लिखा है काज आफ डेथ फुड माट दि आरस्टेन्ड। विसरा को प्रिजर्व किया गया है। सब पकड़े गये हैं वे जेल चले गये हैं। जब 27 तारीख को वह जेल से लौटे तो उसके बाद वे अस्पताल गये। फिर अगले दिन उनके भाई ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया।

श्री मुहम्मद आजम खां—

वे 27 तारीख को किस मर्ज पर दाखिल हुये थे?

श्री सईदुज्जमा—

जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में है....

(व्यवधान)

मैंने अर्ज किया कि काज आफ डेथ ऐसर्टेन नहीं हुआ है। विसरा को प्रिजर्व करके भेज दिया गया है।

श्री अविष्ठाता—

आजम साहब, वे 17/10 को भर्ती हुये और 27 को रिहा हो गये।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मैं कहना चाहता हूं कि 17 तारीख को उनको जेल भेज दिया जाता है, 27 तारीख को रिहा हो जाता है, 29 तारीख को अस्पताल में दाखिल किया जाता है और 30 तारीख को उसकी मौत हो जाती है....

*श्री मौला प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, 30 अक्तूबर, 1988 को उसकी मौत होती है और 29 अक्तूबर, को उसे भर्ती कराया जाता है। उसकी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट क्या है?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्षता—

यह बता दिया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मरने का कारण क्या बताया है ?

श्री अध्यक्षता—

वे बता चुके हैं। प्लेन हैमरेज....

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

प्लेन हैमरेज तो मार से भी हो सकता है....

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, जो घटनाक्रम है और जो बयान माननीय मंत्री जी ने दिया है उससे साफ जाहिर है कि उस आदमी की मौत पुलिस के डंडे से हुई है लेकिन इस बात से मंत्रीवर हैं कि उसे पुलिस के डंडे से मारा गया। तो जब शासन ने इस मौत को स्वीकार कर लिया तो उन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अब तक कोई प्रभावी कदम न उठाने का क्या कारण है ?

श्री सईदुज्जमा—

इसमें तो अभी जांच प्रचलित है। जो साक्ष्य उपलब्ध होंगे उनके सम्बन्ध में कार्यवाही होगी और जो साक्ष्य आये हैं उन पर कार्यवाही हो चुकी है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जब यह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, हवालात में रखा जाता है और उसके ऊपर जो चोटें आयी हैं उनका इन्द्राज जी0 डी0 में रखा गया होगा। तो जब उन्हें जेल भेजा गया तो किस प्रकार की चोटें लिखी गई थीं ?

श्री सईदुज्जमा—

वो चोटें थीं, वह मैंने बता दीं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय अध्यक्षता महोदय, तीन-चार महीने के अन्दर तीन-तीन मौतें हुई हैं। इत्तफाक की बात है कि हम लोग सदन में बैठे हुये हैं और कोई कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। यह बड़े शर्म की बात है। शासन में और शासकीय विभागों में ऐसे लोग हैं जो निर्बल और गरीबों की हत्या करते हैं और सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है। 23 तारीख को जो मैंने यहीं पर कार्यस्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से प्रश्न उठाया था उसके बारे में मंत्री जी ने मुझसे कहा कि वे मेरे कक्ष में आयें। मैं 15 बार उनके कक्ष में गया लेकिन मंत्री जी मिले नहीं हैं और न ही वे इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रहे हैं। हम इस सदन के माध्यम से भी कोई

कार्यवाही नहीं करा पा रहे हैं तो इनके [×××] मंत्रियों से क्या आशा करूं। इसी के विरोध में मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री हरि शंकर तिवारी—

जैसा कि गृह मंत्री का वक्तव्य है। वह 17 तारीख को गिरफ्तार हुआ और जेल चला गया तो उस समय उसके शरीर में कौन-कौन सी चोटें थीं, जी0 डी0 में भी इसकी रिपोर्ट होगी ?

श्री सईदुज्जमा—

मैंने चोटों का अर्ज किया....

(व्यवधान)

जी0 डी0 में जो दर्ज थे वह मैंने बता दिया जैसा एक साथी कह कर चले गये...

(व्यवधान)

मैं पूरी यकीन से कहना चाहता हूं बड़ी तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। हमारे साथी ने कुछ कहा कि भ्रष्टाचार है इसमें यह बता दें हम बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एक भी मिसाल बता दें, साबित कर दें तो हम लोग इस्तीफा देकर चले जायेंगे। हम लोग बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मुझे अफसोस है जो ईमानदारी से काम करें उनकी भी अगुंली उठायें तो यह पूरे हाऊस के लिये शर्म की बात होगी।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर तिवारी—

जैसा माननीय मंत्री जी कह रहे हैं जी0 डी0 में चोटें हैं तो जब जेल में वह गया तो वहां भी उसकी जांच हुई होगी वहां मेडिकल में क्या रिपोर्ट आई है वह सदन के पटल पर उसे रखेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

सदन के पटल पर कैसे रखा जायेगा....

(व्यवधान)

सबसे पहले जब सवाल माननीय आजम खां साहब ने किया था कि कौन-कौन सी चोटें थी तो दो चोटें उन्होंने बताई जिसका विवरण उन्होंने दिया ?

श्री हरिशंकर तिवारी—

सदन के पटल पर रखें तो माननीय मंत्री जी कह रहें हैं कि जी0 डी0 में चोटों की इंट्री है। तो जब आदमी जेल में जाता है तो वहां भी शरीर के चोटों का जिक्र होता है वह क्या थी ?

---

नोट :—[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सईदुज्जमा—

जेल की इंक्वी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है लेकिन पोस्ट मोर्टम में जो बात आई है वह मैंने बता दी ।

(व्यवधान)

जेल की रिपोर्ट नहीं है उसमें भी वही चोटें होंगी ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी दोनों मंत्रियों के पास गये होंगे लेकिन वह नहीं मिले होंगे । वह उत्तेजित हो कर कुछ कह गये कि समझ नहीं है । तो मान्यवर, समझ तो जितनी होगी उतना ही काम करेगी, हम तो समझ दे नहीं सकते हैं । माननीय हरिशंकर तिवारी जी ने एक साफ आरोप लगाया कि पुलिस ने जी० डी० में इंट्री नहीं की होगी लेकिन जब आदमी जेल जाता है तो वहां उसका फिर से इक्जामिनेशन होता है उसका भी हुआ होगा क्योंकि अब भी कभी जेल गये होंगे हम भी जाते हैं राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लेने के कारण वहां मेडिकल इक्जामिनेशन होता है तो उन्होंने सही सवाल पूछा है तो इससे साफ हो जाता है कि कितने दत्तचित्त भाव से इन्क्वायरी की गयी है । आपने इसमें लिखा है कि सिपाही का ट्रान्सफर कर दिया तो उनके खिलाफ क्या कोई विभागीय कार्यवाही भी की गयी है या नहीं ?

*गृह मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)—

अभी माननीय सदस्य उत्तेजित होकर कुछ कह कर चले गये । मैं कहना चाहूंगी शायद वह हम लोगों से मिलने आये हम न मिले हों मुझे इसका खेद है मुझे ल नहीं । सदन समाप्त होने के बाद आज ही अब भी जिस समय वह मिलना चाहें सबसे पहले मैं उनसे मिलने का समय दूंगी ताकि उनकी बात सुन सकूं । माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहती हूं कि उन्होंने कहा कि कुछ लोग संरक्षण दे रहे हैं तो वह बतायें कि वह कौन है, कौन संरक्षण दे रहा है वह लिख कर दें तो उसकी जांच करायेंगे अगर जांच में कोई ऐसी बात होगी तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और अगर आरोप गलत पाये गये तो उसका उल्टा भी असर होगा उसके लिये भी वह तैयार रहें ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने सभी बात कही । जब कोई मुलजिम पकड़ा जाता है तो उसकी जी० डी० में इंट्री होती है चोटों का ब्योरा होता है कि क्या-क्या चोटें हैं और उसके पास क्या-क्या बरामद हुआ यहां तक कि एक पर्ची भी होती है तो उसका जिक्र होता है और उसके बाद जब जेल में जाता है तो वहां भी मुआयना होता है कि क्या-क्या चोटें हैं । जब मर जाता है तो पंचनामा में बाहरी चोटें होती हैं उनका जिक्र होता है । जहां तक मैं समझ पाया हूं माननीय मन्त्री जी केवल पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आधार पर इंट्री की बात कर रहे हैं केवल उन्हीं चोटों को वह बता रहे हैं । तो तीनों जगह इंट्री होती है उनकी सूचना उनके पास हो तो वह बता दें क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर वो ही चोटें हैं । तो जेल में, पंचनामे में और जी० डी० में जो चोटें हैं वह बता दें क्योंकि जेल में, जब आदमी भर्ती होता है तो वहां मुआयना (इन्स्पेक्ट) वह इसलिये कराते हैं कि पुलिस की क्या चोटें हैं अगर वह मर गया तो फिर उसके ऊपर बात आती है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्षता—

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने बात कही कि जी० डी० में जो रिपोर्ट है उसके अलावा जेल में भी इंट्री होगी उसकी रिपोर्ट जेल विभाग के पास होगी। आपने बताया कि जी० डी० में क्या-क्या है ? जेल विभाग की रिपोर्ट से बात मालूम हो जायेगी ?

श्री तहसुज्जमा—

मान्यवर, मेरी सूचना के आधार पर दो चोटें उनको आयी हैं जो लोअर पार्ट आफ दि राइट लैग है। दोनों चोटें दाहिने पैर पर हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्षता—

आप लोग शान्त रहें। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मन्त्री जी पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। जी० डी० में क्या है उसको बतायें ?

(उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, जी० डी० में क्या है ? क्या चोटें उन्हें आयी हैं ? पोस्ट मार्टम में क्या चोटें आयी हैं ? श्री अनुग्रह नारायण सिंह ब्राड आउट कर गये हैं। दो मार्च को मेवाराम कांस्टेबिल ने जो तहरीरी बयान दिया था वह क्या है ? वह बयान अनुग्रह नारायण जी ने मन्त्री जी को दिया था उसे पढ़कर सुना दें ?

(व्यवधान)

श्री तहसुज्जमा—(व्यवधान). विसरा के वास्ते लिया गया था पोस्ट मार्टम जो पूछा है वह जी० डी० का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्षता—

आप लोग शांत रहें। आप लोग बैठ जायें। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि 2 मार्च का सिपाही को आपको क्या कोई बयान लिखा हुआ मिला है ? यदि मिला है तो उसे बता दें ? वह किस तरह का बयान है उसे बता दें ?

*श्री इन्द्रजीत कुशवाहा—

मान्यवर, एक्ट कर दूं . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री [illegible]—

क्या गृह मन्त्री जी ने लिखकर [illegible] दिया है कि [illegible] उत्तर देंगे ? वह कैसे इसका उत्तर दे रहे हैं, यह गलत है ।

श्री अध्यक्षः—

वह तो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है सामूहिक उत्तरदायित्व है ।

श्री प्रमोद कुमार—

अवश्य वह देंगे, लेकिन कोई भी मन्त्री दे सकता है ।

श्री [illegible]—

जी० डी० में हिन्दी सरल लिखी थी, इसलिए जी० डी० की रिपोर्ट उनसे पढ़वाना चाहा था । यह जो जी० डी० में है बायें पैर में चोट आलूदा है, यह इसमें लिखा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः—

मन्त्री जी ने कहा है कि यदि कोई कमी रह गई है, तो आप उससे जानकारी लेना चाहें, तो वे [illegible] हैं, वहां से ले । [illegible] 12 ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आप इस विषय के महत्व को देखते हुए इसको स्थगित कर दें ।

श्री [illegible]—

श्री [illegible], सिपाही के पत्र से सम्बन्धित सूचना नहीं आई, उसकी [illegible] करा दें ।

श्री अध्यक्षः—

[illegible] 3 मार्च के पत्र का हवाला दिया है, वह मिला है या नहीं ?

श्री [illegible]—

उसकी कोई सूचना मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री [illegible]—

यह तो गम्भीर बात है । [illegible] नारायण सिंह जी ने स्वयं इस [illegible] के [illegible] 3 मार्च को जाकर मन्त्री जी को दिया है और वह कह रहे हैं कि नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्षः—

अब संख्या 1-2 महत्व महत्व है, वह स्थगित हो जायेगा, उसे देखें ।

श्री [illegible]—

तो इसका मतलब यही यह हुआ कि जो प्रश्न उठाया गया था मन्त्री जी ने [illegible] कर दिया और मन्त्री जी की साठ-गांठ से यह सारा [illegible] हुआ है ।

श्री राजेन्द्र [illegible] गुप्त—

मैं बड़ी नम्रता से आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं । [illegible] से [illegible] [illegible] जब से [illegible] हुए, [illegible] किसी प्रकार का [illegible] ने मानव का पुनर्वासन नहीं किया ।

सम्बोधन करके उत्तर तो यहां मिला नहीं । अतः इसको स्थगित कर दीजिए और जिनको जवाब नहीं मिला है उनको जोड़कर फिर से वक्तव्य दिला दें ।

श्री अध्यक्षता--

इतनी देर तो किसी में सवाल-जवाब नहीं होते, यह तो चर्चा से भी ज्यादा हो गया है । मैं आपका सहयोग चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप चाहते हैं तो हम वाक आउट करके चल जायें 12 में भी क्या होगा ?

श्री अध्यक्षता--

यह प्रकरण समाप्त हुआ ।

## दिनांक 16 फरवरी, 1989 को गोरखपुर जिले में अधिवक्ताओं के मौन जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के फलस्वरूप वकीलों द्वारा अदालतों का बहिष्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा

श्री सूर्य प्रताप शाही--

कभी इलाहाबाद के बड़ी प्रसाद के हादसे का प्रसंग सुना, कितनी हृदयहीनता से सरकार यह जवाब दे रही है और तीन-तीन लोग मारे जा रहे हैं और बेरहमी से मारे जा रहे हैं और सरकार भी निर्दयतापूर्वक जवाब दे रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है । ऐसे ही गोरखपुर में भी हुआ । गोरखपुर जनपद का बिक्रीकर विभाग भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबा हुआ है । गत वर्ष होली के दिन मेरे क्षेत्र के कसिया शहर के भीतर होली का त्योहार मनाते हुए बिक्रीकर अधिकारी कुसुमाकर त्रिपाठी गए और व्यापारियों से जबरदस्ती वसूली का कार्य प्रारम्भ किया और मन्त्री जी ने इस पर मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि इसमें व्यापारियों का दोष था ऐसी ही घटना 30 जनवरी को गोरखपुर में बिक्रीकर उपायुक्त के कार्यालय में घटी । 11 बजे दिन का समय था, जिस समय प्रदेश ही नहीं पूरा देश शहीद दिवस के अवसर पर मौन रहता है, उस वक्त बिक्रीकर विभाग के उपायुक्त ने शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए मौन न रहकर जिरीकाम करने निकल गये और कर्मचारियों को साथ लेकर वकीलों से मार-पीट की एक तो माननीय शासनादेश की अवहेलना की मौन रहना था वह नहीं रहे । इसी तरह माननीय कानून को हाथ में लेकर पारस निवाद में फल के जूस की दुकान लगाई थी । बिक्रीकर विभाग के अधिकारी उसको उजाड़ने का काम कर रहे थे, एक आर0 के0 त्रिपाठी महोदय गये और उन्होंने दुकान को उजाड़ना शुरू कर दिया, तो सबने आपत्ति की कि आप कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं इससे उत्तेजित होकर महेन्द्र कुमार यादव नाम के वकील को इतनी मार लगाई कि वह आज तक कानपुर के अस्पताल में दाखिल हैं पहले गोरखपुर के अस्पताल में थे लेकिन जब हालत ज्यादा चिन्ताजनक हो गई तो कानपुर पहुंचा दिया गया, जब गोरखपुर के वकीलों को इसकी जानकारी मिली तो इस शर्मनाक घटना के विरोध में जुलूस निकाला ।

माननीय, वकीलों ने जब रपट लिखाई तो उनकी रपट नहीं लिखी गई जब रपट लिखे जाने हेतु प्रदर्शन किया तो रपट लिखी गई, वकीलों ने इस शर्मनाक घटना के

विरोध में एक शान्तिपूर्ण जुलूस 16 फरवरी को निकाला वकीलों का, जुलूस दीवानी कचहरी से प्रारम्भ होकर कमिश्नरी, कलक्ट्री होते हुए जिलाधिकारी बंगले से होकर बिक्रीकर कार्यालय गया, उपायुक्त प्रशासन हरिवान शंकर ने भ्रामक सूचना देकर पुलिस को बुला लिया और एस0 पी0 सिटी, सी0 ओ0 कैन्ट की मौजूदगी में शान्तिपूर्ण ढंग से जो वकील जुलूस निकाल रहे थे उन निहत्थे वकीलों पर बिना किसी चेतावनी के बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया, जिससे वकीलों को गम्भीर चोटें आई हैं पांच हजार वकील महीनों से हड़ताल पर हैं लाखों रुपये राजस्व की क्षति हो रही है। एक दर्जन वकीलों के गम्भीर चोटें आई हैं उनमें श्री गुरनामल हिरवानी, मु0 युनूस, विष्णु पति पाण्डेय, नरेन्द्र कुमार सिंह आदि हैं। जिन वकीलों को गिरफ्तार किया गया उन वकीलों के नाम इस प्रकार हैं श्री वीरेन्द्र बहादुर खरे, राम प्रकाश वर्मा, राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, शरतेन्द्र त्रिपाठी, मो0 युनूस हिरवानी, विष्णुपति पाण्डेय आदि। इन वकीलों को गिरफ्तार करके 24 घंटे से ज्यादा थाने में रखा गया। जब इन वकीलों को जमानत देने के लिए रमेन्द्र सिंह, सुरेश पाल, हेमन्त कुमार गए तो उनको भी मारा-पीटा गया और थाने में बन्द कर दिया गया और दूसरे दिन छोड़ा गया और कहा गया कि आपकी कोई आवश्यकता नहीं है तो मान्यवर, इस तरह से प्रदेश के बुद्धिजीवी लोगों के ऊपर बर्बरता से लाठी-चार्ज किया गया है यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कार्यपालक मजिस्ट्रेट वहां नहीं थे, फिर भी लाठी-चार्ज के आदेश दिए गए। सरकार लाठी-चार्ज बराबर जबरदस्ती कर हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर पूरे प्रदेश में चोट कर रही है। यदि इस तरीके का विवाद था तो किसी भी बिक्रीकर आयुक्त को यह अधिकार नहीं है कि जबरदस्ती उस कैम्पस में चलने वाली दुकान को उजाड़े। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर कितनी दुकानें चलती हैं क्या उन सब को लाइसेन्स दिया गया था उनके लिए माहवार रकम बांधी गयी है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बिक्रीकर विभाग के अधिकारी उन दुकानों का नाजायज फायदा उठाते हैं और जो उनको फायदा नहीं पहुंचाता है उनके साथ मार करते हैं। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं ने बार काउन्सिल के आह्वान पर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। गोरखपुर मंडल में कई दिन हड़ताल रही है। मैं समझता हूं कि सिंचाई मंत्री जी को इस घटना की जानकारी है वह भी नहीं चाहते हैं कि पुलिस पढ़े-लिखे लोगों, अधिवक्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार करे। जिला प्रशासन मजबूर कर रहा है, एक महीने से ज्यादा हो गया है अधिवक्ता अदालतों में नहीं जा रहे हैं जिससे वादकारियों को बड़ी परेशानी हो रही है और लाखों रुपयों की राजस्व की क्षति सरकार को हो रही है और सरकार इससे बेखबर कान में तेल डाले बैठी है जैसे की इलाहाबाद की घटना पर बैठी रही है। मैं चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच करवायी जाय और दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाय। वकीलों की तरफ से मुकदमें किये गये हैं लेकिन वकीलों को गिरफ्तार किया गया है किन्तु एक भी बिक्रीकर विभाग के अधिकारी या उपायुक्त को गिरफ्तार नहीं किया उनके खिलाफ 395 के मुकदमें कायम किये गये लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुयी है जो शर्मनाक बात है बाराबंकी में अभी एक घटना घटी वहां पर बिक्रीकर विभाग के अधिकारी को घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, सरकार की तरफ से उनको प्रोत्साहित किया जाता है, वह रास्ता जाम करते हैं, आंदोलन करते हैं तो ऐसी कुरीतियों को बंद होना चाहिये। इस पर चर्चा करायें।

श्री अविष्ठाता—

चर्चा तो हो ही रही है।

*श्री क0 जी0 कमीरुद्दीन—

मान्यवर, आपने मुझे जो इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री [illegible]—

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि परम्परा यह रही है कि माननीय सदस्य अपना वक्तव्य रख देते हैं और उसके बाद माननीय मंत्री जी संक्षेप में व्यवस्था रख देते हैं। तो अगर माननीय मंत्री जी संक्षेप में अपनी बात रख देते और तथ्यों की जानकारी हो जाती तो चर्चा में हमें अपनी बात रखने में सुविधा होती। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी से संक्षेप में बयान दिलवा दें ताकि तथ्य सामने आ जायें।

*गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)—

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्यों से कहना चाहती हूं कि इस पूरी घटना के ऊपर एक न्यायिक जांच करने की घोषणा कर दी गई है। इसके आदेश हो चुके हैं। मेरा निवेदन है कि इसके बाद शायद चर्चा का औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मेरा ख्याल है कि अगर न्यायिक जांच के आदेश हो गये हैं तो चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि न्यायिक जांच के आदेश हो गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि न्यायिक जांच कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट के तहत हुयी है या किसी और राजाज्ञा के तहत हुयी है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

मैंने यह घोषणा की है कि न्यायिक जांच होगी। जज के माध्यम से इन्क्वायरी होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, पूरी बात बतायें। टर्म्स आफ रिफरेंस क्या हैं? जो राजाज्ञा है उसको पढ़ दें स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। वरना मंत्री जी बड़े भोले तरीके से सदन को गुमराह कर रही हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

मान्यवर, इसमें कोई भी गुमराह करने का न प्रयास है और न मंशा है। मान्यवर, टर्म्स आफ रिफरेंस और कौन-कौन इसका जज होगा, यह सारा कार्य चालू हो गया है, इसमें थोड़ा समय लगेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अगर टर्म्स आफ रिफरेंस बन गया है, तो उसे बता दें और राजाज्ञा कब जारी हुआ है, वह भी बता दें। माननीय सभापति जी आप बैठे हुए हैं, आप कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

न्यायिक जांच का आदेश जो हुआ है, वह दूसरे सदन में जब इस पर चर्चा थी तो उसमें न्यायिक जांच की घोषणा की गयी थी।

( व्यवधान )

---

*[illegible] के भाषण का [illegible] नहीं किया।

श्री [illegible] कुमार गुप्ता—

माननीय तिवारी जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे प्रश्न का आप सही उत्तर दिलवा दीजिए ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

मान्यवर, माननीय सदस्य [illegible] जिला [illegible] हैं, हमारी [illegible] उससे कम नहीं हैं । जहां तक जांच का प्रश्न है, वह जुडिशियल इन्क्वायरी का आदेश कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के अन्तर्गत हुआ है ।

श्री अविनाश—

वह सदन में बोलना है कि कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के अन्तर्गत जुडिशियल इन्क्वारी का आदेश पारित हो गया है ।

श्री [illegible] प्रसाद [illegible]—

मान्यवर, आज भी मेरी जानकारी में वकीलों का अदालतों का बहिष्कार चल रहा है । मेरी निश्चित जानकारी है कि बार एसोसियेशन ने अदालतों के बहिष्कार का निर्णय लिया है । जिला प्रशासन के रहते, वहां का जो मजिस्ट्रेसी है, उसके रहते, किसी सच्चाई इन्क्वायरी की बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उनका [illegible] के [illegible] अधिकार है । क्या जिला प्रशासन के उच्च आसन पर बैठे लोग, जिन्होंने यह कुकर्म करवाया है, उनके रहते हुए सही जांच हो सकेगी ? इसकी गम्भीरता को देखते हुए, जिला प्रशासन जो इसके लिए जिम्मेदार है, क्या उसको तत्काल हटाकर जांच करायें और वकीलों के विरुद्ध जो मुकदमें हैं, उसे वापस लें, ताकि ठीक प्रकार से काम चल सकेगा ?

( व्यवधान )

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

मान्यवर, जब जुडिशियल इन्क्वायरी का आर्डर कर दिया गया है, तो इसका सवाल ही कहां उठता है ।

( व्यवधान )

श्री [illegible] सिंह बरार—

मान्यवर, जुडिशियल इन्क्वायरी में क्या-क्या टर्म्स आफ रिफरेंस हैं, किन-किन बिन्दुओं पर जुडिशियल इन्क्वायरी होगी तो जहां तक चर्चा की बात है, चर्चा के बाद कहते हैं कि जुडिशियल इन्क्वायरी प्रस्तावित हो जायेगी । दूसरी बात माननीय [illegible] ने उठाई । मान्यवर, मुझे यह समझ में नहीं आता है कि पहली [illegible] कमीशन आफ इन्क्वायरी की जो नोटिस हुई है, उसका टर्म्स आफ रिफरेंस जो है, उसको सदन के पटल पर रखना चाहिए और जो बिन्दु छूट गये हैं, उस पर सदन को चर्चा करने का पूरा अधिकार है । इसके बावजूद मैं एक ही [illegible] करूंगा कि चर्चा के बाद यह जुडिशियल इन्क्वायरी पर कोई निर्णीत प्रस्ताव [illegible] हो, तो उस पर भी चर्चा हो सकती है ।

---

[illegible] नहीं किया है ।

इनसे टर्म्स आफ रिफरेंस मांग लें, नोटिफिकेशन पटल पर रखवा लें और जिन बिन्दुओं पर रिफरेंस नहीं हैं उन बिन्दुओं पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्षता—

इस समय जो बात सामने आई है जो माननीय गृहमंत्री जी ने बताया कि न्यायिक जांच कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट के अन्तर्गत जैसा माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने सवाल किया था उसके अन्तर्गत कह दिया कि कर दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह तो आपने कहा, मंत्री जी ने नहीं कहा।

श्री अध्यक्षता—

जवाब इसी परिप्रेक्ष्य में दिया है। आपके सवाल पर यह जवाब उन्होंने दिया है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह जांच उसको हटाने से, लाठीचार्ज या पूरे मामले से सम्बन्धित है या लाठीचार्ज के सम्बन्ध में है, अधिकारियों के भ्रष्टाचार से भी सम्बन्धित है या यह पूरे मामले सम्बन्धित नहीं है, दूसरी जुडीशियल इन्क्वायरी में जो फैक्ट हैं

(व्यवधान)

इसलिए फैक्ट के ऊपर चर्चा जुडीशियल इन्क्वायरी के आर्डर होने के बाद भी की जा सकती है।

श्री अध्यक्षता—

कृपया शान्ति बनायें। चर्चा के नियमों में तो यह अवश्य दिया हुआ है

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, पहले पता तो चले कि किन-किन मामलों की इन्क्वायरी हो रही है हम चर्चा में तो यह बात कह सकते हैं कि वहां की जो इन्क्वायरी है उसको प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनको हटाने की मांग कर सकते हैं, हमको पता तो चले कि टर्म्स आफ रिफरेंस क्या है ?

श्री काजी अब्दुर्रहमान—

मान्यवर, एक बहुत ही गम्भीर मामला है हमारे सामने और आपके सिर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर है 30 जनवरी को शहीद दिवस था और 30 जनवरी को 11 बजे सहायक आयुक्त आते हैं और अपने कार्यालय से और कुछ दूरी पर जाकर अपने कर्मचारियों को लेकर वहां पर बलवा करते हैं, उस डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ, सहायक आयुक्त के खिलाफ ट्रान्सफर की कार्यवाही करने की मांग होती है, यह

मान्यवर, बुलियादी जड़ है मान्यवर, भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि 11 बजे अपने-अपने कार्यालय में एक मिनट मौन रहेंगे और उसके बाद काम करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्षता—

यह चर्चा का विषय नहीं है । शाही जी ने अपने भाषण में बताया उसके बाद माननीय मंत्री जी ने राजेन्द्र गुप्ता जी के स्पष्टीकरण पर बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा कि पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होगी । अब हमारा ख्याल यह है कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

यह आप क्या कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्षता—

एक-एक माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात कहें ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं जानना चाह रहा था कि अभी तक शासन ने यह नहीं बताया कि किस तारीख को न्यायिक जांच का आर्डर किया है, टर्म्स आफ रिफरेंस क्या हैं ? जब तक शासन से सारी बातें नहीं कहलायेंगे तब तक आप कैसे निर्णय लेंगे आप नियमों के अनुसार व्यवस्था दे रहे हैं । यह शासन से आप पूंछ लीजिए उसके बाद माननीय सदस्यों की जिज्ञासा रहे तो सुन लीजिए ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य एक से एक बड़े अधिवक्ता और वकील हैं उनके सामने मैं क्या कहूं मैं इतना अवश्य कहना चाहती हूं कि ऐक्ट के अन्तर्गत निर्णय लिया जा चुका है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं बड़ी शान्ति से सुनती हूं और बड़ी शान्ति से बोलती हूं कृपया 2 मिनट सुन लें । अधिसूचना जारी नहीं हुई है, टर्म्स आफ रिफरेंस तय नहीं हुए हैं । मैं कहना चाहती हूं कि जज को एप्वाइन्ट करने के लिए हाईकोर्ट को कंसल्ट करना होगा । हमारा निर्णय हो चुका है इस पर जुडीशियल इन्क्वायरी हो बाद में मैं टर्म्स आफ कंडीशन आता है तो इसमें समय लगता है आप लोग जो सुझाव देंगे उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

[समय सायं 7.00 बजे]

मान्यवर, मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं कि अभी भी माननीय मंत्री जी के तीन बार बोलने में 3 बयान आए । मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं कि क्या शासन के द्वारा जुडीशियल इन्क्वायरी कराने का निर्णय मात्र कर लेने

के बाद यह मामला सब जूडिस हो गया। अभी आर्डर नहीं हुआ है। अभी तो [illegible] के मन बनाया है। मंत्रीजी ने कहा कि हाईकोर्ट की जज के लिये लिखा जायगा। जब आफ रिफरेंस तय नहीं है। केवल शासन ने सिद्धांततः आश्वासित किया है कि जुडीशियल इन्क्वायरी करायेंगे तो क्या मन बना लेने मात्र से यह मामला सब जूडिस हो जाता है ?

श्री लखधीर सिंह बरार—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के बयान से स्पष्ट हो गया कि सरकार ने अभी तक जुडीशियल इन्क्वायरी कराने का निर्णय लिया है। मैं मंत्री जी की बात की बल देना चाहूंगा कि अभी हाईकोर्ट से जज मिला है तो अब तक कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट का कोड बना ही नहीं है, अभी तक मेला ही नहीं है तो कहां न्यायिक जांच की रही है। नियमावली देख लें। जांच किसी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक चल रही हो, तभी चर्चा प्रतिबंधित होती है, उस हद तक जिस तक कि जांच प्रभावित होती है। तो जब तक किसी न्यायालय के अन्तर्गत मामला विचाराधीन है। नहीं है कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत तो यह सरासर नियमों के विपरीत है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर चर्चा होगी तो सरकार को जो टर्मस आफ रिफरेंस रखने हैं, उसमें सरकार को सहायता मिलेगी कि कौन सी चीज रखेंगे ? माननीय सदस्यों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होगी तो उससे टर्मस आफ रिफरेंस फ्रेम करने में सहायता मिलेगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, शासन ने जुडीशियल इन्क्वायरी कराने का निर्णय लिया है और जुडीशियल इन्क्वायरी शुरू नहीं की गयी है, यह सत्य है। टर्म आफ रिफरेंस बनाये नहीं गये, यह सत्य है। कौन जज होंगे, कौन इन्क्वायरी करेगा यह तय नहीं किया गया है, यह सत्य है। इन सभी चीजों को देखते हुए यहां पर चर्चा हो सकती है। इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी की सहायता के लिये 3-4 बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा। पहला यह अधिवक्तागण, प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब कि इतने दिनों से पूरे अधिवक्ता अदालतों का बहिष्कार कर रहे हैं। आप कल्पना कर लीजिये कि पुलिस की कौन अपनी मांगें हैं। शरीफ, हरीफ सबकी जेल में बंद किया जा रहा है। आपकी सोचना के बावजूद वकील काम पर नहीं आये। बार एसोसियेशन ने तय कर लिया कि एक दिन अदालतों का बहिष्कार करेंगे। मेरा कहना है कि वे लोग जिनके हाथों में लाठियां अधिवक्ताओं के सिर पर पड़ी हैं, अब तक वे लोग गोरखपुर में रहेंगे और वकीलों के सामने रहेंगे, वकीलों के मन में आक्रोश और डर की बात रहेगी। मजिस्ट्रेट के सामने बेहिचकी से और अवलंबी से जिला प्रशासन ने काम किया होता जिला मजिस्ट्रेट की नालायकी के कारण पूरे गोरखपुर में यह वातावरण बन गया है। कोई भी काम नहीं हो रहा है। शरीफ लोग जेलों में सड़ रहे हैं। कोई आरोप नहीं है लेकिन पुलिस ने बंद कर दिया है उनकी जमानत नहीं हो रही है। लोग जेलों में सड़ रहे हैं। जिला प्रशासन के नालायकी के कारण यह हो रहा है। शासन के सामने यह स्थिति है कि पूरा जिला प्रशासन नकारा हो गया है। पिछले चुनावों में जिन पुलिस के लोगों ने शासन की मदद की है, वह समझते हैं कि मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जिनके हाथों से वकीलों के सिर पर लाठी पड़ी है, उनके चेहरे गोरखपुर की सरजमीं से नहीं हटाए जाते तो कोई भी जुडीशियल इन्क्वायरी से अपेक्षित परिणाम निकलने वाला नहीं है। इसीलिये आपके आश्वासन के बावजूद अधिवक्तागण बहिष्कार कर रहे हैं।

तो आखिर उनके दिल को जीतने के लिये अदालत में काम शुरू कर देंगे इसके लिये आपको कुछ करना होगा। उनकी जो शिकायतें हैं वे जायज हैं जो वह बहुसंख्यक कर

रहे हैं कि अन्याय हुआ है, उस पर ध्यान देंगे। जो दोषी लोग हैं उनको वहां से हटा दीजिये। अगर उनको वहां से नहीं हटाते हैं तो अधिवक्ता लोग काम पर नहीं जायेंगे।

गोरखपुर में ही नहीं देवरिया पडरौना में भी इसी तरह का बहिष्कार हुआ है बस्ती में भी हुआ, पूर्वांचल पूरी तरह से प्रभावित है पूरे प्रदेश में यह मामला फैलने वाला है। प्रशासन के हित में, आपके हित में होगा कि उन्हें हटाइये सरकार अपनी जिन्दगी के अंतिम दौर में है आने वाले दिनों में सरकार पर लोग [x] नहीं इसलिये इस पर तत्काल कार्यवाही करें। मरते समय आदमी जुडिशियल हुआ करता है उदार हुआ करता है। मुझे आशा है कि सरकार जुडिशियल होगी उदार बनेगी, उन लोगों को वहां से हटायेगी। जो दोषी लोग हैं वह फाइलों में हैं। यह वकील लोग ऐसे हैं व्यवधानकर्ता जिन्होंने आपके लिये वोट मांगा है, विपक्ष के कम लोग हैं सत्ता पक्ष के ज्यादा लोग हैं। सत्ता पक्ष का आदमवार वहां पर बैठा हुआ है, व्यवधानकर्ता लोग खरीदे हुए हैं। आपके इन मंत्रियों ने लाखों लोगों को मुकदमेबाज बनी रही। मैं कहना चाहूंगा कि जुडिशियल इन्क्वायरी के पहले जितने दोषी पुलिस कर्मी हैं और खासकर सिटिंग मजिस्ट्रेट, गोरखपुर को आप वहां हटा देते हैं तो जांच का अपेक्षित परिणाम नहीं होगा। अधिवक्ताओं का अदालतों का बहिष्कार बन्द नहीं होगा। अगर आप सही मायने में चाहती हैं कि अदालतों में काम शुरू हो तब जो दोषी लोग हैं उनको हटा दें फिर इस जुडिशियल इन्क्वायरी का कोई मतलब होगा।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, अभी एक गोरखपुर का प्रकरण हमारे सामने आया मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम सब लोग इस बात का विश्वास करते हैं हम सब चाहते हैं और चाहना चाहिये रूल आफ ला अपहोल्ड, चाहे किसी में खड़ा हो 2 व्यक्तियों में हो दो वर्ग में हो न्याय की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिये कि क्या उचित है क्या न्यायसंगत है यह होना चाहिये। इसके बयान में जाते हैं तो जो सिस्टम बना हुआ है उस पर आक्षेप करते हैं। कहा गया कि जुडिशियल इन्क्वायरी के सेट अप होने के आदेश दिये गये हैं, यह बात मान ली गयी है। तो फालो अप ऐक्शन होगा टर्म आफ रेफरेंस भी होंगे इन्क्वायरी भी होंगे। भविष्य में यह बात स्वीकार कर लें कि जुडिशियल इन्क्वायरी होगी, तब ही दिनों में इसका कार्य शुरू हो जायेगा यदि भविष्य में कोई जुडिशियल इन्क्वायरी होने की बात है। वह भी इस बात की चर्चा वहां होगी, वह भविष्य में होने वाली जुडीशियल इन्क्वायरी को प्रभावित करेगी, इसलिये इस समय चर्चा का कोई आधार नहीं बनता। मान्यवर, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब जुडीशियल इन्क्वायरी सेटअप हो जाती है, तो वह पूरे प्रोसीजर का मालिक होता है, टर्म आफ रिफरेन्स भी उसमें आयेगा, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई बहस की बात नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, थोड़ी देर के लिये मैं विषयान्तर हो रहा हूं। मान लीजिये, जैसे हम वकील हैं और किसी वकील से किसी दूसरे वकील का झगड़ा हो जाय, यह मैं एक काल्पनिक बात कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मेरा ख्याल है कि जो आरगूमेंट आपने देना चाहा था, वह दलील आपने दे दी, अब समाप्त करें।

---

नोट :—[XX] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त कर ही रहा हूं, मान लीजिये एक विधायक का दूसरे विधायक से झगड़ा हो जाय तो मैं इसलिये किसी विधायक की मदद करूं कि मैं भी विधायक हूं, तो यह न्यायसंगत नहीं है। मान्यवर, अब इसमें इन्क्वायरी तो सेटअप हो गयी, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम सब लोग लायर्स से यह अपील करेंगे कि वह अपना काम शुरू करें और ड्यूटी को रिज्यूम करें। मान्यवर, आखिरी बात मैं एक वकील की हैसियत से माननीय गुप्ता जी से कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मेरा कहना आपसे यह है कि जो व्यवस्था का सवाल उठाया गया है, उसके सम्बन्ध में सदन में यह बात आ गयी कि इन्क्वायरी होगी। अब यह बात अलग है कि जांच का रिफरेंस क्या होगा, कौन जज होगा, जांच क्या होगी, यह सब बात तो हो सकती है। लेकिन अब फेक्ट पर जनरल बात नहीं हो सकती।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, सारी दुनिया में गुप्ता जी अगर कोई मिसाल दे दें कि वकीलों का तबका अदालत का बहिष्कार करता है, चाहे अमेरिका हो, या और कोई जगह हो।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

वह अपनी बात कह चुके, उनकी बात से आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिये। आपने अपनी बात कह ही ली है।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, आज केवल प्रदेश में ही नहीं, देश के पैमाने पर कहीं न कहीं वकील वर्सेस पुलिस, पुलिस वर्सेस राज्य कर्मचारी आदि विवाद उत्पन्न होता रहता है, और इसके चलते स्थिति गम्भीर हो जाती है। मान्यवर, इससे न्यायालय प्रभावित होता है गांव का आदमी न्याय की प्रक्रिया में उलझ जाता है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि शासन को इस विषय को गम्भीरता से लेना चाहिये और मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आखिर यह रोज-रोज होता क्यों है, इस पर भी सरकार को देखना चाहिये कि ऐसी परिस्थिति ही न बने। मान्यवर, लड़ाई होती है गोरखपुर में, लेकिन हंटवा चकबन्दी के वकील भी जो हैं, वह भी 3-3 दिन की हड़ताल कर देते हैं, शासन को इस चीज को गम्भीरता से लेना चाहिये। मेरा वकील समुदाय से निवेदन है कि जिस दिन वह हड़ताल पर जाये, उस दिन उनको मेहनताना नहीं लेना चाहिये और प्रिजाइडिंग आफीसर को हड़ताल पर जाने की नोटिस जिस दिन प्राप्त हो, उसके लिये शासन को निर्देश देना चाहिये कि वह पहले ही तारीख लगा दें जिससे गरीब आदमी को परेशान न होना पड़े।

श्री हरि शंकर तिवारी—

मान्यवर, विधायक को संरक्षण नहीं देना चाहिये। मान्यवर, इस समय गलत काम को विधायक संरक्षण नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप संरक्षण दे रहे हैं। मान्यवर, गोरखपुर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(इस समय श्री नरसिंह 15 मिनट तक की उपस्थिति सेवाधीन हुए।)

में भी लाठी चार्ज हुआ, उससे यह मसला के जनविरोधी रुख साफ पर है, लेकिन [illegible] कि इसके पीछे एक बड़ा षड्यन्त्र है। जिस दिन शहर में [illegible] था, उस दिन मंत्रिमण्डल वहां के जिलाधिकारी को कुछ आदेश देना चाहते थे, लेकिन वह देना नहीं चाहते थे। जब मंत्रिमण्डल ने उन्हें प्रेस दिया तो वह इससे नाराज हो गये और उन्हें यह बात मुनासिब न लगी। इस पर अधिवक्ताओं ने एक केन्द्रीय मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे जिलाधिकारी और नाराज हो गये और उन्हीं के निर्देश पर मजिस्ट्रेटों पर लाठीचार्ज हुआ। जिलाधिकारी का स्थानान्तरण किया जाय। जिन-जिन बिन्दुओं पर जांच चल रही है या चलेगा, उसे माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री उपाध्यक्ष—

वकीलों पर लाठी चार्ज हुआ है, इसकी जांच होनी होगी।

श्री हर्ष वर्धन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि न्यायिक जांच होगी। इसमें एक रेफरेन्स क्या होगा, इसे नहीं बताया। आपने कहा कि लाठी चार्ज हुआ है, इसी पर जांच होगी। 30 जनवरी को सेल्स टैक्स कार्यालय में एक उपायुक्त जो घूंस लेता था, जब उस दुकानदार ने घूंस देने से मना कर दिया तो उसके दुकान को हटाने लगे, परन्तु उसके खिलाफ कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। महेन्द्र यादव, एडवोकेट को पीटा गया। गोरखपुर के सारे वकील हड़ताल पर चले गये। 13 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कान में जूं रेंगी, तब उन्होंने कहा कि मजिस्टेरियल जांच होगी। 16 तारीख को अधिवक्ता लोग मौन जलूस निकाल रहे थे, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। वहां का जो जिलाधिकारी है, उसे राजनैतिक संरक्षण मिला हुआ है। उसने ही ऐसी परिस्थितियां पैदा कराई हैं। गोरखपुर में कानून का राज्य नहीं है बल्कि जंगल का राज्य है। यही नहीं मान्यवर, लल्लू सिंह हत्या काण्ड हुआ था। सी0 बी0 आई0 इन्क्वायरी के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई है। गोरखपुर थाना कैन्ट में उसी आदमी को इन्सपेक्टर बनाकर तैनात किया गया है उसको हटाया नहीं गया है। मैं चाहूंगा कि सारे अधिकारियों को वहां से हटाया जाय और 30 तारीख से 16 तारीख तक जो-जो घटनायें हुई हैं, उन सारे बिन्दुओं पर न्यायिक जांच कराई जाय।

श्री काजी कलीमुर्रहमान—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि न्यायिक जांच होगी। आजमगढ़ में इसी प्रकार वकीलों पर अत्याचार हुआ था और न्यायिक जांच हुई थी, किन्तु आज तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला। गोरखपुर के वकीलों की मांग है कि जिम्मेदार अधिकारियों का ट्रान्सफर होना चाहिए। यदि समय रहते हुए इस पर कार्यवाही की गई होती तो यह घटना नहीं होती। वकीलों के हड़ताल पर चले जाने से गोरखपुर मण्डल व आजमगढ़ में जनता को परेशानी हो गई है। इसलिए इसका हल निकलना चाहिए। अधिकारियों का वहां से स्थानान्तरण कर इस पूरे प्रकरण पर ज्युडिशियल जांच होनी चाहिए।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

मान्यवर, कहा गया कि वह सरकार हृदयहीन है, भ्रष्ट है और मरणासन्न है। माननीय सदस्यों ने जो जीवनदान देने का प्रयास किया है, उसके लिए मैं उनकी आभारी हूं।

इतना अवश्य कहूंगी कि वह कितना भी प्रयास कर लें मौत नजदीक नहीं है। यह भी नहीं कहूंगी कि किसी की मौत नजदीक हो। अभी हमारी यही पार्टी 21वीं सदी में श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में प्रदेश की और देश को प्रगति के शिखर पर पहुंचायेगी। आज जो गांधी जी की तस्वीर की दुहाई दी जा रही है, गांधी जी का नाम लिया जा रही है, अवश्य लिया जाना चाहिये, लेकिन जो लोग अदालत के दरवाजे पर सर पटक-पटक कर चले आते हैं, जो आते हैं जाते हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके सर पर छत नहीं है, क्या उनके बारे में नहीं सोचना है? क्या इसका दूसरा पहलू बिल्कुल नहीं देखना है? क्या केवल अधिवक्ता ही हमारे सम्मानित नागरिक हैं दूसरे नहीं? मैं उनको सम्मानित मानती हूं लेकिन हमें दूसरी ओर भी देखना है।' जब जुडिशियल इन्क्वायरी हो रही है तो अधिवक्ता बहिष्कार को समाप्त करें, यही मेरी अपील है।

(श्री चेतराम तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब संध्या 13 और 14 स्थगित की जाती है।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 23 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ।
मार्च, 1989

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

दिनांक 30-6-88 तक संसद सदस्यों को उनके क्षेत्र में दौरा करने के लिये उपलब्ध करायी गयी मोटरी जिप्सी जीप के यात्रा का विवरण :

| क्रमांक | माननीय संसद सदस्य का नाम | दौरा करने की तिथि | स्थान जहां दौरा किया गया |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री जगन्नाथ चौधरी, सांसद | 7-4-88 | बक्सर से बलिया, दयाछपरा, रेवती, बांसडीह, बलिया । |
| 2 | ,, | 8-4-88 | बक्सर से बलिया । |
| 3 | ,, | 30-4-88 | बक्सर से बलिया, सागरपाली, डुमडुमा, आमघाट, बांसडीह, मनियर, सिकन्दरपुर, नगरा, गड़वार, कठोड़ा । |
| 4 | ,, | 1-5-88 | सिकन्दरपुर, एकडल, टड़वा, पुर, रतसड़, सुखपुरा, सोहांव, कोटवा नारायणपुर, बलिया। |
| 5 | ,, | 7-5-88 | बक्सर से बलिया, कपोड़ा । |
| 6 | ,, | 8-5-88 | सियर, पन्वाह, बक्सर, बलिया । |
| 7 | ,, | 17-5-88 | बक्सर, बलिया, फोफना, शिव-कहर, कोपड़ा, इन्द्रपुर, बीरा, भंतोपुर, पकड़ी बाबल बलिया । |
| 8 | ,, | 20-5-88 | बांसडीह, हनुमानगंज, बहराइच, बलिया । |
| 9 | ,, | 21-5-88 | नारायणपुर, मनियर, सिकन्दर-पुर, बलिया । |
| 10 | ,, | 23-5-86 | दुबहड़, रामपुर, बसारिकापुर, बलिया । |
| 11 | ,, | 24-5-88 | बैरिया, बसूरी टोला, बलिया। |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 12 | श्री [illegible] चौधरी, [illegible] | [illegible]-5-88 | [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], बलिया। |
| 13 | " | [illegible]-5-88 | [illegible], [illegible], बलिया। |
| 14 | " | [illegible]-5-88 | चिलकहर, हनौली, बलिया। |
| 15 | " | 29-5-88 | [illegible]करपुर, [illegible]जयपुर, हनुमानगंज, [illegible], सिकन्दरपुर, कठोड़ा। |
| 16 | " | 30-5-88 | सिकन्दरपुर, [illegible], हल्दी, [illegible], बलिया। |
| 17 | " | 1-6-88 | सितबड़ा गांव, बलिया। |
| 18 | " | 2-6-88 | सिकन्दरपुर, [illegible], [illegible], बलिया, [illegible]। |
| 19 | " | 21-6-88 | [illegible], लालगंज, बहादुरपुर, हनुमानगंज, [illegible], [illegible], चिलकहर, [illegible], बलिया। |
| 20 | " | 22-6-88 | [illegible], [illegible], [illegible], चिलकहर, [illegible], [illegible], [illegible], सिकन्दरपुर, [illegible], कठोड़ा। |
| 21 | " | 23-6-88 | [illegible], [illegible], [illegible], बलिया। |
| 22 | " | 24-6-88 | कोटवा, [illegible], हनुमानगंज, [illegible], [illegible], रेवती, [illegible], बलिया। |
| 23 | " | 27-6-88 | हल्दी से बलिया, [illegible], सिकन्दरपुर, कठोड़ा। |
| 24 | " | 29-6-88 | सिलकर, सिकन्दरपुर, कठोड़ा। |
| 25 | " | 30-6-88 | सिकन्दरपुर, बलिया, [illegible], रेवती, [illegible], [illegible], [illegible], बलिया, कठोड़ा। |

मारुति जिप्सी जीप यू0 पी0 आर0 आई0 3664 द्वारा खरीद के दिन 18-3-88 से 30-6-88 तक किये गये यात्रा का विवरण (लाग बुक से उद्धरण)।

| क्रमांक | दिनांक | स्थान जहाँ जीप गयी | कार्य का उद्देश्य | अधिकारी जिसके साथ गाड़ी भेजी गयी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 19-3-88 | लखनऊ से कलक्टर साहब जीप खरीद कर लाई नागिर लखर होते हुये 19-3-88 को बलिया | गयी | |
| 2 | 27-3-88 | चिलकहर, रसड़ा वापस | जीप चलते योजना के बारे अधिकारी संचालन हेतु | |
| 3 | 30-3-88 | सिकन्दरपुर गड़वार होते वापस बलिया | " | " |
| 4 | 31-3-88 | सिधर, रसलपुरा एवं बाजार बलिया | " | " |
| 5 | 2-4-88 | बेलवरा रोड बाया मीरापुर तथा वापस बलिया | " | " |
| 6 | 3-4-08 | रेवती, जयमलाड़ वापस बलिया | संस्थाओं के हेतु | डी0 आर0 ओ0 |
| 7 | 4-4-88 | वाराणसी सर्किलिंग के लिये | सर्किलिंग के लिये | नोडल मेजिस्टर |
| 8 | 7-4-88 | बक्सर से बलिया, दयाछपरा, रेवती, बांसडीह, बलिया | संयुक्त सर्वेक्षण, चौधरी हारा, क्षेत्र का निरीक्षण | सांसद |
| 9 | 8-4-88 | बक्सर एवं वापस बलिया | " | " |
| 10 | 21-4-88 | लखनऊ | गाड़ी को चेक कराने के लिये | चालक |
| 11 | 23-4-88 | लखनऊ से वापस बलिया | " | " |
| 12 | 30-4-80 | बक्सर से बलिया, सागर-पाली, कुमहुमा, बांसडीह, मनियर, सिकन्दरपुर, नगरा, बलिया, गड़वार, कटौड़ा | 20 सूत्री कार्यक्रम का निरीक्षण | श्री जगन्नाथ चौधरी, सांसद |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1-5-88 | सिकन्दरपुर, एकइल, टड़वा-पुर, सलसड़, सुखपुरी, सोहांव, कोटवा नरायनपुर, बलिया | 20 सूत्री कार्यक्रम का निरीक्षण | श्री जगन्नाथ चौधरी, सांसद |
| 14 | 2-5-80 | सुखपुरा गड़वारा वापस बलिया | सरकारी कार्य हेतु | सी० आर० ओ० |
| 15 | 3-5-88 | पचलोरा तथा वापस बलिया | ,, | ,, |
| 16 | 7-5-88 | बक्सर से बलिया, कठौड़ा क्षेत्रीय दौरा | | श्री जगन्नाथ चौधरी, सांसद |
| 17 | 8-5-88 | सियर पन्दह, बक्सर, बलिया | ,, | ,, |
| 18 | 17-5-88 | बक्सर से बलिया, फेफना, चिलकहर, चौकड़ा, इन्द्र-पुर, बीरामाती, पुरपकड़ी वापस बलिया | 20 सूत्रीय कार्यक्रम | श्री जगन्नाथ चौधरी, सांसद |
| 19 | 20-5-88 | बांसडीह रोड, हनुमानगंज, ब्रह्माइन, बलिया | ,, | ,, |
| 20 | 21-5-80 | नरायनपुर, मनियर, सिकन्दर-पुर, बलिया | ,, | ,, |
| 21 | 27-5-88 | दुबहड़, खैरपुर, बसरिकापुर, बलिया | ,, | ,, |
| 22 | 24-5-88 | बंरिया, बतुरी टोला, बलिया | ,, | ,, |
| 23 | 25-5-88 | बाँसडीह, सहसवार, चांदपुर, बंडहा, गोपालपुर, रेवती, बलिया | ,, | ,, |
| 24 | 26-5-88 | फेफना, गड़वार, बलिया | ,, | ,, |
| 25 | 27-5-88 | चिलकहर, हजोली, बलिया | ,, | ,, |
| 26 | 29-5-88 | शंकरपुर, भिकुपुर, हनुमान-भरखोरी, कठौड़ा | ,, | ,, |
| 27 | 30-5-88 | सिकन्दरपुर, भरखड़ा, हल्दी, बड़ी शोरिया, बलिया | ,, | ,, |
| 28 | 1-6-88 | चितबड़ागांव, बलिया | ,, | ,, |
| 29 | 2-6-88 | सिकन्दरपुर, नवानगर, नगरा, बलिया, बक्सर | ,, | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 11-6-88 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 31 | 12-6-88 | पुवहड़, बैरीहाड़, बेरवारवारी, पुवपुरा बावत बलिया | 20 [illegible] | ए० ओ० सी० |
| 32 | 13-6-88 | पुवहड़, बेरवारवारी, सुल्तानपुर, कल्लार, पचवलोरा, भरसरा, कंचवली, पुवहड़ बावत बलिया | " | डी० डी० सी० |
| 33 | 14-6-88 | पुवपुरा, बेरवारवारी, कंचवली, अरोणी, संवही, भरसरा, रतसड़ बावत बलिया | " | " |
| 34 | 15-6-88 | भरसड़ा, बेरवारवारी, पुवपुरा, बलिया | " | " |
| 35 | 16-6-88 | पुवपुरा, संवही, बेरवारवारी, कंचवली, सुल्तानपुर, भरसरा बावत बलिया | " | " |
| 36 | 17-6-88 | पुवपुरा, सुल्तानपुर, भरसरा, बेरवारवारी, कंचवली, सपही बावत बलिया | " | डी० डी० सी० |
| 37 | 18-6-88 | पुवपुरा, भरसरा, संवही, बेरवारवारी, कंचवली, बलिया | " | " |
| 38 | 19-6-88 | पुवपुरा, सुल्तानपुर, बेरवारवारी, भरसड़ा, कल्लार, बावत बलिया | " | " |
| 39 | 21-6-88 | कल्लार, बलिया, लालगंज, बहादुरपुर, हनुमानगंज, गड़वार, रतसड़, चितबहार, शाहिलपुर, बलिया | " | डी० [illegible] बोमरी, [illegible] |
| 40 | 22-6-88 | [illegible], [illegible], [illegible], चितबहार, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], कठोड़ा | " | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 23-6-88 | जलालपुर, बिसुहिया, पोखना, बलिया | 20 सूत्रीय कार्यक्रम | श्री जयप्रकाश चौधरी, सांसद |
| 42 | 24-6-88 | कोटवा करमलपुर हनुमानगंज, बेरुवारबारी, करमदर, रेवती, सुरेमनपुर, बलिया | " | " |
| 43 | 27-6-88 | हल्दी से बलिया, मनियर, सिकन्दरपुर, कठौड़ा | " | " |
| 44 | 29-6-88 | लिलकर, सिकन्दरपुर, कठौड़ा | " | " |
| 45 | 30-6-88 | सिकन्दरपुर, बलिया, मनियर, रेवती, दलमछपरा, रामनगर, बैरिया, बलिया, कठौड़ा | " | " |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'ख'

(देखिये अधि0 प्र0 सं0 104 का उत्तर पीछे पृष्ठ 70 पर।)

महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा की जीप एवं मारुति जिप्सी जीप की उपयोगिता तथा उनके रख-रखाव एवं ईंधन पर होने वाले व्यय का तुलनात्मक विवरण।

| क्रमांक | विवरण | महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा 440-4 डब्ल्यू डी पेट्रोल जीप | मारुति जिप्सी 4 डब्ल्यू पेट्रोल जीप |
|---|---|---|---|
| 1 | कीमत | 1,15,052.00 रु0 (सेल्स टैक्स अतिरिक्त) | रु0 1,06,410.00 (सेल्स टैक्स अतिरिक्त) |
| 2 | इंजन | 4 सिलिन्डर पेट्रोल | 4 सिलिन्डर पेट्रोल |
| 3 | ईंधन औसत | 6.5 किमी0 प्रति लीटर | 10 किमी0 प्रति लीटर |
| 4 | सीटिंग कैपासिटी | 9 | 8 |
| 5 | औसत ड्राइव लाइफ | लगभग 30,000 किमी0 | लगभग 60,000 किमी0 |
| 6 | अधिकतम स्पीड | 100 किमी0 प्रति घंटा | 120 किमी0 प्रति घंटा |
| 7 | फिनिश | उत्तम | अति उत्तम |
| 8 | इंजन लाइफ (प्रथम ओवर हाल-तक) | लगभग 50,000 किमी0 | लगभग 1,00,000 किमी0 |
| 9 | ईंधन अवेयल कैपासिटी | 5 लीटर प्रति 3,500 किमी0 के बाद | 3.5 लीटर प्रति 5,000 किमी0 के बाद |
| 10 | ट्रान्समिशन | 4×4 उत्तम | 4×4 अति उत्तम |
| 11 | वायरिंग व अन्य बिजली के उपकरण | उत्तम | अति उत्तम |
| 12 | आपूरक व्यय | लगभग 0.33 रु0 प्रति किमी0 उत्तम | लगभग |
| 13 | विश्वसनीयता | उत्तम | अति उत्तम |
| 14 | गाड़ी का कण्ट्रोल | उत्तम | अति उत्तम |

26-6-90

7 मई, 1990

(लिखित उत्तर सं० सं० 113, [illegible] 23 मई।)

[illegible] 1988 के [illegible] के लिए निम्नलिखित [illegible] के मु० [illegible] 13 [illegible]

प्रश्न

13—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या [illegible] 31 मार्च, 1988 को [illegible] हैं जिनमें [illegible] पास तथा स्कोहल बाबे जि० [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] की गई कार्यवाही की विवरण [illegible] की गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं क्यों ?

उत्तर

13—जी हां। [illegible] प्राप्त हुआ और मामले की जांच पटवारियों द्वारा करवाई गई और यह पाया गया कि आवंटन केवल [illegible] भूमि पर पन्द्रह व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा कर लिया गया है। अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश भूमिसुधार विधान की धारा 122बी के अन्तर्गत [illegible] कार्यवाही [illegible] के समाधान में विचाराधीन है।

[illegible] के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही [illegible] होने से [illegible] कर दिया गया है। [illegible] के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है।

[illegible] 13 [illegible] 26-7-1990-913 (शक 1912)